माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

नियम-संग्रह

१९७१

(१ दिसम्बर, १९७१ तक संशोधित)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश प्राधिकार
के अधीन प्रकाशित

NIEPA - DC
G0247

इलाहाबाद
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत
१९७१

– 542
370.26
UTT-XI

अनुक्रमतालिका

भाग--एक (क)

धाराएं		पृष्ठ संख्या
	इण्टरमीडिएट शिक्षा, अधिनियम १९२१ (१९२१ का प्रदेशीय अधिनियम सं० २) ..	१–२१
१	संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ...	१
२	परिभाषाएं	२–३
३	परिषद् का संगठन	३–४
३–क	सदस्य का हटाया जाना	४
४	सदस्यों की पदावधि	४
५	पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति ..	४
६	नामों का प्रकाशन	५
७	परिषद् के अधिकार	६–७
८	अधिनियम से कतिपय विश्वविद्यालयों को छूट ..	६
९	राज्य सरकार के अधिकार	६–७
१०	परिषद् के पदाधिकारी	७
११	सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य ..	७
१२	सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य ..	७–८
१३	समितियों की नियुक्ति एवं संगठन ..	८
१४	परिषद् द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग	८
१४–क	अन्तरीक्षक आदि का लोकसेवक होना ..	९
१५	परिषद् के विनियम संबंधी अधिकार ..	९–१०
१६	परिषद् द्वारा निर्मित विनियमों का पूर्व प्रकाशन और स्वीकृति	१०
१६–क	प्रशासन योजना	१०–११
१६–ख	प्रशासन योजना	११–१२
१६–ग	प्रशासन योजना	१२
१६–घ	मान्यताप्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण एवं त्रुटियों का निवारण	१२–१५

पृष्ठ संख्या

१६-ङ अध्यापकों की नियुक्ति १५
१६-च अध्यापकों की नियुक्ति १६-१७
१६-छ अध्यापकों की सेवा-शर्तें १७-१६
१६-ज कतिपय श्रेणी की संस्थाओं को अधिनियम की कतिपय धाराओं से मुक्ति .. १९
१६-झ शिक्षा निदेशक द्वारा अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन २०
१७ (निरस्त) .. २०
१८ आकस्मिक रिक्तियां .. २०
१९ रिक्ति के कारण कार्यवाही अमान्य न होना .. २०
२० परिषद् तथा समितियों के उप विधियां बनाने के अधिकार .. २०
२१ सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों हेतु संरक्षण .. २१
२२ न्यायालयों के क्षेत्र पर रोक .. २१

भाग--दो--(क)

प्रथम के विनियम--

१--अध्याय एक--(प्रशासन की योजना) .. २२--२६
(क) प्रबन्ध समिति २२--२३
(ख) आचार्य, प्रधानाध्यापक के अधिकार एवं कर्तव्य .. २३--२४
(ग) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य .. २५
(घ) प्रशासन की योजना का अनुमोदन .. २५--२६
२-अध्याय-दो (अध्यापकों की नियुक्ति) ... २६--५५६
(क) अध्यापकों के चयनार्थ चयन समिति ... २६--२२९
(ख) आचार्य, प्रधानाध्यापक के चयनार्थ चयन समिति ... २२९
(ग) नियुक्ति का क्रम २२६
(घ) अस्थायी नियुक्ति ३३०
(ङ) (परिशिष्ट--क) आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यतायें ३१--५१६
३-अध्याय---तीन (सेवा की शर्तें) .. ५२--७४४
(क) नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति ... ५६ ६६०
(ख) सेवा की समाप्ति ६०--६११
(ग) दण्ड, जांच तथा निलम्बन .. ६१--६४४

पृष्ठ संख्या

(घ) वेतन निर्धारण तथा वेतनों का भुगतान . . . ६४-६५

(ङ) स्थानान्तरण . . . ६५-६७

(च) शिक्षण, अंशकालिक सेवा एवं अन्य लाभ . . . ६७

(छ) वर्ष एवं सेवा का अभिलेख . . . ६८-६९

(ज) निर्वाह निधि . . . ६९

(झ) मण्डलीय अपीली समिति . . . ७०-७१

(ञ) (परिशिष्ट ख) गृह शिक्षण हेतु आवेदन-पत्र . . . ७२

(ट) (परिशिष्ट ग) चरित्रपंजी का प्रपत्र . . . ७३-७४

भाग—दो (ख)

(१) अध्याय एक—परिभाषाएं . . . ७५-७६

(२) अध्याय दो—परिषद् . . . ७६

(३) अध्याय-तीन—सचिव . . . ७६

(४) अध्याय चार—परिषद् की समितियां . . . ७७-७८

(५) अध्याय पांच—पाठ्यक्रमों की समितियां . . . ७८-८०

(६) अध्याय छः—परीक्षा-समिति . . . ८०-८१

(७) अध्याय छः-क—परीक्षाफल समिति . . . ८४-८५

(८) अध्याय सात—परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता . . . ८५-९२

(९) अध्याय आठ—वित्त समिति . . . ९२-९३

(१०) अध्याय नौ—पाठ्यचर्या-समिति . . . ९३

(११) अध्याय दस—सहायक अनुदान . . . ९४

(१२) अध्याय—ग्यारह (?) छात्रों का निवास . . . ९४

(१३) अध्याय बारह—परीक्षाएं (सामान्य विनियम) . . . ९५-१८

(१४) अध्याय तेरह—हाई स्कूल परीक्षा . . . ११-२४

(१५) अध्याय चौदह—इण्टरमीडिएट परीक्षा . . . १२-४०

(१६) अध्याय पन्द्रह—क—हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा . . . १४-४२

(१७) अध्याय—पन्द्रह—ख—इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा . . . १३-४५

पृष्ठ सं०

(१८) अध्याय सोलह--इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) तथा (ङ) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन १४५–१५२

(१९) अध्याय–सत्रह–प्रकीर्ण १५३

भाग–तीन

परिषद् की उपविधियां १५४–१६०

परिशिष्ट "क" एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि १६०–१६७

भाग---चार

(क) परिषद् के अधिकारी १६८

(ख) परिषद् के सदस्य १६८–१७२

(ग) अन्य समितियों के सदस्य १७३–१७४

(घ) पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य... ... १७४–१८४

(ङ) अन्य निकायों में परिषद् के प्रतिनिधि ... १८४

भाग---पांच

परिषद् के नियम

(१) परीक्षकों, सारणीयकों, परितुलनकर्त्ताओं आदि की नियुक्ति के नियम १८५–१९१

(२) अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम .. १९२–१९५

(३) पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक १९५

भाग---छः

पारिश्रमिक तथा मानदेय १९६–२०७

यात्रा–भत्ता के नियम २०८–२१३

भाग---सात

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता २१४–२१९

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

भाग १

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१*

(१९२१ का प्रदेशीय अधिनियम संख्या २)

एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियम और पर्यवेक्षण करने के संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिये तथा उसके लिये पाठ्यक्रम विहित करने के लिये एक परिषद् की स्थापना की जाय :

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक† से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दे ।

---

*उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट, १९२१, भाग ७, पृष्ठ १८ देखिये । प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट के लिये गजट, १९२१; भाग ८, पृष्ठ ५७७ देखिये । विचार-विमर्श के लिये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक २ अप्रैल, १९२१; ४ अप्रैल, १९२१; २५ जुलाई, १९२१; २६ जुलाई, १९२१ तथा २७ जुलाई, १९२१ को क्रमशः खंड २ में पृष्ठ ६३५ पर, खंड २ में पृष्ठ ६७६–७०६ पर, खंड ३ में पृष्ठ ५४ पर, खंड ३ में पृष्ठ ११०-१६० पर तथा खंड ३ में पृष्ठ १७९–२४३ पर प्रकाशित कार्यवाही देखिये ।

[१९४१ के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या पांच, १९५० के अधिनियम संख्या ४, १९५८ के अधिनियम संख्या ३५ तथा १९५९ के अधिनियम संख्या ६ द्वारा संशोधित ।]

[भारत सरकार के १९३७ के आदेश (एडैप्टेशन आफ इंडियन लाज द्वारा अनुकूलित और आशोधित) की राज्यपाल की अनुमति ३० सितम्बर, १९२१ को तथा गवर्नर जनरल की अनुमति १० दिसम्बर, १९२१ को प्राप्त तथा भारत सरकार अधिनियम की धारा ८१ के अन्तर्गत ७ जनवरी, १९२२ को प्रकाशित ।]

†१—यह अधिनियम १ अप्रैल, १९२२ को प्रवृत्त हुआ ।

परिभाषायें

२—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में—

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है ;

(कक) "केन्द्र" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित हैं ;

(ककक) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ।

(ख) "संस्था" का तात्पर्य यथास्थिति सम्पूर्ण संस्था या उसके किसी भाग से है ;

*(खख) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है और इसमें निरीक्षक के समस्त या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(खखख) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे ।

(ग) (निकाल दिया गया) ।

(घ) "मान्यता" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है;

†(घघ) "संभागीय शिक्षा उप–निदेशक" का तात्पर्य किसी संभाग के प्रभारी शिक्षा उप–निदेशक से है और इसमें संभागीय उप–निदेशक के समस्त कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है ।

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ।

---

*"टिप्पणी—(१) विज्ञप्ति संख्या ए–एक–४७८५/पन्द्रह–१९७७–५९, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ द्वारा सहयुक्त विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को अपने जिले में अधिनियम की धारा १६–ए से १६–आई तक के संबंध में निरीक्षक के समस्त कर्तव्यों के पालन करने के लिये अधिकृत किया गया ।"

†"टिप्पणी—(२) विज्ञप्ति संख्या ए–एक–४७८५/पन्द्रह–१९७७–५९, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ द्वारा राज्यपाल महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को कुमायूं संभाग में अधिनियम की धारा १६–ए से १६–आई तक के संभागीय शिक्षा उपनिदेशक के समस्त कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया ।"

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(छ) "क्षेत्र-अधीक्षक" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और उसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित हैं ।

बोर्ड का संगठन

३—(१) बोर्ड की स्थापना इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद यथाशक्य शीघ्र की जायेगी और उसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) निदेशक (पदेन सभापति) ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित इंटरमीडिएट कालेजों के दो प्रिंसिपल जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले इंटरमीडिएट कालेजों के प्रिंसिपल में से उनके द्वारा स्वयं अपने में से निर्वाचित चार प्रिंसिपल ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी हाई स्कूल का एक प्रधानाध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में से उनके द्वारा स्वयं अपने में से निर्वाचित दो प्रधानाध्यापक ।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभियंत्रण का एक प्रतिनिधि ।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कृषि का एक प्रतिनिधि ।

(ज) उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्त चिकित्सा व्यवसाय का एक सदस्य ।

(झ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यापकों के किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग का एक सदस्य ।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उद्योगों का एक प्रतिनिधि ।

(ट) महिलाओं की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गयी एक महिला ।

(ठ) उत्तरप्रदेश में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनकी संख्या यथासम्भव बोर्ड के अन्य सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई के समीपतम होगी ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (१) के खण्ड (ठ) के अधीन प्रत्येक विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिधियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जायगी ।

(ड) विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो सदस्य तथा विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।

(ढ) अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स तथा उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स में से प्रत्येक द्वारा नियुक्त एक-एक सदस्य ।

(ण) (निकाल दिया गया) ।

(२) ऐसे अल्प-संख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, जिन्हें अन्यथा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, राज्य सरकार द्वारा तीन से अनधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।

(३) बोर्ड द्वारा विहित किए गए पाठ्यक्रमों में सम्मिलित पाठ्य-विषयों में उसके विशेष ज्ञान रखने के कारण, बोर्ड तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को आमेलित करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

सदस्य का हटाया जाना

३-क--राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिए हानिकर हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी ।

सदस्यों की पदावधि

४--(१) पदेन तथा आमेलित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि धारा ६ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों के पद की अवधि एक बार में एक वर्ष से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न हो ।

(२) आमेलित सदस्यों की पदावधि अन्य नियुक्त सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के दिनांक को ही समाप्त होगी ।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति

५--पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के पद की विहित अवधि समाप्त होने पर उन पदों में इस प्रकार हुई रिक्तियों की पूर्ति सुविधाजनक रूप से यथाशक्य शीघ्र धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार की जायगी ।

नामों का प्रकाशन

६--धारा ३ की उपधारा (१) तथा (२) या धारा ५ के अनुसार बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्तियों के नाम सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किए जायंगे ।

बोर्ड के अधिकार

७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् :—

(१) इण्टरमीडिएट कक्षाओं तथा अंग्रेजी विद्यालयों की उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं के लिए शिक्षण के पाठ्यक्रम विहित करना, जिन्हें वह उचित समझे ;

(२) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना :

(क) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या

(ख) जो अध्यापक हो, या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षायें उत्तीर्ण की हों।

(३) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना ;

*(४) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(५) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ;

(६) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायं ;

(७) अपनी परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना ;

(८) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना, जो बोर्ड अवधारित करे ;

---

*उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९७१) की धारा ६ के अनुसार इस अधिकार में संशोधन हो गया है। धारा ६ निम्नवत है :

"९—(१) इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुए भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को किसी नए विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।

(२) किसी ऐसे आपातकाल में जिसमें राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये, तो राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किए जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी उक्त अधिनियम की धारा १३ में

[आगामी पृष्ठ पर चालू]

(९) मान्यताप्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(१०) ऐसे किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह संबंधित हो ;

(११) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(१२) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिये एक निकाय के रूप में संघटित किए गए बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

८—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के संघटन, अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमति अभिलिखित न की गई हो।

राज्य सरकार के अधिकार

९—(१) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को संबोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के संबंध में, जिससे बोर्ड संबंधित हो, बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(२) बोर्ड राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा।

(३) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके

अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किए बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(३) यदि राज्य सरकार उपधारा (२) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय।"

उपरोक्त धारा में प्रयुक्त 'संस्था' शब्द की परिभाषा सन्दर्भित अधिनियम की धारा २ (ख) में निम्नवत् की गई है :

"धारा २ (ख)—संस्था का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था से है, जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है।"

द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम के संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(४) किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें राज्य सरकार के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो राज्य सरकार बोर्ड से पूर्व परामर्श किए बिना इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे तथा वह बोर्ड को ऐसी कार्यवाही की सूचना अविलम्ब देगी ।

बोर्ड के पदाधिकारी

१०—बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(१) सभापति,

(२) सचिव,

(३) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय ।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

११—(१) सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है, और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

(२) सभापति को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अभियाचन पर जिस पर बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा ।

(३) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के संबंध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें सभापति के मतानसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह आवश्यक समझे, और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा ।

(४) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायं ।

सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्त्तव्य

१२—(१) सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिये नियुक्त किया जायगा जो राज्य सरकार उचित समझे ।

वह बोर्ड की किसी ऐसी विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के मतों से अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों।

(२) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव, बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(३) वह यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि सब धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती हैं, जिनके लिये वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हों।

(४) वह बोर्ड का कार्यवृत रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायं।

(६) वह बोर्ड की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने और उसमें बोलने का अधिकारी होगा, किन्तु उसे उसमें मत देने का अधिकार न होगा।

समितियों की नियुक्ति और संघटन

१३—(१) बोर्ड पाठ्यक्रम समितियों, परीक्षा समिति, मान्यता समिति वित्त समिति तथा ऐसी समितियों को, यदि कोई हो, नियुक्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जायं।

(२) ऐसी समितियों में बोर्ड के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, होंगे, जिन्हें बोर्ड प्रत्येक मामले में उचित समझे।

(३) कोई समिति उस समिति में कार्य करने के लिये अपने सदस्यों की कुल संख्या के अधिक से अधिक एक-तिहाई तक व्यक्ति आमंत्रित कर सकेगी।

(४) आमंत्रित सदस्यों के अतिरिक्त समितियों के अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक अपने पदों को धारण करेंगे। आमंत्रित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी समिति के सदस्यों की पदावधि, चाहे वे बोर्ड के सदस्य हों या न हों, बोर्ड के नियुक्त सदस्यों के पद की अवधि से अधिक न होगी।

बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

१४—इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किये गये ऐसे अधिकारों के प्रयोग से संबंधित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किये गये समझे जायेंगे और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व संबंधित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

अन्तरीक्षक आदि का लोक सेवक होना

१४-क--(१) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक की तथा अन्तरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की धारा २१ के अधीन लोक सेवक समझा जायगा।

(२) उप-धारा (१) में उल्लिखित अवधि में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल-प्रयोग किसी लोक सेवक द्वारा उसके लोक-कृत्यों के निर्वहन के संबंध में स्वेच्छा से डाली गयी बाधा समझी जायगी और वह प्रसंज्ञेय अपराध होगा।

बोर्ड का विनियम बनाने का अधिकार

१५--(१) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनियम बना सकता है।

(२) विशेषतया और पूर्वगत अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकता है--

(क) समितियों का संघटन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना;

(ग) बोर्ड की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें;

(घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्य-क्रम;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे;

(च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये शुल्क;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के संबन्ध में उनके कर्त्तव्य और अधिकार;

(झ) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) और (ङ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन;

(ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना;

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके;

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे ।

बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्वप्रकाशन और उनकी स्वीकृति

१६—धारा १५ के अधीन विनियम बिना प्रकाशित किये नहीं बनाये जायेंगे और वे उस समय तक प्रभावी न होंगे, जब तक वे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिये जायं और सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिये जायें ।

प्रशासन योजना

*†[१६-क]—(१) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी

*टिप्पणी—१—धारायें १६-क, ख तथा ग, दिनांक ७ सितम्बर, १९५९ से उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक १२ सितम्बर, १९५९ में प्रकाशित राजाज्ञा संख्या ए-१-४०७५/१५-१६७६-५९, दिनांक ७ सितम्बर, १९५९ द्वारा बढ़ाई गई ।

†टिप्पणी—२—विज्ञप्ति संख्या सी-डी-२४३९/४०-एम-६६-५९-६०, दिनांक २३ सितम्बर, १९६९ तथा संख्या सा-१-६०००२-२१/१४-६३(११)-७०-७१, दिनांक २३ अगस्त, १९७० द्वारा शिक्षा निदेशक ने अधिनियम की धारा १६-झ के अनुसार धारा १६-क(५), १६-ख व १६-ग के अपने समस्त अधिकार निम्नवत् प्रतिनिधायित कर दिये हैं—

"संभागीय शिक्षा उप निदेशक, आगरा, मेरठ, नैनीताल, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, व झांसी	... अपने-अपने संभाग में ।
"शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) मुख्यालय, इलाहाबाद किसी भी सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्देशित स्थिति में	... सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ।"

इस प्रतिनिधायन में नैनीताल शिक्षा निदेशक की विज्ञप्ति संख्या जी(१)-२१९७/पैंतालिस-६३ (५५३)-६४-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६८ द्वारा एवं फैजाबाद तथा झांसी विज्ञप्ति संख्या सा-१-६००२-५१/१४-६३ (११)-७०-७१, दिनांक २३ अगस्त, १९७० द्वारा आया है तथा शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) विज्ञप्ति संख्या जी (१)-१३३०/४६-२३-६१-६२, दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ द्वारा उप शिक्षा संचालक (विद्यालय प्रबन्ध) के स्थान पर हुआ है ।

‡टिप्पणी—३—यह धारा (विज्ञप्ति संख्या ए-१-१५५८/१५—१७९३-५८, दिनांक २१ फरवरी, १९६४ के अनुसार) किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्था पर लागू नहीं होगी ।

प्रत्येक संस्था के लिये एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के प्रारम्भ के पहिले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संघटन की व्यवस्था की जायगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा । संस्था के यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा ।

(२) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से संबंधित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।

(३) विनियमों के अधीन रहते हुये प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल तथा प्रबन्ध समिति के अलग-अलग अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे ।

(४) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यताप्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिये उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग-विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो ।

(५) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा ।

(६) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (१) से उपधारा (५) तक तथा धारा १६-ख और १६-ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा ।

*१६-ख--‡(१)--किसी संस्था के इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से ६ महीने के भीतर तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिये दिये गये आवेदन-पत्र के साथ प्रशासन योजना का एक प्रारूप तैयार किया जायेगा और उसे धारा १६-ग के अनुसार निदेशक को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

---

*टिप्पणी--१--पृष्ठ १० की टिप्पणियां १, २ तथा ३ यहां भी पढ़ी जायं ।

‡ टिप्पणी--२--विज्ञप्ति संख्या ए-१-४७८२/पन्द्रह--२१६८-५९, कठिनाई निवारण आदेश संख्या ६, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ के अनुसार ३१ अक्तूबर, १९६० तक धारा १६-ख (१) में शब्द "उक्त के प्रारम्भ" के स्थान पर "१ नवम्बर, १९५९" रहा ।

जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाय, नियंत्रण के ऐसे कृत्यों को करने के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायं, किसी व्यक्ति को (जिसे एतत्पश्चात् "प्राधिकृत नियंत्रक" कहा गया है) प्राधिकृत करके ऐसी संस्था पर नियंत्रण करने की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसा आदेश दिये जाने पर यथा-स्थिति संस्था और उसका प्रबन्धाधिकरण, जब तक उक्त आदेश प्रभावी रहेगा, उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार संचालित किया अथवा चलाया जायेगा तथा ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण के किसी भी कृत्य का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा, और

(२) किसी ऐसे आनुषंगिक या अनुपूरक विषय के लिये व्यवस्था कर सकती है, जो आदेश के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

इस उपधारा के अधीन दिये गये आदेश की अवधि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन दिये गये प्रारम्भिक आदेश की अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

‡प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी संस्था के लिये प्रशासन योजना का प्रारूप प्रस्तुत करना और निदेशक के लिये उसे धारा १६-ग के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, परिष्कारों सहित या उनके बिना स्वीकृत करना वैध होगा और उक्त योजना के स्वीकृत हो जाने पर खंड (घ) के अनुसरण में इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश वापस ले लिया जायेगा।

(५) यदि प्रबन्धाधिकरण या प्रबन्धाधिकरण के किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उपधारा (४) के अधीन दिये गये आदेश के अधीन और उसके अनुसार दिये गये किसी निदेश का पालन न करे अथवा उसे कार्यान्वित करना अस्वीकार कर दे, तो प्राधिकृत नियंत्रक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और ऐसी अवधि के लिये, जो राज्य सरकार नियत करे, प्रबन्धाधिकरण या ऐसे किसी व्यक्ति का अपवर्जन करते हुए संस्था का प्रबन्ध, जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था के या उसमें निहित अन्य परिसम्पति का प्रबन्ध सम्मिलित है, अपने हाथ में ले सकता है और जब भी कभी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाय, केवल उसे ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के संबंध में वे सब अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो इस उपधारा के या उपधारा (४) के अधीन उक्त संस्था के न लिये जाने की दशा में उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त होते।

(६) कोई व्यक्ति जो उपधारा (४) के खन्ड (१) के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों के पालन में सद्भाव से उसके द्वारा किये गये कार्यों के लिये वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा।

‡टिप्पणी—पृष्ठ १३ की टिप्पणी *देखिए।

७—संस्था के प्रबन्ध तथा नियंत्रण से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में दी गई किसी बात के असंगत होते हुए भी उपधारा (४) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश प्रभावी होगा।

८—उपधारा ३ के खन्ड (क) के अधीन मान्यता वापस लेने के संबंध में बोर्ड द्वारा दिये गये किसी आदेश पर और उपधारा (४) या (५) के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

९—इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक की किसी अन्य विधि के अधीन प्रदान किये गये किन्हीं अधिकारों को कम करने वाले न होकर उनके अतिरिक्त होंगे।

अध्यापकों की नियुक्ति

*१६-ङ—(१) प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक तथा पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हतायें विनियमों द्वारा विहित की जावेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को देखते हुए न्यूनतम अर्हतायें की अपेक्षाओं से मुक्त कर सकता है।

(२) संस्था में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के निमित्त प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्थाओं में एक चयन समिति संगठित की जायेगी। संस्था का प्रधान उक्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(३) इसी प्रकार से संस्था के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक का चयन करने के लिए तीन सदस्यों की एक चयन समिति संघटित की जायेगी। समिति में एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो उपधारा (४) में उल्लिखित सम्भागीय नामिका में से प्रबन्ध समिति द्वारा चुना जायेगा और वह उस जिले का न होगा, जिसमें वह संस्था स्थित है।

(४) निदेशक उपधारा (३) में उल्लिखित चयन समिति में नाम निर्देशित सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक सम्भाग के लिए व्यक्तियों की एक नामिका तैयार करेगा।

(५) उपधारा (२) और (३) में उल्लिखित चयन समितियों का संघटन, उनकी बैठकों में किये जाने वाले कार्य का संचालन, सम्भागीय नामिकाओं का तैयार किया जाना तथा अन्य विषय विनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

*"टिप्पणी—१—विज्ञप्ति संख्या ए-१-४७८३/पन्द्रह—२१६८-५९, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ द्वारा धारा १६-ङ मूल अधिनियम में सम्मिलित हुई।"

टिप्पणी—२—विज्ञप्ति संख्या ए-१-५५८/पन्द्रह—१७९३-५८, दिनांक २१ फरवरी, १९६४ द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के लिए उपधारा २,३,४ व ५ हटा दी गई तथा उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में:—

'बोर्ड' के स्थान पर 'राज्य सरकार' किया गया और 'निदेशक की रिपोर्ट' तथा 'पर विचार करने' शब्दों के बीच 'तथा बोर्ड की संस्तुतियों' शब्द रख दिए जायं।

*१६-<u>च</u>--(१) एततपश्चात् निर्दिष्ट किये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी मान्यताप्राप्त संस्था में उस समय तक प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक नहीं नियुक्त किया जायेगा जब तक कि--

[क] वह विहित अर्हताएं न रखता हो या उसे धारा १६-ङ की उपधारा (१) के अधीन उनसे मुक्त न कर दिया गया हो।

[ख] उक्त धारा की, यथास्थिति उपधारा (२) या (३) के अधीन संघटित चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश न की गई हो और प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की दशा में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा तथा अध्यापक की दशा में निरीक्षक द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निरीक्षक का समाधान हो जाय कि किसी संस्था के लिये समस्त विहित अर्हताएं रखने वाला कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह किसी उपयुक्त व्यक्ति की एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप में नियुक्ति की अनुज्ञा संस्था को दे सकता है। ऐसी अवधि निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि छुट्टी लेने के कारण हुई रिक्ति या संस्था के सत्र के किसी अंश के लिये होने वाली रिक्ति की दशा में प्रबंध समिति के लिए प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक या अध्यापक को नियुक्त करना ऐसी दशा में वैध होगा जबकि ऐसी नियुक्ति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दे दी जाय।

(२) चुने गये अभ्यर्थी का नाम अध्यापक की दशा में प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक द्वारा निरीक्षक को तथा प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की दशा में चयन समिति के सभापति द्वारा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को भेजा जायगा। चुने गये अभ्यर्थी के नाम के साथ एक विवरण भी भेजा जायेगा, जिसमें उन सब अभ्यर्थियों का नाम, जिन्होंने चयन किये जाने के लिए आवेदन किया हो, उनको

---

*टिप्पणी--१--विज्ञप्ति संख्या ए-१-४७८३/पन्द्रह--२१६८-५९, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ द्वारा मूल अधिनियम में सम्मिलित।

टिप्पणी--२--कठिनाई निवारण चतुर्थ व सप्तम आदेश विज्ञप्ति संख्या ए-३०६७/१५, दिनांक ७ जुलाई, १९५९ तथा विज्ञप्ति संख्या ए-१-४७८४/पन्द्रह--२१६८-५९, दिनांक १३ अक्टूबर, १९५९ के अनुसार केवल ७ जुलाई, १९६२ तक के लिए उपधारा १६-च (२) में शब्द 'जिन्होंने चयन किए जाने के लिए' के पूर्व शब्द 'जो प्रोन्नत हेतु विचार किए गए हों अथवा शब्द जोड़े गए तथा उपधारा १६-च (४) में शब्द 'उपधारा (४)' के स्थान पर 'उपधारा (३)' तथा शब्द 'रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों' के स्थान पर शब्द 'उपधारा (२) में संदर्भित अभ्यर्थियों की सूची' किए गए।

टिप्पणी--३--विज्ञप्ति संख्या ए-१-५५८/पंद्रह--१७९३-५८, दिनांक २१ फरवरी, १९६४ के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर उपधारायें २,३,४ तथा उपधारा १ का खण्ड [ख] एवं उसका द्वितीय प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

अर्हताएं तथा अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जायं, दिये जायेंगे। सम्बंधित कागज–पत्र प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर यथास्थिति निरीक्षक या सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक उन पर अपना निर्णय दे देगा और ऐसा न करने पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई समझी जायेगी।

§(३) यथास्थिति सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक या निरीक्षक द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किय गये किसी नाम के ऐसे कारणों के आधार पर, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अस्वीकृत किये जाने की दशा में, प्रबंधाधिकरण अस्वीकृति की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उस निर्णय के विरुद्ध प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की दशा में निदेशक को तथा अध्यापक की दशा में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकेगा और इस मामले में यथास्थिति निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक का निर्णय अन्तिम होंगी।

(४) जब कभी उपधारा (२) के अधीन की गयी सिफारिश अस्वीकार कर दी गयी हो और उपधारा (४) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अभ्यावेदन, यदि कोई हो, अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो चयन समिति धारा १६–ङ तथा १६–च में की गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृति के लिए कोई और नाम चुनने तथा उसकी सिफारिश करने की कार्यवाही करेगी। यदि इस प्रकार किया गय चयन पुनः अस्वीकृत हो जाय और ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार न किया गया हो तो अध्यापक की दशा में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक तथा प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की दशा में निदेशक रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी भी अर्ह व्यक्ति को नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्तियां अन्तिम होंगी।

अध्यापकों की सेवा की शर्तें

§†१६–छ—*(१) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबंधाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

*(२) उप–धारा (१) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

[क] परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसमें जांच होने तक निलम्बन तथा निलम्बन

---

§विज्ञप्ति संख्या ए–१–५५८/पन्द्रह—१७९३–५८, दिनांक २१ फरवरी, १९६४ के अनुसार यह धारा स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं है।

†विज्ञप्ति संख्या ए–२५६/पन्द्रह—१६९४–५८, दिनांक १८ फरवरी १९५९ द्वारा मूल अधिनियम में सम्मिलित।

*पृष्ठ १८ की टिप्पणी १ देखिए।

की अवधि के लिए उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है,

[ख] वेतन-क्रम तथा वेतनों का भुगतान,
[ग] एक मान्यताप्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,
[घ] छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और
[ङ] कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(३) (क) कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवाएं समाप्त करने की नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि दंड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतावें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

†(ग) कोई पक्ष खंड (ख) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध, चाहे वह इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६६ के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय शिक्षा-उप-निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और संभागीय उप निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझें, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता ह, जो कि अन्तिम होगा। यदि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संभागीय उप निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह

---

†मूल रूप में हिन्दी में पारित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९६६ की धारा २ (१) द्वारा प्रतिस्थापित।

टिप्पणी--१--कठिनाई निवारण (द्वितीय) आदेश संख्या ए-१-२५५/ पंद्रह--१६९४-५८, दिनांक २६ जनवरी, १९५९ के अनुसार एक वर्ष त उपधारा १६-(छ) (२) निकली रहे एवं उपधारा १६-छ (१) निम्नवत् रही:—

'किसी संस्था के प्रबंधाधिकरण तथा किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक, जसी भी स्थिति हो, का अनुबंध-पत्र, जहां तक वह इस अधिनियम तथा विनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल हो, निष्प्रभावी होगा।"

अपील किसी अन्य संभागीय उप निदेशक को निर्णय के लिये संक्रमित हो जायेगी और इस खंड के उपबन्ध उस संभागीय उप-निदेशक के निर्णय के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वह अपील उसी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी ।**

[**(घ) खंड (ग) के अधीन, जैसा कि वह इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६६ के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिये विचाराधीन थी, उक्त अधिनियम द्वारा यथाप्रतिस्थापित खंड (ग) के अनुसार संभागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेगी ।]

(४) उपधारा (३) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और संबंधित पक्ष आदेश या निर्णय में दिये गये निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिये बाध्य होंगे ।

(५) इस धारा में तथा धारा १६-च में निरीक्षक तथा संभागीय शिक्षा उप निदेशक को प्रदान किये गये अधिकारों तथा सौंपे गये कर्त्तव्यों का बालिकाओं की संस्था की दशा में क्रमशः संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा शिक्षा उप निदेशक (महिला) द्वारा प्रयोग या पालन किया जायगा ।

संस्थाओं के कतिपय वर्गों को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति

†१६-ज--(१) धारा १६-क, १६-ख, १६-ग, धारा १६-घ की उप धारा (२) से (७) तक के तथा धारा १६-ङ, १६-च तथा १६-छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यत-प्राप्त संस्थाओं पर लागू नही होंगे ।

‡(२) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (१) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्द्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे ।

**मूल रूप में हिन्दी में पारित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९६६ की धारा २ (२) द्वारा प्रतिस्थापित ।

†विज्ञप्ति संख्या ए-२५६/पन्द्रह--१६९४-५८, दिनांक १८, फरवरी, १९५९ द्वारा मूल अधिनियम में सम्मिलित ।

‡कठिनाई निवारण द्वितीय, तृतीय एवं सप्तम आदेश विज्ञप्ति संख्या ए-१-२५५/पन्द्रह--१६९४-५८, दिनांक २६ जनवरी, १९५९ तथा विज्ञप्ति संख्या ए-१-४७८४/पन्द्रह--२१६८-५९, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५९ तथा ए-१-४६२/पन्द्रह-१६९४-५८ दिनांक ३ फरवरी, १९५९ द्वारा २६ जनवरी, १९६२ तक के लिये उपधारा १६-ज (२) यों रही--

"उपधारा (१) के प्राविधान उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित एवं मान्यताप्राप्त संस्थाओं तथा आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के लिये निर्धारित संहिता तथा विनियमों द्वारा अनुशासित संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे ।"

*१६-अ—राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन करते हुए निदेशक सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किये गये समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जो शिक्षा उप निदेशक से निम्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

१७—(निकाल दिया गया)।

आकस्मिक रिक्तियां

१८—बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को नियुक्त, निर्वाचित या आमेलित किया हो, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या आमेलित किया गया कोई व्यक्ति बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिये सदस्य रहेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

१९—बोर्ड का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं।

बोर्ड तथा समितियों का उप विधियां बनाने का अधिकार

२०—(१) बोर्ड तथा उसकी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती हैं जिनमें—

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जो इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत रहते हुए उप विधियों द्वारा विहित किये जाने हैं; और

(ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से संबंधित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(२) बोर्ड और उसकी समितियां बोर्ड या समिति के सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उनमें संपादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिये उपविधियां बनायेंगी।

(३) बोर्ड समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निदेश को कार्यान्वित करेगी।

---

*पृष्ठ १९ की टिप्पणी † देखिए।

सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिये संरक्षण

*२१—राज्य सरकार बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

*२२—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

---

*मूल रूप में हिन्दी में पारित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९६६ की धारा ३ द्वारा धारा २१ तथा २२ बढ़ा दी गयी ।

परिषद् के विनियम

भाग २–क

[टिप्पणी––परिषद् के निश्चयानुसार इन विनियमों में समय–समय पर संशोधन होते रहते हैं ऐसे समस्त संशोधनों की सूचना राजकीय गजट में दी जाती है]

अध्याय एक

प्रशासन की योजना

(धारायें १६–क, १६–ङ और १६–ग

प्रबन्ध–समिति के पदेन सदस्य

१––किसी संस्था की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित तीन सदस्य सम्मिलित होंगे:––

(१) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य, जैसी स्थिति हो।

(२) एक वर्ष की अवधि के लिये दो अध्यापक, जिनमें से प्रत्येक का बारी–बारी से ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित ढंग से चयन होगा ––

†२––ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से चयन किये जाने के लिये प्रबन्ध द्वारा संस्था के समस्त मौलिक सेवा वाले अध्यापकों की एक ज्येष्ठता सूची रखी जायगी। यह सूची उस संस्था में उनकी स्थायी नियुक्ति की तिथि तथा इस प्रकार दो अथवा उससे अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में उनकी ज्येष्ठता उनकी आयु की ज्येष्ठता पर निर्धारित की जायगी।

३––प्रथमतः इस सूची में से दो ज्येष्ठतम अध्यापकों का प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य के रूप में चयन किया जायगा। निदेशक द्वारा प्रशासन की योजना स्वीकृत होने के पश्चात् प्रबन्ध समिति गठित होने की तिथि से उनकी अवधि प्रारम्भ होगी। उनकी अवधियां समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व एक अथवा दोनों अध्यापकों द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग–पत्र देने अथवा संस्था की सेवा में न रहने पर हुए रिक्त स्थान या स्थानों

†उ० प्र० गजट में दिनांक ६ दिसम्बर, १९६९ जो प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद–७/२०८०–वी–९ (दिसम्बर, १९६८) दिनांक २६ नवम्बर, १९६९ द्वारा संशोधन।

की पूर्ति के लिये ज्येष्ठता–सूची में आगे आने वाले अध्यापक/अध्यापकों का उसके/उनके स्थान पर पूरी अवधि के लिये चयन किया जायगा। एक अध्यापक की पदेन सदस्यता एक पद-क्रम अथवा वर्ग से दूसरे में पदोन्नत अथवा पदावनत होने पर अपनी अवधि के बीच समाप्त न होगी।

४––प्रबन्धक ज्येष्ठता-सूची तैयार करेगा और उसका लेखा रखेगा, जिसमें दिखाया जायगा कि एक अध्यापक किस तिथि से अपनी ज्येष्ठता की गणना करने का अधिकारी है। सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व वह उसकी एक प्रति संस्था के प्रत्येक अध्यापक को देगा और प्रति प्राप्त होने के एक मास के भीतर किसी अध्यापक द्वारा की गयी आपत्ति का प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय किया जायगा।

५––समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी अध्यापक उसे निर्णय की सूचना मिलने के पन्द्रह दिन के भीतर निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका के यहां, जैसी कि स्थिति हो, अपील करेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

६––अन्तिम रूप दिये जाने के बाद सूची की एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को, संस्था के प्रधान को, निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को निर्देश एवं अभिलेख हेतु दी जायगी। अध्यापकों की संख्या या एक वर्ग के अध्यापकों के पद-क्रम में हुए परिवर्तन सूची में यथाविधि कर दिये जायेंगे और समस्त संबंधित व्यक्तियों को इसकी सत्वर सूचना दे दी जायगी। परिवर्तन से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक सूचना मिलने के एक मास के भीतर प्रबन्ध समिति के समक्ष आपत्ति कर सकता है और उस आपत्ति पर विनियम ४ के अन्तर्गत की गयी आपत्ति के समान विचार किया जायगा।

७––समिति की, जिसके लिये उसका चयन हुआ है, पदेन सदस्यता अस्वीकार करने पर अथवा किसी भी कारणवश अपनी अवधि का उपयोग करने में असमर्थ होने पर एक अध्यापक सदस्यता का तब तक पुनः पात्र न हो सकेगा जब तक कि ज्येष्ठता-सूची का पूरा चक्र पूर्ण न हो जाय।

८––पदेन सदस्य किसी चन्दा का देनदार न होगा।

आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्य

*९––प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य एक प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के समस्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उन सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसके पद से सबन्धित होगा। प्रबन्ध समिति के प्रति संस्था के प्रबन्धक द्वारा इन समस्त कर्त्तव्यों का यथाविधि पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा। जिसके लिए उसे आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे।

*१०––प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अपनी संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध एवं अनुशासन, जिनमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा और उसे इसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे––

*दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७/१२७०/पांच–८ (बोर्ड–मई–जून, ७०) दिनांक २७ फरवरी, १९७१ द्वारा संशोधित हुआ।

(१) छात्रों की भर्ती तथा विद्यालय छोड़ना और उन्हें दंड, जिसमें निष्कासन एवं निष्कासन के लिये संस्तुति भी सम्मिलित है, पाठ्य-पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं पुरस्कारों के लिये पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का चयन, समय-सारिणी की व्यवस्था करना तथा अध्यापक-वर्ग के विद्यालय कार्यक्रम से संबन्धित कर्त्तव्यों का नियत करना, परीक्षायें एवं जांच कराना, छात्रों की पदोन्नति एवं निरोध, समस्त प्रपत्रों और विद्यालय पंजिकाओं तथा छात्रों की प्रगति आख्याओं का अनुरक्षण तथा उनके अभिभावकों को सूचित करना विद्यालय के लिए आवश्यक उपस्कर (फर्नीचर), सज्जा एवं साधित के लिए तथा उनकी मरम्मत और बदलवाने के लिए अधियाचन तैयार करना, खेल-कूद एवं पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों का संगठन, छात्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना, अध्यापक वर्ग की सेवाओं का विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करना, निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, नियंत्रण एवं दन्ड, जिसमें पृथक्करण एवं विसर्जन भी सम्मिलित है, अधीक्षक द्वारा छात्रावास का नियंत्रण:--

(२) अध्यापकों, लिपिकों, पुस्तकाध्यक्ष एवं निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं एवं चरित्र-पंजियां रखना, उनकी चरित्र-पंजियों में प्रविष्टियां करना तथा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना देना, लिपिकों एवं पुस्तकाध्यक्ष का नियंत्रण तथा देखभाल, उनका निलम्बन तथा उनके स्थायीकरण, पदोन्नति तथा दक्षता रोक पार करने की संस्तुति करना, संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, प्रबन्ध समिति को अध्यापकों, लिपिकों तथा पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना, शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने के प्रार्थना-पत्रों को आदेशार्थ समिति को संस्तुत करना, अध्यापकों को निजी-गृह शिक्षण की अनुमति देना । बालकों की समस्त निधियों का नियन्त्रण तथा प्रशासन, प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रक्खे कि, जो निधि जिस कार्य के लिये स्वीकृत है, उसी मद में व्यय की जाय । यदि किसी मद में बचत हो तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द करना । प्रबन्ध द्वारा स्वीकृत संख्या में निःशुल्कता तथा अर्द्ध निःशुल्कता प्रदान करना, वृत्तियों तथा छात्र-वृत्तियों की धनराशि का निकालना तथा वितरण ।

११—वित्तीय एवं अन्य मामलों में, जिनके लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं हैं, प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य प्रबन्धक के द्वारा निर्गत प्रबन्ध समिति के निदेशों का पालन करेगा ।

१२—प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य संस्था के अध्यापक वर्ग तथा प्रबन्ध समिति के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम होगा ।

प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्य

१३—प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्त्तव्य एवं कार्य निम्नलिखित होंगे—

(१) अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रधानाध्यापक, आचार्य, अध्यापक, मैट्रन, लिपिक अथवा पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति, निलम्बन तथा दंड विधान (जिसमें पृथक्करण एवं नियुक्ति भी सम्मिलित है)।

(२) संस्था के प्रधान प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की सेवा पंजियों में की गयी प्रविष्टियों के विरुद्ध अपीलों पर निर्णय देना।

(३) जहां प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त हैं, उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को ग्राह्य समस्त अवकाश स्वीकृत करना।

(४) बालकों की निधियों को छोड़कर संस्था की समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियों (जमानतों), सम्पत्ति तथा सन्दानों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(५) शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिपूर्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

(६) संस्था के लिए समस्त आय (छात्रवृत्तियों और बालकों की निधियों को छोड़कर) चन्दा, दान, भेंट, लाभांश, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके अधिकारों एवं कार्यों से उठने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करना।

प्रशासन की योजना का अनुमोदन

१४—मुख्य सिद्धांत, जिस पर प्रशासन की योजना का अनुमोदन किया जायगा यह होगा कि वह निम्नांकित नियमों के अनुसार हों—

(अ) प्रशासन की योजना प्रबन्ध समिति के उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करें।

(आ) प्रबन्ध समिति गठित करने की विधि, उसके सदस्यों की योग्यतायें एवं अयोग्यतायें, उसके कार्यकाल की अवधि, उसकी बैठकें बुलाने और उनमें कार्य संचालित करने की विधि निर्धारित की जायगी।

(इ) समस्त निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायेंगे और प्रतिनिधान के अधिकार, यदि कोई हुए, तो सीमित होंगे तथा स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(ई) प्रबन्ध समिति एवं उसके सदस्यों के अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(उ) अधिकारों का वितरण भलीभांति संतुलित रहेगा तथा व्यक्तिगत और वर्गीय हितों की प्रधानता का परिहार होगा।

(ऊ) आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के चयन के लिए समिति का गठन एवं अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत उसके कार्यान्वयन का प्राविधान।

(ए) प्रशासन की योजना यह व्यवस्था करेगी कि संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और दशायें अधिनियम और विनियमों से अनुशासित होंगी।

(ऐ) प्रशासन की योजना संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं सुरक्षा और निधियों के विनियोग एवं उपयोग के साथ ही लेखा की नियमित जांच और संपरीक्षण की व्यवस्था करेगी और उनके दुर्विनियोग, दुरुपयोग एवं क्षय के विरुद्ध उपाय निश्चित करेगी।

(ओ) योजना में मंडलीय उप-शिक्षा निदेशक अथवा उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा घोषित प्रबन्ध के अधिकार सम्बन्धी झगड़ों के तुरन्त निबटारे की तथा झगड़े की अवधि में संस्था के प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

(औ) योजना का कोई उपबन्ध शिक्षा संहिता के सम्बद्ध अनुच्छेदों के विपरीत न होगा जहां कि ये अनुच्छेद अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं हैं।

१५—निदेशक को प्रशासन की योजना प्राप्त होने के मास की प्रथम तिथि से छः मास की अवधि दी जायगी, जिसमें वे या तो उसे स्वीकार कर लेंगे अथवा उसको उपधारा १६–ग (१) के अन्तर्गत परिवर्तनों अथवा आशोधनों के सुझावों के साथ लौटा देंगे।

१६—निदेशक द्वारा परिवर्तनों अथवा आशोधनों की सूचना प्राप्त होने की तिथि से संस्था को प्रत्यावेदन करने हेतु प्रत्येक बार ३ मास की अवधि उपधारा १६–ग (१) और १६–ग (२) के अन्तर्गत मिलेगी।

अध्याय दो

अध्यापकों (जिसमें प्रधान भी सम्मिलित हैं) की नियुक्ति

(धारायें १६–ङ और १६–च)

१—आचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्यता—मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगी।

अध्यापकों, आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के चयनार्थ चयन-समिति

२—अध्यापकों के लिए चयन-समिति—अध्यापकों के चयनार्थ समिति में पांच सदस्य होंगे, जिनमें संस्था का प्रधान भी सम्मिलित होगा।

३—इन विनियमों के विज्ञापित होने के पश्चात् यथाशीघ्र संस्था की वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा प्रथम चयन–समिति, जिसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा, नियुक्त की जायगी। अधिनियम की धारा १६–क के अन्तर्गत गठन के एक मास के भीतर प्रबन्ध समिति एक नयी चयन-समिति, जिसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा, नियुक्त करेगी, जिसके पश्चात् प्रथम चयन-समिति की कार्याविधि समाप्त हो जायगी तथा उसके सदस्यों का कार्य खत्म हो जायगा।

४—जब एक चयन-समिति की नियुक्ति के लिए बैठक बुलायी जाय तो पूरे दस दिन पूर्व सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय।

५—द्वितीय एवं बाद की चयन-समिति के सदस्य तीन वर्ष तक अथवा उन्हें नियुक्त करने वाली प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण किए रहेंगे। चयन-समिति में होने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्ध-समिति द्वारा सत्वर की जायगी।

६—प्रबन्ध समिति अध्यक्ष सहित, परन्तु चयन-समिति के पदेन सदस्य को छोड़कर, किसी भी सदस्य को पृथक् कर सकती है, यदि सदस्य समिति की लगातार दो बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, अथवा दिवालिया या अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित हो जाता है अथवा नैतिक अधमता संबंधी अपराध का दोषी पाया जाता है अथवा संस्था के श्रेष्ठ हितों के प्रतिकूल कार्य करता है।

७—चयन-समिति का कोरम तीन रहेगा। नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक के लिए अपने में से एक अध्यक्ष निर्वाचित कर लेंगे।

८—संस्था का प्रबन्धक एक पद के लिए अभ्यर्थी के चयनार्थ चयन-समिति की बैठक के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

९—जहां एक पद सीधी भरती द्वारा भरा जाना है वहां निम्नांकित कार्यविधि तथा शर्तें लागू होंगी :—

(क) पद का विज्ञापन स्थानीय हिन्दी और अंग्रेजी के समाचारपत्रों में तथा कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका परिचलन राज्यभर में है, पद के लिए निर्धारित समस्त आवश्यक विवरण तथा योग्यताएं देते हुए किया जायगा तथा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए, जिनके प्रपत्र विद्यालय के कार्यालय से प्राप्त होंगे, उचित समय दिया जायगा।

(ख) एक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अन्यत्र आवेदन-हेतु प्रेषित आवेदन-पत्र उसके नियुक्तिकर्त्ता द्वारा रोका नहीं जायगा।

(ग) प्राप्त आवेदन-पत्रों पर क्रम से संख्या डालकर उन्हें एक पंजिका में चढ़ाया जायगा और यथोचित खानों में आवेदकों के विवरण अंकित किए जायेंगे। यह पंजिका संस्था का स्थायी अभिलेख होगी। समस्त प्राप्त आवेदन-पत्रों सहित पंजिका प्रबन्धक द्वारा चयन–समिति के अध्यक्ष के पास भेजी जायगी जो समिति के सदस्यों का मत बैठक बुलाकर अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा यह निश्चय करने के लिए प्राप्त कर लेगा कि किन

आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करना है। साक्षात्कार-हेतु आमंत्रित किए जाने वाले आवेदकों की संख्या (यदि आवेदकों की पर्याप्त संख्या हो तो) भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या से तिगुनी से कम न होगी। अध्यक्ष चयन की तिथि और समय भी निर्धारित करेगा, प्रबन्धक को इसके अनुसार, सूचना देगा तथा उसे समस्त कागज-पत्र लौटा देगा। चयन से कम से कम दस दिन पूर्व प्रबन्धक, चयन-समिति के समस्त सदस्यों तथा साक्षात्कार-हेतु आमंत्रित आवेदकों को चयन की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा।

(घ) चयन-समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष एक सारलेख प्रस्तुत किया जायगा, जिसमें प्रत्येक आवेदक के नाम, योग्यताएं तथा अन्य विवरण दिखाए जायेंगे। चयन क्षैक्षिक योग्यताओं, प्रशिक्षण, शिक्षण अथवा प्रशासनिक अनुभव तथा पद के लिए आवेदक की सामान्य उपयुक्तता के आधार पर किया जायगा। चयन-समिति किए गए चयन की कार्यवाही पर एक टिप्पणी तैयार करेगी और प्रत्येक आवेदक की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता के संबंध में अपने संवीक्षण अभिलिखित करेगी। चयन किए गए आवेदक का नाम तथा योग्यता-क्रम में दो अन्य नाम प्रतीक्षा-सूची में, सूची और टिप्पणी दोनों पर चयन के समय उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित, स्वीकृति के लिए निरीक्षक अथवा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पास, जो भी स्थिति हो, प्रेषित किए जायेंगे।

(ङ) चयन-समिति का कोई सदस्य, यदि उसका कोई संबंधी विनियम ४, अध्याय ३ की शर्तों के अनुसार पद के लिए आवेदक हो, चयन में भाग नहीं लेगा।

१०—ऊपर के विनियम ९ (ग), ९ (घ) और ९ (ङ) उस स्थिति में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जहां एक रिक्त स्थान की पूर्ति पदोन्नति द्वारा होनी है और जो विनियमों के अध्याय ३ के अनुसार भी अनुशासित होंगे।

११—धारा १६-च की उपधारा (२) के अधीन, जो विवरण भेजा जाना आवश्यक है, उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त चयन के लिए विचार किए जाने वाले प्रत्येक आवेदक के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा रहेगा—

(१) नाम।
(२) जन्म-तिथि।
(३) पता।
(४) उत्तीर्ण की हुई परीक्षाएं, प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष सहित, परीक्षा लेने वाली संस्था का नाम, प्राप्त श्रेणियां, परीक्षा के विषय, विशिष्टता यदि किसी में प्राप्त की हो।
(५) पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप।
(६) शिक्षण-अनुभव, पद जिस पर कार्य किया और प्राप्त वेतन, प्रत्येक संस्था में सेवा प्रारंभ होने तथा समाप्त होने की तिथियों सहित।

(७) आवेदक के प्रमाण-पत्रों तथा शीलपत्रों के सारांश, विशेषरूप से उस संस्था के प्रधान के, जिसमें वह कार्य कर रहा ह अथवा जिसमें अन्त में कार्य किया हो।

(८) अभ्युक्तियां।

१२—संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आवेदन करने वाले किसी अथवा समस्त अथवा चयनार्थ विचार किये जाने वाले आवेदकों के संबंध में पूर्ण कागज-पत्र संस्था के प्रधान द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के लिये चयन-समिति

१३—प्रबन्ध द्वारा आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के चयन के लिये अध्यक्ष सहित समिति प्रत्येक चयन के लिये तदर्थ गठित की जायगी। आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक पद के चयनार्थ प्रबन्धक, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक अथवा मंडलीय निरीक्षिका से, जैसी स्थिति हो, मंडलीय नामिका के सदस्यों की सूची प्राप्त करेगा, उसे प्रबन्ध समिति के समक्ष एक सदस्य के चयन-हेतु प्रस्तुत करेगा, उस सदस्य की अनुमति चयन-समिति में बैठने के लिये प्राप्त करेगा तथा चयन की व्यवस्था करेगा। ऊपर के विनियम ४, ८, ९, ११ और १२ आवश्यक परिवर्तनों सहित आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के चुनाव में लागू होंगे। चयन-समिति का अध्यक्ष इसके पश्चात् चुने हुए आवेदक का नाम, प्रतीक्षा सूची में योग्यताक्रमानुसार दो अन्य नाम तथा आवश्यक कागज-पत्र स्वीकृति-हेतु संबंधित अधिकारी के पास प्रेषित करेगा।

१४—मंडलीय नामिकाएं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति होंगे, निदेशक द्वारा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष १ मई तक घोषित कर दी जायगी, प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक किसी समय स्वमति से मंडलीय नामिका गठित करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। मंडलीय नामिका नयी नामिका द्वारा हटायी जाने तक मान्य रहेगी।

१५—चयन-समिति की बैठक में उपस्थित होने वाला मंडलीय नामिका का सदस्य प्रबन्ध द्वारा देय यात्रा-भत्ता का, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों की प्राप्य दर से अधिकारी होगा।

नियुक्ति का क्रम

१६—आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु चुने गये आवेदक की स्वीकृति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर प्रबन्धक प्रबन्ध-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत प्राधिकृत आवेदक की नियुक्ति का आदेश निर्गत करेगा, जिसमें अन्य विवरण के साथ वेतन, वेतनक्रम, परिवीक्षा की अवधि तथा नियुक्ति का आदेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के अनुदेश का उल्लेख होगा। इस अवधि के भीतर कार्यभार न ग्रहण कर सकने वाले आवेदक की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नियुक्ति के आदेश की एक प्रति धारा १६-छ (५) के साथ पठित धारा १६-च (२) में नियत प्राधिकारी को सूचनार्थ एवं उसके कार्यालय में लेखा-हेतु प्रेषित की जायगी।

अस्थायी नियुक्ति

१७—धारा १६-च की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्ध के अन्तर्गत नियुक्ति प्रस्तावित होने से दो सप्ताह पूर्व, नीचे दिये विवरण 'क' और 'ख' के साथ-साथ पूर्णतः योग्य अध्यापक को नियुक्त करने के लिए किये गये प्रयत्नों का विवरण, निकाले गये विज्ञापन की प्रतिलिपि तथा उसके उत्तर में आये आवेदकों का ब्योरा प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका के पास अनुमोदनार्थ भेजा जायगा।

उपर्युक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्ध के अन्तर्गत इसी प्रकार के विवरण नियुक्त किये जाने के एक सप्ताह के भीतर भेजे जायेंगे।

क—पद पर अन्त में रहने वाले व्यक्ति का विवरण :

(१) पद का नाम।
(२) वेतन-क्रम।
(३) पद के लिय नियत योग्यतायें।
(४) रिक्त स्थान का प्रकार—अवकाश-रिक्ति अथवा अस्थायी अथवा मौलिक।
(५) वेतन सहित अन्तिम पदधारी का नाम।
(६) रिक्ति होने की तिथि और उसका कारण।
(७) रिक्ति होने के संबंध में जहां आवश्यक हो, निरीक्षक के अनुमोदन-पत्र की तिथि तथा संख्या।
(८) अभ्युक्तियां।

ख—प्रतिबन्ध (१) के अन्तर्गत नियुक्त होने के लिये प्रस्तावित अथवा धारा १६-च (१) के प्रतिबन्ध (२) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति का विवरण :

(१) नाम।
(२) जन्म-तिथि।
(३) योग्यताएं—उत्तीर्ण होने की तिथियों, विषयों, श्रेणियों के साथ परीक्षायें।
(४) पूर्व लेखा के सारांश सहित पूर्व अनुभव तथा उन संस्थाओं के नाम जहां कार्य किया।
(५) रिक्ति का प्रकार।
(६) अवधि, जिसके लिये नियुक्ति की गयी।
(७) वेतन तथा दिया गया वेतन-क्रम।
(८) अभ्युक्तियां।

१८—धार्मिक और भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों द्वारा विशेष रूप से अपने बालकों के लाभार्थ चलायी जाने वाली संस्थाओं में स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी सामान्यतः चयन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार चयन किया गया व्यक्ति पद के लिये नियत न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करे तथा अन्य प्रकार से पात्र हो।

परिशिष्ट 'क'

मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें

न्यूनतम योग्यताओं की निम्नलिखित सूची अविलम्ब लागू होगी। ये योग्यताएं समस्त नयी नियुक्तियों पर तथा उन व्यक्तियों पर, जो परिवीक्षाधीन नहीं हैं, अपितु इन विनियमों के लागू होने की तिथि को नितान्त अस्थायी पदों पर थे, लागू होंगी।

न्यूनतम योग्यताओं की इस समग्र सूची के लिए "प्रशिक्षित" शब्द से तात्पर्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण योग्यता जैसे एल० टी०, बी० टी०, बी० एड०, बी० एड० एस-सी० (लखनऊ), एम० एड० तथा विभागीय ए० टी० सी० से होगा। उसमें कम से कम पांच वर्ष के शिक्षण-अनुभव वाला सी० टी० भी सम्मिलित होगा।

१—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा इंटरमीडिएट कालेज का आचार्य	(१) प्रशिक्षित एम० ए० अथवा एम० एस-सी० अथवा एम० काम० अथवा एम० एस-सी० (कृषि) अथवा	विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में कम से कम चार *वर्षों का शिक्षण-अनुभव अथवा मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की उच्चतर कक्षाओं में अथवा दोनों में मिलाकर अथवा विभाग द्वारा †मान्यताप्राप्त एक जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह तीस वर्ष से कम वय का नहीं है।
	(२) एस० एड० अथवा बी० एड० एस-सी० (लखनऊ) के साथ बी० ए० अथवा बी० एस-सी० अथवा बी० काम०	

टिप्पणी—कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यताप्राप्त संस्था की इंटरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण-अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा सकती है।

---

*शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण से पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित है।

†"मान्यताप्राप्त" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त होने का है।

* अध्यापक

२—हिन्दी अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११, १२) के लिए	हिन्दी में एम० ए० तथा संस्कृत के साथ बी० ए० प्रशिक्षित वरीयमान है।

टिप्पणी—(१) निम्नलिखित योग्यतायें संस्कृत के साथ बी० ए० के समकक्ष मानी जायंगी :—

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा भूतपूर्व राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी को शास्त्रीय अथवा भारती परीक्षा अथवा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा पंजाब विश्वविद्यालय अथवा जयपुर संस्कृत कालेज की शास्त्री परीक्षा अथवा गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार की अलंकार परीक्षा अथवा गुरुकुल वृन्दावन की शिरोमणि परीक्षा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की संस्कृत साहित्य में साहित्यरत्न परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा काशी विद्यापीठ, वाराणसी की संस्कृत के साथ शास्त्री परीक्षा।

(२) उन संस्थाओं में, जिनमें हिन्दी पाठ्यक्रमों का संस्कृत अंश पढ़ाने के लिए एक योग्य संस्कृत अध्यापक उपलब्ध है, हिन्दी अध्यापकों के लिए संस्कृत में बी० ए० होना आवश्यक न होगा।

हाई स्कूल कक्षा (९, १०) के लिए	१—हिन्दी के साथ प्रशिक्षित बी० ए० तथा संस्कृत के साथ इन्टरमीडिएट, **अथवा २—हिन्दी और संस्कृत साहित्य के साथ गुरुकुल कांगड़ी का अलंकार, अथवा ३—हिन्दी विषय सहित गुरुकुल वृन्दावन का प्रशिक्षित शिरोमणि, अथवा ४—नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा भूतपूर्व राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी की हिन्दी और अंग्रेजी वैकल्पिक विषयों सहित प्रशिक्षित शास्त्री, अथवा भारतीय परीक्षा अथवा काशी विद्यापीठ वाराणसी की प्रशिक्षित शास्त्री, हिन्दी और संस्कृत सहित

---

*उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक ६ दिसम्बर, १९६९ ई० में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–७/२०८०/बी–८(दिसम्बर–६८), दिनांक २६ नवम्बर, १९६९ ई० द्वारा संशोधित हुआ।

**पृष्ठ ३४ की टिप्पणी देखिए।

	अथवा
	५—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का हिन्दी साहित्य सहित साहित्यरत्न (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रशिक्षित और संस्कृत विषय के साथ पूर्ण इन्टरमीडिएट, अथवा
	६—पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर (हिन्दी में मानोपाधि) प्रशिक्षित और संस्कृत विषय के साथ पूर्ण इन्टरमीडिएट ।

टिप्पणी—उन संस्थाओं में जिनमें हिन्दी पाठ्यक्रमों का संस्कृत अंश पढ़ाने के लिए एक योग्य संस्कृत अध्यापक उपलब्ध है, हिन्दी अध्यापकों के लिए संस्कृत में इन्टरमीडिएट होना आवश्यक न होगा।

३—व्यायाम शिक्षक—इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	१—स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा मान्य व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा २—व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय (एल० टी०) अथवा राज्य सरकार से मान्य उसके समकक्ष सहित समस्त स्नातक ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	राज्य सरकार से मान्य व्यायाम शिक्षा विद्यालय से पूर्ण एक वर्षीय प्रशिक्षण के साथ अभिस्नातक ।
४—गणित अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) एम० ए० अथवा एम० एस-सी० गणित, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (२) गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी० ए० (आनर्स) अथवा बी० एस-सी० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	गणित के साथ प्रशिक्षित बी० ए० अथवा बी० एस-सी० ।
५—गृह विज्ञान अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१)*गृह विज्ञान, होम इकानामिक्स, डोमिस्टिक साइन्स अथवा होम आर्ट के साथ प्रशिक्षित स्नातक ।

*दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पारिषद् ६७/१२७०/पांच-८ बोर्ड मई जून ७०, दिनांक २७ फरवरी, १९७१ द्वारा संशोधित हुआ।

हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(१) गृह-विज्ञान विद्यालय, इलाहाबादकी टी० सी०, अथवा (२) लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा ।
६—अरबी अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	अरबी में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(१) अरबी के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा (२) प्रशिक्षित इंटरमीडिएट ‡तथा निम्न-लिखित में से एक योग्यता— (क) फाजिल, इलाहाबाद, अथवा (ख) फाजिल, लखनऊ विश्वविद्यालय; अथवा (ग) मौलवी फाजिल, पंजाब विश्व-विद्यालय ।
७—अर्थशास्त्र अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) अर्थ शास्त्र में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (२) एम० काम० तथा अर्थशास्त्र सहित बी० काम०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (३) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बी० ए० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(१) अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सहित, प्रशिक्षित बी०एस-सी० (कृषि), अथवा (२) प्रशिक्षित बी० काम०; अथवा (३) अर्थशास्त्र सहित प्रशिक्षित बी० ए०।

‡परिषद् के कलेन्डर के अध्याय १२ के विनियम १७ (४) के खंड (क) और (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, जिनमें इंटरमीडिएट तथा कुछ संस्कृत परीक्षाओं के नाम दिये हैं, जो परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं ।

८--इतिहास अध्यापक-- इंटरमीडियेट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) इतिहास में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (२) लखनऊ अथवा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्राचीन भारतीय इतिहास में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (३) इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी० ए० (आनर्स) प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(१) इतिहास विषय के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा (२) लखनऊ अथवा बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास प्रशिक्षित बी० ए० (आनर्स), अथवा (३) इतिहास में बी० ए० सहित राजनय (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) में प्रशिक्षित एम० ए०, १९५१ के पश्चात् की उपाधि ।
९—उर्दू अध्यापक— इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	उर्दू में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	(१) उर्दू के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा (२) जामिया उर्दू, अलीगढ़ अथवा आगरा का प्रशिक्षित अदीब कामिल, पूर्ण इन्टर-मीडिएट सहित।
१०—अंग्रेजी अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) अंग्रेजी में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(२) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी० ए० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान अंग्रजी साहित्य के साथ प्रशिक्षित बी० ए० ।

११—गुजराती अध्यापक— इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	गुजराती में एम० ए०।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	गुजराती में बी० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान।
१२—चित्रकला तथा व्यावसायिक कला अध्यापक— इंटरमीडियट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट कहलाता था), अथवा (२) प्राविधिक कला के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा :— (क) ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बी० ए०, अथवा (ख) कला भवन, शान्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा (ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, अथवा (घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा।

टिप्पणी—उपर्युक्त (२) के अंतर्गत इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिये आवश्यक है परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो, तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायगी।

हाई स्कल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(१) राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट कहलाता था), अथवा (२) प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा,

अथवा

(३) प्राविधिक के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता—

(क) ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बी० ए०;

अथवा

(ख) कला भवन, शान्तिनिकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा;

अथवा

(ग) राजकीय ड्राइंग और हैन्डीक्राफ्ट सेंटर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट;

अथवा

(घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा;

अथवा

(ङ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकट परीक्षा;

अथवा

(च) बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा;

अथवा

(छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा।

टिप्पणी—(१) उपर्युक्त (२) के अन्तर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायगी।

(२) उपर्युक्त (३) के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिये आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो, तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों की प्राविधिक कला की योग्यता से छट दी जायगी।

१३—तर्कशास्त्र शिक्षक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	एम० ए० अथवा इंटरमीडिएट अथवा बी० ए० अथवा एम० ए० में तर्कशास्त्र सहित दर्शनशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी० ए० (आनर्स) प्रशिक्षित वरीयमान।

१४—नागरिकशास्त्र अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) नागरिक शास्त्र में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (२) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित नागरिकशास्त्र में बी० ए० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	नागरिकशास्त्र सहित प्रशिक्षित बी० ए० ॥
१५—नैपाली अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा बंगाली में एम० ए० तथा नैपाली के साथ बी० ए० ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	नैपाली के साथ बी० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ।
१६—पाली अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	१—पाली में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा २—कलकत्ता का पाली तीर्थ, पूर्ण इंटरमीडिएट सहित, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा ३—पूर्ण इंटरमीडिएट सहित लंका का त्रिपिटकाचार्य, प्रशिक्षित वरीयमान ॥
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	१—पाली के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा २—लंका का प्रशिक्षित पंडित, पूर्ण इंटरमीडिएट सहित ।
१७—पंजाबी अध्यापक—इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	पंजाबी में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ॥
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	१—पंजाबी के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा २—पंजाब विश्वविद्यालय का प्रशिक्षित ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) †पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ ।

†परिषद् के कलेन्डर के अध्याय १२ के विनियम १७ के खंड (क) और (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, जिनमें इंटरमीडिएट तथा कुछ संस्कृत परीक्षाओं के नाम दिये हैं, जो परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं ।

१८—फारसी अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिय	फारसी में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिये	(१) फारसी के साथ प्रशिक्षित बी० ए०, अथवा (२) प्रशिक्षित इंटरमीडिएट तथा निम्न-लिखित में से एक योग्यता :— (क) कामिल, इलाहाबाद, अथवा (ख) दबीर-ए-कामिल, लखनऊ विश्वविद्यालय, अथवा (ग) मुंशी फाजिल, पंजाब विश्व-विद्यालय ।
१९—बंगाली अध्यापक— इटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) क लिये	यथा संभव बंगाली में एम० ए० न मिलने पर बंगाली विषय सहित बी० ए०, प्रशि-क्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिये	बंगाली विषय के साथ बी० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान ।
२०—भूगोल अध्यापक— इंटरमीडियेट (कक्षा ११ और १२) के लिये	(१) भूगोल में एम० ए० अथवा एम० एस-सी०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा (२) भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी० ए० (आनर्स) अथवा बी० एस-सी० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान ।
हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिये	भूगोल के साथ प्रशिक्षित बी० ए० अथवा बी० एस-सी० ।
२१—मनोविज्ञान शिक्षक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	१—मनोविज्ञान में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा २—एम० एड० ।
२२—मराठी अध्यापक— इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	मराठी में एम० ए० ।
हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिए	मराठी में बी० ए०, प्रशिक्षित वरीयम।

२३—शिक्षाशास्त्र शिक्षक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	१—एल० टी० अथवा बी० टी० अथवा बी० एड० अथवा बी० एड० एस-सी० (लखनऊ) के साथ मनोविज्ञान में एम० ए०, अथवा २—एम० एड० के साथ बी० ए० अथवा बी० एस-सी० ।
२४—समाजशास्त्र अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ व १२) के लिए	१—समाज विज्ञान में एम०ए०, प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा २—समाज विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी० ए० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान ।
२५—सिंधी अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये	इंटरमीडिएट परीक्षा में सिंधी अथवा फारसी सहित बी० ए०, एल० टी० अथवा सी० टी० अथवा आर० एस० टी० सी० ।
हाई स्कल (कक्षा ९ और १०) के लिये	इंटरमीडिएट परीक्षा में सिंधी अथवा फारसी सहित इंटरमीडिएट और सी० टी० अथवा एस० टी० सी० ।
२६—सैन्य-विज्ञान शिक्षक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	१—डिग्री परीक्षा में सैन्य-विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो, अथवा २—कम से कम ३ वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट अथवा परिषद् से मान्यता-प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा *३—कोई यू० ओ० टी० सी० अथवा ए० एफ० (१) अथवा एन० सी० सी० अधिकारी, अथवा

*उ० प्र० गजट में दिनांक १३ जुलाई, १९६८ को प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-७/२८३/पांच—८ (दिसम्बर, ६७) दिनांक १३ जून, १९६८ द्वारा संशोधित ।

४—हाई स्कल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन रखने वाला,

अथवा

५—हाई स्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आई० एन० ए० का आफिसर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट रखने वाला।

२७—संगीत अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा—

(१) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा,

अथवा

(२) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा,

अथवा

(३) गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा,

अथवा

(४) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न),

अथवा

(५) शंकर गंधर्व विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा,

अथवा

(६) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा,

अथवा

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी० ए०,

अथवा

(ग) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी० टी० डिप्लोमा।

	अथवा
	(घ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल० टी० एम० डिप्लोमा ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०)	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्न-लिखित में से कोई एक परीक्षा :—
	(१) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा,
	अथवा
	(२) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा,
	अथवा
	(३) गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा,
	अथवा
	(४) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न),
	अथवा
	(५) शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा,
	अथवा
	(६) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा ।
	अथवा
	(ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी० टी० डिप्लोमा,
	अथवा
	(ग) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल० टी० एम० डिप्लोमा ।
	बालिका विद्यालयों में ३१ मार्च, १९५७ से पूर्व कार्य करने वाले पुरुष संगीत अध्यापक किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जायं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा उन्होंने ३१ मार्च, १९५७

	से पूर्व ३ वर्ष की अविरल सेवा की है। ३१ मार्च, १९५७ के पश्चात् निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यतायें उनके लिये लागू न होंगी,
	अथवा
	(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा। उपर्युक्त डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में पहिले से पढ़ाने वाले और जून, १९६० से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापन के पात्र समझे जायेंगे।
२८—संस्कृत अध्यापक—इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	१—संस्कृत में एम० ए०, प्रशिक्षित वरीयमान,
	अथवा
	२—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा भूतपूर्व राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी की आचार्य परी ा, पूर्ण इन्टरमीडिएट सहित, **प्रशिक्षित को वरीयता'

टिप्पणी—नए पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी के साथ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा के पश्चात् आचार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक न होगा।

हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	१—संस्कृत के साथ प्रशिक्षित बी०ए०,
	अथवा
	२—गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार का प्रशिक्षित अलंकार, अथवा
	३—नए पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी वैकल्पिक विषय सहित वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी अथवा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी का शास्त्री अथवा भारती प्रशिक्षित अथवा नए पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी वैकल्पिक विषय सहित जयपुर संस्कृत कालेज का शास्त्री प्रशिक्षित अथवा काशी विद्यापीठ, वाराणसी का संस्कृत सहित शास्त्री, प्रशिक्षित, अथवा

**पृष्ठ ३४ की टिप्पणी ‡देखिये।

४—गुरुकुल वृन्दावन का प्रशिक्षित शिरोमणि, अथवा

५—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा पंजाब विश्वविद्यालय का पूर्ण इन्टरमीडिएट सहित शास्त्री, प्रशिक्षित अथवा

६—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का संस्कृत साहित्य में साहित्यरत्न (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रशिक्षित तथा पूर्ण इन्टरमीडिएट।

२९—औद्योगिक रसायन अध्यापक—

इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए

१—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० एस-सी० (प्राविधिक), प्रशिक्षित वरीयमान,

अथवा

२—एम० एस-सी० (रसायन शास्त्र) तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एस०टी०,

अथवा

३—एफ० एच० बी० टी० आई० के साथ बी० एस-सी० अथवा ए० एच०बी०टी० आई०, कानपुर के साथ बी० एस-सी०,

अथवा

४—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० के साथ बी० एस-सी० (औद्योगिक रसायन),

अथवा

५—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० डिप्लोमा के साथ बी० एस-सी० (प्राविधिक)।

हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए

१—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणासी से बी० एस-सी० (औद्योगिक रसायन),

२—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एल० टी० के साथ बी० एस-सी० (रसायन शास्त्र),

	३—एफ० एच० बी० टी० आई० के साथ बी० एस-सी० अथवा ए० एच० बी० टी० आई०, कानपुर के साथ बी० एस-सी०।
३०—कुलाल विज्ञान अध्यापक— हाई स्कल तथा इन्टरमीडिएट (कक्षा ९ से १२) के लिए	कुलाल विज्ञान के साथ बी० एस-सी०, एल० टी० (रचनात्मक) अथवा कुलाल विज्ञान के साथ बी० एस-सी० (प्राविधिक)।
३१—जीव विज्ञान अध्यापक— हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान) के साथ बी० एस-सी० प्रशिक्षित।
२—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ तथा १२) के लिये	१—वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम० एस-सी० प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा २—कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम० एस-सी०, बी० एस-सी० में जन्तु-विज्ञान विषय लेकर प्रशिक्षित वरीयमान, ३—कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम० एस-सी०, बी० एस-सी० में वनस्पति विज्ञान विषय लेकर, प्रशिक्षित वरीयमान अथवा ४—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी० एस-सी०।
३३—भू-विज्ञान अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ व १२) के लिए	भूगर्भ शास्त्र में एम० एस-सी०, प्रशिक्षित वरीयमान।
३४—भौतिक विज्ञान अध्यापक— इंटरमीडिएट (कक्षा ११ तथा १२) के लिए	१—भौतिक विज्ञान में एम० एस-सी० प्रशिक्षित वरीयमान,

	अथवा २—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी० एस-सी० ।
३५—रसायन विज्ञान अध्यापक—इंटरमीडिएट (कक्षा ११ तथा १२) के लिए	१—रसायन विज्ञान में एम० एस-सी० प्रशिक्षित वरीयमान अथवा २—रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी० एस-सी० (आनर्स), प्रशिक्षित वरीयमान, अथवा ३—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी० एस-सी० ।
३६—विज्ञान अध्यापक—हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ प्रशिक्षित बी० एस-सी० ।
३७—विज्ञान में प्रदर्शक	बी० एस-सी० प्रशिक्षित वरीयमान ।
३८—आशुलेखन-टंकण अध्यापक— (क) अंग्रेजी में	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का आशुलेखन टंकण के साथ इन्टरमीडिएट वाणिज्य-सी, वाणिज्य द्वितीय वर्ग को वरीयता ।
(ख) हिन्दी में	इंटरमीडिएट† तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता— (१) नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी का शीघ्रलिपि में हिन्दी संकेत लिपि विशारद,

†परिषद् के कलेंडर के अध्याय १२ के विनियम १७ के खंड (क) और (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिनमें इंटरमीडिएट तथा कुछ संस्कृत परीक्षाओं के नाम दिये हैं, जो परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

		अथवा (२) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का शीघ्रलिपि विशारद; अथवा आशुटंकण (हिन्दी) के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के ग–वाणिज्य २ वर्ग को वरीयता देते हुए।
३९—वाणिज्य अध्यापक—इंटरमीडियेट (कक्षा ११ और १२) के लिये		एम० काम० अथवा एम० ए०, बी० काम०, प्रशिक्षित वरीयमान ।

प्रतिबन्ध यह है कि आवेदकों को वाणिज्य अध्यापक के रूप में नियुक्त करते समय संस्था की चयन–समिति को ऐसे आवेदकों को चयन में वरीयता देनी चाहिये जिन्होंने एम० काम० में वे विषय लिये हैं, जिनको उनसे पढ़ाने को कहा जायगा ।

	हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	प्रशिक्षित बी० काम० ।
४०—कताई और बुनाई अध्यापक—हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए		(क) कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० अथवा टी० सी०; अथवा (ख) १—कताई और बुनाई के साथ इण्टरमीडिएट, अथवा २—राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर से इन्टर–मीडिएट प्राविधिक, अथवा ३—हाई स्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रोद्योग में डिप्लोमा, अथवा ४—हाई स्कूल तथा उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्य-क्रम) ।

इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	क—कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी०,
	अथवा
	ख—इन्टरमीडिएट तथा
	(१) राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रौद्योग में डिप्लोमा तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषय के ३ वर्ष के अध्यापन का अनुभव,
	अथवा
	(२) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर का डिप्लोमा,
	अथवा
	(३) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)।

टिप्पणी—हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापक विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण, सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

४१—काष्ठकला अध्यापक— हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	(क) काष्ठकला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षणविद्यालय, लखनऊ से एल० टी० अथवा टी० सी०,
	अथवा
	(ख) (१) काष्ठकला के साथ इंटरमीडिएट,
	अथवा
	(२) हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला संस्थान, बरेली का एडिमेन्टरी कैबिनट मेकिंग सर्टीफिकेट,

अथवा

(३) हाईस्कूल तथा राजकीय कारपेंटरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद)। से जनरल वुड वर्किंग सर्टीफिकेट

इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये

(क) काष्ठ कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी०,

अथवा

(ख) इन्टरमीडिएट और

(१) राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला संस्थान, बरेली से एडवांस कैबिनेट मेकिंग डिप्लोमा,

अथवा

(२) राजकीय कारपेंटरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट इलाहाबाद) से एडवांस्ड वुड वर्किंग डिप्लोमा ।

टिप्पणी--हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिए (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ।

४२--ग्रन्थ-शिल्प अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिए

१--ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० अथवा टी० सी०,

अथवा

२--ग्रन्थ शिल्प के साथ इन्टरमीडिएट तथा सी० टी० ।

इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए ।

ग्रन्थ-शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० ।

४३--चर्म-कला अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिए

हाई स्कूल तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर, आगरा अथवा मेरठ का डिप्लोमा ।

इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	चर्मकला सहित इन्टरमीडिएट तथा लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर, आगरा अथवा मेरठ से एडवांस्ड कोर्स ।

टिप्पणी—चर्मकला की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

४४—धातु कला अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	क—धातु कला में विशेष योग्यता सहित—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल० टी० अथवा टी० सी०, अथवा ख—हाई स्कूल, तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात् सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से दिया जाने वाला डिप्लोमा।
इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए	क—धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल० टी०, अथवा ख—(१) धातु कला के साथ इन्टरमीडिएट तथा राजकीय आकुपेशनल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद से जनरल मेकेनिक्स का 'ए' पाठ्यक्रम, अथवा (२) इन्टरमीडिएट तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से धातु कला में डिप्लोमा।

टिप्पणी—'ख' अन्तर्गत योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

४५—धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई शिक्षक हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा बालकों की संस्थाओं के लिए उद्योग विभाग द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता अथवा पोलीटेक्निक, रामपुर

	और बापू इंडस्ट्रियल स्कूल, देहरादून अथवा उसके समकक्ष बालिकाओं की संस्थाओं के लिए प्रमाण–पत्र।
४६—रंगाई तथा छपाई अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष।

टिप्पणी—ऊपर की योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः कार्य करने से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

४७—सिलाई अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ६ और १०) के लिए	(क) इन्टरमीडिएट, सी० टी०, इन्टरमीडिएट परीक्षा में सिलाई अथवा सी० टी० परीक्षा सिलाई में विशेष योग्यता सहित, अथवा (ख) हाई स्कूल तथा (१) प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा, अथवा (२) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा, अथवा (३) सरकार से मान्यताप्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा।
इन्टरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	(क) सिलाई के साथ इन्टरमीडिएट तथा सी० टी० सिलाई में विशेष योग्यता सहित । (ख) इन्टरमीडिएट तथा (१) प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा,

अथवा

(२) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषय के ३ वर्ष के अध्यापन का अनुभव;

अथवा

(३) सरकार से मान्यता-प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा।

टिप्पणी—(ब) के अन्तर्गत योग्यतायें रखनेवाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षणों से छूट दी जा सकती है।

४८—नृत्य अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये — माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित :—

(१) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद परीक्षा,

(२) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा,

(३) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा "नृत्यविशारद",

(४) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल बम्बई के १९६१ के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद।

हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिए — (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित :—

(१) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद परीक्षा,

(२) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा,

(३) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा 'नृत्य विशारद',

	अथवा (ख) नृत्य के साथ बी० ए०, (४) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई के १९६१ के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद।
४९—मूर्तिकला अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता-प्राप्त किसी कला विद्यालय जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन से मूर्तिकला में प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा।
इंटरमीडिएट (कक्षा ११और १२) के लिये	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से मूर्तिकला विषय सहित ललित कला में डिप्लोमा।
५०—रंजनकला अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय (जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजनकला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।
इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और१२) के लिए रंजनकला अध्यापक	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता-प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र-लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा।
५१—कृषि अध्यापक इंटर-मीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिये (क) (१) कृषि (२) कृषि अभियन्त्रण (३) गणित	एम० एस-सी० (कृषि), प्रशिक्षित वरीयमान, बी०एस-सी० (कृषि अभियन्त्रण), प्रशिक्षित वरीयमान। गणित अथवा स्टैटिस्टिक्स में एम० ए०, अथवा एम० एस-सी० प्रशिक्षित वरीयमान।
(४) हिन्दी, अर्थ- शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीवविज्ञान (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए)	परिषद् के कैलेन्डर में संलग्न परिशिष्ट 'क' के विनियम १, भाग दो-ए के अध्याय २ के क्रमशः क्रमसंख्या २, २३, ४६, ४७ और ४८ में निर्धारित के अनुसार।

(ख) प्रदर्शक कृषि	कृषि में बी० एस-सी० ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०) के लिये	प्रशिक्षित बी० एस-सी० (कृषि) ।
*५२--कृषि-गोपालन अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	एम० एस-सी० (कृषि), बेसिक एल० टी० को प्राथमिकता ।
हाई स्कूल कक्षा (९ और १०) के लिए	प्रशिक्षित बी० एस-सी० (कृषि), बेसिक एल० टी० को प्राथमिकता ।
*५३—बागबानी अध्यापक इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल (कक्षा ९ से १२) के लिए	प्रशिक्षित बी० एस-सी० (कृषि) ।
*५४—वस्त्रोद्योग अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा ११ और १२) के लिए	प्रशिक्षित स्नातक तथा कताई-बुनाई सहित इंटरमीडिएट परीक्षा, साथ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन बम्बई के क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग विद्यालय का डिप्लोमा ।
हाई स्कूल (कक्षा ९ और १०)	रचनात्मक अथवा बेसिक एल० टी० तथा कताई-बुनाई के साथ हाई स्कूल परीक्षा ।
*५५--सामान्य वस्त्रोद्योग अध्यापक	जैसी उपर्युक्त क्रमांक ५४ में वस्त्रोद्योग के लिए निर्धारित हैं ।

प्राविधिक विषयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें

--सामान्य अभियंत्रण लेक्चरार हाई स्कूल के लिए	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) ।

*राजकीय गजट में दिनांक १३ जुलाई, १९६८ को प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७-२८३/पांच--८ (दिसम्बर, ६७) दिनांक १३ जून, १९६८ द्वारा सम्मिलित ।

२—वास्तु अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, वैद्युत अभियंत्रण (इंटरमीडिएट कक्षाओं) के लिए लेक्चरार	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से अभियंत्रण की सम्बन्धित शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)।
३—नक्शानवीसी में लक्चरार	वास्तु परिकल्पन में डिप्लोमा, अथवा एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से नक्शानवीसी अथवा अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)।
४—रेखांकन शिक्षक	हाई स्कूल परीक्षा के बाद नक्शानवीसी अथवा अभियंत्रण में डिप्लोमा।
५—मिस्त्री	लोहारी, सांचे का काम, खराद का काम, सज्जीकरण आदि में से एक दो व्यवसायों में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव। मान्यता प्राप्त संस्था से व्यवसाय या व्यवसायों में प्रमाण-पत्र रखने वालों को वरीयता दी जायगी।
६—मुद्रण कार्य के अध्यापक (कक्षा ९ से १२)	१—स्नातक, विज्ञान में वरीयमान जिन्होंने राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एल० टी० मेग्रंथ-पि, तथा मुद्रण अपना-अपना विशेष विषय लिया हो और जिन्हें कम से कम छः मास का क्रियात्मक प्रशिक्षण किसी मुद्रण संस्थान में हो। २—एक उच्चस्तर के मुद्रण संस्थान में कम्पोजिंग, मुद्रण और जिल्दसाजी के कम से कम पांच वर्ष के क्रियात्मक प्रशिक्षण के साथ हाई स्कूल, अथवा ३—मुद्रण प्रोद्योग के किसी मंडलीय विद्यालय का डिप्लोमा रखने वाले।

(१) हाई स्कूल प्राविधिक के लिए अध्यापक :

१—काष्ठकला में २—चर्मकारी में ३—बुनाई में	एक मान्यता-प्राप्त संस्था से (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) विशेष विषय में डिप्लोमा ।
४—विद्युत्कार के लिए विद्युत् वार्यारिंग ५—हल्के यांत्रिक ६—बढ़ईगीरी ७—धातुफलक कर्म ८—वेल्डिंग और सोल्डरिंग	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अथवा वैद्युत् अभि-यंत्रण में (तीन वर्ष का) डिग्री अथवा डिप्लोमा ।

(२) इंटरमीडिएट प्राविधिक के लिए लेक्चरार :

१—वस्त्र-निर्माण २—वस्त्रों का रासायनिक प्रोद्योग	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से वस्त्र-उद्योग में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) ।
३—प्राथमिक इलेक्ट्रानिक्स	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से वैद्युत् अभियंत्रण अथवा दूर संचार अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।
४—प्राथमिक मोटरयान अभियंत्रण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।

टिप्पणी—(क) लैटिन और फ्रांसीसी के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें नहीं निर्धारित की गयी हैं ।

(ख) आनर्स स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) कक्षा ११ और १२ को उन विषयों के पढ़ाने के पात्र समझे जायेंगे, जिनमें उन्होंने आनर्स किया है ।

अध्याय तीन

सेवा की शर्तें

(धारा १६-छ)

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति

१—प्रधानाध्यापक, आचार्य तथा अध्यापक—प्रबंध-समिति द्वारा स्कूल, वर्ष आरम्भ होने से पूर्व होने वाले किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक के स्पष्ट रिक्त स्थान की मौलिक रूप से पूर्ति आने वाले ३१ जुलाई तक कर दी जानी चाहिये । ७ अगस्त तक संभावित रिक्त स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले ३१ अगस्त तक होनी चाहिये ।

२—कोई भी व्यक्ति मौलिक रूप से स्पष्ट रिक्त स्थान पर प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक नहीं नियुक्त किया जायगा जब तक कि उसमें धारा १६-७ के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें न हों ।

*३—शासन के अधीन सेवा से अथवा एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त, प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक, अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

४—कोई भी अध्यापक जो प्रबंध-समिति के किसी सदस्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का सम्बन्धी है, संस्था में अस्थायी अथवा स्पष्ट रिक्त स्थान पर नहीं नियुक्त किया जायगा और न संस्था में किसी को प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य नियुक्त किया जायगा जो प्रबंध-समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी हो ।

इस विनियम के लिये "सम्बन्धी" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

पिता, बाबा, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, पुत्री, पौत्री, पत्नी, दादी, भतीजा, चचेरा या ममेरा भाई, साला, बहनोई, पति, देवर, जेठ, ननद, साली, पुत्र-वधू, बहिन, भावज, चचेरे भाई की पत्नी, मां, सास, चाची या मौसी ।

५—अध्यापक वर्ग में से कोई अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी मान्यताप्राप्त संस्था की प्रबंध-समिति के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा ।

६—नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से समस्त नियुक्तियां औपचारिक आदेशों अथवा नियुक्ति-पत्रों के अन्तर्गत की जायंगी ।

७—स्पष्ट रिक्त स्थान में मौलिक नियुक्ति-हेतु चुना हुआ व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन रखा जायेगा ।

८—परिवीक्षा-काल एक वर्ष का होगा, चाहे कोई सीधा नियुक्त हुआ हो अथवा संस्था की सेवा में निम्न पद-क्रम से उच्च पद-क्रम में पदोन्नत हुआ हो ।

९—संस्था का कोई भी अध्यापक अथवा प्रधान अपनी नियुक्ति में स्थायी नहीं किया जायगा जब तक कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा अनिवार्य हिन्दी को अपने एक विषय के रूप में लेकर अथवा एक हिन्दी क्षेत्रीय भाषा वाले राज्य में स्थित परीक्षा निकाय की हिन्दी (नियमित, प्रारम्भिक नहीं) के साथ समकक्ष परीक्षा अथवा निम्नांकित परीक्षाओं में से कोई एक उत्तीर्ण न हो :

(अ) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अधिकारी अथवा शिरोमणि परीक्षा ।

(आ) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी अथवा अलंकार परीक्षा ।

(इ) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा ।

---

*उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६९ में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/२०८०-वी--८ (दिसम्बर-६८), दिनांक २६ नवम्बर, १९६९ द्वारा संशोधित ।

(ई) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित हिन्दी साहित्य के साथ विशारद परीक्षा अथवा हिन्दी साहित्य के साथ साहित्यरत्न परीक्षा ।

(उ) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कोविद अथवा (हिन्दी के साथ) विशेष योग्यता परीक्षा ।

(ऊ) पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब की प्रभाकर परीक्षा ।

(ए) हिन्दी (प्रथम भाषा के रूप में) के साथ इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा । कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ।

(ऐ) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित भूतपूर्व हिन्दी में डिपार्टमेन्टल स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षा ।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् निदेशक की आख्या पर विचार करने के पश्चात् विशेष परिस्थितियों में पर्याप्त कारणों पर छूट दे सकती है ।

१०—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जायगा यदि वह ऊपर के विनियम ९ की शर्तों को पूरा करता है, उसने परिश्रम से कार्य किया है, उसने स्वयं को नियुक्त हुये पद के योग्य सिद्ध किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है ।

११—यदि परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा प्रधानाध्यापक या आचार्य का परिवीक्षा-काल नीचे के विनियम १२ के अन्तर्गत बढ़ाया नहीं जाता है, तो उसे अपने पद एवं पदक्रम में परिवीक्षा-काल की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायगा ।

१२—प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का परिवीक्षा-काल अधिकतम १२ मास के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

१३—जिस तिथि को एक अध्यापक का स्थायीकरण नियत है, उससे कम से कम छः सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक या आचार्य उसके स्थायीकरण के कागज-पत्र तैयार करेगा और उन्हें अपनी अभ्युक्तियों, अध्यापक की शील पंजी की प्रतियों तथा नियुक्ति-क्रम के साथ प्रबंधक के पास भेजेगा जो उन्हें प्रबंध-समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के स्थायीकरण के कागज-पत्र प्रबंधक द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रबंध-समिति का निर्णय प्रत्येक मामले में प्रस्ताव के रूप में अभिलिखित किया जायगा ।

१४—किसी व्यक्ति को स्थायी किये जाने के प्रबंध समिति के प्रस्ताव की एक प्रति उसे दी जायगी तथा एक अन्य प्रति अध्यापक के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को तथा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में मंडलीय उप शिक्षा निदेशक अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) को प्रेषित की जायगी। सम्बन्धित व्यक्ति की सेवापुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि भी की जायगी ।

१५—किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक के परिवीक्षा-काल में एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण होने पर उसकी परिवीक्षा भंग न होगी और उसके स्थायीकरण की कार्यवाही उस संस्था द्वारा की जायगी, जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है ।

१६—संस्था के प्रधान का रिक्त स्थान सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा जिसके लिये संस्था में कार्य करने वाले अध्यापक बिना उच्च वय सीमा के यदि कोई हो, आवेदन-पत्र दे सकते हैं ।

प्रतिबन्ध यह है कि जब एक संस्था हाई स्कूल से इंटरमीडिएट कालेज में उन्नत की जाती है, आचार्य का पद प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायगा, यदि वह योग्य है, उसकी सेवा का अच्छा अभिलेख है और अधिनियम में वर्णित रूप में स्वीकृत है । स्वीकृत न होने वाला प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में उस उच्चतम पद पर रखा जायगा जिसके लिये वह योग्य है, प्रतिबन्ध यह है कि उसका वेतन कम नहीं किया जायगा ।

१७—सामान्यतः अध्यापकों के एक पद-क्रम के पदों के एक-तिहाई से आधे तक के रिक्त स्थान निम्नतर पदक्रम से पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे । यदि अच्छी योग्यता, प्रशंसनीय अभिलेख एवं सत्यनिष्ठता सम्पन्न पात्र उपलब्ध हों तो एक रिक्त स्थान की पूर्ति पदोन्नति द्वारा इस तथ्य के होते हुए भी की जा सकती है कि उससे पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के अनुपात में वृद्धि हो जायगी । अध्यापकों, के एक वेतन-क्रम में हुआ रिक्त स्थान सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा अथवा पदोन्नति द्वारा, यह प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित होगा ।

१८—किसी संस्था में सी० टी० अथवा जे० बी० टी० सी० पदक्रमों (प्रशिक्षित अभिस्नातक तथा एल० टी० प्रशिक्षित स्नातक) में पांच वर्ष की अविरल मौलिक सेवा वाले अध्यापक अग्रिम उच्चतर पदक्रम (क्रमशः प्रशिक्षित स्नातक तथा इंटर-मीडिएट कक्षा अध्यापक पदक्रम) में पदोन्नति के पात्र होंगे, यदि उनमें पदक्रम के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें हों ।

अन्य मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापक द्वारा की गयी सेवा की गणना पात्रता के लिये की जायगी यदि उसमें पृथक्करण, वियुक्ति अथवा निम्नतर पद पर अवनति द्वारा व्यवधान न पड़ा हो ।

१९—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले अग्रिम उच्चतर पदक्रम में स्पष्ट रिक्त स्थान होने पर चुनाव द्वारा पदोन्नति के लिये एक पदक्रम के समस्त पात्र अध्यापकों पर बिना आवेदन-पत्र दिये हुए विचार किया जायगा । अवकाश, रिक्ति अथवा सत्र के एक भाग के लिये हुई रिक्ति, सेवा का संतोषजनक अभिलेख सम्पन्न योग्य आवेदकों में से ज्येष्ठता के आधार पर भरी जायगी ।

२०—अध्यापकों के एक पद-क्रम के लिये पदोन्नति-हेतु चयन सेवा के काल, सेवा की निष्पत्तियों, शैक्षिक योग्यताओं तथा सत्यनिष्ठता के आधार पर किया जायगा । जहां इन मानदंडों के अनुरूप आवेदक न हों, वहां रिक्त स्थान की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा होगी ।

२१—आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, अध्यापक अथवा मैट्रन, लिपिक अथवा पुस्तकाध्यक्ष तथा निम्न कर्मचारियों का अधिवर्ष वय साठ होगा । साठ वर्ष के वय के आगे सेवा-विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति समिति द्वारा विशेष स्थितियों में संस्था के प्रधानों तथा अन्य कर्मचारियों को राज्य

सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है । सेवा-विस्तार के लिये प्रार्थित स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी कर्मचारी सेवा में नहीं रोका जायगा ।

२२—लिपिकीय एवं निम्नवर्गीय कर्मचारी लिपिक के, जिसमें पुस्तकाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, विषय में प्रबन्ध-समिति नियुक्ति प्राधिकारी है तथा निम्न कर्मचारियों के विषय में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, लिपिकों, जिनमें पुस्तकाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं तथा निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति, परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी) तथा स्थायीकरण आवश्यक परिवर्तनों सहित ऊपर के विनियम १, ४ से १५ तथा २१ से अनुशासित होगा ।

२३—शासन के अधीन सेवा से अथवा एक शैक्षिक संस्था की सेवा से वियुक्त लिपिक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा निम्न कर्मचारी को अन्य मान्यता-प्राप्त संस्था में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, जहां नियुक्ति खोजी जा रही है अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) जो भी स्थिति हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं नियुक्त किया जायगा ।

सेवा की समाप्ति

२४—अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त अथवा अवकाश-रिक्ति में अथवा सत्र के एक भाग के लिये होने वाली रिक्ति में नियुक्त कर्मचारी की सेवा, यदि नियमानुसार उसका विस्तार न हुआ हो तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये उसकी नियुक्ति हुई थी अथवा जब रिक्ति समाप्त हो, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिये किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी ।

व्याख्या—जब तक कि अन्य संदर्भ न हो 'कर्मचारी' शब्द का अर्थ इस तथा इस अध्याय के नीचे के विनियमों में अध्यापक, आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक होगा ।

२५—अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन के अतिरिक्त) अथवा अपनी परिवीक्षा की अवधि में परिवीक्षाधीन की सेवा किसी भी समय उसे एक मास की नोटिस अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है ।

२६—(१) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास का नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है, पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है :

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छंटनी ।
(ख) एक विषय का हटाया जाना ।
(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति ।

(२) खंड (१) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिये अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायगा ।

२७--सामान्यतः एक स्थायी प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य की सेवा की समाप्ति का नोटिस दिसम्बर के प्रथम दिवस तथा आने वाले वर्ष की फरवरी के अन्तिम दिवस के बीच अथवा स्थायी अध्यापक का किसी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस तथा मार्च के अन्तिम दिवस के बीच नहीं दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि दीर्घ शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के स्थान पर क्रमशः अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर पढ़ा जाय ।

२८--समिति स्थायी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति निरीक्षक को उस समय तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि इस उद्देश्य से विशेषरूप से संयोजित बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है ।

२९--कोई कर्मचारी नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, जिसके लिये वह प्रबंध द्वारा उसकी सेवायें समाप्त किये जाने की स्थिति में अधिकारी होता, त्याग-पत्र दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(१) कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी अथवा मार्च के मास में समाप्त होने वाला नोटिस नहीं देगा ।

(२) ग्रीष्मावकाश नोटिस की अवधि में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

(३) राजकीय सेवा अथवा किसी स्थानीय निकाय की सेवा की नियुक्ति हेतु चुने गये कर्मचारी को आवश्यक नोटिस देने की आवश्यकता न होगी और उसे नयी नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के लिये समय से अपनी सेवा से त्याग-पत्र देना होगा यदि पद के लिये उचित सरणि से प्रार्थना-पत्र दिया गया है ।

(४) प्रबंधक को यह अधिकार होगा कि वह नोटिस के दावे में छूट दे दे ।

३०--किसी कर्मचारी को त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अनिर्णीत हैं जब तक कि उसे प्रबंध-समिति द्वारा ऐसा करने की विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है ।

दंड, जांच तथा निलम्बन

३१--कर्मचारी को प्राप्य दन्ड, जिसके लिये निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकता है :

(क) वियुक्ति ;

(ख) पृथक्करण अथवा प्रमुक्ति ;

(ग) श्रेणी में अवनति ;

(घ) परिलब्धियों में कमी ।

३२—(१) कर्मचारी की सेवा से घोर अनधीनता, जानबूझ कर अथवा गंभीर कर्त्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा दंडनीय कार्य के लिए बेईमानी,

भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन-प्रतिकूलता अथवा नतिक अधमता जैसे कार्यों के आधार पर सेवा से वियुक्त किया जा सकता है ।

(२) कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा शैक्षणिक कार्य की अदक्षता अथवा अनधिकृत शिक्षण अथवा सेवा पर नौकरी से पृथक् किया जा सकता है ।

(३) कर्मचारी को प्रशासन में न्यूनता, असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप की अभिरुचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्यों के पालन में कमी अथवा संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठता जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनत किया जा सकता है अथवा उसकी परिलब्धियों में कमी की जा सकती है। यह कमी एक निम्नतर पद अथवा वेतन के कालमान अथवा वेतन के कालमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है ।

३३—(१) कर्मचारी को एक वेतन कालमान में किसी अवधि के लिये अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतन-वृद्धि रोक कर भी दंडित किया जा सकता है।

(२) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अंतिम होगा ।

३४—दंड दिये जाने का निश्चय करने में, अपराध को कम करने वाली बातें, यदि कोई हों तथा कर्मचारी की सेवा के विगत अभिलेख को ध्यान में रखा जा सकता है ।

३५—शिकायत अथवा गंभीर प्रकृति के आरोपों की प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर समिति, अध्यापकों के विषय में प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अथवा प्रबंधक को जांच अधिकारी नियुक्त करेगी (अथवा प्रबंधक स्वयं जांच करेगा यदि समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत उसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गये हैं) और प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के विषय में एक छोटी उपसमिति होगी जिसे आख्या यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश होंगे।

३६—(१) वे आधार, जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किये जायेंगे और जो इतने स्पष्ट और सही होंगे कि दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत कर देंगे। आरोप-पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य देना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता है । यदि वह अथवा जांच अधिकारी चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं, मौखिक जांच की जायगी । उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुने जायेंगे जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यक्ति साक्षी से जिरह करने का, स्वयं साक्ष्य देने का और ऐसे साक्षियों को बुलाने का, जिन्हें वह चाहे, अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच-अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लिखितरूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है । कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और जांच

का विवरण तथा उसके आधार होंगे। जांच करने वाला जांच-अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक् कर्मचारी को दिये जाने वाले दंड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(२) खंड (१) वहां लागू नहीं होगा जहां सम्बन्धित व्यक्ति फरार हो गया हो अथवा जहां अन्य कारणों से उससे पत्र-व्यवहार करना अव्यावहारिक है।

(३) खंड (१) के किसी अथवा समस्त प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित, जिनका लिखित रूप से अभिलेख होना चाहिये, छूट दी जा सकती है जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक-ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं को जांच अधिकारी के मत से, दोषी व्यक्ति के प्रति बिना अन्याय हुए, छोड़ा जा सकता है।

३७--जांच-अधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कर्मचारी को नोटिस देने के बाद प्रबंध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति पर विचार करने के लिए होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आज्ञा दी जायगी, जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समस्त सम्बन्धित कागज-पत्र सहित निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को उसके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

३८--यदि किसी स्थिति में यह अनुभव किया जाता है कि मामले में नोटिस सेवा वियुक्ति द्वारा अधिक भली प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, तो यह निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका की स्वीकृति से किया जा सकता है।

३९--प्रबन्ध समिति स्वमति से अथवा जांच करने वाली एजेंसी की संस्तुति पर जांच और अन्तिम आदेश होने तक किसी कर्मचारी को निलम्बित कर सकती है, यदि उसके विरुद्ध आरोप पर्याप्त रूप से गम्भीर हैं और जिनसे उसकी वियुक्ति, पथक्करण अथवा श्रेणी में अवनति हो सकती है। अध्यापक के सम्बन्ध में निलम्बन के अधिकार का उपयोग प्रबन्धक द्वारा किया जायगा यदि संस्था के नियमों के अधीन उसे समिति द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया जा चुका है।

४०--(क) कर्मचारी को आरोप अथवा आरोपों को उसके विरुद्ध औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने की तिथि से सामान्यतः १५ दिनों के भीतर दे देना चाहिए।

(ख) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिए और किसी भी दशा में इस कार्य के लिए एक मास से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(ग) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी की जांच मौखिक परीक्षा सहित पूर्ण हो जानी चाहिए।

(घ) जांच करने वाली एजेंसी की आख्या, जहां वह स्वयं दंड प्राधिकारी नहीं है, यथासंभव शीघ्रता के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के १५ दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिए।

(ङ) दण्ड प्राधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिए।

४१—निलम्बित कर्मचारी को अपने वेतन का आधा निर्वाह-भत्ता दिया जायगा।

४२—निलम्बित कर्मचारी को बहाल होने पर अपने वेतन तथा प्राप्त निर्वाह-भत्ते का अन्तर दिया जायगा।

४३—निलम्बित कर्मचारी, दण्ड प्राधिकारी की स्वमति से निलम्बन की अथवा किसी अन्य बाद की तिथि से दण्डित किया जा सकता है।

४४—निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा अधिनियम की धारा १६-छ की उपधारा (३) (ए) में उल्लिखित कार्यवाही के लिए पूर्णरूप में प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रबन्ध को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित कर दी जायगी। यदि प्रबन्ध द्वारा अपूर्ण कागज-पत्र प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्णरूप में दो सप्ताह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम में प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज-पत्र प्राप्त होने की तिथि से संगठित की जायगी। ये कागज-पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किए जायेंगे।

४५—समिति निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के निर्णय को सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लागू करेगी, प्रतिबन्ध यह है कि मण्डलीय अपीली समिति का प्रधान प्रबन्ध द्वारा प्रत्यावेदन किए जाने पर, अपील पर विचार किए जाने तक, कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन के शेष अंश को रोक सकता है।

वेतन-मान तथा वेतनों का भुगतान

४६—कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन-मान प्रदान किए जायेंगे।

४७—कर्मचारी का वेतन संस्था में प्रथमतः सेवाभार ग्रहण करने पर उसके पद से संलग्न काल-मान का आरम्भिक सोपान निर्धारित किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने इससे पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतन-वृद्धियां अर्जित की हैं, तो उसे इन वेतन-वृद्धियों का लाभ शासन अथवा विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है।

यह भी प्रतिबन्ध है कि अग्रिम वेतन-वृद्धियां विशेष दशाओं में शासन की पूर्व स्वीकृति से ही दी जायेंगी।

४८—एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नए वेतन-मान के निम्नतम पर निर्धारित किया जायगा, यदि उसका वेतन इस न्यूनतम से कम है, अन्यथा नए काल-मान के उसके वेतन से अगले सोपान पर।

४९--समिति कर्मचारी के एक मास के वेतन का भुगतान अगले मास की १५वीं तिथि तक कर देगी।

५०--वेतन का भुगतान नकद या चेक द्वारा किया जायगा। यदि कोई कर्मचारी नकद के स्थान पर चेक द्वारा नियमित भुगतान चाहता है, तो बैंक की सुविधाएं स्थानीय रूप से उपलब्ध होने पर समिति द्वारा इसका आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा। अपना वेतन चेक द्वारा अथवा नकद प्राप्त करके कर्मचारी इस भुगतान के प्रतीकस्वरूप यथाविधि टिकट लगे हुए, यदि आवश्यक हो, वेतन पंजी पर हस्ताक्षर करेगा।

५१--संस्था में स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से की गई अविरल सेवा, वेतन के काल-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिए संगणित की जायगी, प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी की ग्राह्य से अधिक बिना वेतन के अवकाश की अवधि, अथवा चिकित्सा-आधार अथवा निजी कार्य पर लिए गए अवकाश की अवधि के लिए वेतन-वृद्धि देय नहीं होगी। किसी विशेष वर्ष में अवकाश की अवधि में पड़ने वाली वेतन-वृद्धि की तिथि उस तिथि तक स्थगित कर दी जायगी, जिसको कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है।

५२--कर्मचारी को वेतन के काल-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धियां ग्राह्य होंगी जब तक कि उसकी वेतन-वृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दक्षता रोक पर निरुद्ध नहीं किया जाता है।

५३--किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता-रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पथप्रदर्शक तथा दक्ष-पर्यवेक्षक नहीं सिद्ध कर लेता, संस्था में उचित वातावरण का निर्माण नहीं कर लेता, सन्तोषजनक शैक्षिक मानदण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों का सन्तोषजनक संगठन नहीं कर लेता, अपने को प्रगतिशील शैक्षिक विचार और विकास की धारा के साथ नहीं रखता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

५४--किसी अध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक कि वह अपने को एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्ध कर लेता, छात्रों पर स्वस्थ प्रभाव नहीं रखता, अनुशासन बनाए रखने में तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देता, संस्था के प्रति स्वामिभक्त नहीं होता तथा उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित नहीं होती।

एक संस्था से दूसरी में स्थानान्तरण

५५--संस्था का एक स्थायी कर्मचारी, जो अन्य संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, संस्था के प्रधान तथा प्रबन्धक द्वारा विद्यालय निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को, जैसी स्थिति हो, इस उद्देश्य का आवेदन-पत्र दे सकता है। आवेदक के अन्य विवरणों के अतिरिक्त आवेदन-पत्र में संस्थाओं के

नाम, स्थानों एवं जिलों के नाम होंगे जहां स्थानान्तरण प्रार्थित है। यदि आवेदन-पत्र प्रबन्धक द्वारा अग्रसारित किया जाता है तो उसके साथ सेवा-पुस्तिका तथा चरित्र-पंजी की प्रतियां भेजी जानी चाहिये।

आवेदन-पत्र अग्रसारित होने के पश्चात् कर्मचारी द्वारा प्रति वर्ष १ अप्रैल से पूर्व प्रधानाध्यापक/आचार्य और प्रबंधक द्वारा निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को यह सूचित करना चाहिये कि स्थानान्तरण की प्रार्थना अभी बनी है। ऐसी सूचना न प्राप्त होने पर यह समझा जायगा कि प्रार्थना समाप्त हो गयी है।

५६--विनियम ५५ के अन्तर्गत निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र उस निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को अग्रसारित किये जायेंगे, जिसके अधिक्षेत्र में स्थानान्तरण का इच्छित स्थान है अथवा उस संस्था के प्रबन्धक को, यदि वह स्थान उसी के अधिक्षेत्र में है।

५७--निरीक्षक तथा मंडलीय निरीक्षिका विनियम ५६ और ५७ के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की एक पंजिका रखेंगे।

५८--ज्यों ही एक मौलिक रिक्ति अथवा स्थायी होने वाली अस्थायी रिक्ति जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी है, विज्ञापित की जाती है, प्रबन्धक विज्ञापन की एक प्रति अध्याय दो के विनियम १७ के 'क' में दिये हुये विवरण सहित निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका, जो भी स्थिति हो, के पास भेजेंगे। निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका प्रबन्धक से सत्वर यह व्यवस्था करेंगे कि वे देख लें कि रिक्ति स्थानान्तरण के प्रार्थियों द्वारा भलीभांति भरी जा सकती है। जब रिक्ति स्थानान्तरण द्वारा नहीं भरी जाती है तो प्रबन्ध उसे सीधी भर्ती द्वारा भरने की कार्य वाही करेगा।

५९--कर्मचारी का स्थानान्तरण इन शर्तों के साथ अनुज्ञेय होगा कि (१) संस्था का प्रबन्ध जहां आवेदक कार्य कर रहा है उसे मुक्त करने को तैयार है; और (२) नयी संस्था का प्रबन्ध जहां आवेदक ने स्थानान्तरण के लिए आवेदन-पत्र दिया है, उसे स्वीकार करने को तैयार है।

प्रतिबन्ध यह है कि उस व्यक्ति के स्थानान्तरण के प्रार्थना-पत्र पर, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक जांच चल रही है, विचार नहीं किया जायगा।

यह भी प्रतिबन्ध है कि नयी संस्था में कर्मचारी को वही वेतन दिया जायगा जो वह पहली संस्था में पा रहा था :

६०--अन्य संस्था से नयी संस्था में स्थानान्तरित कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में अन्य निर्धारित विवरणों के अतिरिक्त, उसके स्थानान्तरण तथा जिस संस्था से स्थानान्तरण हुआ है, उसके नाम का भी उल्लेख रहेगा।

६१--कर्मचारी के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने के एक मास के भीतर पहली संस्था का प्रबन्धक संबंधित निरीक्षकों अथवा मंडलीय निरीक्षिकाओं को सूचना देते हुए दूसरी संस्था के प्रबन्धक को कर्मचारी की सेवा-

पुस्तिका, चरित्र-पंजी, अवकाश-लेखा, निर्वाह-निधि-लेखा तथा अन्य आवश्यक कागज-पत्रों को अद्यावधिक यथोचित रीति से उनमें प्रविष्टि करके प्रेषित करेगा।

६२--स्थानान्तरण होने पर कर्मचारी यात्रा-भत्ता का पात्र न होगा। उसे प्रति १०० मील पर एक दिन के हिसाब से अधिकतम तीन दिनों का यात्रा-समय मिलेगा। यात्रा-समय का वेतन, यदि इसके विपरीत कोई अनुबन्ध-पत्र न हो, तो उस संस्था द्वारा दिया जायगा जहां कर्मचारी स्थानान्तरित होकर कार्यभार ग्रहण करता है।

शिक्षण, अंशकालिक सेवा एवं अन्य लाभ

६३--गृह-शिक्षण स्वीकार करने से पूर्व मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों को प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ख') पर अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिये। अध्यापक द्वारा शिक्षा दिये जाने वाले छात्र के गृह-शिक्षण की अनुमति बहुत ही कम और विशेष कारणों से ही दी जानी चाहिये जो अभिलिखित किये जायं।

६४--(१) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी अध्यापक के दो गृह-शिक्षण तक की अनुमति दे सकता है, विशेष परिस्थितियों में (जिनका अभिलेख हो) प्रबन्धक के परामर्श से वह एक अध्यापक को तीन गृह-शिक्षण तक की अनुमति दे सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि वह इससे आश्वस्त रहे कि संस्था में शिक्षण की दक्षता को कोई हानि नहीं पहुंचती।

(२) गृह-शिक्षण में अध्यापक द्वारा दिये जाने वाले घंटों की संख्या प्रतिदिन २ तथा सप्ताह में १२ से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(३) एक समय पर तीन बालकों/बालिकाओं से अधिक के गृह-शिक्षण की अनुमति नहीं दी जायगी।

६५--प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को गृह-शिक्षण की अनुमति नहीं दी जायगी।

६६--कर्मचारी परिषद्, शिक्षा विभाग अथवा मान्यताप्राप्त परीक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित पारिश्रमिक युक्त कार्य स्वीकार कर सकता है अथवा साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के कार्य से उसके सामान्य कर्त्तव्यों में व्यवधान न पड़े।

६७--कर्मचारी को शिक्षा निदेशक के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, शैक्षिक, प्रशिक्षण संबंधी अथवा व्यावसायिक परीक्षाओं की, जो शिक्षण अथवा प्रशासन में उसकी दक्षता सुधारने में सहायक हो, तैयारी करने तथा उनमें बैठने की अनुमति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दी जा सकती है।

कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना

६८--प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक चरित्र-पंजी तथा एक सेवा-पुस्तिका रखी जायगी। चरित्र-पंजी का प्रपत्र परिशिष्ट 'ग' में दिये हुए के अनुसार होगा।

६९--अध्यापक के कार्य एवं आचरण के संबंध में उसकी चरित्र-पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संस्था के प्रधान द्वारा की जायंगी जब कि संस्था के प्रधान के संबंध में ये प्रविष्टियां प्रबन्धक द्वारा की जायंगी। उनके द्वारा आकस्मिक प्रविष्टियां किसी भी समय पर की जा सकती हैं।

७०--संबंधित व्यक्ति के कार्य एवं आचरण के संबंध में वार्षिक प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र दिया जायगा :--

"मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिससे श्री.....की सत्यनिष्ठा पर आंच आये। ईमानदारी के लिये उनकी सामान्य प्रसिद्धि अच्छी है और मैं उनकी सत्य-निष्ठा प्रमाणित करता हूं।"

७१--प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी को इन प्रमाण-पत्रों के देने अथवा रोक लेने में अत्यधिक ध्यान देना चाहिये और इसे एक गम्भीर और अत्यन्त आवश्यक मामला समझना चाहिये। सत्यनिष्ठता के प्रमाण-पत्र को रोकने से पूर्व प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी की जानकारी में आने वाले प्रत्येक शिकायत अथवा आरोप की भलीभांति जांच होनी चाहिये और यदि वह स्थापित हो जाय अथवा उसकी पुष्टि हो जाय तो संबंधित व्यक्तियों के सामने स्पष्टीकरण हेतु रखी जानी चाहिये। यदि व्यक्ति का स्पष्टीकरण संतोषजनक न हो और उसकी सत्यनिष्ठता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया हो तो उसकी सत्यनिष्ठता का प्रमाण-पत्र रोका जा सकता है।

७२--जहां एक वर्ष-विशेष में किसी व्यक्ति की चरित्र-पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, उस पूरे वर्ष की प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रविष्टियां प्रविष्ट किये जाने के ३० दिन के भीतर सूचित की जायगी और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायगी। इसी प्रकार सत्यनिष्ठता के प्रमाण-पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायगी।

७३--चरित्र-पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

७४--राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा-पुस्तिका संस्था के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायगी और चरित्र-पंजी के साथ अध्यापक के संबंध में संस्था के प्रधान की तथा संस्था के प्रधान के संबंध में प्रबन्धक की परिरक्षा में रखी जायगी।

७५——संस्था के कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा–पुस्तिका की जांच करने की अनुमति दी जायगी, यदि वह इस बात के लिये संतुष्ट होना चाहे कि उसकी सेवा–पुस्तिका भली–भांति रखी जा रही है । वह अपनी सेवा–पुस्तिका की वार्षिक वेतन–वृद्धि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण संबंधी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान (जैसे अवकाश) उसकी अवधि के पूर्ण विवरण सहित अभिलिखित होगा । अध्यापक के विषय में संस्था के प्रधान द्वारा तथा संस्था के प्रधान के संबंध में प्रबन्धक द्वारा सेवा–पुस्तिका की समस्त प्रविष्टियां प्रमाणित की जायंगी ।

७६——संस्था के कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका उसके अवकाश–ग्रहण अथवा सेवा समाप्ति के समय उसमें इस विषय की प्रविष्टि करने के बाद उसे दे दी जायगी ।

निर्वाह–निधि

७७——इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन, जैसा कि शिक्षा संहिता (१९५८ संस्करण) के परिशिष्ट आठ में है, पेंशन–रहित सेवा के स्कूल/कालेज अध्यापकों के लिये, निर्वाह–निधि योजना यथासम्भव समस्त कर्मचारियों के लिये लागू होगी ।

७८——प्रतिमास कर्मचारी के वेतन के भुगतान के समय प्रबन्ध का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के साथ उसके खाते में जमा किया जायगा ।

७९——प्रबन्धक प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ३१ दिसम्बर तक कर्मचारी को उसके निर्वाह–निधि खाते की पास बुक दिखाने की व्यवस्था करेगा और उसके परिशीलन के प्रतीकस्वरूप उसके हस्ताक्षर नियमित रूप से करा लेगा ।

८०——कर्मचारी का खाता, जो निर्वाह–निधि योजना के अधीन अंशदानिक है, एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने पर दूसरी संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जायगा और वह निर्वाह–निधि स्थानान्तरित होकर पहुंचने वाली संस्था में अंशदान करता रहेगा ।

८१——(क) कर्मचारी के सेवा–निवृत्ति होने, त्यागपत्र देने, स्थानान्तरित होने अथवा सेवा–वियुक्ति होने पर उसके निर्वाह–निधि खाते की पासबुक उसके अवमुक्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के लिये अग्रसारित कर दी जायगी ।

(ख) जिला निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका द्वारा खाते की जांच करने तथा उसका आवश्यक अभिलेख रखने के पश्चात् कर्मचारी को उसके निर्वाह–निधि खाते की पासबुक प्रबन्ध से प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर भेज दी जायगी ।

८२——(क) कर्मचारी को शासन के अंशदान का भुगतान करने के लिये प्रबन्धक यथाविधि तैयार करके बिल को निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के पास कर्मचारी के अवमुक्त होने की तिथि से दो मास के भीतर भेज देगा ।

(ख) निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका द्वारा आवश्यक संनिरीक्षा के पश्चात् बिल १५ दिन के भीतर महालेखाकार को अग्रसारित कर दिया जायगा ।

मंडलीय अपीली समिति

८३––राज्य प्रबन्धक संघ अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा नामित सदस्य की कार्यावधि उसके नामन की तिथि से एक वर्ष की होगी, परन्तु सदस्य अपने अनवर्ती की नियुक्ति तक पद ग्रहण किये रहेगा । सदस्यता की कार्यावधि में सदस्य को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

८४––जब एक अपील उस संस्था से संबंधित होगी जिसका नियमित सदस्य होगा अथवा जब वह उपलब्ध न होगा, दोनों संस्थाएं मंडलीय अपीली समिति में कार्य करने हेतु नियमित सदस्य के स्थान पर एक–एक वैकल्पिक सदस्य भी नामित करेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यथासंभव एक अपील निरन्तर एक ही सदस्य द्वारा सुनी जायगी ।

८५––मंडलीय अपीली समिति की बैठक प्रधान के कार्यालय में होगी जब तक कि उसके द्वारा इसके प्रतिकूल निर्दिष्ट न हो ।

८६––अपील ज्ञापिका में संक्षेप में अपील के आधार तथा वांछित अनुतोष का उल्लेख होना चाहिये । जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसकी तथा लेख–पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, के साथ अपीली द्वारा अपील–ज्ञापिका चार प्रतियों में प्रधान को प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

८७––अपील–ज्ञापिका की प्रतिलिपि सहित, अपील की नोटिस प्रधान द्वारा उत्तरवादी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायगी और उससे नोटिस में दी हुई तिथि तक उत्तर देने को कहा जायगा ।

८८––उत्तरवादी लेखपत्रों की प्रतियों सहित, यदि कोई हों, उत्तर की चार प्रतियां प्रधान को नोटिस में निर्धारित तिथि तक अथवा प्रधान द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तिथि तक देगा ।

उत्तर की एक प्रतिलिपि अपीली को उसके प्रार्थना पर दी जायगी ।

८९––प्रधान निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका से समस्त आवश्यक कागज–पत्र मंगा लेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि वे सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो जाते हैं ।

९०––प्रधान अपील सुनने की तिथियां नियत करेगा और वह समय–समय पर तिथियों में परिवर्तन करेगा अथवा सुनवाई स्थगित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब भी किसी पक्ष की अनुपस्थिति में तिथि नियत की जाती है तो उस पक्ष को कम से कम एक सप्ताह की नोटिस अवश्य दी जायगी जब तक कि इसके विपरीत दोनों पक्षों में सहमति न हो जाय ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि एक पक्ष को इस प्रकार के किसी नोटिस की आवश्यकता न होगी जब एक सुनवाई की तिथि पर तिथि नियत की जाती है और वह पक्ष उस तिथि के नोटिस के होते हुए भी अनुपस्थित है।

९१—किसी भी पक्ष को, अधिकार के रूप में, मंडलीय अपीली समिति के समक्ष किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा जो निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के समक्ष न प्रस्तुत हुआ हो, परन्तु मंडलीय अपीली समिति किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकती है, जिसे वह अभियोग के उचित निर्णय तक पहुंचने में सहायक समझे।

९२—मंडलीय अपीली समिति अपील के अनिर्णीत रहने के दौरान में किसी समय किसी भी पक्ष से किसी ऐसे उद्धरण, सूचना, आख्या, स्पष्टीकरण, मामले से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कह सकती है, जो उस पक्ष के पास अथवा उसके अधिकार में है और उस पक्ष को अधियाचन का पालन समिति द्वारा नियत उचित अवधि में करना पड़ेगा।

९३—मंडलीय अपीली समिति के समक्ष किसी पक्ष का वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जायगा।

९४—मंडलीय अपीली समिति किसी अपील को एक पक्षीय सुन और निर्णीत कर सकती है यदि कोई पक्ष नोटिस दिए जाने पर भी सुनवाई की नियत तिथि पर नहीं उपस्थित होता।

९५—मंडलीय अपीली समिति का निर्णय लिखित रूप में होगा। उसमें संक्षेप में निर्णय के विषय, निर्णय और अन्तिम आदेश उल्लिखित होंगे।

९६—मतभेद की स्थिति में, बहुमत का निर्णय समिति का निर्णय माना जायगा। यदि असहमत सदस्य अपना निजी निर्णय लिखना चाहे, तो उसका अभिलेख पत्रावली में रखा जायगा।

९७—निर्णय की प्रतियां यथासंभव शीघ्रता के साथ सम्बन्धित पक्षों और निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को भेजी जायेंगी।

९८—(१) सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर प्रबंध, मंडलीय अपीली समिति के निर्णय को लागू करेगा। ऐसा न होने पर निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका उसके लिए अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा कर्मचारी के लिए खुले किसी मार्ग पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उसे वहां तक लागू करेगा जहां तक कि उस संस्था को प्राप्य सहायक अनुदान से उसका भुगतान हो सकता हो।

(२) उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रबंध द्वारा मंडलीय अपीली समिति के निर्णय को लागू न किया जाना इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६-घ की उपधारा (२) के अर्थ के अधीन एक दोष माना जायगा।

———

परिशिष्ट 'ख'

(अध्याय ३, विनियम ६३ के अन्तर्गत)

गृह-शिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का नाम, योग्यता तथा पदनाम	उसका वेतन	आवेदक द्वारा पढ़ाए जाने वाली कक्षाएं तथा विषय	गृह-शिक्षण के विवरण			प्रतिदिन गृह-शिक्षण में दिया जाने वाला प्रस्तावित समय	मासिक पारिश्रमिक की धन-राशि	विद्यालय वर्ष में पहले से स्वीकृत यदि कोई हों, गृह-शिक्षण का विवरण	प्रधानाध्यापक/आचार्य का आदेश
			छात्र, कक्षा तथा विद्यालय का नाम, यदि हो, जिसमें वह पढ़ता है	पढ़ाए जाने वाले प्रस्तावित विषय	तिथियों सहित अवधि, जिसमें गृह-शिक्षण किया जाना है				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ग'

चरित्र-पंजी का प्रपत्र

(अ) आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा (मैट्रन सहित) अध्यापक।

गोपनीय--उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकगण के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक आख्या:

(१) संस्था का नाम
(२) कर्मचारी का पूरा नाम
(३) पिता का नाम
(४) उत्तीर्ण परीक्षाएं विश्वविद्यालय, परिषद्, संस्था इत्यादि के नाम सहित, वर्ष एवं श्रेणी (यह अद्यावधिक रखा जाना चाहिए)
(५) शासन, शिक्षा विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण-पत्र का अभिलेख
(६) विशेष योग्यता, यदि कोई हो, जैसे स्काउटिंग, फर्स्ट एड, रेडक्रास इत्यादि
(७) *जन्म-तिथि तथा स्थान
(८) स्थायी निवास तथा पता
(९) वर्तमान संस्था में सेवा प्रारम्भ करने की तिथि
(१०) वर्तमान पद में स्थायी नियुक्ति की तिथि
(११) पूर्व सेवा का स्थानों तथा तिथि सहित विवरण
(१२) (क) प्रथम मान्यताप्राप्त संस्था में निर्वाह-निधि योजना में सम्मिलित होने की तिथि
(ख) वर्तमान संस्था में निर्वाह-निधि लेखा के स्थानान्तरण की तिथि
(१३) वर्तमान पद
(१४) ३१ मार्च, १९ को वेतन-क्रम तथा वेतन

संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

टिप्पणी--इस प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा तथा अध्यापक/मैट्रन के सम्बन्ध में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

तिथि----------१९

---

*जन्म-तिथि सामान्यतः हाई स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र में लिखित तिथि होनी चाहिए।

परिशिष्ट 'ख'

(अध्याय ३, विनियम ६३ के अन्तर्गत)

गृह-शिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का नाम, योग्यता तथा पदनाम	उसका वेतन	आवेदक द्वारा पढ़ाए जाने वाली कक्षाएं तथा विषय	गृह-शिक्षण के विवरण			प्रतिदिन गृह-शिक्षण में दिया जाने वाला प्रस्तावित समय	मासिक पारिश्रमिक की धन-राशि	विद्यालय वर्ष में पहले से स्वीकृत यदि कोई हों, गृह-शिक्षण का विवरण	प्रधानाध्यापक/आचार्य का आदेश
			छात्र, कक्षा तथा विद्यालय का नाम, यदि हो, जिसमें वह पढ़ता है	पढ़ाए जाने वाले प्रस्तावित विषय	तिथियों सहित अवधि, जिसमें गृह-शिक्षण किया जाना है				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ग'

चरित्र-पंजी का प्रपत्र

(अ) आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा (मैट्रन सहित) अध्यापक।

गोपनीय—उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकगण के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक आख्या:

(१) संस्था का नाम
(२) कर्मचारी का पूरा नाम
(३) पिता का नाम
(४) उत्तीर्ण परीक्षाएं विश्वविद्यालय, परिषद्, संस्था इत्यादि के नाम सहित, वर्ष एवं श्रेणी (यह अद्यावधिक रखा जाना चाहिए)
(५) शासन, शिक्षा विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण-पत्र का अभिलेख
(६) विशेष योग्यता, यदि कोई हो, जैसे स्काउटिंग, फर्स्ट एड, रेडक्रास इत्यादि
(७) *जन्म-तिथि तथा स्थान
(८) स्थायी निवास तथा पता
(९) वर्तमान संस्था में सेवा प्रारम्भ करने की तिथि
(१०) वर्तमान पद में स्थायी नियुक्ति की तिथि
(११) पूर्व सेवा का स्थानों तथा तिथि सहित विवरण
(१२) (क) प्रथम मान्यताप्राप्त संस्था में निर्वाह-निधि योजना में सम्मिलित होने की तिथि
(ख) वर्तमान संस्था में निर्वाह-निधि लेखा के स्थानान्तरण की तिथि
(१३) वर्तमान पद
(१४) ३१ मार्च, १९ को वेतन-क्रम तथा वेतन

संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

टिप्पणी—इस प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा तथा अध्यापक/मैट्रन के सम्बन्ध में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

तिथि————————१९

---

*जन्म-तिथि सामान्यतः हाई स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र में लिखित तिथि होनी चाहिए।

२० जून, १९ को समाप्त होने वाले स्कूल वर्ष के लिए कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर आख्या।

अध्यापक का नाम———————————

उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अभ्युक्तियां तथा हित की अन्य अभ्युक्तियां भी :

वर्ष	संस्था के प्रधान की अभ्युक्तियां अध्यापक के सम्बन्ध में	प्रबन्धक की अभ्युक्तियां संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में	प्रतिकूल अभ्युक्तियां, यदि कोई हों अथवा चेतावनी देने की, यदि कोई हो, तिथि
१	२	३	४

अभ्युक्तियों में, पद में कार्यक्षमता, परीक्षाफल, पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप में भाग, सहयोगियों एवं जनता से सम्बन्ध तथा संस्था की भावना एवं अनुशासन पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र———————————

प्रधानाध्यापक/आचार्य अथवा प्रबन्धक
के हस्ताक्षर

दिनांक————————१९

भाग २—ख

अध्याय एक

परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ में प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा :—

(१) 'सभापति' का अर्थ सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(२) 'कालेज' का अर्थ परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(३) 'विभाग' का अर्थ उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है।

(४) विलोपित।

(५) 'अभिभावक' का अर्थ प्राकृतिक अथवा विधिक अभिभावक अथवा इन विनियमों के लिए सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा एक छात्र के अभिभावक के रूप में अनुमोदित व्यक्ति है।

(६) 'प्रधानाध्यापक' का अर्थ परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त हाई स्कूल का प्रधान है।

(७) 'हाई स्कूल' का अर्थ परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(८) विलोपित।

(९) 'आचार्य' का अर्थ कालेज का प्रधान है।

(१०) 'व्यक्तिगत परीक्षार्थी' का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बिना अपेक्षित उपस्थिति के एक परीक्षा में बैठना चाहता है, जिसके लिए मान्यता-प्राप्त संस्था में नियमित उपस्थिति निर्धारित है।

(११) 'नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम' का अर्थ परिषद् द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम है।

(१२) 'छात्र पंजी' का अर्थ छात्र की प्रगति का अभिलेख रखने वाली पंजी है, जो उस संस्था द्वारा, जिसका कि वह है, निर्धारित प्रपत्र* पर रखी जाती है।

(१३) 'सचिव' का अर्थ सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

---

*निर्धारित प्रपत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता में दिया हुआ है।

(१४) 'सत्र' का अर्थ नयी कक्षायें बनने से आरम्भ होने वाली १२ मास की अवधि है, जिसमें एक संस्था अध्यापन हेतु खुली रहती है ।

(१५) 'शैक्षिक वर्ष' का अर्थ १ जुलाई से उसके पश्चात् आने वाली ३० जून तक की अवधि है ।

(१६) 'उम्मेदवार' का अर्थ परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाला अथवा उसमें प्रविष्टि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ।

अध्याय दो

परिषद्

१—परिषद् की बैठक साधारणतः नवम्बर और फरवरी मासों में होगी ।

२—नवम्बर मास में हुई परिषद् की बैठक परिषद् की वार्षिक बैठक समझी जायगी ।

अध्याय तीन

सचिव

१—परिषद् की समस्त बैठकें* सचिव द्वारा बुलायी जायंगी ।

२—सचिव, सभापति के प्राधिकार से परिषद् के सरकारी पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा ।

३—परिषद् के लिये देय समस्त शुल्क एवं पावना तथा सचिव के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां अविलम्ब सरकारी कोषागार में जमा कर दी जायंगी ।

४—परीक्षा-समिति के नियंत्रण के अधीन, सचिव परिषद् की परीक्षायें लिये जाने की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

५—सचिव, परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्रों को प्राप्त करेगा तथा परीक्षा-समिति के नियंत्रण के अधीन उन पर कार्यवाही करेगा ।

५-क—सभापति की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरान्त सचिव को परीक्षा-फल समिति द्वारा पारित परीक्षाफल में मिली किसी असावधानी की भूल अथवा छूट को उचित समय में दूर करने का अधिकार होगा ।

६—सचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह परिषद् की ओर से सफल परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्गत करे ।

---

*प्रत्येक बैठक के बाद यथाशीघ्र एक प्रेस विज्ञप्ति परिषद् की कार्यवाहियों की संक्षिप्त आख्या देते हुये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित की जाती है तथा समाचार-पत्रों को दी जाती है (परिषद् के प्रस्ताव संख्या ६, दिनांक १७-१६ अगस्त, १९२२ के अनुसार)

सचिव यदि इस बात से संतुष्ट हो कि एक परीक्षार्थी का मूल प्रमाण–पत्र ो गया अथवा नष्ट हो गया है, तो उसे उसकी एक द्वितीय प्रति, ५ रुपये का आतिरिक्त शुल्क लेकर, समय–समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्गत कर सकता है ।

७––परिषद् का पुस्तकालय, सचिव की देखरेख में होगा और वह समय–समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के लिये विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों को संबंधित समितियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

८––सचिव, प्रतिवर्ष ३१ मई तक विभाग को परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता–प्राप्त स्कूलों और कालेजों की सूची वैकल्पिक विषय अथवा विषयों को निर्दिष्ट करते हुए जिनमें मान्यता प्राप्त हुई है, देगा ।

९––सचिव, ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जायं अथवा उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

१०––सचिव, परिषद् अथवा उसकी समितियों की बैठक में, इस राज्य की मान्यता–प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा परिषद् के कार्य के संबंध में पारित प्रस्तावों को, यदि वे उसके पास भेजे जाते हैं, रखेगा ।

अध्याय चार

परिषद् की समितियां

१––इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा १३ (१) में निर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त परिषद् निम्नलिखित अन्य समितियां नियुक्त करेगी :––

(क) पाठ्यचर्या से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक पाठ्यचर्या समिति,

(ख) परिषद् के परीक्षाफल निकालने के लिये, एक समिति,

(ग) परिषद् को स्त्रियों की शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर परामर्श देने के लिये एक समिति ।

२––परिषद् द्वारा किसी समिति में नियुक्त सदस्यों की संख्या, यदि इसके प्रतिकूल निर्दिष्ट न हो, तीन से कम तथा पांच से अधिक न होगी । निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की समितियों में सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या प्रत्येक के आगे लिखे हुए के अनुसार होगी :

समितियों का नाम	न्यूनतम	अधिकतम
कृषि	५	७
प्राविधिक विषय	७	९
रचनात्मक विषय	११	११

प्रतिबन्ध यह है कि रचनात्मक विषयों की पाठ्य-क्रम समिति में ग्यारह सदस्य इस विधि से नियुक्त किये जायेंगे कि रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का तद्विषयक विशेषज्ञ द्वारा प्रतिनिधित्व होगा और कोई भी सदस्य एक से अधिक विषय का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

२-क---परिषद् का एक से अधिक सदस्य, जब तक कि उस विषय का विशेषज्ञ न हो, पाठ्यक्रम की समिति में नियुक्त नहीं होगा।

परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति एक पाठ्य-क्रम समिति में नियुक्त अथवा आमंत्रित न होगा जब तक कि वह उस विषय का विशेषज्ञ न हो।

३—परिषद् की समितियों में हुई साधारण रिक्तियों की पूर्ति के लिये, सदस्यों का चुनाव, रिक्ति होने के तुरन्त बाद में होने वाली परिषद् की बैठक में होगा और सदस्य चुनाव की तिथि से पद-भार ग्रहण करेंगे।

४—वार्षिक बैठक में परिषद्, परीक्षाफल समिति के अतिरिक्त जिसमें परिषद् का सभापति, पदेन सभापति होगा, प्रत्येक समिति के एक सदस्य को समिति का संयोजक नियुक्त करेगी। संयोजक की कार्यावधि समिति के साधारण सदस्यों जैसी ही होगी। संयोजक द्वारा पद पर न रहने पर परिषद् का सभापति, समिति के सदस्यों में से परिषद् की आगामी बैठक तक कार्य चलाने के लिये एक स्थानापन्न नियुक्ति कर देगा।

५—विलोपित।

६—कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा :—

(क) परीक्षा-समिति
(ख) वित्त-समिति
(ग) मान्यता-समिति
(घ) पाठ्यचर्या-समिति।

कोई व्यक्ति तीन से अधिक पाठ्यक्रम समितियों का सदस्य नहीं होगा।

अध्याय पांच

पाठ्यक्रमों की समितियां

१—परिषद् निम्नलिखित विषयों में पाठ्यक्रमों की समितियां नियुक्त करेगी, जिनका वर्गीकरण उस रूप में तथा उन परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायगा जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करे :—

१— हिन्दी
२—गणित
३—गृह विज्ञान
४—अरबी और फारसी

५—उर्दू
६—इतिहास
७—नागरिक शास्त्र
८—भूगोल
९—मराठी और गुजराती
१०—लैटिन और फ्रांसीसी
११—अंग्रेजी
१२—भौतिक विज्ञान
१३—रसायन विज्ञान
१४—जीव विज्ञान
१५—कृषि (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त कृषि के साथ इंटर-मीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)
१६—चित्र कला, रंजन तथा मूर्तिकला
१७—वाणिज्य (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त वाणिज्य के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)
१८—अर्थशास्त्र
१९—संस्कृत
२०—सैन्य विज्ञान
२१—भूगर्भ शास्त्र
२२—प्राविधिक विषय (हिन्दी के अतिरिक्त सब विषय)
२३—समाज शास्त्र
२४—रचनात्मक विषय (रचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय)
२५—बंगला, उड़िया और आसामी
२६—शिक्षा, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान
२७—संगीत तथा नृत्य
२८—नैपाली और पाली
२९—कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी
३०—कन्नड़ और तेलुगू
३१—मलयालम और तमिल
३२—जर्मन और रूसी
३३—चीनी और तिब्बती
३४—बेसिक विषय (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त बेसिक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय सम्मिलित हैं)।

२—अध्ययन के ऐसे अन्य विषयों के लिये पाठ्यक्रमों की समितियों का गठन होगा जो समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

३—प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ संबंधित विषय का पाठ्य-विवरण प्रस्तावित करेगी तथा पाठ्य विवरण के अनुरूप परिषद् द्वारा संस्तुति अथवा नियत किये जाने हेतु उचित पुस्तकों की इतनी संख्या भी प्रस्तावित करेगी जितनी समिति ठीक समझे।

४—पाठ्यक्रमों की समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष साधारणतः सितम्बर और दिसम्बर मास के बीच होंगी और आने वाले वर्ष में परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले प्रालेख पाठ्य-क्रमों के लिए पुस्तकों के प्रस्ताव तैयार करेगी। समितियों द्वारा किये गये प्रस्तावों को पहले पाठ्यचर्या-समिति के पास यथाशीघ्र भेजा जायगा। पाठ्यचर्या समिति इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनके संबंध में अपने संवीक्षण प्रस्तुत करेगी। पाठ्यक्रम समितियों के प्रस्ताव, पाठ्यचर्या समिति के संवीक्षणों सहित परिषद् के समक्ष उसकी आगामी बैठक में निर्णय-हेतु रखे जायेंगे।

५—परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित तथा स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरण-पत्रिका में प्रकाशित किये जायेंगे और सचिव द्वारा उस परीक्षा की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व निर्गत किये जायेंगे जिसके लिये वे पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं।

६—जब भी परिषद् आवश्यक समझे, वह राज्य सरकार की स्वीकृति से तथा सरकारी गजट में आख्यापन द्वारा, अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष के लिये किसी विषय में पुस्तकों का आमंत्रण कर सकती है। परिषद् यदि आवश्यक समझे तो ऊपर के विनियम ४ के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के लिए समीक्षा भी करा सकती है। ऐसे मामलों में समीक्षकों की नियुक्ति तथा विचारार्थ पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुल्क का भुगतान अग्रलिखित विधि से नियंत्रित होगा :—

(१) पाठ्यक्रम समिति अभीष्ट समीक्षकों से कम से कम तिगुने की नामिका तैयार करेगी और उसे सचिव द्वारा सभापति की प्रस्तुत करेगी। जिन समीक्षकों का नाम नामिका में सम्मिलित किया जायगा वे उस विषय में भली-भांति योग्यता प्राप्त होने चाहिये, जिसमें उन्हें पुस्तक की समीक्षा करनी है। समीक्षकों की नियुक्ति नामिका में से सभापति द्वारा की जायगी।

(२) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तक का समीक्षक नहीं होगा।

(३) जहां एक व्यक्ति परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा एक विशेष विषय में पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, परिषद् के उस विषय में पुस्तकें आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसी पुस्तकों को स्वीकृत अथवा नियत किये जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद् को किसी भी परीक्षा के लिए विचार किये जाने योग्य न होगी।

(४) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है, उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(५) समीक्षकों, प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में अत्यधिक गोपनीयता रखी जायगी।

(६) प्रत्येक समीक्षक पुस्तक के गुण और दोष विस्तार से बतायेगा और यदि कोई पुस्तक अस्वीकृत की जानी है तो अपना स्पष्ट मत लिखित रूप से व्यक्त करेगा।

(७) प्रत्येक समीक्षक उपयुक्त पुस्तकों को गुणागुण के क्रम में लगायेगा।

(८) एक समीक्षक को समीक्षा के लिये हाई स्कूल की १० तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की ८ से अधिक पुस्तकें नहीं दी जायेंगी। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा करने का पारिश्रमिक निम्नलिखित के अनुसार होगा :—

हाई स्कूल

३० रुपये, यदि पुस्तक में १०० पृष्ठ तक हैं।
४५ रुपये, यदि पुस्तक में १०१ से २०० पृष्ठ तक हैं।
६० रुपये, यदि पुस्तक में २०० पृष्ठ से अधिक हैं।

इंटरमीडिएट

४० रुपये, यदि पुस्तक १०० पृष्ठ तक है।
५५ रुपये, यदि पुस्तक में १०१ से २०० पृष्ठ तक हैं।
७५ रुपये, यदि पुस्तक में २०० पृष्ठ से अधिक हैं।

(९) प्रत्येक पुस्तक की तीन समीक्षकों की नामिका द्वारा समीक्षा की जायगी।

(१०) विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों के लिए लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित शुल्क, समीक्षा–शुल्क के रूप में दिया जायगा :

हाई स्कूल

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य–पुस्तक के लिए ३०० रुपए।
भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए २०० रुपए।
अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिए २०० रुपए।

इंटरमीडिएट

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य–पुस्तक के लिए ३५० रुपए।
भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए २५० रुपए।
अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिए २५० रुपए।

(११) निम्नलिखित दशाओं के अतिरिक्त जहां २० रुपए की कटौती के पश्चात् शुल्क की वापसी हो सकती है, प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा एक बार पुस्तकों की समीक्षा के लिए दिया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायगा :

(क) जहां ऐसे विषयों की पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा–शुल्क जमा कर दिया गया है जिनमें समीक्षा–शुल्क नहीं लगाया जाता है;

(ख) जहां प्रकाशकों तथा लेखकों ने निर्धारित समीक्षा-शुल्क से कम जमा किया है जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है ;

(ग) जहां ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा-शुल्क दे दिया गया है, जो आमंत्रित नहीं की गयी थीं ;

(घ) जहां समीक्षा-शुल्क जमा कर दिया गया है, परन्तु पुस्तकें परिषद् को नहीं प्रस्तुत की जा सकीं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्धारित समीक्षा-शुल्क से अधिक दे दिया गया है, अधिक धनराशि साधारणतः २० रुपए की कटौती के पश्चात् वापस कर दी जायगी ।

७—इस अध्याय के विनियमों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी परिषद् को किसी वर्ष की परीक्षा के लिए कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

८—एक समिति संबंधित विषय अथवा विषयों के सम्बन्ध में परीक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों से संबद्ध किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है ।

९—परिषद् की प्रार्थना पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें हो सकती हैं और किसी मामले पर, जिससे वे पृथकतः तथा संयुक्त रूप से सम्बन्धित हैं, संयुक्त आख्या दे सकती हैं ।

अध्याय छः

परीक्षा-समिति

१—परीक्षा समिति में परिषद् द्वारा निर्वाचित ६ सदस्य, परिषद् का सचिव तथा ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे, जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ ई० की धारा १३(३) के अन्तर्गत आमेलित किए जायं । परिषद् का सचिव उसका पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

२—परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन परीक्षा-समिति का निम्नांकित कर्त्तव्य होगा :—

(क) विनियमों के अनुरूप परीक्षाओं के आदेश देना और उनके लिए तिथियां निर्धारित करना ;

(ख) परीक्षकों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुतियों पर विचार करना तथा परिषद् की स्वीकृति के लिए परीक्षकों की सूचियां तैयार करना ;

(ग) पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुति पर परिमार्जकों की समितियां नियुक्त करना ;

(घ) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय तथा एक विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना ;

(ङ) अनुग्रहांक दिए जाने के नियम बनाना ;

(च) परीक्षा में प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन-पत्र के तथा सफल परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र निर्धारित करना;

(छ) परीक्षकों, अन्तरीक्षकों तथा अन्य के लिए पारिश्रमिक की दरें निर्धारित करना;

(ज) परीक्षा-केन्द्रों के स्थापित करने तथा तोड़ने के प्रस्ताव करना ;

(झ) मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षायें, यदि कोई हों, लिए जाने का ढंग निर्धारित करना;

(ञ) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए सारणीयक नियुक्त करना ;

(ट) परीक्षा–संचालन से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलों पर विचार करना तथा जहां आवश्यक हो परिषद् को संस्तुति करना;

(ठ) ऐसे मामलों पर विचार करना, जहां परीक्षार्थियों ने कोई सत्य छिपाया हो अथवा अपने आवेदन-पत्रों में झूठा वक्तव्य दिया हो अथवा परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिए नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन किया हो अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो अथवा परीक्षा में धोखा दिया हो (जिसमें प्रतिरूपण भी सम्मिलित है) अथवा जो नैतिक अपराध अथवा अनुशासनहीनता के अपराधी हों, और उन्हें शास्ति प्रदान करना, जो निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक हो सकती है :

(१) परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण ;

(२) परीक्षा का निरसन ;

(३) परीक्षा से निकाल देना ;

(४) उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण अथवा निरसन अथवा अनुवर्ती परीक्षाओं से, जिसमें परिषद् की उच्चतर परीक्षायें भी सम्मिलित हैं, निकाला जाना ;

(ड) परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित कराने की व्यवस्था करना ;

(ढ) उन परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों के मार्जन के लिए मार्जन-समिति नियुक्त करना जिन पर परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह अथवा आरोप है।

*(ण) परीक्षा भवन में चाकू अथवा अन्य कोई घातक हथियार लाने अथवा हिन्सा करने अथवा हिन्सा की धमकी देने अथवा अपशब्द का प्रयोग करते पाये जाने वाले परीक्षार्थियों को शेष परीक्षा से वंचित अथवा निष्कासित करने एवं विनियम २ (ठ) के अनुसार अन्य कार्यवाही करने के लिए केन्द्राध्यक्ष को अधिकृत करना।

---

*दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७/१२७०/पांच–८ (बोर्ड मई–जून, ७०), दिनांक २७ फरवरी, १९७१ द्वारा सम्मिलित हुआ।

ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करने के पूर्व केन्द्राध्यक्ष परिषद् द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार साक्ष्य आदि प्राप्त करने की औपचारिकता पूर्ण करेंगे।

३—परीक्षा-समिति व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना-पत्रों की छानबीन के लिए एक उपसमिति नियुक्त करेगी।

अध्याय छः—क

परीक्षाफल-समिति

१—परीक्षाफल-समिति में परिषद् के सभापति, परिषद् के सचिव तथा परिषद् द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य होंगे। परिषद् का सभापति उसका पदेन अध्यक्ष तथा सचिव उसका पदेन सचिव होगा।

२—परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन परीक्षाफल-समिति का कर्त्तव्य होगा कि—

(१) अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदंडों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफलों की संनिरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क कम करना।

(२) प्रश्न-पत्रों के विरुद्ध आरोपों की संनिरीक्षा करना जहां तक कि उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है।

(३) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न-पत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सकें।

(४) उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होंने गलत प्रश्न-पत्रों के उत्तर दिये हों।

(५) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पश्चात् प्रविष्टि की अनुमति दी गई है।

(६) किसी विशिष्ट परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गई विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करना।

(७) उन मामलों में निर्णय करना जहां कुछ पर्याप्त कारणोंवश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था।

(८) उन मामलों में निर्णय करना जहां प्रश्न-पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे।

(९) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना, जिनकी उत्तर-पुस्तकें खो गई हैं।

(१०) ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना जो परिषद् उसे समय-समय पर प्रतिनिहित कर दे।

यदि परीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों अथवा अन्य परीक्षकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी है तो वह परीक्षाफल-समिति की संस्तुतियों के साथ परीक्षा-समिति के पास विचारार्थ भेजी जायेगी।

अध्याय सात

परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता

१—मान्यता—समिति में सात सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम पांच परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से एक सभापति/शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों में से मनोनीत किया जायगा।

स्पष्टीकरण—सभापति / शिक्षा निदेशक को भिन्न-भिन्न बैठकों के लिये विभिन्न व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार होगा परन्तु इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति उप-शिक्षा निदेशक के पद से नीचे का नहीं होगा।

२—उसका कर्त्तव्य होगा कि निम्नांकित के लिये आवेदन-पत्र की संनिरीक्षा करे—

(क) संस्थाओं की मान्यता,

(ख) अध्यापकों को न्यूनतम योग्यता से छूट, तथा

(ग) मान्यता के लिये अन्य आवश्यक सूचना मांगना तथा उसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो परिषद् द्वारा उसे प्रतिनिहित कर दिये जायं।

३—परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा के लिये मान्यता के हेतु इच्छुक संस्था का, निर्धारित प्रपत्र पर, आवेदन-पत्र सचिव के पास उस वर्ष की ३१ अगस्त तक अवश्य पहुंच जाना चाहिये, जिसके पूर्व कि उसकी कक्षायें खोलने का प्रस्ताव हो। आवेदन-पत्र की दो प्रतियां सीधे बालकों की संस्थाओं के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा बालिकाओं की संस्थाओं के सम्बन्ध में मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को भेजी जानी चाहिये।

प्रतिबन्ध यह है कि ३१ अगस्त के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र प्रति माह अथवा उसके अंश पर १०० रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार कर लिये जायेंगे, परन्तु ३० नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी दशा में नहीं स्वीकार किये जायेंगे।

टिप्पणी—राज्य शासन द्वारा संचालित संस्थायें विलम्ब शुल्क देने से मुक्त रहेंगी। *साथ ही प्राप्त विलम्ब शुल्क जिन संस्थाओं से देय नहीं है, प्रार्थना करने पर वह उन्हें वापस किया जा सकता है।

---

*दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७/१२७०/पांच—८ (बोर्ड मई-जून, ७०) दिनांक २७ फरवरी, १९७१ द्वारा सम्मिलित हुआ।

३–क––(१) किसी जूनियर हाई स्कल के हाई स्कूल के रूप में मान्यता दिये जाने के आवेदन–पत्र पर उस समय तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि विभाग द्वारा उसे जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त न हुई हो तथा उसके प्रशासन की प्रस्तावित हाई स्कूल की योजना यथाविधि शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत न कर दी गयी हो।

(२) किसी जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कल के रूप में मान्यता नहीं दी जायगी यदि उसके प्रशासन की प्रस्तावित हाई स्कूल की योजना विभाग द्वारा स्वीकृत न की गयी हो।

४––मान्यता हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर (बालकों की संस्थाओं के सम्बन्ध में) विद्यालय निरीक्षक, जिसके अधिकार–क्षेत्र में संस्था है, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह उचित समझता है, मंडलीय उप–शिक्षा निदेशक द्वारा सचिव के पास संस्था के मान्यता–हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या तथा संस्तुति भेजेगा।

बालिकाओं की संस्थाओं के सम्बन्ध में यह कार्यवाही सम्बन्धित मंडलीय निरीक्षिका द्वारा की जायगी तथा उसकी आख्या और संस्तुति सीधे सचिव को प्रस्तुत की जायगी।

किसी इंटरमीडिएट कालेज के संबंध में शिक्षा निदेशक स्थानीय जांच तथा आख्या के लिये निरीक्षक/निरीक्षिका के साथ एक अथवा अधिक व्यक्तियों को सहयुक्त कर सकते हैं जो परिषद् द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की सूची में से चुने जायेंगे। ऐसे व्यक्ति साधारणतः उत्तर प्रदेश में वास्तविक रूप से शिक्षण में लगे हुए व्यक्ति होंगे। मान्यता-समिति की आख्या शिक्षा निदेशक द्वारा प्रस्तुत की जायगी जो उसमें अपनी टीका तथा संस्तुतियां, यदि कोई हों, तो जोड़ देंगे।

५––मान्यता के लिये आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से रहेंगे, जिन पर निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या एवं संस्तुति देंगे:––

(क) क्या उस स्थान में संस्था के लिये वास्तविक आवश्यकता है;

(ख) प्रबन्ध निकाय का संविधान, यदि कोई हो;

(ग) प्रबन्धक-मंत्री अथवा पत्र-व्यवहार करने वाले का नाम, जैसी स्थिति हो;

(घ) अध्यापकों की योग्यतायें तथा उनके वेतन की दरें;

(ङ) परीक्षा अथवा परीक्षाएं जिसके लिये मान्यता अपेक्षित है;

(च) शिक्षण के विषय अथवा विषयों के नाम, संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है;

(छ) कक्षाओं तथा छात्रालयों में स्थान की व्यवस्था;

(ज) छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और अनुशासन तथा क्रीड़ा–क्षेत्र की व्यवस्था;

(झ) संस्था की वित्तीय स्थिति तथा आय के स्रोत एवं धनराशि;

(ङ) लिये जाने वाले शुल्क की दर तथा निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिये प्राविधान यदि कोई हो ;

(ट) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खंड में छात्रों की संख्या ;

(ठ) साज-सज्जा तथा उपस्कर का विवरण ;

(ड) पर्याप्त पुस्तकालय का प्राविधान।

६—कोई अन्य सूचना जो परिषद् आवेदन-पत्र के संबंध में मांगे, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करेगी।

७—निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करते समय यह उल्लेख करेगा कि उसके विचार से मान्यता दी जाय अथवा नहीं तथा किन विषयों में और किन शर्तों पर दी जाय।

८—प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्था निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगी—

(क) वह हाई स्कूल के संबंध में विभाग के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा तथा इंटरमीडिएट कालेज के संबंध में विभाग के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निदेशक औपचारिक निरीक्षण के लिये विनियम चार में उल्लिखित सूची में से एक अथवा अधिक व्यक्तियों को सहयुक्त कर सकता है, निरीक्षण कराने को तैयार रहेगी।

(ख) समस्त सूचना तथा परिलेख, जो विभाग अथवा परिषद् द्वारा मांगे जायेंगे यथाविधि प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) वह शिक्षा संहिता के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर लागू होते हैं तथा अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं है तथा विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार कार्य करेगी।

(घ) एक संस्था का संदान (एन्डाउमेन्ट) निम्न रूपों में हो सकता है :

(१) नकद (फिक्स्ड डिपाजिट) अथवा दसवर्षीय सुरक्षा जमा प्रमाण-पत्र अथवा दसवर्षीय ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र अथवा इसी प्रकार के अन्य रूपों में जिनमें ब्याज वास्तव में प्रतिवर्ष दिया जाता है और कई वर्षों के लिये एकत्र नहीं होने दिया जाता है। अथवा (२) अचल सम्पत्ति के रूप में जिसमें पर्याप्त आय होती हो। संदान की वार्षिक आय पर उपार्जित ब्याज संस्था का पोषण-कोष में प्रबन्ध द्वारा नियमित रूप से जमा किया जायगा। संदान संस्था के नाम में और समस्त भारों से मुक्त होना चाहिये। यदि नकद अथवा ऊपर के (१) में वर्णित रूपों में हो तो संदान संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका के पद के नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) किया जाना चाहिये। अचल सम्पत्ति के संबंध में प्रबन्धक अथवा अन्य प्राधिकारी की, जो संस्था की ओर से

सम्पत्ति को बेचने में सक्षम हो, सम्पत्ति का इकरारनामा निरीक्षक/निरीक्षिका के पक्ष में यह प्रण करते हुए करना होगा कि कथित सम्पत्ति प्राधिकारी की बिना लिखित आज्ञा के स्थानान्तरित अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं की जायगी और इसी आशय का शपथ-पत्र से भी लेना होगा।

टिप्पणी—इन संस्थाओं को जिनका संदान जमींदारी उन्मूलन बांडों के रूप में हैं, इस संशोधित विनियम के प्रारम्भ होने से पांच-पांच वर्ष का समय दिया जायगा जिससे अब स्वीकृत रूपों में से किसी में धर्मस्व को पूरा कर दें।

(झ) संस्था का आरक्षित कोष नकद अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में रहेगा तथा निरीक्षक अथवा निरीक्षिका के पद नाम से प्रतिश्रुति कर दिया जायगा।

(च) वह किसी प्रतिद्वंदी परीक्षा (हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी, जब कि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाती है। यह शर्त मान्यताप्राप्त आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के संबंध में कैम्ब्रिज स्कूल सार्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होती।

(छ) वह छात्र लय-वासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं देख-भाल की तथा अपने परिसर की सफाई की सामान्यतः उचित व्यवस्था करेगी;

(ज) वह परिषद् की परीक्षाओं के संचालन के लिये परिषद्/विभाग द्वारा मांगे जाने पर अपने शिक्षक वर्ग, भवन एवं उपस्कर आदि की परिषद् के अधीन प्रस्तुत कर देगी;

(झ) बालिकायें, बालकों की संस्थाओं में निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं प्रविष्ट की जायंगी;

(ञ) वह बिना निरीक्षक/निरीक्षिका की अनुमति के कक्षायें विद्यालय सीमा के बाहर नहीं लगायेंगी;

(ट) वह किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षा नहीं खोलेगी जब तक कि परिषद् से मान्यता न प्राप्त हो जाय।

९—यदि परिषद् संतुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता की सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाली सूची में प्रविष्ट कर ले तथा सचिव संस्था और सम्बन्धित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तों पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे *मान्यता प्राप्त हुई है।

---

*पाद टिप्पणी—मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायगी जिस तिथि से जिला विद्यालय निरीक्षक लिखित रूप में कक्षा खोलने की अनुमति देते हैं।

उपबन्ध यह है कि परिषद् साधारणतः उस सस्था को अपनी परीक्षाओं के लिए मान्यता देने से मना कर देगी जहां निदेशक ने अपनी संस्तुतियां रोक दी हों।

१०—जहां कोई संस्था उन विषयों में वृद्धि करना चाहती है जिनमें मान्यता प्रदान की जा चुकी है, पहले के विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का यथासंभव पालन किया जाय।

११—(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा १६—घ के खण्ड , उपधारा (३) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद् को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिये विचारार्थ भेजता है, तो परिषद्, विभाग के द्वारा प्रबन्ध का कारण बताने को कहेगी कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम ११ (क) के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रबन्ध के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् परिषद् या तो उस संस्था का नाम मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट देगी अथवा सचिव को निदेशक के द्वारा उस संस्था के प्रबन्ध को चेतावनी देने का आदेश देगी कि जब तक परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को दूर नहीं करती है, उसका नाम मान्यताप्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट दिया जायगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी ।

(ग) यदि ऊपर के विनियम ११ (ख) के अनुसार परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर अथवा इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो उसके द्वारा दिया जाय, संस्था विभाग के द्वारा अनुपालन की आख्या देने में तथा परिषद् को यह आश्वस्त करने में कि वह यथा वांछित हो रही है, असमर्थ होती है, तो परिषद् उसका नाम मान्यताप्राप्त संस्थाओं की सूची से काट देगी अथवा एक अथवा अन्य वैकल्पिक विषयों में उसकी मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगी।

१२—परिषद्, निदेशक की संस्तुति पर, किसी अनुवर्ती तिथि पर किसी संस्था को मान्यताप्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों/परीक्षार्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

१३—इन विनियमों में जो कुछ है, उसके होते हुए भी मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान वैकल्पिक विषयों में, उन्हें छोड़कर जिनमें परिषद् ने पहले से हाई स्कूल परीक्षा के लिए कक्षा ९ और १० में सीमा निर्धारित कर दी है, दूसरी मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रविष्ट कर सकते हैं जिनमें वे वैकल्पिक विषय नहीं पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानों द्वारा कक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन नियत की जायगी।

मान्यता की शर्तें

[परिषद् द्वारा निर्धारित]

परिषद् ने निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की हैं जिनका मान्यता समिति द्वारा दृढ़ता से पालन होना चाहिए तथा मान्यता के लिए आने वाले प्रत्येक मामले

में, जिन्हें कठोरता के साथ लागू होना चाहिये। साधारणतः परिषद् को इनमें से किसी भी शर्त से मुक्ति देना संभव न होना चाहिये। बालिकाओं की संस्थाओं तथा पर्वतीय एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की संस्थाओं के संबंध में विशेष मामलों के अनुरूप शर्तें शिथिल की जा सकती हैं—

१—(क) एक ऐसी संस्था के मान्यता दिये जाने के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायगा, जिसमें अनधिकृत अथवा अमान्य कक्षाएं चल रही हों।

(ख) आवेदन-पत्र देने के पश्चात् मान्यता की शर्तों की पूर्ति जैसे भवन, साज-सज्जा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षक वर्ग इत्यादि के संबंध में हुई प्रगति सचिव को अधिकतम ३१ दिसम्बर तक निरीक्षक/अधिकारी के द्वारा प्रेषित करनी चाहिये तथा उसकी अग्रिम प्रति सचिव को भेजनी चाहिये।

२—(क) स्थान—प्रत्येक संस्था में भवन-स्थान इस प्रकार होना चाहिये—

(१) प्रति खण्ड एक कमरा, प्रत्येक छात्र के लिये १२ वर्ग फुट के हिसाब से हो, कक्षा ६ से ८ के प्रत्येक खंड में छात्रों की अधिकतम संख्या ३५, कक्षा ९ और १० के प्रत्येक खंड में ४५ तथा कक्षा ११ और १२ के प्रत्येक खंड में ५५ हैं।

(२) प्रधानाध्यापक और आचार्य के लिये एक कार्यालय, लिपिकों के लिये कमरा, अध्यापक-कक्ष, पुस्तकालय और वाचनालय।

(३) कला, भाषा जैसे विषयों तथा इतिहास और भूगोल आदि जैसे अन्य वैकल्पिक विषयों के लिये अलग कमरे।

(ख) प्रत्येक हाई स्कूल में कम से कम एक पूरे आकार का फुटबाल का क्रीड़ा-क्षेत्र तथा छोटे बालकों के क्रीड़ा-क्षेत्र के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। क्रीड़ा-क्षेत्र विद्यालय से दूर हो सकते हैं, प्रतिबन्ध यह है कि वे एक स्वस्थ स्थान में हों। सन्दान सम्बन्धी शर्तें ऐसी संस्थाओं के गुणावगुण के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकती हैं, जिन्हें अधिनियम प्रारम्भ होने से पूर्व मान्यताप्राप्त हो गई थी और जिनके पास उस समय पर्याप्त सन्दान नहीं था (दिनांक ४-५ जुलाई, १९६३ के परिषद् के अनुच्छेद १२ के अनुसार)।

यदि विद्यालय में कोई हाल या पर्याप्त रूप से बड़ा कमरा नहीं है तो शरीर शिक्षा के लिए एक ढकी हुई व्यायामशाला का प्राविधान होना चाहिए। जिन विद्यालयों में दोहरे खण्ड हों उनमें क्रीड़ा-क्षेत्र स्थान दोगुना होना चाहिए। इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त पूर्ण आकार का क्रीड़ा-क्षेत्र होना चाहिए।

(ग) अध्यापक वर्ग तथा छात्रों के लिए अलग-अलग पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) प्रयोगात्मक विज्ञान की किसी शाखा में तथा अन्य विषयों में जिनमें क्रियात्मक कार्य होता है, मान्यता हेतु परिषद् को यह आश्वस्त कराना आवश्यक है कि:—

(१) उपयुक्त तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए पृथक् प्रयोगशालाएं अथवा कार्यालय का प्राविधान है उनमें से प्रत्येक परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं की साज-सज्जा से युक्त हैं;

(२) क्रियात्मक कार्य में एक अकेले अध्यापक को अभ्यर्पित छात्रों की संख्या एक समय में २० से अधिक नहीं है।

३—(क) वित्त-प्रबन्ध के लिये हाई स्कूल के लिये १५,००० रुपये के तथा इन्टरमीडिएट कालेज के लिये ५,००० रुपये के अतिरिक्त सन्दान का प्राविधान करना आवश्यक होगा, जिससे कि कम से कम क्रमशः ४५० रुपये अथवा ६०० रुपये वार्षिक की आय हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल तथा बालिकाओं के हाई स्कूल के संबंध में भी १०,००० रुपये के संदान का, जिससे कम से कम ३०० रुपये वार्षिक की आय हो, प्राविधान किया जाय। जब ऐसा हाई स्कूल इन्टरमीडियेट कालेज हो जाय तो ५,००० रुपये के अतिरिक्त संदान, जिससे १५० रुपये वार्षिक की अतिरिक्त आय हो, आवश्यक होगा।

संदान या तो नकद अथवा राजकीय प्रतिभूति अथवा जमींदारी-उन्मूलन बाण्ड अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में हो सकता है। विद्यालय-भवन, क्रीड़ा-क्षेत्र, फार्म तथा अन्य साज-सज्जा संदान में संगणित नहीं किये जायंगे। यदि संदान अचल सम्पत्ति के रूप में है तो संस्था के प्रबन्धक अथवा अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा यह शपथ-पत्र कि संपत्ति किसी झगड़े अथवा भार से मुक्त है तथा उससे घोषित आय होती है और इसी संबंध में संबंधित परगनाधिकारी का प्रमाण-पत्र मान्यता के प्रार्थना-पत्र के साथ आना चाहिये।

विनियम ८ (घ) की आवश्यकताओं का कठोरता से अनुपालन होना चाहिए तथा निम्नलिखित लेख-पत्र मान्यता के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रथित किये जाने चाहिये :—

(१) संबंधित व्यक्ति द्वारा निरीक्षक/निरीक्षिका के नाम में यह वचन देते हुये अनुबन्ध-पत्र कि धनराशि अथवा सम्पत्ति (जमींदारी उन्मूलन बाण्ड अथवा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में) प्रत्याहरित नहीं की जायगी अथवा उपर्युक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार स्थानान्तरित नहीं की जायगी।

(२) इसी संबंध में और उसी व्यक्ति द्वारा और उपर्युक्त (१) में कथित उस प्राधिकारी के नाम में शपथ-पत्र।

(३) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि धनराशि नकद या राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टीफिकेट के रूप में निरीक्षक/निरीक्षिका के पद-नाम से प्रतिभूत की गयी है।

(ख) प्रबन्ध के लिये हाई स्कूल के लिये ३,००० रुपये की तथा इण्टरमीडिएट कालेज के लिये २,००० रु० की अतिरिक्त आरक्षित निधि का नकद अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टीफिकेट के रूप में संस्था के नाम में संबंधित निरीक्षण प्राधिकारी को प्रतिभूत प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

राज्य अथवा केन्द्र सरकार, कैन्टनमेंट बोर्ड अथवा सैन्य विभाग की आर्डिनेन्स फैक्टरी अथवा स्थानीय निकायों (जैसे नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला बोर्ड, अब जिला परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र) द्वारा संचालित संस्थाओं को संदान तथा आरक्षित निधि की शर्तों की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी फिर भी एक प्रस्ताव, जिसमें समर्थ प्राधिकारी की संस्था के संचालक की स्वीकृति हो तथा आवर्तक एवं अनावर्तक व्ययों के लिए वांछित प्रावधान हो, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दिया जाना चाहिये।

(ग) हाई स्कूल के लिए पुस्तकालय में कम से कम १,५०० रुपये मूल्य की पुस्तकें होनी चाहिये। इसके साथ प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिये दो वर्षों में २०० रुपये की पुस्तकों का प्रावधान किया जाना चाहिये। जब कोई हाई स्कूल इन्टरमीडिएट कालेज बनाया जाय तो २,००० रुपये की अतिरिक्त पुस्तकों का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इन्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिये दो वर्षों में ५०० रुपये की पुस्तकों का प्रावधान किया जाना चाहिये।

४—अध्यापक वर्ग—(क) एक योग्यताप्राप्त आचार्य।

(ख) मान्यताप्राप्त समस्त विषयों, जिनमें शारीरिक व्यायाम भी है, के लिये योग्यताप्राप्त अध्यापक।

(ग) अध्यापक वर्ग की संख्या इस प्रकार हो कि साधारणतः किसी अध्यापक को प्रति सप्ताह ४२ कार्य के घंटों में ३० से अधिक में अध्यापन कार्य न करना पड़े।

(घ) एक हाई स्कूल में एक लिपिक तथा इन्टरमीडिएट कालेज में पुस्तकालयाध्यक्ष सहित तीन लिपिक तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक की स्वीकृति से अतिरिक्त लिपिक।

अध्याय आठ

वित्त-समिति

१—परिषद् के वित्त सम्बन्धी सभी मामलों में वित्त समिति परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी।

२—उसमें निम्नलिखित रहेंगे :—

(क) उप शिक्षा निदेशक (वित्त), पदेन संयोजक,

(ख) किसी इन्टरमीडिएट कालेज, जो शासन द्वारा संचालित न हो, का आचार्य, जो परिषद् का सदस्य हो,

(ग) विधान मण्डल का एक सदस्य, जो परिषद् का सदस्य हो,

(घ) परिषद् द्वारा निर्वाचित चार अन्य सदस्य ।

३—परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वित्त-समिति के समक्ष रखा जायगा ।

४—वित्त-समिति परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के संबंध में बजट में सम्मिलित की जाने वाली प्रस्तावित नयी मांग की अनुसूचियों को भी देखेगी और परिषद् के विचारार्थ अपने विचार प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय नौ

पाठ्यचर्या-समिति

१—परिषद् द्वारा पाठ्यचर्या-समिति के लिये नियुक्त सदस्यों की संख्या पन्द्रह होगी, जिनमें से कम से कम बारह विभिन्न पाठ्य-क्रम समितियों के सदस्य होंगे ।

२—पाठ्यचर्या-समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे : —

(अ) परिषद् की प्रत्येक परीक्षा के लिये अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना,

(आ) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट सोपानों के पाठ्य-क्रमों के स्तरों को सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना,

(इ) इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक पाठ्य-क्रम दोनों ही की ओर उन्मुख पाठ्यचर्या की संस्तुति,

(ई) नय विषयों के प्रवेश तथा चालू विषयों को निकालने के प्रस्तावों पर विचार करना,

(उ) विषयों के समूह बनाने तथा एक समूह को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना,

(ऊ) विलोपित,

(ए) संबंधित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियां प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न-पत्रों की संख्या निर्धारित करना,

(ऐ) संबंधित पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुतियां प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षणों के पृष्ठों की सीमा संस्तुत करना,

(ओ) अध्ययन के पाठ्यक्रम के संबंध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुतियों पर विचार करना ।

अध्याय दस

सहायक अनुदान

१—किसी संस्था को, जब तक कि उसे परिषद् से मान्यताप्राप्त न हो, कोई सहायक अनुदान संस्तुत नहीं किया जायगा।

२—सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था, जब तक कि उसे शासन से विशेष रूप से छूट न मिली हो, प्राप्ति से एक मास के भीतर न वितरित हुए समस्त सरकारी अनुदान को प्रेसीडेन्सी अथवा डाकखाने के बचत बैंक में जमा कर देगी।

३—यदि कोई संस्था विभाग द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी किसी ऐसे अध्यापक को बनाये रखती है जो शासन के प्राधिकार को नष्ट करने वाली राजनीतिक हलचल में सक्रिय भाग लेता है, तो उसका अनुदान रोका जा सकता है।

४—सहायक अनुदान के सम्बन्ध में शिक्षा संहिता, उत्तर प्रदेश के प्रतिबन्ध परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त संस्थाओं पर लागू होंगे, जहां तक कि वे इन विनियमों से असंबद्ध न हों।

अध्याय ग्यारह

छात्रों का निवास

१—जहां आवास उपलब्ध है, मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था का प्रत्येक छात्र उसके द्वारा व्यवस्थित छात्रावास में अथवा संस्था के प्रधान द्वारा मान्यताप्राप्त छात्रावास में अथवा माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ निवास करेगा।

२—जहां किसी मान्यताप्राप्त छात्रावास में आवास उपलब्ध नहीं है, संस्था का प्रधान किसी छात्र अथवा छात्रों को वासगृहों में, जो उनके व्यवस्थापकों द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के छात्रों के लिए आरक्षित हों, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निवास करने की अनुमति दे सकता है :

(क) कि वासगृहों का सम्बन्धित संस्था के प्रधान अथवा उस कार्य के लिए नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, तथा

(ख) कि व्यवस्थापक छात्रों की देखभाल के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था अथवा संस्थाओं के प्रधान अथवा प्रधानों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुकूल चलने को तैयार है।

अध्याय बारह

परीक्षाएं

सामान्य विनियम

१—परिषद् निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करेगी :—

(क) हाई स्कूल परीक्षा,

(ख) इंटरमीडिएट परीक्षा,

(ग) हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा, तथा

(घ) इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा।

२—परिषद् की परीक्षायें ऐसे केन्द्रों पर तथा उन तिथियों पर तथा ऐसे समय पर होंगी जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करेगी।

३—परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः मौखिक अथवा क्रियात्मक तथा अंशतः लिखित होंगे। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा-समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जायेंगे। लिखित परीक्षण प्रश्न-पत्रों द्वारा होंगे तथा प्रश्न-पत्र प्रत्येक केन्द्र पर, जहां परीक्षा हो रही है, एक साथ दिये जायेंगे।

३-क—परिषद् द्वारा संचालित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा परीक्षार्थी को उस समय तक नहीं दिया जायगा जब तक कि वह उक्त परीक्षा के लिये उससे संबंधित विनियमों के अनुसार प्रत्येक विषय में योग्यता न प्राप्त कर ले।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश पाने के पश्चात् अपात्र समझा जायगा/जायगी तो उसकी अभ्यर्थिता/परीक्षा रद्द कर दी जायगी और/या उसका परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र भी वापस ले लिया जायगा/रद्द कर दिया जायगा।

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये नियम

४—(१) परिषद् द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी को अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष के ३१ अगस्त तक :

(क) परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क दे देना चाहिये; तथा

(ख) विषय अथवा विषयों को व्यक्त कर देना चाहिये, जो वह परीक्षा के लिये ले रहा/रही है।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से अपने अभिभावकों के स्थानान्तरण के कारण वर्ष के १५ अगस्त के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों

के संबंध में परिषद् की परीक्षाओं में संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रवेश पाने की अन्तिम तिथि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व ३१ दिसम्बर होगी।

(२) संस्था का प्रधान सचिव को यह दिखाते हुए निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भेजेगा :—

(१) कि संस्था में बालक/बालिका का प्रवेश शिक्षा संहिता के नियमों तथा परिषद् के विनियमों के अनुसार है ;

(२) कि उसने एक मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण किया है ;

(३) कि उसने पाठ्य-विवरण में निर्धारित प्रयोग वास्तविक रूप से की है (केवल उन छात्रों के लिये, जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में विज्ञान अथवा जीव विज्ञान विषय लिया है)।

उपस्थिति तथा मीटिंगों की संख्या

५—(१) मान्यताप्राप्त संस्था प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम २२० कार्य दिवसों में खुली रहेंगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं।

(२) मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिये कोई छात्र न भेजा जायगा जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में, जिन दिनों में संस्था खुली हो, ७५ प्रतिशत दिनों में उपस्थित न रहा हो।

पुनश्च—आंग्ल-भारतीय विद्यालयों से आने वाले छात्रों के संबंध में ७५ प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा से पूर्व के वर्ष की प्रथम जनवरी से परिगणित की जायगी।

(३) मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा कोई भी छात्र इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिये प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में प्रत्येक विषय में, जिसमें उसकी परीक्षा होनी है, दिये जाने वाले व्याख्यानों में से (जिसमें क्रियात्मक कार्य, यदि कोई हो, के घंटे भी सम्मिलित हैं) कम से कम ७५ प्रतिशत में सम्मिलित न हुआ हो।

कृषि वर्ग के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के संबंध में उपस्थिति का प्रतिशत भाग १ तथा २ के लिये अलग-अलग परिगणित किया जायगा।

(४) परिगणन के लिये एक घंटे के व्याख्यान को एक व्याख्यान, दो घंटे के व्याख्यान को दो व्याख्यान और इसी प्रकार परिगणित किया जायगा। क्रियात्मक कार्य में लगा एक घंटा एक व्याख्यान के रूप में परिगणित होगा। घंटे का तात्पर्य स्कूल अथवा कालेज के समय-चक्र में शिक्षण के घंटे से है।

(५) ऊपर के खन्ड (२) और (३) में संदर्भित दो शैक्षिक वर्षों का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है। यह संस्थाओं के प्रधानों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है कि वे उन छात्रों की उपस्थिति, जिन्होंने कक्षा ९ अथवा ११ में एक से अधिक वर्ष पढ़ा है, कक्षा १० अथवा १२ की उपस्थिति के साथ किसी एक वर्ष की उपस्थिति को परिगणित कर लें। उन छात्रों को, जिन्हें एन० सी० सी०, पी० एस० डी० अथवा प्रादेशिक सेना के शिविर अथवा क्रीड़ा दल, बालचर रैलियां अथवा सेन्ट जान एम्बुलेन्स शिविर और प्रतियोगितायें अथवा ग्रामों में कृषि विस्तार सेवा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण में जाने की अनुमति दी जाती है, कक्षा में उपस्थिति के लिये वांछित लाभ दिया जायगा।

[पुनश्च—(१) इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा में उपस्थिति का समस्त लाभ उपस्थिति अथवा व्याख्यान-पंजिका में इस संबंध की टिप्पणी सहित दिखाना चाहिये। इस प्रकार के लाभ के समस्त लेखे भलीभांति रखे जाने चाहिये।

(२) चुने हुए छात्रों के वर्ग के लिये तथा पूरी कक्षा के लिये नहीं लगाई गयी विशेष कक्षा की उपस्थिति के लाभ की अनुमति न होगी।]

(६) परिषद् की हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा निरुद्ध छात्रों के संबंध में केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायगा। उस शैक्षिक वर्ष की उपस्थिति, जिसके अन्त में छात्र परीक्षा में बैठना चाहता है, परिगणित की जायगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन छात्रों की दशा में, जिन्होंने परिषद् की हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन न किया हो, परन्तु जिनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हो अथवा प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, दो शैक्षिक वर्षों का प्रतिशत परिगणित किया जायगा।

'निरुद्ध' का तात्पर्य किसी भी कारण से हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में रोके जाने से है।

(७) छात्र द्वारा इस परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यताप्राप्त परीक्षा की तैयारी में अर्जित उपस्थिति हाई स्कूल परीक्षा के लिये उपस्थिति के प्रतिशत की गणना में परिगणित कर ली जायगी।

(८) हाई स्कूल परीक्षा में अंकों की संनिरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्र के संबंध में प्रथम शैक्षिक वर्ष संनिरीक्षा का परिणाम सूचित किये जाने के दस दिन पश्चात् प्रारम्भ हुआ समझा जायगा।

*(९) निम्नांकित प्रकार के परीक्षार्थियों की उपस्थिति की गणना पूरक परीक्षाफल घोषित होने के दसवें दिन से होगी :—

---

*१७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७–७०७/पांच—८–(अगस्त, १९६९), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा संशोधित।

(क) ऐसे छात्र, जो इस परिषद् की पूरक परीक्षा या उसके समकक्ष की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर उसी वर्ष इस परिषद् को मान्यताप्राप्त संस्था की ग्यारहवीं/दसवीं या बारहवीं कक्षा में प्रवेश लें।

(ख) ऐसे छात्र, जो त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पूर्ववर्ती हायर सेकेन्डरी परीक्षा आदि के तुरन्त बाद संचालित होने वाली पूरक परीक्षा उत्तीर्ण कर कक्षा बारह में प्रवेश लें, बशर्ते कि पूरक परीक्षा के संबंधित शैक्षिक-सत्र जुलाई से जून तक का हो।

टिप्पणी—इस परिषद् अथवा अन्य किसी समकक्ष परीक्षा निकाय के रुके हुए परीक्षा-फल के घोषित होने के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्था के कक्षा ग्यारह में प्रवेश लेने वाले छात्र की उपस्थिति की गणना भी परीक्षा-फल घोषित होने के दसवें दिन से होगी।

(१०) कोई छात्र, जो विनियम ४, अध्याय चौदह में उल्लिखित किसी संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा संबद्ध कालेज में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज में प्रविष्ट हो सकता है और उस कालेज में उसकी उपस्थिति के व्याख्यान इन्टरमीडिएट परीक्षा में वांछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिये परिगणित कर लिये जायेंगे।

(११) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधानों को नितान्त असंतोषजनक कार्य करने वालों को छोड़कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है। जिन्होंने परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तों को पूरा कर लिया है, प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा की पूरी संख्या के १० प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान छात्रों को रोकने के अधिकार का प्रयोग लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते हैं और उनके इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी। मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान सचिव को एक बार स्थिति की सूचना देने के पश्चात् अपने निर्णय को संशोधित नहीं करेंगे।

(१२) ऊपर के खन्ड (११) में सम्मिलित शर्तों के होते हुए भी मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के प्रधान ऐसे छात्रों को परिषद् की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं, जो शरीर शिक्षा, एन० सी० सी० अथवा पी० एस० डी० के लिए दिए हुए समस्त सामान तथा वर्दियां नहीं लौटाते हैं अथवा उनके खो जाने पर परिषद् की परीक्षा से पूर्व १५ फरवरी तक उनका मूल्य नहीं दे देते हैं।

(१३) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायगा। किसी मान्यताप्राप्त संस्था का प्रधान उपस्थिति की कमी का मर्षण अधिकतम :

(क) हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थी के लिए १० दिन का और (ख) इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी के लिए प्रत्येक विषय में दिए गए

१० व्याख्यान (क्रियात्मक कार्य के घंटों सहित, यदि हों) कर सकता है। ऐसे समस्त मामलों की सूचना, जिनमें इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा निदेशक को परिषद् के अध्यक्ष के रूप में दी जायगी।

तथापि उन परीक्षार्थियों के संबंध में, जिनकी केवल एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है, मर्षण की यह सीमा केवल आधी अर्थात् पांच दिन अथवा पांच व्याख्यान, जैसी स्थिति हो, रह जायगी।

पुनश्च—(क) ७५ प्रतिशत दिन अथवा व्याख्यान, जिनमें एक परीक्षार्थी को उपस्थित रहना है अथवा (ख) उसकी उपस्थिति में कमी परिगणित करने में एक दिन अथवा व्याख्यान की भिन्न पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

विषय परिवर्तन

६—मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान कक्षा ९ अथवा ११ में एक ही वर्ग में अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय में दो वर्ष का होने के कारण कक्षा १० अथवा १२ में एक ही वर्ग में विषय अथवा विषयों के अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग के परिवर्तन की साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती है, परन्तु विशेष स्थितियों में, मुख्यरूप से अनुत्तीर्ण अथवा रोके गए परीक्षार्थियों के संबंध में परिवर्तन की आज्ञा दी जा सकती है और ऐसे मामलों की सूचना परिषद् को कारणों सहित दी जानी जानी चाहिए। एक से अधिक विषय परिवर्तित करने की आज्ञा बहुत ही कम दी जानी चाहिए। परीक्षार्थी के एक विषय की उपस्थिति, जिसे वह बाद में संस्था के प्रधान की अनुमति से परिवर्तित करता है, नए विषय की उपस्थिति के साथ नए विषय में उसकी उपस्थिति का प्रतिशत परिगणित करने के लिए परिगणित की जायगी। परीक्षा में बैठने का आवेदन-पत्र सचिव के पास अग्रसारित होने के पश्चात् विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायगी।

छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति

७—कोई छात्र, जिसने कभी किसी मान्यताप्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी है अथवा जिसने कक्षा १० में प्रोन्नत होने से पूर्व मान्यताप्राप्त संस्था को छोड़ दिया, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा १० में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार कोई छात्र, जिसने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन नहीं किया अथवा कक्षा १२ में प्रोन्नत होने से पूर्व, जिसने मान्यताप्राप्त संस्था को छोड़ दिया, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा १२ में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

७—क—मान्यताप्राप्त संस्था के प्रधान का छात्रों को कक्षा ९ से १० में अथवा कक्षा ११ से १२ में प्रोन्नत करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष में जून के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी

प्रवेश का नियम

८—व्यक्तिगत परीक्षार्थी अर्थात् परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था में निर्धारित और अपेक्षित उपस्थिति के बिना परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों पर परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे :—

(१) कोई छात्र, जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहता है, आगामी परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व १ सितम्बर तक एक आवेदन-पत्र परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क सहित उस संस्था के प्रधान द्वारा, जो परीक्षा का केन्द्र है या जहां से वह परीक्षा देना चाहता है, सचिव के पास प्रेषित करेगा। आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षार्थी द्वारा विधिवत् भरा जाना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा लिए जाने वाले विषयों का स्पष्ट उल्लेख हो और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विनियम १, अध्याय चौदह में वर्णित अथवा हाई स्कूल परीक्षा के लिए विनियम १० (१) (अ) (एक), अध्याय बारह में वर्णित किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि तथा परीक्षार्थी की अन्तिम संस्था, यदि कोई हो, द्वारा दी गयी छात्रपंजी की मूल प्रति के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए ।

उन संस्थाओं के प्रधान, जो परिषद् की परीक्षाओं के केन्द्र हैं, ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र, जो पात्र हैं, सीधे सचिव के पास उनकी नामावली तथा सचिव द्वारा निदेशित प्रणाली में तैयार संख्यात्मक परिलेखों सहित, निर्धारित तिथि पर अग्रसारित करेंगे ।

अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थी, जो कहीं सेवा में हैं, अग्रसारित करने वाले अधिकारियों से अपने आवेदन-पत्रों को अग्रसारित कराने से पूर्व अपने अधिकारियों से उन्हें प्रमाणित करायेंगे। तथ्यों को छिपाना अपराध होगा और उससे परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करने की विधि

(२) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु निर्धारित आवेदन-पत्रों की प्रतियां नियत मूल्य देकर सीधे उत्तर प्रदेश के उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी चाहिए, जिससे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहता है ।

अग्रसारण अधिकारी

(३) अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के समस्त आवेदन–पत्र अग्रसारण अधिकारियों के कार्यालय में अधिक से अधिक १ सितम्बर तक पहुंच जाने चाहिए। अग्रसारण अधिकारी आवेदन–पत्र की जांच करेंगे और उसे परिषद् के सचिव के पास इस प्रकार भेजेंगे कि वह परिषद् के कार्यालय में आगामी परीक्षा के लिए नियत तिथि से पूर्व अधिक से अधिक १ अक्तूबर तक पहुंच जाए।

विलम्ब शुल्क

(४) विशेष दशाओं में अग्रसारण अधिकारी, ५ रुपए विलम्ब–शुल्क के रूप में लेकर १५ सितम्बर तक आवेदन–पत्र ले सकते हैं, परन्तु उनके द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदन–पत्र परिषद् के सचिव के कार्यालय में अधिक से अधिक १ अक्तूबर तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र, जो १५ सितम्बर के बाद, परन्तु अधिक से अधिक २५ अक्तूबर तक प्राप्त होता है, २५ रुपए का विलम्ब शुल्क दिए जाने पर स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी दशा में अग्रसारण अधिकारी द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदन–पत्र परिषद् के सचिव के कार्यालय में आगामी परीक्षा के लिए नियत तिथि से पूर्व अधिक से अधिक १ नवम्बर तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

(५) ऊपर के खंड (४) की शर्तों के होते हुए भी जो परीक्षार्थी अपना शुल्क निर्धारित तिथि के भीतर जमा करते हैं, परन्तु अज्ञान अथवा भूल से अपने आवेदन–पत्र सचिव अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक के पास सीधे भेज देते हैं वे परीक्षा तिथि से पूर्व अधिक से अधिक ३० सितम्बर तक अग्रसारण अधिकारियों के द्वारा अपने आवेदन–पत्रों को ५ रुपए की शास्ति देकर पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी दशाओं में अग्रसारण अधिकारियों द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदन–पत्र परिषद् के सचिव के कार्यालय में अधिक से अधिक ५ अक्तूबर तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

अग्रसारण अधिकारियों का शुल्क

६—जो संस्था परिषद् की परीक्षाओं का केन्द्र है, उसके प्रधान या ऐसे व्यक्ति, जो इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविधि नियुक्त किए जायें, प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से ५० पैसे निबन्धन हेतु अग्रेषक के शुल्क के रूप में ले सकता है। परीक्षार्थियों से कोई अन्य शुल्क, चन्दा अथवा दान नहीं लिया जायगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता

१०—(१) (अ) हाई स्कूल परीक्षा में केवल निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे :—

(एक) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो शैक्षिक वर्ष बीत चुके हैं :—

(क) जूनियर हाई स्कूल परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश में संचालित वह परीक्षा, जो पहले हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा कहलाती थी अथवा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा।

(ख) परिषद् अथवा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त उच्चतर विद्यालय की कक्षा ८ की परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश या उसके बाहर स्थित समान विद्यालय की अनुरूप परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह स्कूल किसी ऐसी परीक्षा निकाय से सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त है, जिसकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हैं।

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी० ए० परीक्षा के लिए आवश्यक बा।द के अध्ययन के वर्षों की संख्या से अवधारित होगी।

(ग) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालकों के लिए हिन्दुस्तानी फाइनल परीक्षा।

(घ) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालिकाओं के लिए अपर मिडिल परीक्षाएं।

*(ङ) प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद द्वारा दिसम्बर, १९६९ तक संचालित बिना उच्च अंग्रेजी के विद्याविनोदनी परीक्षा।

पुनश्च—प्रयाग महिला विद्यापीठ के ५५६, दारागंज, इलाहाबाद तथा १०६, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जायेंगे।

(च) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की प्रथमा अथवा उच्चतर परीक्षा।

(छ) उत्तर प्रदेश में आंग्ल-भारतीय विद्यालय की १९५६ और उसके बाद की स्तर आठ की परीक्षा अथवा उससे पहले के वर्ष की स्तर सात की परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य के एक आंग्ल-भारतीय विद्यालय की कोई समकक्ष परीक्षा।

---

*उ० प्र० गजट ६ दिसम्बर, १९६९ में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/२०८०-बी-८ (दिसम्बर, १९६८), दिनांक २६ नवम्बर, १९६९ द्वारा सम्मिलित।

(ज) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अरबी म मौलवी, आलिम और फाजिल तथा फारसी में मुंशी और कामिल परीक्षा।

(झ) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित अरबी, फारसी और संस्कृत में डिप्लोमा परीक्षा।

(ञ) गुरुकुल कांगड़ी, वृन्दावन द्वारा संचालित संस्कृत में अधिकारी परीक्षा।

(ट) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित मध्यमा परीक्षा।

(ठ) भारतीय सेना की फर्स्ट क्लास आफ एजूकेशन परीक्षा।

(दो) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने कक्षा ६ अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बाहर की मान्यताप्राप्त संस्था की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उनके द्वारा कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक शैक्षिक वर्ष बीत गया हो।

(तीन) वे परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित १९५५ की अथवा उससे पूर्व की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों तथा इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र, जिसमें जन्म-तिथि लिखी हो, उस संस्था के प्रधान का देते हैं, जिसमें उनकी परीक्षा का केन्द्र था।

इस वर्ग में एक समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं है।

(चार) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने दिसम्बर में होने वाली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की प्रथमा अथवा कोई उच्चतर परीक्षा अथवा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ अथवा १९४८ से पूर्व लाहौर में उसी विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ऐसे परीक्षार्थियों को उस शैक्षिक वर्ष के बाद के वर्ष में हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश मिलेगा, जिसमें वे पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं)।

(ब) कोई विद्यार्थी, जिसन किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन किया है (प्राथमिक पाठशाला को छोड़कर) हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश न पा सकेगा जब तक कि उसके विद्यालय छोड़ने और हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश का मध्यावकाश कम से कम उस समय के बराबर है, जो उसे संस्था में रहते हुए परीक्षा में प्रवेश का पात्र होने में लगता। यह प्रतिबन्ध ऊपर के विनियम १० (१) (अ) में लागू प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होगा।

(२) (अ) कोई परीक्षार्थी, जिस वर्ष की परीक्षा में प्रवेश चाहता है यदि उससे पूर्व के अंग्रेजी वर्ष की ३१ जुलाई के पश्चात् उसने परिषद् की मान्यता-प्राप्त संस्था में अथवा एक परीक्षा निकाय से मान्यताप्राप्त अथवा सम्बद्ध

संस्था में (आंग्ल-भारतीय विद्यालयों को छोड़कर) जिसकी परीक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है, अध्ययन किया है, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

(ब) ऊपर के खन्ड (२) (अ) की शर्तों के होते हुए भी परिषद् निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थी को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट कर सकता है :

(क) कोई परीक्षार्थी, जो इस राज्य में अपने अभिभावक के स्थानान्तरण के कारण प्रव्रजित हो आया है;

(ख) कोई परीक्षार्थी, जो संस्थागत छात्र के रूप में अपनी लम्बी बीमारी अथवा अभिभावक की मृत्यु अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियोंवश अपना अध्ययन आगे नहीं चला सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर वर्णित दोनों वर्गों में छात्र का नाम संस्था की नामावली से अन्तिम रूप से कटने तक उसकी उपस्थिति ७५ प्रतिशत अथवा उससे ऊपर होनी चाहिये। यह प्रतिबन्ध उन परीक्षार्थियों के लिये नहीं लागू होगा जिनकी उपस्थिति केवल एक वर्ष की परिगणित होगी।

(स) व्यक्तिगत परीक्षार्थी विशेष विषय अथवा विषयों के अध्ययन के लिये किसी मान्यताप्राप्त संस्था में प्रवेश ले सकते हैं और उसमें अंशकालिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं ।

(३) आगामी होने वाली हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडियेट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति उन परीक्षार्थियों को नहीं दी जायगी, जिन्हें कक्षा १० अथवा १२ के लिये प्रोन्नति प्राप्त होने में सफलता नहीं मिली है अथवा जिन्होंने ३१ दिसम्बर से आगे कक्षा ९ अथवा ११ में अध्ययन किया है ।

निवास

(४) कोई भी परीक्षार्थी, जो अन्य राज्य का स्थायी निवासी होने के कारण उत्तर प्रदेश में अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के समय अस्थायी रूप से कम से कम दो वर्ष से निवास नहीं कर रहा है, परिषद् की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र न होगा ।

(इस शर्त से उन परीक्षार्थियों को छूट दी जा सकती है जिनके अभिभावकों ने अन्य राज्य से प्रव्रजन किया है ।)

आंग्ल-भारतीय विद्यालय

११—किसी आंग्ल-भारतीय विद्यालय को छोड़ने वाला परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में उस शैक्षिक वर्ष के पूर्व तक प्रविष्ट न हो सकेगा, जिसमें कि वह

कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में प्रवेश का पात्र होता, यदि वह आंग्ल-भारतीय विद्यालय में अध्ययन करता रहता। आंग्ल-भारतीय विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले, अथवा किसी ऐसे छात्र का आवेदन-पत्र, जिसका अन्तिम विद्यालय आंग्ल-भारतीय विद्यालय था, आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के निरीक्षक द्वारा उस संस्था के आचार्य के लिए अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

राज्य से बाहर के परीक्षार्थी

१२—ऊपर के विनियम १०, अध्याय बारह के अधीन परिषद् के प्रादेशिक अधिक्षेत्रों से बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्टि होने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजित हो गये हों। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र उन सम्बन्धित राज्यों के मंडलीय विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित होने चाहिए, जिन्हें परीक्षार्थियों के उत्तर प्रदेश में वास्तविक निवास को प्रमाणित करना चाहिए। पचास पैसे के निबन्धन शुल्क के साथ आवेदन-पत्र तथा परीक्षा का निर्धारित शुल्क १ सितम्बर तक सीधे सचिव के पास न भेजकर उस संस्था के प्रधान को अग्रसारित होना चाहिये जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

केन्द्र परिवर्तन और विषय परिवर्तन

१३—साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की आज्ञा न दी जायगी।

किसी समकक्ष परीक्षा में एक साथ बैठना

१४—किसी परीक्षार्थी को, जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की किसी परीक्षा तथा अन्य निकाय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में बैठना चाहता है, परिषद् की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र

१५—इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा के लिये क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा वाले विषय को ले सकता है; प्रतिबन्ध यह है कि यदि चुना हुआ विषय भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा चित्रकारी और मूर्ति कला अथवा सैन्य

विज्ञान अथवा भू विज्ञान है तो उसे परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त एक संस्था में परीक्षा के लिये उस विषय में निर्धारित समस्त क्रियात्मक एवं लिखित कार्य उसी सत्र में जिसमें वह परीक्षा में बैठना चाहता है, पूरा करना चाहिये और इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधान का एक प्रमाण-पत्र परीक्षा की तिथि से पूर्व की जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना चाहिये । किसी परीक्षार्थी को, जो एक बार परीक्षा में बैठ चुका है तथा अनुत्तीर्ण हो चुका है, उस विषय के क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में, जिसमें वह पहले ही परीक्षा दे चुका है, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

१६—अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थी के आवेदन-पत्र, जो अग्रसारण अधिकारियों से यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हुए हों, विनियम ३, अध्याय ६ के अधीन नियुक्त उपसमिति के पास संनिरीक्षा के लिये भेजे जायेंगे। संनिरीक्षा के पश्चात् उप समिति द्वारा ये आवेदन-पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत किये जायेंगे ।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

१७—इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं—

(१) कोई परीक्षार्थी, जिसने हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, बाद की हाई स्कूल परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों में प्रविष्ट हो सकता है और ऐसा परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये गए विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक ही वर्ग तक सीमित हो ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वह उस वर्ष में पूर्ण अथवा आंशिक इंटरमीडिएट परीक्षा में नहीं प्रविष्ट हो रहा है :

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय या विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व की हाई स्कूल परीक्षा में लिये गये थे, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था ।

(२) ऊपर के खंड (१) की शर्तों के होते हुए भी कोई परीक्षार्थी, जिसने हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बाद की हाई स्कूल परीक्षा के वाणिज्य के प्रश्न-पत्र तीन (केवल आशुलिपि तथा टंकण) में इस प्रतिबन्ध के साथ प्रविष्ट हो सकता है कि उसने यह विषय पूर्व हाई स्कूल परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, नहीं लिया था। ऐसा परीक्षार्थी सफल हो जाने पर केवल आशुलिपि तथा टंकण में हाई स्कूल परीक्षोत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा।

(३) कोई परीक्षार्थी जिसने इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, बाद की इंटरमीडिएट परीक्षा में एक विषय अथवा अधिक विषयों में (कृषि विषयों को छोड़कर) बैठ सकता है और यह परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो उसके द्वारा लिये गए विषय अथवा विषयों में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा (इस प्रतिबन्ध के साथ कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो) :

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय अथवा विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व इंटरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, लिये गये थे।

(४) कोई परीक्षार्थी, जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा एक विशेष वर्ग में उत्तीर्ण की है, बाद की इंटरमीडिएट परीक्षा में (कृषि वर्ग को छोड़कर) किसी एक अन्य वर्ग में बैठ सकता है। ऐसे परीक्षार्थी को उन विषयों में पुनः प्रविष्ट होने की आवश्यकता न होगी, जो दोनों वर्गों में समान हैं, और जिनका समान पाठ्य विवरण है। श्रेणी नहीं दी जायगी।

निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यताप्राप्त है :

(क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा-परिषदों की इंटरमीडिएट परीक्षा ;

(ख) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित अंग्रेजी सहित उत्तर मध्यमा परीक्षा (जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित थी) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पुरानी खंड मध्यमा (पूरा चारवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा संपूर्ण मध्यमा परीक्षा और अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा, प्रत्येक दशा में अंग्रेजी को एक विषय लेकर (जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित थी)।

(ग) एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा संचालित एफ० वाई० बी० ए०, एफ० वाई० बी० काम० तथा एफ० वाई० बी० एस-सी० परीक्षाएं।

*(घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री-इंजीनियरिंग/प्री-मेडिकल परीक्षा।

---

*उ० प्र० गजट में दिनांक १० जनवरी, १९७० में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/२१९१/पांच-८ (बोर्ड जुलाई, ६८), दिनांक ३० दिसम्बर, १९६९ द्वारा सम्मिलित।

श्रेणियां

१८—इन विनियमों में, जहां इसके प्रतिकूल प्राविधान हो, उसे छोड़ कर परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के नाम तीन श्रेणियों में रखे जायेंगे। कोई परीक्षार्थी जो संपूर्ण योगांक के ७५% प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ भी दिखाया जायगा।

१९—जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, बाद की एक अथवा अधिक परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकता है; इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसे ऐसे प्रत्येक अवसर पर सचिव को आश्वस्त करना होगा कि उसने परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी है।

आंशिक परीक्षार्थी : पात्रता

२०—(क) जो परीक्षार्थी परिषद् की एक पूर्ण परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है यदि उसने योगांक के ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, परन्तु केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, जिसमें उसने कम से कम २५ प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, वह उस विषय में आंशिक परीक्षार्थी घोषित किया जायगा :

[(१) कोई परीक्षार्थी, जिसने कृषि, भाग १ परीक्षा में योगांक के ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, परन्तु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, जिसमें उसने २५ प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किये हैं, केवल अनुत्तीर्ण हुए विषय में विनियमों में निर्धारित शुल्क देकर बाद की जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में ही प्रविष्ट हो सकेगा। पूरक परीक्षा में उस विषय में प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और यदि वह उस विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह कृषि परीक्षा, भाग १ में उत्तीर्ण हुआ समझा जायगा।

(२) कोई परीक्षार्थी, जिसने कृषि भाग २ परीक्षा में अंक योग के ४० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं परन्तु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है, जिसमें उसने २५ प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किये हैं, उस विषय में आंशिक परीक्षार्थी घोषित किया जायगा और केवल अनुत्तीर्ण हुए विषय में विनियमों में निर्धारित शुल्क देकर बाद की जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में ही प्रविष्ट हो सकेगा और यदि उस विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जायगा। ऐसी स्थितियों में कोई श्रेणी नहीं दी जायगी।]

(ख) उसे आंशिक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के दो अवसर प्राप्त होंगे, एक उसी वर्ष की जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में, जिसमें वह संपूर्ण परीक्षा में प्रविष्ट हुआ तथा आंशिक परीक्षा

का पात्र घोषित हुआ था तथा दूसरा आंशिक परीक्षा के तुरन्त पश्चात् की मुख्य परीक्षा में । यदि वह उस विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण समझा जायगा, परन्तु उसे कोई श्रेणी नहीं दी जायगी ।

(ग) उन परीक्षार्थियों को, जो जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली आंशिक परीक्षा के पश्चात् अंकों की संनिरीक्षा के फलस्वरूप आंशिक परीक्षा के पात्र घोषित किये जाते हैं, आंशिक परीक्षार्थियों के रूप में परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होने के दो अवसर मिलेंगे, एक उस वर्ष की पूर्ण परीक्षा, जिसमें वे बैठे थे तथा आंशिक परीक्षा के पात्र घोषित हुए थे, के तुरन्त बाद की मुख्य परीक्षा में तथा दूसरे ठीक उसके पश्चात् जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में ।

(घ) आंशिक परीक्षार्थी मान्यताप्राप्त संस्थाओं की कक्षा ११ में प्रवेश के पात्र उस समय तक नहीं हैं, जब तक कि वे पूर्णरूप से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें।

(ङ) विनियम १० (२), अध्याय बारह की शर्तों के होते हुए भी आंशिक परीक्षार्थियों को, जो मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट होते हैं, परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रवेश का विकल्प है ।

संनिरीक्षा—उसकी कार्यविधि

२१—उन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकें, जो विनियम २०, अध्याय बारह के अन्तर्गत आंशिक परीक्षा के पात्र हैं तथा उनकी भी, जो मुख्य परीक्षा में केवल एक विषय में उस विषय के लिये निर्धारित ५ प्रतिशत अंकों से अधिक से अधिक अनुत्तीर्ण नहीं हैं, बिना शुल्क अथवा आवेदन-पत्र के संनिरीक्षित की जायेंगी । अन्य परीक्षार्थी, जो अपनी उत्तर-पुस्तकें संनिरीक्षित कराना चाहते हैं, निम्नलिखित नियमों के अनुसार करा सकते हैं:—

(१) कोई परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, अपने अंकों की संनिरीक्षा तथा अपने परीक्षाफल की पुनः जांच कराने के लिये सीधे सचिव को आवेदन-पत्र दे सकता है ।

(२) ऐसे आवेदन-पत्र मुख्य परीक्षा के संबंध में १५ जुलाई तक तथा पूरक परीक्षा के संबंध में ३१ अगस्त तक अवश्य दिये जाने चाहिये।

(३) ऐसे समस्त आवेदन-पत्रों के साथ कोष चालान की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुये कि १० रुपये का निर्धारित शुल्क दे दिया गया है, अवश्य होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के संबंध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा पर रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिये ।

(४) कोई परीक्षार्थी अपने संनिरीक्षा के शुल्क की वापसी का अधिकारी न होगा, जब तक कि संनिरीक्षा के फलस्वरूप उसके अंकों अथवा परीक्षाफल में कोई भूल नहीं पाई जाती है ।

(५) संनिरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त मामलों का तथा स्वतः संनिरीक्षा के समस्त मामलों का परीक्षाफल, जहां उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है (अंक अथवा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण), संनिरीक्षा की समाप्ति पर परीक्षार्थी को तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित कर दिया जायगा । अन्य मामलों में कोई सूचना नहीं दी जायगी और कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जायगा । यह भी प्रतिबन्ध है कि संनिरीक्षा का परीक्षाफल, जहां परीक्षार्थी द्वारा शुल्क दिया गया है, प्रत्येक दशा में सूचित किया जायगा, भले ही कोई परिवर्तन न हो ।

(६) संनिरीक्षा के कार्य में साधारणतः परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों की पुनः जांच सम्मिलित नहीं है । उसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग-अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है ।

शुल्क

२२—परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित शुल्क लिये जायेंगे :—

१—हाई स्कूल परीक्षा	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से २० रुपये । (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से २५ रुपये ।
२—हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से २० रुपये । (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी (अनुत्तीर्ण) से २५ रुपये ।
३—इंटरमीडिएट परीक्षा	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से ३० रुपये । (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से ३५ रुपये ।
४—(क) इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से ३० रुपये ।
(ख) इंटरमीडिएट कृषि (भाग १) परीक्षा	किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से २० रुपये ।
(ग) इंटरमीडिएट कृषि (भाग १) परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से २५ रुपये ।

(घ) इंटरमीडिएट कृषि (भाग २) परीक्षा	किसी मान्यत प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से २० रुपये ।
(ङ) इंटरमीडिएट कृषि (भाग २) परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से २५ रुपये ।
(च) इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी (अनुत्तीर्ण) से ३५ रुपये ।
(छ) विनियम ६, अध्याय चौदह के अन्तर्गत	केवल अंग्रेजी में इंटरमीडिएट परीक्षा, १० रुपये ।
(ज) विनियम ६ (क) अध्याय चौदह के अन्तर्गत	शेष विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा, ३० रुपये ।
५—जुलाई अथवा अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों से शुल्क	हाई स्कूल परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी से १५ रुपये तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी से २० रुपये ।
६—मार्च/अप्रैल में होने वाली परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले आंशिक परीक्षार्थियों से शुल्क	१० रुपये प्रति परीक्षार्थी ।
७—मार्च/अप्रैल की मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा	१० रुपये प्रति विषय (परीक्षार्थी जो दो विषयों के समकक्ष एक विषय में प्रविष्ट होगा उसे २० रुपये परीक्षा-शुल्क देना होगा) ।
८—परीक्षार्थी के परीक्षाफल की संनिरीक्षा का शुल्क	१० रुपये ।
९—(क) किसी संस्थागत परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त व्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	१ रुपया (इस शुल्क का आधा संबंधित संस्था के प्रधान द्वारा रख लिया जायगा, जो परिषद् के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके व्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे) ।
(ख) किसी संस्थागत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	१.५० रु० ।
१०—(क) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त व्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	२ रुपये (इस शुल्क का आधा संबंधित केन्द्र के अधीक्षक द्वारा रख लिया जायगा, जो परिषद् के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी को उसके व्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे)

(ख) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	२.५० रु० ।	

(अंक-पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां सचिव के कार्यालय से प्रेषित की जायेंगी जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिये ।)

*(ग) पूरक परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रेषण का अनिवार्य (दो रुपया) शुल्क	२.००	इस शुल्क का आधा सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा रख लिया जायगा, जो अंक-पत्र को ठीक से मुद्रित प्रपत्र पर परीक्षार्थियों को प्रेषित करेंगे ।

अंक-शुल्क के लिये कृषि भाग १ तथा भाग २ परीक्षाएं पृथक् परीक्षाएं समझी जायेंगी ।

११—विलम्ब-शुल्क	५ रुपये (किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा देय जो परिषद् की किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति का अपना आवेदन-पत्र विनियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात् परन्तु अधिकतम १५ सितम्बर तक देता है) ।
१२—प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	२ रुपये ।
१३—परिषद् द्वारा एक परीक्षा के लिये परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तित कराने का शुल्क	२ रुपये ।

[टिप्पणियां—(अ) आवेदन-पत्र उचित सरणि द्वारा दिया जायगा तथा जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी, उसकी ३१ मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद् के सचिव के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये । आवेदक को एक टिकट लगे हुए कागज पर शपथ-पत्र देना होगा, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होना चाहिये, जिसमें नाम में परिवर्तन के वैध कारण दिये होंगे तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होगा और परीक्षार्थी, जहां वह निवास करता है, वहां के स्थानीय दैनिक-पत्र की तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा, इससे पूर्व कि उसे परिवर्तित नाम का नया प्रमाण-पत्र प्राप्त हो ।

---

* दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-/१२७-८(बोर्ड मई-जून, ७०)२७ फरवरी, १९७१ द्वारा सन्निविष्ट

(आ) उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के नाम परिवर्तन के आवेदन-पत्र संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास भेजा जाना चाहिये ।

(इ) भारतीय संघ के राज्य (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) के सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन आवेदन-पत्र पर किया जायगा, यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद् को संबंधित विभाग के राज्य सचिव अथवा विभाग के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाती है ।

(ई) केन्द्रीय शासन के कर्मचारी के आवेदन-पत्र देने पर नाम में परिवर्तन कर दिया जायगा यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय शासन द्वारा कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद् को संबंधित मंत्रालय के राज्य सचिव अथवा गृह विभाग के मंत्रालय द्वारा दे दी जाती है ।

(उ) यदि किसी परीक्षा के लिये नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र में, जो परीक्षार्थी को पहले अथवा बाद में निर्गत हुये हों, बिना नये शपथ-पत्र के परन्तु प्रति प्रमाण-पत्र के लिये २ रुपये शुल्क देने पर नाम परिवर्तित कर दिया जायगा ।

(ऊ) शपथ-पत्र तथा नाम में परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र परीक्षार्थी के पिता अथवा यदि उनकी मृत्यु हो गयी हो अभिभावक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये ।]

१४—इस अध्याय के विनियम २८ के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	५ रुपये प्रत्येक परीक्षा के लिये ।
१५—जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी ३१ मार्च से ३ वर्ष के अन्दर न लिये गये प्रमाण-पत्र का शुल्क	५ रुपये ।
१६—किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये प्रव्रजन प्रमाण-पत्र निर्गत होने का शुल्क	३ रुपये ।
—संस्था के प्रधानों को परीक्षा-फल पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियां प्रेषित करने का शुल्क	१० रुपये प्रथम १०० परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये और बाद के १०० परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये ५ रुपये ।

शुल्क की वापसी

२३--किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिये एक बार दिया हुआ शुल्क निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर वापस न होगा—

(क) दशायें, जिनमें पूरे शुल्क की वापसी हो जायगी

(१) परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु ।

(२) कोई परीक्षार्थी, जो आगे होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देने के पश्चात् संनिरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके गए परीक्षा-फल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है ।

(३) कोई परीक्षार्थी, जो पूर्व परीक्षा के लिए दिए गए शुल्क, जिसमें वह अस्वस्थता के कारण प्रविष्ट न हो सका, के रोके जाने के समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण नया शुल्क जमा कर देता है ।

(ख) दशायें, जिनमें एक रुपया कम करके शुल्क की वापसी होगी

(१) जब कोई परीक्षार्थी भूल से शुल्क को "२२—शिक्षा" शीर्षक में जमा कर दे यद्यपि वह किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता/चाहती है ।

(२) ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जिनका आवेदन-पत्र परिषद् अथवा अग्रसारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो ।

(३) जब कोई परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा के लिए विहित शुल्क से अधिक जमा कर दे ।

(४) जब परिषद् की किसी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से शुल्क जमा कर दिया जाय ।

पुनश्च—(क) 'शुल्क' का तात्पर्य केवल परीक्षा शुल्क है और उसमें अंक-शुल्क अथवा विलम्ब-शुल्क सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) शुल्क की वापसी का आवेदन-पत्र शुल्क को कोषागार में जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हो सकेगा ।

(ग) शुल्क की वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसका आवेदन-पत्र परिषद् द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

शुल्क स्थगन

२४—आवेदन-पत्र देने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को, जो किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने से असमर्थ रहा, आगामी होने वाली परीक्षा में प्रवेश की अनुमति उसके शुल्क को स्थगित रख कर निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है—

(१) परीक्षार्थी विनियम ५(११), अध्याय १२ के अन्तर्गत किसी संस्था के प्रधान द्वारा रोक दिया गया है ।

(२) परीक्षार्थी उपस्थिति की कमी के कारण रोक दिया गया है।

(३) परीक्षार्थी परीक्षा के समय भयंकर रूप से रुग्ण था और उसको समर्थ चिकित्सा प्राधिकारी ने यथाविधि प्रमाणित किया है।

परीक्षार्थियों के परीक्षा-शुल्क स्थगित रखने के आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान अथवा सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक द्वारा परिषद् के सचिव के कार्यालय में परीक्षा वर्ष की १ मई तक पहुंच जाने चाहिये।

पुनश्च—(१) एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनः स्थगित नहीं हो सकेगा।

(२) मुख्य परीक्षा के तुरन्त बाद में होने वाली पूरक परीक्षा का शुल्क स्थगित करने का आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ सितम्बर होगी। अधिक जमा किये शुल्क की वापसी न होगी।

प्रवेश-पत्र तथा उन्हें प्राप्त करने की विधि

२५—सचिव अपने को आश्वस्त करने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद् की परीक्षा में प्रवेश हेतु समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, उसे प्रवेश-पत्र देगा जिसे परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करके परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायगी।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने प्रवेश-पत्र परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से ४८ घंटे पूर्व प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन अथवा उसके अंश पर एक रुपये अर्थदंड देना होगा।

यदि सचिव आश्वस्त हों कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया अथवा नष्ट हो गया है तो निर्धारित शुल्क दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रतिलिपि दे सकते हैं।

बहिष्करण एवं निष्कासन

२६—इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी—

(१) किसी परीक्षार्थी का जो एक शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय बहिष्कृत कर दिया गया है, उस शैक्षिक वर्ष में होने वाले परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सकेगा।

(२) किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जिसको परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये उसका प्रार्थना-पत्र भेज दिये जाने के पश्चात् संस्था से निष्कासित कर दिया गया है और जिसका किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रवेश नहीं हुआ है, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायगी।

मन्तव्य—(अ) यदि उपर्युक्त दंड उसे परीक्षाकाल में अथवा उसके पश्चात् परन्तु उस शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिया जाता है, जिसमें परीक्षा होती है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायगी।

(आ) किसी परीक्षार्थी को, जो परिषद् द्वारा मान्य किसी परीक्षा निकाय से वारित है, किसी परीक्षा में उस अवधि की समाप्ति से पूर्व, जिसके लिये वह दंडित है, प्रवेश नहीं मिल सकेगा ।

२७—(विखंडित)

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति

२८—परिषद्, आवेदन-पत्र देने पर तथा इस अध्याय के विनियम २२(१४) के अनुसार निर्धारित शुल्क देने पर किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निम्नलिखित दशाओं में दे सकती है—

(१) प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में;

(२) प्रमाण-पत्र के खराब होने, विरूपित होने अथवा कट-फट जाने की दशा में जो परिषद् को अवरुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है;

(३) प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में जो अन्य प्रकार से मजबूत है और परिषद् को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (१) और (२) में परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रों के साथ उचित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे । यदि परीक्षार्थी की आयु २० वर्ष या उससे कम है तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि वह जीवित है) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित नहीं हैं) निष्पादित किया जायगा । दोनोंही दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वर्ग (१) के संबंध में परीक्षार्थियों के इस तथ्य को इस राज्य के एक दैनिक समाचार-पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित कराना होगा और इस समाचार-पत्र के संस्करण की प्रति, जिसमें विज्ञप्ति निकली है, परिषद् के कार्यालय को पूर्व प्रतिबन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी ।

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

२९—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क देने पर निम्नलिखित प्रपत्र में सचिव द्वारा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिये—

यह प्रमाणित किया जाता है कि————————पुत्र/पुत्री————————————अनुक्रमांक————————में १९————में हुई हाई स्कूल/इंटरमीडियेट परीक्षा————————केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की ।

परिषद् को उसके उत्तर प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था म प्रविष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं है ।

इलाहाबाद——————— ———————

सचिव

ज्ञातव्य—संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है । जिस संस्था में परीक्षार्थी ने अध्ययन किया उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रव्रजन प्रमाण-पत्र का कार्य करता है ।

३०—इस अध्याय के विनियम २८ के होते हुये भी परीक्षार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायगा ।

प्रमाण-पत्रों का वितरण

३१—आवेदन-पत्र भरने के समय प्रत्येक परीक्षार्थी से सफल परीक्षार्थियों के पास प्रमाण-पत्र भेजने का शुल्क १ रुपया ५५ पैसे लिया जायगा । यह शुल्क आचार्य अथवा केन्द्र अधीक्षक, जैसी स्थिति हो, के द्वारा रोक लिया जायगा और इसका उपयोग, परीक्षार्थियों के पास पंजीकृत डाक से प्रमाण-पत्र भेजने में किया जायगा यदि वह आचार्य अथवा केन्द्र अधीक्षक से सूचना प्राप्त होने के १५ दिन के भीतर स्वयं प्रमाण-पत्र नहीं लेता है । उन परीक्षार्थियों को जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं अथवा जो निर्धारित अवधि के भीतर, स्वयं प्रमाण-पत्र ले लेते हैं, २५ पैसे काटने के बाद धनराशि वापस कर दी जायगी ।

उन परीक्षार्थियों का यह शुल्क, जिन्हें दूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति मिलती है, रोक लिया जायगा और ऐसे परीक्षार्थी अपने प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी से प्राप्त करेंगे, जिसके पास उन्होंने यह शुल्क जमा किया था ।

अस्वामिक प्रमाण-पत्र

३२—आवेदन-पत्र तथा इस अध्याय के विनियम २२ (१५) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क देने पर, परिषद् किसी परीक्षार्थी को, जिसने उस वर्ष की ३१ मार्च से, जिसमें कि परीक्षा हुई थी, तीन वर्ष के भीतर न लिये मूल प्रमाण-पत्र को निर्गत कर सकती है । इसके लिये आवेदन सचिव के यहां से प्राप्त निर्धारित

प्रपत्र पर संस्थागत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान द्वारा तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में केन्द्र के अधीक्षक द्वारा एक शपथ-पत्र सहित जिसमें यह उल्लेख हो कि उसने प्रमाण-पत्र की मूल अथवा दूसरी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त की है, दिया जाना चाहिये। यदि परीक्षार्थी २० वर्ष अथवा उससे कम आयु का है, तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि जीवित हों) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित न हों), निष्पादित किया जायगा। दोनों दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी।

न्यूनतम आयु

३३—यदि किसी परीक्षार्थी की आयु, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें वह परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे, १४ वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं है, तो वह १९७१ तथा उसके आगे की हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

युद्ध सम्बन्धी विशेष विनियम

(क) किसी व्यक्ति को, जिसका अध्ययन परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के लिये मान्यताप्राप्त संस्था अथवा हाई स्कूल अथवा हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा के समकक्ष मान्य परीक्षाओं की कक्षाओं में, उसके युद्ध में सम्मिलित होने के कारण रुक गया हो तथा जो इस कारण से परिषद् की हाई स्कूल अथवा हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका है, यदि उसने कम से कम १ वर्ष तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित युद्ध सेवा दशाओं के अन्तर्गत सेवा की हो तो उसे (१) परिषद् की इन्टरमीडिएट अथवा इन्टरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने कोई ऐसा विषय लिया है, जिसमें क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो उसे विनियम १५, अध्याय १२ में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा (२) मान्यताप्राप्त विद्यालय की कक्षा ११ अथवा १२ में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लेने तथा बिना विनियम ५, अध्याय १२ में निर्धारित उपस्थिति की पूर्ति किये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) हाई स्कूल अथवा हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, यदि कोई छात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित दशाओं में युद्धसेवा में रहा हो, तो उसकी सेवा का समय इन्टरमीडिएट अथवा इन्टरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता हेतु निर्धारित समय में गिना जायगा।

अध्याय तेरह

हाई स्कूल परीक्षा

प्रथम द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा ९, १०)

*१—हाई स्कूल परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायगी ।

इन विषयों के साथ शारीरिक व्यायाम* तथा नैतिक शिक्षा का शिक्षण सभी छात्रों के लिये अनिवार्य होगा ।

समस्त वर्गों के लिए दो अनिवार्य विषय—

(१) हिन्दी,

(२) गणित (बालिकाओं को यह विकल्प होगा कि वह गणित के स्थान पर गृह विज्ञान उपदृत कर सकेंगी ।)

टिप्पणी—(१) वे परीक्षार्थी, जो किसी विकलांगता (पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ) से पीड़ित हों, जिससे वे गणित में ज्यामितीय आकृतियां न खींच पाते हों अथवा गृह विज्ञान में निर्धारित क्रियात्मक—कार्य न कर पाते हों, उसी वर्ग के अन्य विषय ले सकते हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे अपनी विकलांगता के समर्थन में सिविल सर्जन का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही यदि अग्रसारण प्राधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतः संतुष्ट हों ।

(२) सहशिक्षा वाले विद्यालयों को बालिकाओं के लिए कक्षा ९ में गृह विज्ञान के शिक्षण का प्राविधान करना चाहिये । यदि ऐसा प्राविधान करना शीघ्र संभव न हो तो ऐसी बालिकाओं को यह विषय घर पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने की आज्ञा **केवल १९७३ की हाई स्कूल परीक्षा तक ही दी जा सकती है ।

वैकल्पिक विषय

क—साहित्यिक वर्ग

(३–५) निम्नलिखित में से कोई तीन—

(एक) इतिहास;

(दो) भूगोल अथवा वाणिज्य भूगोल;

(तीन) नागरिक शास्त्र;

---

*दिनांक १७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–७/७०७/(बोर्ड अगस्त, ६९), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा संशोधित ।

**परिपत्र संख्या परिषद् ७/१६४५/पांच–२०, दिनांक २० सितम्बर, १९६९ द्वारा १९७३ तक बढ़ाया गया ।

(चार) एक शास्त्री भाषा (संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी, अथवा लैटिन)।

(पांच) भारतीय संविधान के अनुसूची आठ में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त एक भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, काश्मीरी, सिन्धी, तामिल, तेलगू अथवा मलयालम)।

ज्ञातव्य—(१) (संस्कृत इस प्रतिबन्ध के साथ है कि वह उपर्युक्त क्रमांक चार में वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ली गयी है)।

(२) आसामी या काश्मीरी के पाठ्यक्रम पारित होने तक परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे।

(छ) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती अथवा चीनी) ;

ज्ञातव्य—परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषायें नहीं ले सकेंगे।

(सात) चित्रकला ;

(आठ) गणित (केवल बालिकाओं के लिये, यदि यह अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)।

(नौ) अर्थशास्त्र।

(दस) संगीत (गायन अथवा वादन)।

ख—वैज्ञानिक वर्ग

(३) विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान)।

(४-५)—निम्नलिखित में से कोई दो—

(एक) जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान)।

(दो) औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान।

(तीन) साहित्यिक वर्ग की सूची के अन्तर्गत दिये वैकल्पिक विषयों की सूची के विषयों में से कोई विषय।

व्याख्या—साहित्यिक वर्ग से कोई एक अथवा दो विषय लिए जा सकते हैं।

ग—वाणिज्य वर्ग

(३-४) वाणिज्य (दो विषयों के समान)।

(५) साहित्यिक वर्ग की सूची के अन्तर्गत दिये वैकल्पिक विषयों की सूची में से अर्थशास्त्र को छोड़कर कोई एक विषय।

घ—रचनात्मक वर्ग

(३–४) निम्नलिखित में से कोई एक (दो विषयों के समान)—

(एक) काष्ठ शिल्प और सम्बन्धित कला ;
(दो) ग्रन्थ शिल्प और सम्बन्धित कला (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) ;
(तीन) सिलाई और सम्बन्धित कला ;
(चार) कताई-बुनाई और सम्बन्धित कला ;
(पांच) चमड़े का काम और सम्बन्धित कला ;
(छ) धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) ;
(सात) रंगाई और छपाई (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) ;
(आठ) धातु शिल्प तथा सम्बन्धित कला ।

(५) साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिये वैकल्पिक विषयों की सूची में से चित्र-कला को छोड़कर कोई एक विषय ।

च—ललित कला वर्ग

(३–४) निम्नलिखित में से कोई दो—

(एक) संगीत (गायन) ;
(दो) संगीत (वादन) अथवा रंजन कला ;
(तीन) व्यावसायिक कला अथवा मूर्तिकला ।
(चार) चित्र कला अथवा नृत्य कला ।

(५) साहित्यिक वर्ग की सूची के अन्तर्गत सम्मिलित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह इस वर्ग के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो ।

छ—कृषि

(३–४) कृषि (दो विषयों के समान) ।

(५) साहित्यिक वर्ग की सूची के अन्तर्गत सम्मिलित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय ।

ज—उत्तर बेसिक वर्ग

प्रवेश—केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इसमें प्रवेश के पात्र होंगे, परन्तु इस वर्ग के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

(३) साहित्यिक वर्ग की सूची के अन्तर्गत सम्मिलित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय ।

(४–५)—निम्नलिखित तालिका के क, ख, ग, और घ में से कोई एक मुख्य तथा मुख्य शिल्प के सम्मुख अंकित शिल्पों में से कोई एक होगा ;

सामुदायिक रहन-सहन और उसके विज्ञान, इन विषयों के अतिरिक्त अनिवार्य होंगे ;

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
(क) कृषि गोपालन	(१) सामान्य वस्त्रोद्योग,
	(२) मधु–मक्खी पालन,
	(३) शाक तथा फल संरक्षण,
अथवा	(४) मुर्गी पालन,
	(५) मत्स्य पालन,
	(६) दुग्धशाला ।
(ख) गृह शिल्प (यदि इसे एक अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया हो)	(१) सिलाई,
	(२) शाक तथा फल संरक्षण,
	(३) तेल तथा अंगराग,
	(४) कुक्कुट पालन,
	(५) उद्यान–कर्म–बागबानी,
अथवा	(६) धुलाई, रंगाई, और छपाई,
	(७) दुग्ध व्यवसाय।
(ग) वस्त्रोद्योग ..	(१) सिलाई,
	(२) धुलाई, रंगाई, और छपाई,
	(३) रासायनिक प्रोद्योग,
	(४) उद्यान–कर्म–बागबानी,
अथवा	(५) बढ़ईगिरी,
	(६) धातु शिल्प ।
(घ) निम्नलिखित में से एक व्यवसाय—	
(१) यांत्रिक शिक्षु	(१) धातु शिल्प,
	(२) बढ़ईगिरी,
अथवा	(३) हाथ से बने कागज का निर्माण ।
(२) टंकण तथा आशुलिपि	(४) मत्स्य पालन,
अथवा	(५) तेल तथा अंगराग,
(३) ग्रन्थ शिल्प तथा मुद्रण औद्योगिकी	(६) चर्म कार्य ।

टिप्पणी—जब तक इन विषयों के पाठ्यक्रम तैयार न हो जायं, अभ्यर्थियों को गौण शिल्प के अन्तर्गत रासायनिक प्रोद्योग, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तैल तथा अंगराग और मुख्य शिल्प के अन्तर्गत यांत्रिक शिक्षु, टंकण तथा आशुलिपि और ग्रन्थ शिल्प तथा मुद्रण औद्योगिकी लेने की अनुमति नहीं है ।

२—[विखंडित]।

३—समस्त अध्यापकों द्वारा, जो हाई स्कूल परीक्षा के लिये तैयारी कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण में नियुक्त हैं, डायरियां रखी जायेंगी जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य दिखाया जायगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा, जो परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायं, निरीक्षण किया जायगा।

४—उपसात्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न-पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों की लिखित उत्तर-पुस्तकों का भी निरीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जैसा कि परिषद् निर्देश दे।

५—संस्था का प्रधान मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षक को अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे परिषद् नियुक्त करे, विषय अथवा विषयों में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की सूची देगा, जिससे वह संबंधित है और प्रत्येक नाम में आगे परीक्षार्थी की प्रवीणता के संबंध में, जो परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के दौरान उसके अभिलेख से निर्णीत होगी, प्रविष्टि करेगा।

६—समस्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। हाई स्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देंगे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें वह इस संबंध में अधिकार दे दें, स्वमति से उन परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अंग्रेजी अथवा उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

परिषद्, फिर भी, परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के नियम संहिता द्वारा अनुशासित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। आवेदन-पत्र देते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव से प्रार्थना करने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिये प्रश्न-पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

टिप्पणियां—(१) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्संबंधी लिपि में देंगे जिससे प्रश्न-पत्र का संबंध है, जब तक कि प्रश्नपत्र में ही इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(२) परिषद् के सभापति ने विनियम ६, अध्याय तेरह के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है—

(एक) परीक्षार्थी, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।

(दो) परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिये हैं।

(तीन) आंग्ल-भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

(चार) परीक्षार्थी, जिन्हें परिषद् के विनियमों के विनियम ७, अध्याय तेरह के अन्तर्गत परिषद् की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी लेने से छूट मिल गयी है।

(३) परिषद् के सभापति ने ऊपर के अधिनियम के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश क ऐसे परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा उर्दू है, परिषद् की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने का अधिकार भी प्रतिनिहित कर दिया है।

(४) ऐसे समस्त मामले, जिनमें संस्थाओं के प्रधानों अथवा केन्द्र अधीक्षकों अथवा जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद् को सूचित किये जाने चाहिये।

७—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी हाई स्कूल परीक्षा में निम्न-लिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है —

(१) विदेशी राष्ट्रिकों, तथा

(२) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि वे हाई स्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी का निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम (प्रारम्भिक हिन्दी अथवा विशेष प्रारंभिक हिन्दी) अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिये।

[टिप्पणी—(१) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, जिन्हें वह इस संबंध में अधिकार दे।

(२) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक हिन्दी तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एक ही है।

(३) प्रारम्भिक हिन्दी तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम सामान्यतः क्रमशः कक्षा ८ तथा ६ क पाठ्यक्रम के समकक्ष का होगा।]

अध्याय चौदह

इंटरमीडिएट परीक्षा

१—इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के लिये या परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा अथवा हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा अथवा इन्टरमीडिएट अथवा विनियम द्वारा उसके (हाई स्कूल परीक्षा) के समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

२—निम्नलिखित परीक्षायें इन्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती हैं—

(१) भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा, जो परिषद् द्वारा इस उद्देश्य से मान्य है (निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की मैट्रीक्युलेशन परीक्षायें, परिषद् द्वारा मान्य हैं—इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, बनारस और अलीगढ़) :

प्रतिबन्ध यह है कि बम्बई विश्वविद्यालय के संबंध में परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में ३५ प्रतिशत अंकों से अथवा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिये ;

[बनारस हिन्दू तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा का तात्पर्य प्रथम की प्रवेश परीक्षा तथा द्वितीय की हाई स्कूल परीक्षा से है]।

(२) उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा (इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा उस राज्य में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रीक्युलेशन के समकक्ष स्वीकार की जाती है) ;

(३) कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी) परीक्षायें,

(४) ब्रीफ कालेजों की डिप्लोमा परीक्षा;

(५) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यूरोपियन स्कूलों की हाई स्कूल परीक्षा;

(६) मध्य प्रदेश की हाई स्कूल शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(७) हाई स्कूल फाइनल तथा मैट्रीक्युलेशन परीक्षा परिषद्, बर्मा द्वारा संचालित हाई स्कूल फाइनल तथा मैट्रीक्युलेशन परीक्षा (जो पहले बर्मा की ऐंग्लोवर्नाक्यूलर हाई स्कूल तथा इंगलिश हाई स्कूल परीक्षा कहलाती थी);

४६६ एच० एस० आई०—१९७१—९

[ज्ञातव्य—उन भारतीय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो बर्मा से निष्क्रांत हैं, रंगून विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा में बर्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, जिन्होंने अलग-अलग विषयों में न्यूनतम अंक तथा बर्मी के अतिरिक्त समस्त विषयों में वांछित न्यूनतम योगांक प्राप्त किए हैं, इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के पात्र समझे जाते हैं।]

(८) लन्दन विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(९) ट्रावनकोर राज्य की इंगलिश स्कूल लीविंग परीक्षा ;

(१०) हैदराबाद (दक्खिन) की हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा ; इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ;

(११) मैसूर की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है ;

(१२) राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून (जो पहले सैनिक स्कूल, देहरादून तथा मौलिक रूप से रायल इंडियन मिलिटरी कालेज कहलाता था) की डिप्लोमा परीक्षा ;

(१३) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली की हाई स्कूल परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा ऐसे पांच विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत हैं ;

[टिप्पणी—दिल्ली परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के निम्नलिखित विषय उत्तर प्रदेश परिषद् की समान परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय समझे जाने चाहिए :—

(क) शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान,

(ख) दो स्वीकृत विषयों के संघटित अंगों से युक्त विषय जैसे प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र तथा प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थ शास्त्र तथा भारतीय इतिहास इत्यादि।

उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने १९३७ ई० तक दिल्ली परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, पांच स्वीकृत विषयों की गणना उस समय लागू नियमों के आधार पर की जानी चाहिए।]

(१४) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, अजमेर [जो पहले बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, राजपूताना (जिसमें अजमेर, मारवाड़ भी सम्मिलित थे), मध्य भारत और ग्वालियर, अजमेर कहलाता था तथा बाद में जिसका नाम बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, अजमेर, भूपाल और विन्ध्य प्रदेश, अजमेर रखा गया] की हाई स्कूल परीक्षा ;

(१५) भारतीय नौ सेना का हायर एजूकेशन टेस्ट (जो पहले इंडियन मरकेंटाइल मेरीन ट्रेनिंग शिप 'डफरिन' का डफरिन फाइनल पासिंग आउट इक्जामिनेशन अधिशासी अथवा अभियन्त्रण कैडेटों के लिए कहलाता था) ;

(१६) कोचीन राज्य की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि सर्टीफिकेट प्राप्तकर्ता मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है ;

(१७) नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैन्ड की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(१८) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्खिन) की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ;

(१९) बोर्ड आफ इन्टरमीडिएट ऐंड सेकेन्डरी एजूकेशन, ढाका की हाई स्कूल, परीक्षा ;

(२०) नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(२१) मैनचेस्टर, लिवरपुल, लीड्स, शेफील्ड तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के संयुक्त बोर्ड की स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी, गणित, इतिहास अथवा भूगोल तथा दो अन्य विषयों में उत्तीर्ण की है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत हैं ;

(२२) संयुक्त मैट्रीक्युलेशन बोर्ड, प्रिटोरिया, दक्षिण अफीका की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(२३) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, हैदराबाद की हायर सेकेन्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी एक प्रयत्न में उत्तीर्ण हुआ है और उसने परीक्षा में सम्पूर्ण योगांक के कम से कम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तथा वह उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद की पूर्व विश्वविद्यालय कक्षा में प्रवेश का पात्र है ;

(२४) उत्कल विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(२५) प्रमुख एअर क्रैफ्ट्समैन के लिए पुनर्वर्गीकरण हेतु आई० ए० एफ० एजूकेशनल टेस्ट ;

(२६) भारतीय सेना का स्पेशल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन ;

(२७) सन् १९४६ ई० से मई, १९६४ ई० तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदिनी (मैट्रीक्यूलेशन) परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह एडवान्स्ड अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो तथा पूर्ण परी ा एक साथ अथवा एक दूसरे से दो वर्षों के बीच दो से अधिक खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई हो।

पुनश्च—प्रयाग महिला विद्यापीठ के ५५६, दारागंज, इलाहाबाद तथा १०६, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जायेंगे।

(२८) लंका की सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा जिसका बाद में नाम जेनरल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन (आर्डिनरी लेविल) परीक्षा, लंका रखा गया है ;

(२९) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एकवर्षीय अथवा तीनवर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(३०) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अंग्रेजी के साथ अधिकारी परीक्षा, जो एक से अधिक वर्ष में खंडों में उत्तीर्ण न की गई हो ;

(३१) सन् १९४६ से मई, १९६४ तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदिनी (मैट्रीक्युलेशन) परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के विनियमों के अध्याय तेरह के पुराने विनियम ७ के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में हाई स्कूल परीक्षा (जैसा कि १९५५ की विवरण-पत्रिका में दिया है)।

पुनश्च—प्रयाग महिला विद्यापीठ के ५५६, दारागंज, इलाहाबाद तथा १०६, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जायेंगे।

(३२) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान, *अजमेर द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा (जो पहले हाई स्कूल परीक्षा कहलाती थी और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित होती थी)।

(३३) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है।

(३४) जामिया मिलिया इस्लामियां, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है।

(३५) पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(३६) गौहाटी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(३७) पूना, महाराष्ट्र राज्य के सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, बोर्ड द्वारा संचालित (जो पहले बम्बई के सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती थी) सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(३८) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी प्राविधिक परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(३९) जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(४०) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाई स्कूल परीक्षा ;

---

*१७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/७०७--पांच-८ (अगस्त १९६९), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा सम्मिलित किया गया।

(४१) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन परीक्षार्थियों के लिए, जिन्होंने मैट्रीक्युलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमिशन अथवा क्वालीफाइंग परीक्षा ;

(४२) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित) पूर्व मध्यमा परीक्षा (अंग्रेजी सहित) अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा (अंग्रेजी सहित)।

(४३) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित स्कूल फाइनल परीक्षा ;

(४४) आन्ध्र विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(४५) बिहार स्कूल इक्जामिनेशन बोर्ड, पटना द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा।

(४६) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(४७) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(४८) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित) पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम दोवर्षीय पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में, जिनमें अंग्रेजी एक विषय हो, विशेष परीक्षा।

(४९) मध्य प्रदेश, जबलपुर के महाकोशल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(५०) विदर्भ, नागपुर के बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(५१) समाज सेवा विनियम के अन्तर्गत, पंजाब विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा निर्गत मैट्रीक्युलेशन सर्टीफिकेट ;

(५२) पांडिचेरी शासन की निम्नलिखित फ्रेंच परीक्षाएं—

(क) ब्रेवेट एलिमेंटेरे (फ्रेंच);

(ख) ब्रेवेट डि एटयूडस डुलर साइकिल (फ्रेंच) ;

(ग) ब्रेवेट डि एन्साइनमेन्ट प्राइमरे सुपीरियर डि लैंग्वे इंडियने (तामिल),

(घ) डि ब्रेवेट डि लैंग्वेन्इडियने (तेलुगू, मलयालम)।

(५३) केरल राज्य, त्रिवेंद्रम के बोर्ड आफ पब्लिक इक्जामिनेशन द्वारा संचालित एस० एस० एल० सी० परीक्षा।

(५४) पूर्व बंगाल सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका (पूर्व पाकिस्तान) की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा।

(५५) बड़ौदा के गुजरात सेकेन्डरी स्कूल, सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ।

(५६) सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ।

(५७) काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित विशारद परीक्षा ।

(५८) सिन्ध विश्वविद्यालय, पाकिस्तान की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ।

*(५९) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हायर सेकेन्डरी प्रथम भाग अथवा अन्य अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्य हैं तथा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र दिया जाता है ।

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी० ए० परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्ष की संख्या से अवधारित होगी ।

२–क––नीचे लिखी हुई शर्तें उन व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित संस्थाओं पर लागू होंगी, जो किसी अधिनियम अथवा चार्टर के अन्तर्गत अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं चल रही हैं । ये शर्तें उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष विनियम २, अध्याय १४ के अन्तर्गत मान्यता देने के उद्देश्य से लागू होंगी :

(१) परिषद् का एक प्रतिनिधि उस प्राधिकार में होगा जो परीक्षा के लिये अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करता है,

(२) वह संस्था अपने परीक्षा–केन्द्रों की परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किये जाने की अनुमति देगी ।

(३) वह संस्था परिषद् के प्रतिनिधियों को परिषद् के नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देगी ।

ये शर्तें उन समस्त संस्थाओं पर लागू होंगी, जो परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र देती हैं तथा उन निकायों के लिये भी, जिनकी परीक्षाएं इस अध्याय के विनियम २ (३०) तथा २ (३३) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा उसकी हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

३––कोई परीक्षार्थी उस समय तक इंटरमीडिएट परीक्षा में नहीं प्रविष्ट हो सकेगा जब तक कि उसके द्वारा हाई स्कूल अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए २ शैक्षिक वर्ष न बीत गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि जिन परीक्षार्थियों ने कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थीं) परीक्षा अथवा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा,

---

* दिनांक २७ मार्च, १९७१ के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–७/१२७०/पांच–८ (बोर्ड मई–जून ७०), दिनांक २७ फरवरी १९७१ द्वारा सम्मिलित ।

नई दिल्ली की कौंसिल द्वारा संचालित इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (केवल १९७२ तक) अथवा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एकवर्षीय अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी टेक्निकल सर्टीफिकेट परीक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा *डिमान्सट्रेशन मल्टीपरपज हायर सेकेन्डरी परीक्षा अथवा भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्रवेश अथवा अर्हता अथवा पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके तुरन्त बाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है, इंटरमीडिएट परीक्षा में पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले शैक्षिक वर्ष में प्रविष्ट हो सकते हैं ।

[टिप्पणी—इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में भी प्रविष्ट होने के पात्र हैं यदि वे वांछित शर्तें पूरी करें] ।

३–क—(विखंडित) ।

३–ख—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी कोई परीक्षार्थी, जिसने परिषद् की इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वैज्ञानिक वर्ग के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में उस शैक्षिक वर्ष के बाद के वर्ष में बैठ सकता है, जिसमें वह पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता है ।

ऐसे परीक्षार्थी को हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुनः बैठने की आवश्यकता न होगी और इन विषयों में उसके द्वारा पहले प्राप्त अंकों को सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

४—किसी छात्र को, जो एक शैक्षिक वर्ष भारत में विधिवत् स्थापित ऐसे विश्वविद्यालय अथवा भारत में ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् से संबद्ध विद्यालय में रहा है, जिसकी मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा परिषद् द्वारा मान्य है अथवा जिसने हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की उत्तर मध्यमा कक्षा, जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित होती थी, में उत्तर मध्यमा परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) की तैयारी में प्रवेश लिया है, एक वर्ष की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह इस प्रकार रहा है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह समुचित प्राधिकारी से यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है कि तत्संबंधी वर्ष का लेखा उस विश्वविद्यालय अथवा निकाय में लागू विनियमों के अनुसार, जहां से उसने प्रव्रजन किया है, विधिवत् रखा गया है, तथाकथित आचार्य को उसके स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं है ।

[टिप्पणी—कोई छात्र, जो ऊपर के प्रस्ताव में उल्लिखित किसी निकाय से संबद्ध अथवा मान्यताप्राप्त विद्यालय में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद्

*दिनांक १७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–७/७०७/पांच–८ (अगस्त, १९७०), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा सम्मिलित हुआ ।

द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में प्रविष्ट हो सकता है और उस विद्यालय के व्याख्यानों की उपस्थिति की गणना उत्तर प्रदेश के विद्यालय की उपस्थिति के साथ, पाठ्यक्रम के नियमित अध्ययन के उद्देश्य से की जायेगी, इस प्रतिबन्ध के साथ कि ऊपर के विनियम में निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं ।]

उपर्युक्त विनियम के उद्देश्य से गौहाटी तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों की इंटरमीडिएट परीक्षायें भी मान्य हैं ।

५--कृषि वर्ग के परीक्षार्थियों को छोड़कर इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी को निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायगी ।

इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम *तथा नैतिक शिक्षा का शिक्षण सभी छात्रों के लिये अनिवार्य होगा :--

(१) एक अनिवार्य विषय कृषि वर्ग को छोड़कर अन्य समस्त वर्गों के लिये ।

साहित्यिक हिन्दी--(साहित्यिक, रचनात्मक, ललित कला तथा उत्तर बेसिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये);

अथवा

सामान्य हिन्दी--(वैज्ञानिक तथा वाणिज्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये)

क--साहित्यिक वर्ग

(२--५) निम्नलिखित में से कोई चार :

(एक) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तामिल, तेलगू अथवा मलयालम);

(दो) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बतन अथवा चीनी);

(तीन) एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी अथवा लैटिन),

[परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषायें न ले सकेंगे]

(चार) इतिहास अथवा भूगोल अथवा वाणिज्य भूगोल;

(पांच) नागरिक शास्त्र;

(छः) गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा मनोविज्ञान अथवा शिक्षा-शास्त्र अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये);

(सात) अर्थशास्त्र ;

(आठ) तर्कशास्त्र अथवा समाजशास्त्र अथवा संगीत (गायन) अथवा संगीत (वादन);

(नौ) चित्रकला ।

---

*दिनांक १७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/७०७/पांच-८ (अगस्त १९६९), दिनांक १९ सितम्बर १९७० द्वारा सम्मिलित

ख—वैज्ञानिक वर्ग (प्रथम)

(क) (२—४) निम्नलिखित में से कोई तीन :

(एक) भौतिक विज्ञान;

(दो) रसायन विज्ञान;

(तीन) जीव विज्ञान;

(चार) गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये);

(पांच) भू-विज्ञान;

(छः) कुलाल विज्ञान (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) अथवा औद्योगिक रसायन ।

(ख) (५) उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक, जिसे उपहृत न किया गया हो*

अथवा

साहित्यिक वर्ग के क्रम एक, दो, चार तथा नौ में निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय ।

ख—वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय

(आयुर्वेदिक तथा यूनानी वर्ग)

(२) संस्कृत अथवा अरबी अथवा फारसी,

(३) भौतिक विज्ञान,

(४) रसायन विज्ञान,

(५) जीव विज्ञान

ग—वाणिज्य (प्रथम)

(२) बहीखाता तथा लेखा शास्त्र,

(३) व्यापारिक संगठन, पत्र-व्यवहार एवं बाजार विवरणी :

(४-५) निम्नलिखित में से कोई दो विषय :—

(एक) अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल,

(दो) अधिकोषण तत्व,

(तीन) औद्योगिक संगठन,

(चार) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (पुस्तकें संस्तुत होने तक परीक्षार्थी इसे नहीं ले सकेंगे),

(पांच) टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी

अथवा

आशुलिपि तथा टंकण अंग्रेजी

अथवा

आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी;

---

*क्रमांक (चार) के विषय दबारा नहीं लिये जा सकेंगे ।

(छः) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू अथवा मलयालम)।

अथवा

कोई एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती अथवा चीनी)।

अथवा

ग—वाणिज्य (द्वितीय)

(२) बहीखाता तथा व्यापार पद्धति,

(३-४) उच्च आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी अथवा अंग्रेजी (दो विषयों के बराबर);

(५) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तामिल, तेलुगू अथवा मलयालम)।

अथवा

कोई एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती अथवा चीनी)।

घ—रचनात्मक वर्ग

(२-३)—निम्नलिखित में से कोई एक : दो विषयों के समकक्ष ;

(एक) काष्ठ शिल्प ;
(दो) ग्रन्थ शिल्प (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए);
(तीन) सिलाई ;
(चार) धातु शिल्प ;
(पांच) कताई और बुनाई ;
(छः) चमड़े का काम।

(४-५) साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिए वैकल्पिक विषयों की सूची में से क्रम आठ में दिए गए विषयों को छोड़कर कोई दो विषय।

च—ललित कला वर्ग

(२-३ निम्नलिखित में से कोई दो :—

(१) संगीत (गायन),
(२) संगीत (वाद्य) अथवा रंजनकला,
(३) मूर्तिकला अथवा व्यावसायिक कला,
(४) चित्र कला अथवा नृत्य कला।

(४-५) साहित्यिक वर्ग के वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों में से क्रम आठ में दिए विषयों के अलावा कोई दो विषय।

ज्ञातव्य—(१) मूर्ति कला अथवा व्यावसायिक कला लेने वाले परीक्षार्थी उक्त सूची के क्रम-संख्या छः में दिए विषय भी न ले सकेंगे।

(२) संगीत (गायन अथवा वादन) तथा चित्रकला विषयों को, यदि इस वर्ग के अन्तर्गत लिया गया है, तो उन्हें साहित्यिक वर्ग के इन वैकल्पिक विषयों के रूप में नहीं लिया जा सकेगा।

छ—कृषि वर्ग

कृषि वर्ग लेने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिए विषयों में परीक्षा ली जायगी—

भाग १—(प्रथम वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धान्त में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धान्त में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
१	२	३	४	५	६
१—हिन्दी (प्रत्येक ५० अंकों के दो प्रश्न-पत्र)	१००	३३	..	..	..
२—कृषि—					
(क) प्रथम प्रश्न-पत्र—शस्य विज्ञान (सामान्य कृषि क्षेत्र की फसलें, भूमि एवं खाद तथा क्रियात्मक)	५०	१३	५०	१३	३३
(ख) द्वितीय प्रश्न-पत्र वनस्पति विज्ञान तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(ग) तृतीय प्रश्न-पत्र--भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(घ) चतुर्थ प्रश्न-पत्र—कृषि अभियन्त्रण तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(ङ) पंचम प्रश्न-पत्र—गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी	५०	१७	..	..	..
योग ..	३५०	..	२००	..	..

भाग २—(द्वितीय वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धांत में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धांत में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
१	२	३	४	५	६
१—कृषि—					
(क) षष्ठम प्रश्न-पत्र—शस्य विज्ञान (सिंचाई, जल निकास तथा वनस्पति उत्पादन) तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(ख) सप्तम प्रश्न-पत्र—अर्थ-शास्त्र	५०	१७	..	..	..
(ग) अष्टम प्रश्न-पत्र—जन्तु विज्ञान तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(घ) नवम् प्रश्न-पत्र—पशु-पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
(ङ) दशम् प्रश्न-पत्र—रसायन विज्ञान तथा क्रियात्मक	५०	१३	५०	१३	३३
योग ..	२५०	..	२००	..	..

पुनश्च—(१) कोई परीक्षार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण-पत्र का अधिकारी परीक्षा के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् होगा। परीक्षा के द्वितीय भाग (द्वितीय वर्ष) के अन्त में सफल परीक्षार्थी की श्रेणी का निर्धारण परीक्षा के प्रथम तथा द्वितीय भागों के संयुक्त अंकों के आधार पर होगा।

(२) परीक्षार्थियों को समस्त विषयों में तथा सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र और परीक्षा के भाग १ के विषय संख्या २ की क्रियात्मक परीक्षा में भी पृथकतः उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कोई परीक्षार्थी जब तक कि वह परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण न कर ले तब तक वह परीक्षा के भाग २ में प्रविष्ट न हो सकेगा।

(३) परीक्षा के प्रथम भाग में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के नाम भी गजट के भाग ४ में प्रकाशित किए जायेंगे। कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(४) परीक्षा के भाग २ में परीक्षार्थी का न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में तथा परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे।

ज—उत्तर बेसिक वर्ग

*प्रवेश—केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इसमें प्रवेश के पात्र होंगे। परन्तु इस वर्ग के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

(२) साहित्यिक वर्ग के क्रम (एक), (दो), (छः) तथा (नौ) के अन्तर्गत दिए वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय।

(३) सामुदायिक रहन-सहन तथा सम्बन्धित विज्ञान।

(४–५) निम्नलिखित तालिका के क, ख, ग और घ में से कोई एक मुख्य शिल्प तथा उस मुख्य शिल्प के सम्मुख अंकित गौण शिल्पों में से कोई एक :

मुख्य शिल्प		गौण शिल्प
(क) कृषि गोपालन	..	(१) सामान्य वस्त्रोद्योग
		(२) मधुमक्खी पालन
		(३) शाक तथा फल संरक्षण
		(४) कुक्कुट पालन
अथवा		(५) मत्स्य पालन
		(६) दुग्ध व्यवसाय
(ख) गृह शिल्प	..	(१) सिलाई
		(२) शाक तथा फल संरक्षण
		(३) तेल तथा अंगराग
		(४) कुक्कुट पालन
		(५) उद्यान कर्म—बागबानी
		(६) धुलाई, रंगाई और छपाई
		(७) दुग्धव्यवसाय

*उ० प्र० गजट, दिनांक १० जनवरी, १९७० ई० में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७/२१९१/पांच–८ (बोर्ड जुलाई, ६८), दिनांक ३० दिसम्बर, १९६९ ई० द्वारा सम्मिलित किया गया।

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
अथवा	
(ग) वस्त्रोद्योग ..	(१) सिलाई (२) धुलाई, रंगाई और छपाई (३) रासायनिक प्रोद्योग (४) उद्यान कर्म—बागबानी
अथवा	(५) बढ़ईगीरी (६) धातु शिल्प
(घ) निम्नलिखित में से कोई एक व्यवसाय—	
(१) यांत्रिक शिल्प अथवा (२) टंकण तथा आशुलिपि अथवा (३) ग्रंथ शिल्प तथा छपाई प्रोद्योग	(१) धातु शिल्प (२) बढ़ईगीरी (३) हाथ से कागज का निर्माण (४) मत्स्य पालन (५) तेल तथा अंगराग (६) चर्म कार्य

टिप्पणी—जब तक पाठ्यक्रम नहीं निर्मित हो जाते हैं, परीक्षार्थी गौण शिल्पों के अन्तर्गत रासायनिक प्रोद्योग, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तेल तथा अंगराग और मुख्य शिल्पों के अन्तर्गत यांत्रिक शिल्प, टंकण तथा आशुलिपि और ग्रंथ शिल्प तथा छपाई प्रोद्योग नहीं ले सकेंगे।

६—समस्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी के माध्यम से देंगे। इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वे इस संबंध में अधिकार दे दें, स्वविवेक से उन परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है और जिन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है या जिन्होंने वैज्ञानिक या प्राविधिक विषय लिये हैं, अंग्रेजी द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने की आज्ञा दे सकते हैं। भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्न-पत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

तथापि परिषद्, परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों की विनियम संहिता से शासित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी

माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव को प्रार्थना-पत्र देने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न-पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

[टिप्पणी—(१) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्संबंधी लिपि में देंगे, यदि प्रश्न-पत्र में ही उसके विपरीत उल्लेख न हो।

(२) परिषद् के सभापति ने अध्याय चौदह के विनियम ६ के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्रों के अधीक्षकों को यह अधिकार दे दिया है कि वे पूर्वोक्त वर्गों के परीक्षार्थियों को तथा आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं को छोड़ कर अन्य विषयों में अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दे दें।

(३) उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सभापति ने उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी अपने अधिकार, ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा उर्दू है, परन्तु जिन्होंने हिन्दी (प्रारंभिक पाठ्यक्रम) पढ़ी है, परिषद् की परीक्षा में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने के संबंध में प्रतिनिहित कर दिये हैं।]

७—अध्याय १४ के विनियम के होते हुए भी वे परीक्षार्थी, जो १९५३ या उससे पूर्व के वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षा में "विशेष युद्ध विनियमों" "शरणार्थी परीक्षार्थियों के लिये विशेष संक्रमण कालीन विनियमों (जैसे कि १९५१ की विवरण-पत्रिका में दिये हैं)" तथा "राजनीतिक पीड़ितों के लिये विशेष संक्रमणकालीन विनियमों" के अन्तर्गत बैठे तथा अनुत्तीर्ण हुये, बाद के किसी वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में, उस वर्ष के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बैठ सकते हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये विनियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

८—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी इंटरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को अनिवार्य हिन्दी [विनियम ५ (१) में उल्लिखित विषय अथवा कृषि वर्ग की हिन्दी] से छूट परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार दी जा सकती है:

(१) विदेशी राष्ट्रिकों ; तथा

(२) भारतीय राष्ट्रिक जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके, जिससे कि वे इंटरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को एक विषय के रूप में ले सकें।

प्रतिबन्ध यह है कि (१) कृषि के अतिरिक्त अन्य विषयों के वर्गों को लेने वाले परीक्षार्थियों को हिन्दी के निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम (प्रारम्भिक हिन्दी) अथवा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर एक अन्य वैकल्पिक विषय लेना चाहिये।

(२) कृषि वर्ग लेने वाले परीक्षार्थियों को हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित अंग्रेजी तृतीय प्रश्न-पत्र लेना चाहिए। कृषि वर्ग के ऐसे परीक्षार्थियों के लिये यह प्रश्न-पत्र १०० अंकों का मानकर अंक दिये जायेंगे।

[पुनश्च—(१) इस विनियम में उल्लिखित छूट सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, जिसे वह इस संबंध में अधिकार दे दें।

(२) हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारंभिक हिन्दी तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का एक ही पाठ्यक्रम होगा।

(३) प्रारम्भिक हिन्दी तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम सामान्यतः कक्षा ८ तथा ९ के समकक्ष का होगा।]

९—निरस्त।

*९—(क)—कोई परीक्षार्थी जिसने अध्याय १४ के प्राचीन विनियम नौ के अन्तर्गत परिषद् द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा केवल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण कर ली है, शेष विषयों सहित इंटरमीडिएट की आगामी परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है और वह परीक्षार्थी परीक्षा में सफल होने पर अवशिष्ट विषयों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा।

ऐसे परीक्षार्थियों को जिन्होंने विनियम नौ के अन्तर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, सम्पूर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण माना जायेगा। उन्हें कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

अध्याय पन्द्रह (क)

हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा

[प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा ९ व १०)]

१—निम्नलिखित के अनुसार हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को ६ विषयों में परीक्षा देनी होगी :—

---

*उ० प्र० गजट, दिनांक १० जनवरी, १९७० में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-७/२१९१/पांच—८ (बोर्ड जुलाई, ६८), दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ द्वारा परिवर्तित।

*इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा में शिक्षण अनिवार्य होगा।

(क) दो अनिवार्य विषय :—

(१) हिन्दी।

(२) गणित।

(ख) (३) सामान्य विज्ञान ('घ' के अन्तर्गत काष्ठ कला, चमड़े का काम अथवा बुनाई विषयों में से एक वैकल्पिक विषय लेने वाले छात्रों के लिए);

अथवा

विज्ञान (भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान) 'घ' के अन्तर्गत क्रम-संख्या (सात) से (दस) तक से एक वैकल्पिक विषय लेने वाले छात्रों के लिए।]

(ग) (४) साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दी गयी वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक।

(घ) (५–६) निम्नलिखित विषयों में से एक—(दो विषयों के समकक्ष)—

(एक) काष्ठकला,
(दो) चमड़े का काम,
(तीन) बुनाई,
(चार) वैद्युत् वायरिंग,
(पांच) हलके यांत्रिक,
(छः) लोहारी,
(सात) शीट धातु शिल्प,
(आठ) ढलाई तथा जुड़ाई,
(नौ) सामान्य अभियंत्रण के तत्व,
(दस) मुद्रण कार्य।

[काष्ठ कला, चमड़े का काम और बुनाई का पाठ्यक्रम बनने तक परीक्षार्थी इन विषयों का चयन न कर सकेंगे।]

पुनश्च—उपर्युक्त विनियम जुलाई, १९५७ और उसके पश्चात् प्रथम बार पाठ्यक्रम आरम्भ करने वाली संस्थाओं पर लागू होगा। १९५८ की हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा के लिए पहले से मान्यताप्राप्त संस्थाएं १९५८ की विवरण-पत्रिका में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षार्थियों को तैयार कर सकती हैं। परीक्षा योजना के अन्तर्गत कलात्मक धातु शिल्प का नया पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया है, जो कि चालू विवरण-पत्रिका में पुनर्मुद्रित है। विशेष दशाओं में नई संस्थाओं को भी ऐसा करने की आज्ञा दी जा सकती है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के सम्बन्ध में १९५८ की विवरण-पत्रिका में दिए हुए पाठ्यक्रम पुराने ढंग के अनुसार चलते रहेंगे।

---

*दिनांक १७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् ७/७०७/पांच—८ (अगस्त, १९६९), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा सम्मिलित।

२—प्रवेश केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही परीक्षा में प्रवेश के पात्र हैं।

३—शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम—शिक्षण एवं प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने का माध्यम पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर, जो अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, हिन्दी होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जा सकती है।

४—दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक-कार्य का निर्धारण—पूर्णांकों के २५ प्रतिशत अंक दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक कार्य के लिए नियत रहेंगे। परीक्षा संचालित करते समय वाह्य क्रियात्मक परीक्षक दिन प्रतिदिन के कार्य पर अंक प्रदान करेंगे।

५—अध्याय बारह के विनियम हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा पर लागू होंगे जहां तक कि वे इस अध्याय के विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।

६—ऊपर के विनियम २ की शर्तों के होते हुए भी किसी परीक्षार्थी को, जो हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है और जो परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना चाहता है, परन्तु एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा से पूर्व की जनवरी के अन्त तक उस मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्था के प्रधान से, जहां वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होना चाहता है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने उसकी प्राविधिक संस्था में उसके द्वारा लिए हुए मुख्य प्राविधिक विषय में तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

७—इन नियमों की शर्तों के होते हुए भी निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है—

(१) विदेशी राष्ट्रिकों, तथा

(२) [illegible]रतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण [illegible]त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि वे हाई स्कूल प्रा[illegible]रीक्षा में अनिवार्य हिंदी को ले सकें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी के निम्नस्तरीय पाठ्य-क्रम प्रारम्भिक अथवा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हों, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिए।

पुनश्च—(१) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकृत करें।

(२) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिए प्रारम्भिक तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एक ही है।

(३) प्रारम्भिक तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम सामान्यतः क्रमशः कक्षा ८ तथा ९ के पाठ्यक्रम के समकक्ष होगा।

———

अध्याय १५ (ख)

इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा

[अन्तिम दो वर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा ११–१२)]

१—निम्नलिखित के अनुसार इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की पांच विषयों में परीक्षा ली जायगी :—

*इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा में शिक्षण अनिवार्य होगा—

(क) (१) एक अनिवार्य विषय—सामान्य हिन्दी,

(ख) (२) निम्नलिखित में से कोई एक—

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तामिल, तेलगू अथवा मलयालम);

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती अथवा चीनी)।

(ग) (३–५) निम्नलिखित में से एक विषय (तीन विषयों के समकक्ष):—

(एक) वस्त्र निर्माण,
(दो) वस्त्रों का रासायनिक प्रोद्योग

} पाठ्यक्रम बनने तक परीक्षार्थी इन्हें न ले सकेंगे।

(तीन) यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व।
(चार) प्रारम्भिक वैद्युत् अभियंत्रण।
(पांच) प्रारम्भिक वास्तु अभियंत्रण।
(छः) प्रारम्भिक इलेक्ट्रानिक्स।
(सात) प्रारम्भिक मोटरयान अभियंत्रण।

प्रत्येक प्राविधिक विषय के पाठ्यक्रम के उपयुक्त गणित, विज्ञान तथा कला के पाठ्यक्रम इन विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे।

२—प्रवेश—केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र हैं।

२–क—इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा (नवीन रूप) में प्रवेश के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् की हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा (यथोचित

*दिनांक १७ अक्तूबर, १९७० के गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–७/७०७/पांच—८ (अगस्त, १९६९), दिनांक १९ सितम्बर, १९७० द्वारा सम्मिलित।

(पाठ्यक्रम सहित) अथवा कोई परीक्षा, जो विनियम द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई है, इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिए निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

परीक्षार्थियों को इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिए निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है :—

(१) सेक्रेटरी, एजूकेशन बोर्ड, उड़ीसा, कटक द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (प्राविधिक)।

३—शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम—शिक्षण एवं प्रश्न-पत्रों के उत्तर देने का माध्यम पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर, जो अंग्रेजी में दी जानी चाहिए, हिन्दी होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जा सकती है।

४—दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक कार्य का निर्धारण—पूर्णांकों के २५ प्रतिशत अंक दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक कार्य के लिए नियत रहेंगे। परीक्षा संचालित करते समय वाह्य क्रियात्मक परीक्षक दिनप्रतिदिन के कार्य पर अंक प्रदान करेंगे।

५—अध्याय १२ के विनियम लागू होंगे जहां तक कि वे इस अध्याय के विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।

६—ऊपर के विनियम २ की शर्तों के होते हुए भी किसी परीक्षार्थी को, जो इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है और जो परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना चाहता है, परन्तु एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा से पूर्व की जनवरी के अन्त तक उस मान्यताप्राप्त प्राविधिक संस्था के प्रधान से, जहां वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होना चाहता है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसने उसकी प्राविधिक संस्था में उसके द्वारा लिए हुए मुख्य प्राविधिक विषय में तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

७—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी इन्टरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है :—

(१) विदेशी राष्ट्रिकों; तथा

(२) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके, जिससे कि वे इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी के निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक अथवा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी के स्थान पर एक अन्य वैकल्पिक विषय लेना चाहिए।

पुनश्च—(१) इस विनियम में उल्लिखित छूट सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार देवें।

(२) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिए विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का इस विनियम के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थियों के लिए केवल एक ही विशेष रूप से निर्मित पाठ्यक्रम होगा।

(३) प्रारम्भिक तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम सामान्यतः क्रमशः कक्षा ८ तथा ६ के पाठ्यक्रम के समकक्ष होगा।

अध्याय सोलह

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग) तथा (ङ) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन :

१—निर्वाचक सूची की तैयारी (१) धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग) और (ङ) के अन्तर्गत निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथकतः सभापति के निर्देशानुसार सचिव द्वारा तैयार की जायगी।

(२) निर्वाचक सूची में नाम साधारणतः जिलेवार रखे जायेंगे।

(३) केवल उन संस्थाओं के आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक, जिन्हें निर्वाचन की तिथि से पूर्व १ अगस्त से पहले इंटरमीडिएट कालेज अथवा हाई स्कूल, जैसी स्थिति हो, के रूप में मान्यताप्राप्त हो गयी है, सम्बन्धित निर्वाचक सूची में अपने नाम रखाने के अधिकारी होंगे, जो अधिनियम तथा विनियमों के प्रतिबन्धों के अनुसार विधिवत् नियुक्त हुए हैं तथा ऊपर कथित तिथि पर आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के पद को ग्रहण किये हुए हैं।

व्याख्याएँ—१—यदि प्रधानाध्यापक/आचार्य पद के स्थायी पदधारी अवकाश पर हों तो वे पद को ग्रहण किये हुये समझे जायेंगे।

२—नये मान्यताप्राप्त हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट कालेज के सम्बन्ध में, संस्था मान्यताप्राप्त समझी जायगी, यदि मान्यताप्राप्त होने का पत्र १ अगस्त तक निर्गत हो चुका है तथा निरीक्षक/निरीक्षिका ने निर्वाचन की तिथि से पूर्व १ अक्तूबर तक लगायी गयी शर्तों के पूरा किये जाने की सूचना दे दी है।

(४) निर्वाचक सूची तैयार करने के उद्देश्य से सचिव, समस्त प्रधानाध्यापकों तथा आचार्यों को सूचना देते हुए निरीक्षक से प्रार्थना कर सकता है कि वह अपने जिले की संस्थाओं के आचार्यों और प्रधानाध्यापकों के नाम तथा विवरण सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें। प्रत्येक प्रधानाध्यापक तथा आचार्य ऐसा पत्र पाने पर आवश्यक सूचना सम्बन्धित निरीक्षक तथा सचिव को देगा। प्रविष्टियों की जांच के उपरान्त निरीक्षक अपने जिले की सूचियां संकलित करेगा और उन्हें सचिव के पास टिप्पणियों सहित, जो वह करना चाहे, प्रेषित करेगा।

(५) सचिव सूची की जांच करेगा और प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र के लिये निर्वाचक सूची पृथकतः संकलित करेगा।

२---निर्वाचक सूची का प्रालेख---ज्यों ही एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक सूची तैयार होती है, सचिव उसे प्रालेख में प्रकाशित करेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षण एवं प्रदर्शन हेतु उपलब्ध क`गा---

(१) अपने कार्यालय में,

(२) जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में,

(३) मंडलीय उप निरीक्षक के कार्यालय में ।

सचिव ग़जट में भी विज्ञापित करेगा कि निर्वाचक सूची का प्रालेख तैयार हो गया है और ऊपर उल्लिखित कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है ।

३---दावे तथा आपत्तियां---(१) ऊपर के विनियम २ के अन्तर्गत किसी नाम को निर्वाचक सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रत्येक दावा तथा उसकी प्रत्येक प्रविष्टि की प्रत्येक आपत्ति, विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से १५ दिन के भीतर की जानी चाहिये ।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति पर्याप्त समझे जाने वाले कारणों के फलस्वरूप दावे अथवा आपत्तियां करने की अवधि पूरे राज्य के लिये अथवा किसी जिले अथवा उसके भाग के लिये बढ़ा सकता है ।

(२) प्रत्येक दावा सभापति द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होगा ।

(३) दावा अथवा आपत्ति सचिव को सम्बोधित होना चाहिये और या तो उसे अथवा ऐसे अधिकारी को जो इसके लिये नामोद्दिष्ट हो अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाना चाहिये।

(४) दावे पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये जो अपना नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित कराना चाहता है ।

(५) जब निर्वाचन सूची में किसी व्यक्ति के नाम के समावेश पर, जिसका नाम उसमें है, आपत्ति होती है अथवा सूची की किसी प्रविष्टि के किसी विवरण पर आपत्ति होती है तो ऐसी आपत्ति में उस व्यक्ति के नाम अथवा प्रविष्टि, जैसी स्थिति हो, के सम्बन्ध में सूची में प्रविष्ट समस्त विवरण होने चाहिये ।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति आपत्ति को निर्वाचन सूची में किसी नाम के समावेश पर प्रस्तुत न करेगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचन सूची में पहले से ही समाविष्ट न हो ।

४---समय से न प्राप्त दावों और आपत्तियों की अस्वीकृति---कोई दावा अथवा आपत्ति, जो अवधि के भीतर अथवा यहां निर्धारित ढंग से नहीं प्राप्त होती है अथवा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा को जाती है जो उसका अधिकारी नहीं है, अस्वीकृत कर दी जायगी ।

५---दावों और आपत्तियों की जांच---(१) सचिव रजिस्टर्ड डाक द्वारा दावों/आपत्तियों की एक प्रति उस व्यक्ति को प्रेषित करेगा जिसके विरुद्ध को दावा/आपत्ति को गयी है और ऐसे व्यक्ति को उसके विरुद्ध की गयी आपत्ति

का उत्तर सचिव को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचिव से ऐसा पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर देना होगा। निर्धारित अवधि में ऐसा कोई उत्तर न प्राप्त होने पर यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं देना है और उसकी अनुपस्थिति में मामले पर निर्णय कर लिया जायगा।

(२) ऊपर निर्धारित ढंग से प्राप्त दावों और आपत्तियों की संनिरीक्षा करने के लिये सभापति दावों की एक समिति नियुक्त करेगा। उसमें परिषद् के दो सदस्य तथा सचिव रहेंगे।

(३) सचिव, सभापति द्वारा नियुक्त दो सदस्यों के साथ सरसरी तौर से समस्त दावों और आपत्तियों तथा उत्तरों पर, यदि कोई ऊपर के उपखंड (१) के अधीन प्राप्त हुए हों, विचार करेगा और प्रत्येक दावे और आपत्ति पर निर्णय होगा। उनमें मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय दिया जायगा जोकि अंतिम और निश्चायक होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि विरोधी दावेदारों में अत्यधिक विवाद होने पर, जो कि न्यायालय में कार्यवाही का विषय हो अथवा जब सही विधिक-स्थिति का पता लगाना कठिन हो तो ऊपर के (२) के अन्तर्गत गठित समिति सभापति को यह संस्तुत कर सकती है कि कोई भी दावेदार सूची पर अपना नाम लाने का अधिकारी नहीं होगा।

(४) उन मामलों में, जो सभापति को ऊपर के प्रतिबन्ध (३) के अन्तर्गत विचारार्थ भेजे जाते हैं, अध्यक्ष स्वविवेक से या तो उसे की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लेगा अथवा विचाराधीन दावों/आपत्तियों के सम्बन्ध में अन्य निर्देश देगा।

(५) इस विनियम की शर्तों के होते हुए भी सचिव द्वारा किसी लेखन अथवा मुद्रण अशुद्धि को, जो उसकी दृष्टि में दावों/आपत्तियों द्वारा अथवा अन्य प्रकार से आती है, शुद्ध करने पर रोक न होगी।

६--संशोधनों की सूची तैयार करना--सचिव, विनियम ५ के अन्तर्गत निर्गत निर्णयों एवं निदेशों को कार्यान्वित करने तथा किसी अन्य संशोधन के लिये जिसे सूची के किसी लेखन अथवा मुद्रण की भूलों के संशोधन के लिये आवश्यक समझता है, संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा।

७--निर्वाचक सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन--इसके पश्चात् सचिव संशोधनों की सूची के साथ निर्वाचक सूची प्रकाशित करेगा और उसकी दो पूर्ण प्रतियां प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्था में, एक प्रति प्रत्येक उम्मेदवार को तथा निरीक्षकों और मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को प्रेषित करेगा।

८--नामन आदि के लिये तिथियों का निर्धारण--परिषद् के सदस्यों में हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचक, जिसकी पूर्ति गैर सरकारी इंटरमीडिएट कालेजों/हाई स्कूलों के आचार्यों/प्रधानाध्यापकों के निर्वाचन द्वारा होना है, सभापति द्वारा नीचे लिखे ढंग से निर्धारित तिथियों पर होगा--

(१) नामन करने की अंतिम तिथि जो नीचे के विनियम ९ में उल्लिखित सम्बन्धित विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से १५ दिन से कम नहीं होगी।

(२) नामन की संनिरीक्षा की तिथि, जो साधारणतः नामन किये जाने की अंतिम तिथि से सरकारी छुट्टियों को छोड़कर तीसरा दिन होगा।

(३) उम्मेदवारी की वापसी की अंतिम तिथि, जो साधारणतः नामनों की संनिरीक्षा की तिथि के पश्चात् सरकारी छुट्टियों की छोड़कर सातवां दिन होगा।

(४) अंतिम तिथि जिस तक मत-पत्र परिषद् के सचिव के पास पहुंच जायेंगे।

९—गजट में तिथियों की विज्ञप्ति—सभापति द्वारा ऊपर के विनियम ८ में उल्लिखित तिथियां निर्धारित करने के पश्चात्, सचिव उन्हें गजट में विज्ञापित कर देगा और उनकी सूचना सम्बन्धित आचार्यों/प्रधानाध्यापकों को दे देगा और निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों से सदस्य/सदस्यों का निर्वाचन करने को कहेगा।

१०—चुनाव के लिये उम्मेदवार का नामन—कोई प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य, जो भी स्थिति हो, अपने आपको छोड़ कर किसी उम्मीदवार को सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ प्रस्तावित कर सकता है कि ऐसा उम्मीदवार निर्वाचन के लिये खड़े होने को तैयार है तथा प्रस्तावक एवं प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में है।

११—नामन-पत्र की प्रस्तुति तथा युक्ति संगत नामन के लिये अपेक्षायें—(१) ऊपर के विनियम ८ के अन्तर्गत निर्धारित तिथि पर अथवा उससे पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार अथवा उसका प्रस्तावक या तो स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) में पूर्ण नामन-पत्र को जिस पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर हों, एक मुहर-बन्द लिफाफे में सचिव को उसके कार्यालय में ११ बजे पूर्वान्ह से ४ बजे अपरान्ह के बीच देगा अथवा भिजवायेगा।

(२) इन विनियमों में, किसी उम्मीदवार को एक से अधिक नामन-पत्रों द्वारा नामित किये जाने पर कोई रोक न होगी।

१२—नामनों की संनिरीक्षा—(१) सभापति नामनों की संनिरीक्षा के लिये परिषद् के किन्हीं दो सदस्यों तथा सचिव की संनिरीक्षा-समिति के गठन हेतु नियुक्त करेगा।

(२) इस विनियम के उपखंड (१) के अन्तर्गत नामनों की संनिरीक्षा के लिये नियत तिथि पर, उम्मीदवार अथवा उसका प्रस्तावक अथवा उम्मीदवार द्वारा उल्लिखित रूप से यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति नामन-पत्रों की संनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है तथा संनिरीक्षा-समिति उन्हें समय से प्राप्त हुए समस्त उम्मीदवारों के नामन-पत्रों की जांच करने की समस्त उचित सुविधायें प्रदान करेगी।

(३) संनिरीक्षा–समिति तब समस्त नामन–पत्रों की जांच करेगी और समस्त आपत्तियों पर निर्णय देगी जो किसी नामन के विरुद्ध किए गए हों तथा या तो ऐसी आपत्ति पर अथवा अपने प्रस्ताव पर, ऐसी सरसरी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जो आवश्यक समझी जाय, किसी नामन को अस्वीकृत कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि संनिरीक्षा–समिति नामन–पत्र में उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नामों अथवा पदनामों की किसी लेखन भूल अथवा प्राविधिक भूल को सुधारे जाने की अनुमति दे देगी जिससे कि वे निर्वाचक सूची की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के अनुरूप हो जायं और जहां आवश्यक हो, निर्देश देगी कि कथित प्रविष्टियों की किसी लेखन अथवा टंकन की भूलों पर ध्यान नहीं दिया जाय।

(४) किसी उम्मीदवार का नामन, नामन–पत्र सम्बन्धी किसी अनियमितता के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायगा, यदि उम्मीदवार अन्य नामन–पत्र द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई है, यथाविधि नामित हो गया है।

(५) संनिरीक्षा–समिति किसी नामन–पत्र को किसी ऐसे दोष के आधार पर, जो उसके मत में वास्तविक स्वरूप का नहीं है, अस्वीकृत नहीं करेगी।

(६) नामन–पत्रों की संनिरीक्षा हो जाने तथा उनके स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो जाने के तुरन्त पश्चात् सचिव उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा जिनके नामन युक्तिसंगत पाये जाते हैं और उसे अपने सूचना–पट पर लगा देगा।

(७) नामनों के युक्तिसंगत अथवा अन्यथा होने के सम्बन्ध में संनिरीक्षा–समिति के निर्णय अंतिम होंगे। समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, निर्णय बहुमत के अनुसार दिया जायगा।

१३––उम्मीदवारी की वापसी––(१) कोई उम्मीदवार एक लिखित नोटिस (परिशिष्ट–ख) द्वारा, जो सचिव को इस उद्देश्य के लिये निर्धारित समय और तिथि से पूर्व दिया जाना चाहिये, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

(२) किसी व्यक्ति को, जिसने ऊपर के उप खंड (१) के अन्तर्गत अपनी उम्मीदवारी की वापसी का नोटिस दिया है, अपने वापसी के नोटिस को निरस्त करने की आज्ञा न होगी।

१४––प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों की सूची तथा मतों का अभिलेख––(१) ऊपर के विनियम १३ (१) के अन्तर्गत उस अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिसके भीतर उम्मीदवारी की वापसी हो सकती है, सचिव प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है।

(२) कथित सूची में वर्णानुक्रम में प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों के पदनामों सहित नाम होंगे जैसे कि नामन–पत्रों में दिये हैं।

(३) सचिव, रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रत्येक निर्वाचक के पास एक मत–पत्र के साथ एक सूची भेजेगा जो जिन व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को मत देना चाहता है उनके नाम के आगे गुणन–चिन्ह लगा कर अपने मत का अभिलेखन करके, मत–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे एक मुहरबन्द लिफाफे में रखेगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा "परिषद् के सदस्य के निर्वाचन का मत–पत्र" और उसे मुहरबन्द लिफाफे में स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचिव के कार्यालय में इस प्रकार देगा अथवा भिजवायेगा कि वह सचिव के पास निर्धारित समय और तिथि के भीतर पहुंच जाय ।

(४) कोई निर्वाचन इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि किसी निर्वाचक को उसका मत–पत्र प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रतिबन्ध के साथ कि विनियमों के अनुसार उसे मत–पत्र निर्गत हुआ था ।

(५) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे जितने रिक्त स्थान भरे जाने हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा ।

१५––मतों की संनिरीक्षा और गणना––(१) सभापति मतों को संनिरीक्षा और गणना के लिये परिषद् के दो सदस्यों तथा सचिव की एक समिति नियुक्त करेगा ।

(२) सभापति द्वारा नियत किये जाने वाले समय पर, मत–पत्रों के लिफाफे कथित सदस्यों की उपस्थिति में सचिव द्वारा खोले जायेंगे और तब मत–पत्रों की संनिरीक्षा की जायगी । प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार अथवा उनके यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि भी समय पर उपस्थित रह सकते हैं, यदि वे ऐसा चाहें ।

(३) यदि उसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत किसी मतदाता द्वारा दिये जाते हैं तो ऐसे मतों को एक मत स्वीकार किया जायगा । यदि मतदाता रिक्त स्थानों से अधिक मतों का अभिलेख करता हो तो उसका मत–पत्र अवैध घोषित कर दिया जायगा । जहां तक कि किसी अभिलिखित मत की वैधता का प्रश्न है, इस विनियम के उपखंड (१) के अन्तर्गत नियुक्त समिति का निर्णय अन्तिम होगा । मतभेद की दशा में, निर्णय बहुमत के आधार पर दिया जायगा ।

प्रतिपर्ण जिसमें नाम तथा अन्य विवरण रहता है, मत–पत्र से मतों की वास्तविक गणना आरम्भ होने से पूर्व अलग कर दिया जायगा ।

१६––निर्वाचित समझे जाने वाले उम्मीदवार––कोई उम्मीदवार जिसे अधिकतम संख्या में वैध मत प्राप्त हुए हों, निर्वाचित समझा जायगा । दो अथवा अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान संख्या में मत प्राप्त करने पर निर्वाचन का निर्णय चिट्ठी डाल कर होगा, जो विनियम १५ के अन्तर्गत नियुक्त समिति के सदस्यों की उपस्थिति में तथा इस ढंग से जो सचिव ठीक समझे डाली जायेंगी ।

१७—सभापति को विवरण की प्रस्तुति—संनिरीक्षा पूर्ण होने तथा मतों की गणना के पश्चात् सभापति को प्रस्तुत किये जाने के लिये विवरण तैयार किया जायगा, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मत दिखाये जायेंगे। इस विवरण पर उपर्युक्त समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।

१८—मत-पत्रों का संरक्षण—निर्वाचन के पश्चात् मत-पत्र सचिव के कार्यालय में ऐसे समय तक तथा ऐसे ढंग से रखे जायेंगे जैसा कि सभापति निर्देश दें।

१९—विनियम में जिन मामलों का प्राविधान नहीं है उनमें सभापति का अधिकार, इत्यादि—निर्वाचन से संबंध कोई मामला जिसके संबंध में नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत कोई प्राविधान नहीं है, सभापति के आदेश द्वारा विनियमित होगा जिनका निर्णय मामले में अन्तिम एवं निश्चायक होगा।

२०—दीवानी न्यायालय का अधिक्षेत्र वर्जित—निर्वाचन के संबंध में इन विनियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किये गये कार्य अथवा किसी दिये गये निर्णय पर किसी दीवानी न्यायालय का प्रश्न करने का अधिक्षेत्र न होगा।

२१—इन विनियमों के अन्तर्गत सचिव के संदर्भ का तात्पर्य सचिव, अथवा अतिरिक्त सचिव अथवा सभापति द्वारा इन विनियमों के उद्देश्य से सचिव के समस्त अथवा कोई कार्य करने के लिये नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा।

परिशिष्ट 'क'

नामन पत्र

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये निर्वाचन (प्रस्तावक द्वारा भरे जाने के लिये)

मैं एतद्द्वारा——————————आचार्य/प्रधानाध्यापक—————————— को इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग)/(ङ) के अन्तर्गत आचार्य इंटरमीडिएट कालेज/प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन हेतु नामित करता हूं—

१—प्रस्तावक का पूरा नाम——————————————————

२—पदनाम तथा संस्था का नाम जिसमें प्रस्तावक कार्य कर रहा है————
——————————————————————————————

३—आचार्य/प्रधानाध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में प्रस्तावक की क्रम-संख्या——————————————————

दिनांक——————————१९

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
(निर्वाचक सूची में क्रम-संख्या)

(उम्मेदवार द्वारा भरे जाने के लिये)

मैं ऊपर उल्लिखित उम्मीदवार, इस नामन की अनुमति देता हूं और एतद्द्वारा घोषित करता हूं।

(१) कि मैं————————कालेज/स्कूल————————जिला का यथाविधि नियुक्त आचार्य/प्रधानाध्यापक हूं। (२) कि वह संस्था जिसका कि मैं आचार्य/प्रधानाध्यापक हूं और जिसका नाम ऊपर (१) में दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा यथाविधि मान्यता-प्राप्त संस्था है।

(३) आचार्य/प्रधानाध्यापक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन सूची में मेरी क्रम-संख्या————————है।

————————

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक————१९ (निर्वाचक सूची में क्रम-संख्या)

जो अंश लागू न हो, काट दिया जाय।

टिप्पणियां—(१) खंड (ग) इंटरमीडिएट कालेजों के आचार्यों के निर्वाचन के संबंध में है, खंड (घ) हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के निर्वाचन के संबंध में है।

(२) नाम-पत्र इस प्रकार भेजे जाने चाहिये कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को————१९————की संध्या के ४ बजे तक अवश्य प्राप्त हो जायं।

परिशिष्ट 'ख'

वापसी की नोटिस

१९२१ के इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग)/(घ) के अन्तर्गत आचार्य इंटरमीडिएट कालेज/प्रधानाध्यापक हाई स्कूल निर्वाचन क्षेत्र से माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये निर्वाचन।

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

महोदय,

मैं.....उपर्युक्त निर्वाचन में नामित उम्मीदवार एतद्-द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं :

स्थान———— उम्मीदवार के पूरे हस्ताक्षर

दिनांक———— आचार्य/प्रधानाध्यापक निर्वाचन क्षेत्र की (निर्वाचक सूची में क्रम-संख्या)

यह नोटिस या तो स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचिव को नाम से प्रेषित किया जाना चाहिये।

वापसी का नोटिस इस प्रकार भेजा जाना चाहिये कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को————१९————की संध्या के ४ बजे तक अवश्य प्राप्त हो जायं।

जो अंश लागू न हो, काट दिया जाय।

अध्याय सत्रह

प्रकीर्ण

१—परिषद् की परीक्षाओं के संबंध में विस्तृत सूचना परीक्षाओं की विवरण-पत्रिका में दी जायगी जो प्रति वर्ष परिषद् के सचिव, द्वारा निर्गत होती है और जो अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से नियत मूल्य देकर प्राप्त हो सकती है ।

२—उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के नियम परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जहां तक कि वे इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं ।

३—परिषद् समय-समय पर ऐसे प्रपत्र एवं पंजी तैयार करेगी जैसे कि आवश्यक समझे जायेंगे । इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र इन विनियमों से संलग्न कर दिये जायेंगे और ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, उनमें उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों से व्यवहृत होंगे ।

४—किसी कक्षा अथवा कक्षा के खंड के लिए प्रवेश, प्राथमिक कक्षाओं को छोड़कर, हाई स्कूल को एक कक्षा अथवा कक्षा के खंड के लिए ३५ छात्रों तथा इंटरमीडिएट कक्षाओं के एक खंड में ४५ छात्रों तक सीमित रहेगा ।

५—किसी प्राविधिक संस्था द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिये प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या निम्नांकित के अनुसार होंगी :—

(१) चमड़े का काम .. ३० छात्र ।
(२) काष्ठ कर्म .. ४०-४८ छात्र ।
(३) वस्त्र उद्योग .. दोनों खंडों में मिलाकर ३० छात्र ।

६—परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए बनाये गये प्रश्न-पत्रों का प्रकाशनाधिकार परिषद् का रहेगा । प्रश्न-पत्रों को अलग से मुद्रित करने और उनको स्वतंत्र प्रकाशन के रूप में निकालने की अनुमति नहीं है ।

परिषद् की परीक्षा के लिये बनाये गये प्रश्नों अथवा प्रश्न-पत्रों को प्रश्न-पत्र विषयक किसी प्रकाशन में सम्मिलित किये जाने की अनुमति किसी लेखक अथवा प्रकाशक को निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकती है :—

(१) कि प्रकाशक अपने प्रकाशन में प्रश्नों का कोई हल सम्मिलित नहीं करेगा;

(२) कि प्रकाशक परिषद् की अनुमति का आभार स्वीकार करेगा तथा इस तथ्य को प्रकाशित करेगा कि प्रश्नों का प्रकाशनाधिकार परिषद् का है । उपर्युक्त आश्वासन प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये ५ रुपये के शुल्क सहित (प्रकाशन के प्रति संस्करण के लिये) प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा वांछित अनुमति निर्गत की जा सकती है ।

भाग तीन

(इन्टरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा २० के अन्तर्गत बनाई गई परिषद् की उपविधियां)

१—परिषद् की समस्त बैठकों में सभापति सहित सात सदस्यों का कोरम होगा ।

२—यदि कोरम उपस्थित नहीं है तो बैठक के लिये विज्ञापित समय से ३० मिनट पश्चात् कोई बैठक न होगी ।

यह बात परिषद् की समितियों तथा परिषद् द्वारा नियुक्त उप समितियों अथवा उसकी विभिन्न समितियों के संबंध में भी लागू होगी ।

३—यदि किसी बैठक के दौरान, कोई सदस्य कोरम की अनुपस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तो सभापति बैठक को भंग कर देगा ।

४—प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और मतों के एक समान विभाजित होने की दशा में, सभापति का एक द्वितीय मत होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ३ (३) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों के आमेलन, धारा १३ (१) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों के उसकी समितियों में निर्वाचन तथा अधिनियम की धारा १३ (३) के अन्तर्गत व्यक्तियों के समितियों में आमेलन के लिये, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एक संक्रमणीय मत द्वारा होगा । निर्वाचन के ढंग को एक संक्रमणीय मत द्वारा अनुशासित करने वाली अनुसूची परिशिष्ट 'क' में दी है ।

५—यदि कोई सदस्य परिषद् की किसी बैठक में सभापति के आदेश अथवा व्यवस्था की निरन्तर अवहेलना करता है अथवा उसको चुनौती देता है तो सभापति बैठक का मत ले सकता है कि क्या ऐसे सदस्यों को उस दिन के लिये निलम्बित नहीं कर दिया जाय । यदि उपस्थित सदस्य निलम्बन का निर्णय करते हैं तो सभापति अपराधी सदस्य को निलम्बित घोषित कर देगा और ऐसे सदस्य को अविलम्ब प्रत्याहरण के लिये बाध्य होना पड़ेगा ।

६—कोई प्रस्ताव जो परिषद् द्वारा अमान्य कर दिया गया है, अमान्य किये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभापति की अनुमति के सिवाय पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

७—परिषद् की समस्त बैठकों का सभापतित्व परिषद् के पदेन सभापति द्वारा किया जायगा । सभापति की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य सभापति का निर्वाचन करेंगे ।

८—परिषद्, उसकी समितियों तथा उप-समितियों की बैठकें, जब तक कि विशेष कारणों से सभापति इसके प्रतिकूल आदेश न दें, इलाहाबाद में ही होंगी ।

९—परिषद् के आमेलित सदस्यों का निर्वाचन परिषद् की वार्षिक बैठक में होगा ।

१०—परिषद् की बैठकों की लिखित सूचना, बैठक की कार्य–सूची–पत्र के साथ परिषद् के समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व भेजी जायगी ।

११—सभापति की सहमति के बिना, कार्य–सूची–पत्र में दी हुई कार्यवाही के अतिरिक्त किसी बैठक में कोई अन्य कार्यवाही न होगी ।

१२—परिषद् की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य पहुंच जाना चाहिये ।

१३—प्रस्ताव के लिये उचित नोटिस दिया गया है, इस विषय के समस्त प्रश्नों का निर्णय सभापति द्वारा किया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

१४—(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव, जिसका यथाविधि नोटिस नहीं दिया गया है, परिषद् की बैठक में नहीं रखा जायगा—

(१) किसी वादविवाद को स्थगित करने का,

(२) किसी बैठक को स्थगित करने का,

(३) किसी बैठक को भंग करने का,

(४) कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,

(५) किसी मामले को विभाग अथवा विश्वविद्यालय अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,

(६) विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का,

(७) कोई समिति नियुक्त करने का,

(८) बैठक को एक समिति में विघटित करने का,

(९) यह प्रस्तावित करना कि प्रश्न अब प्रस्तुत किया जाय ।

(ख) ऊपर के (१), (२), (६) अथवा (९) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बिना मत लिया जायगा ।

(ग) (१), (२), (३), (४), (६), (८) और (९) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे ।

१५—प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और "कि" शब्द से आरम्भ होगा ।

१६—प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिये अन्यथा वह गिर जायगा । प्रस्ताव का अनुमोदन, सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है ।

१७—जब कोई प्रस्ताव, जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है, बहस किये जाने से पूर्व, सभापति द्वारा कथित होगा ।

१८—यदि सभापति द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त कोई सदस्य प्रस्ताव पर बोलने को नहीं खड़ा होता है, तो सभापति उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा ।

१९—एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर नहीं प्रस्तुत किये जायेंगे ।

२०—एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायगा ।

२१—कोई ऐसा संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायगा जो मूल प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक करे ।

२२—प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से संबद्ध होना चाहिये जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है ।

२३—कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायगा जो मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निबटाया हुआ प्रश्न उठाता है अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से असम्बद्ध हो ।

२४—जो संशोधन ठीक रूप में है, उन्हें किस क्रम से लिया जायगा, यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा ।

२५—किसी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव की भांति होना चाहिये अन्यथा वह गिर जायगा । संशोधन का अनुमोदन सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है ।

२६—एक संशोधन, जो ठीक रूप में है, जब प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाता है अध्यक्ष द्वारा कथित होगा ।

२७—भंग करने अथवा स्थगन के प्रस्तावक को उत्तर का अधिकार नहीं है ।

२८—जब सभापति यह जान लेगा कि बैठक को संबोधित करने का अधिकारी कोई अन्य सदस्य नहीं बोलना चाहता है, तो मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक पूरे वाद-विवाद का उत्तर देगा ।

२९—प्रस्तावक द्वारा उत्तर आरम्भ करने के पश्चात् कोई सदस्य प्रश्न पर नहीं बोलेगा ।

३०—जब बहस समाप्त हो जाती है, तो सभापति उसका सार प्रकट करने के उपरान्त, यदि चाहे, तो इस प्रकार प्रश्न पर मत ले सकता है—

(१) यदि कोई संशोधन है तो सभापति प्रस्ताव और संशोधन को कहेगा और बैठक का मत लेगा ।

(२) यदि संशोधन अस्वीकृत हो जाता है, तो मूल प्रस्ताव सभापति द्वारा पुनः रखा जायगा और पहले की उपविधियों के अधीन कोई दूसरा संशोधन, जो ठीक है, उसके पश्चात् प्रस्तावित किया जायगा ।

(३) यदि कोई संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव सभापति द्वारा रखा जायगा और तब उस पर मौलिक प्रश्न के रूप में बहस होगी, जिस पर मूल प्रस्ताव के कोई और संशोधन, जो ठीक रूप में हो, जहां तक कि वे लागू हो सकेंगे, पहले की उपविधियों के अधीन प्रस्तावित किये जा सकते हैं । जब इस प्रकार समस्त संशोधनों पर कार्यवाही हो जायगी, तब सभापति संशोधित प्रस्ताव पर मौलिक प्रस्ताव के रूप में मत लेगा ।

३१—भंग करने अथवा स्थगन का प्रस्ताव किसी भी समय एक स्पष्ट प्रश्न के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु एक संशोधन के रूप में नहीं और न किसी भाषण में रुकावट डालने के लिये ही ।

३२—यदि भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बैठक के विचाराधीन कार्यवाही समाप्त हो जायगी ।

३३—यदि स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बैठक स्थगित हो जायगी और कार्यवाही स्थगित बैठक में पुनः प्रारम्भ की जायगी ।

३४—बहस को किसी निर्दिष्ट तिथि तथा समय के लिये स्थगन का प्रस्ताव भी इसी प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि स्वीकृत हो जाय तो विचाराधीन प्रश्न पर बहस निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक स्थगित हो जायगी और कार्य-सूची-पत्र के अन्य विषयों को लिया जायगा । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो बहस पुनः आरम्भ होगी ।

३५—कोई बैठक अथवा बहस, जो किसी स्थगन के बाद फिर आरम्भ होती है अथवा चलती रहती है, स्थगन से पूर्व की समझी जायगी ।

३६—कार्यवाही के अगले विषय के लिये बढ़ने का प्रस्ताव किसी समय उसी ढंग से तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत, जो स्थगन के लिये हैं, किया जा सकता है । यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विचाराधीन प्रस्ताव तथा उसका संशोधन, यदि कोई हो, गिर जायगा ।

३७—प्रस्ताव अथवा संशोधन रखे जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य सभापति से प्रश्न करने की प्रार्थना कर सकता है और यदि सभापति को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो चुकी है तो वह प्रस्तावक से उसका उत्तर मांगते हुये बहस को समाप्त कर सकता है और तब प्रश्न पर मत ले सकता है ।

३८—कोई भी सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन रखते समय १५ मिनट से अधिक अथवा अनुमोदन करते समय अथवा किसी प्रस्ताव या संशोधन पर बोलते समय अथवा उत्तर देते समय १० मिनट से अधिक नहीं बोलेगा ।

३९—सभापति कार्यवाही में किसी समय स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य की प्रार्थना पर प्रस्ताव अथवा संशोधन का, जो बैठक के सामने है, क्षेत्र और प्रभाव समझा सकता है । यदि वह चाहे तो वाद-विवाद की समाप्ति पर वाद-विवाद का सार भी प्रकट कर सकता है ।

४९६ एच० एस० आई०—१९७१—११

४०—कोई सदस्य, जब कोई दूसरा बोल रहा हो, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी वाक्यांश का स्पष्टीकरण करने के लिये, जो वक्ता द्वारा गलत समझा गया हो, सभापति की अनुमति से खड़ा हो सकता है, परन्तु वह अपने को केवल ऐसे स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखेगा ।

४१—कोई सदस्य सभापति का ध्यान किसी वैधानिक प्रश्न पर उस समय भी दिला सकता है जिस समय अन्य सदस्य बैठक को सम्बोधित कर रहा हो, परन्तु ऐसे वैधानिक प्रश्न पर कोई भाषण नहीं दिया जायगा ।

४२—सभापति किसी भी वैधानिक प्रश्न का एकमात्र निर्णायक होगा और वह किसी भी सदस्य को व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो बैठक को भंग अथवा उसी दिन या अगले दिन कुछ घंटे के लिये स्थगित कर सकता है ।

४३— सभापति की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा, जिसने किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन का नोटिस दिया है, प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लिया जा सकता है ।

४४—एक सदस्य के नाम का कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन, जो बैठक में अनुपस्थित हो, किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जा सकता है ।

४५—किसी प्रश्न पर मत लेने पर सभापति परिषद् के मत का संकेत स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में जानने को हाथ उठवायेगा और अपने मत के अनुसार उसका परिणाम घोषित करेगा ।

४६—किसी विवादग्रस्त मामले पर समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा किसी समय और बिना पूर्व नोटिस के रखा जा सकता है ।

४६-(क)—परिषद् अथवा उसकी समिति की बैठक में उप समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव निम्नलिखित को छोड़कर नहीं रखा जायगा—

(१) परिषद् की परीक्षाओं में काफी बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में उसी स्थान पर जांच करने के लिये किसी केन्द्र के एक-आध मामलों में अथवा थोड़े से मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा जांच की जायगी ।

(२) उन मामलों की विस्तार से जांच, जिनकी सावधानी से संनिरीक्षा की जानी है तथा जो परिषद् अथवा उसकी समितियों की बैठक में नहीं निबटाये जा सकते हैं ।

४६-(ख)—ऐसी उप-समिति में परिषद् के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् तथा उसकी समितियां प्रत्येक दशा में ठीक समझें, इस प्रतिबन्ध के साथ कि सदस्यता साधारणतया तीन से अधिक न होगी ।

टिप्पणी—उपविधि ४६-क तथा ४६-ख परिषद् द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति में लागू न होगी ।

४७—किसी समिति के नियुक्ति के प्रस्ताव में उस उद्देश्य का कथन, जिसके लिये समिति को कार्य करना है तथा उसके सदस्यों की संख्या होना चाहिये। संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के संशोधन बिना पूर्व नोटिस के रखे जा सकते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रस्ताव रखने वाला सदस्य उन व्यक्तियों के नाम बतायेगा, जिन्हें वह समिति में रखना चाहता है। तब, यदि आवश्यक हुआ, तो मान लिया जायगा और वांछित संख्या में सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होगी जो अधिकतम मत प्राप्त करते हैं।

४८—किसी समिति का संयोजक समिति की नियुक्ति के समय नियुक्त किया जायगा।

४९—परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के निश्चय एक आख्या में समाविष्ट किये जायेंगे। आख्या परिषद् को उसकी आगामी बैठक में यथाविधि नोटिस देकर प्रस्तुत की जायगी।

५०—परिषद् के सचिव द्वारा संयोजकों के परामर्श से समितियों तथा उप-समितियों की बैठकों की तिथियां नियत की जायंगी।

समिति की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक के कार्य-सूची-पत्र के साथ बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित की जायगी। इसी प्रकार उप-समितियों की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रेषित की जायंगी।

५१—परिषद् की समस्त साधारण समितियों की बैठकें यथासंभव परिषद् की बैठकों से पूर्व तुरन्त होंगी।

५२—समिति अथवा उप-समिति का संयोजक समिति की प्रत्येक बैठक की आख्या की एक प्रति सचिव को उपस्थित सदस्यों की सूची सहित प्रेषित करेगा।

५३—किसी समिति अथवा उप-समिति का कोरम उसके सदस्यों के एक-तिहाई से कम न होगा।

५४—यदि किसी समिति अथवा उप-समिति की बैठक कोरम की कमी के कारण नहीं होती है, बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायगी जब कि उपस्थित सदस्य कोरम की अनुपस्थिति में भी मूल बैठक में विनिश्चित कार्यवाही करेंगे। किसी बैठक की कार्यवाही, जो कोरम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, पत्र-व्यवहार द्वारा भी हो सकती है।

५५—पाठ्यक्रम समितियां अपनी कार्यवाही अंशतः बैठक द्वारा तथा अंशतः पत्र-व्यवहार द्वारा पूरी कर सकती हैं।

५६—परिषद् की समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। मतों के समान

विभाजन की दशा में सभापतित्व करने वाले व्यक्तियों का एक द्वितीय मत होगा ।

५६—(क)
५६—(ख) } विखंडित
५६—(ग)

५६—(घ) जब तक कि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय की पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, उस समय तक कोई पुस्तक, जिसका वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद् की किसी भी परीक्षा में स्वीकृति अथवा संस्तुति न होगी।

५७—परिषद् की बैठक के बाद यथासंभव शीघ्रता से बैठक के कार्य वृत्त का आलेख सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत किया जायगा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायगा। तब कार्यवृत्त मद्रित कराया जायगा और समस्त सदस्यों में परिचालित कराया जायगा। उपस्थित सदस्य कार्यवृत्त निर्गत होने के १५ दिन के भीतर सचिव को उसकी शुद्धता संबंधी आपत्तियों की सूचना देंगे। कार्यवृत्त तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, परिषद् की आगामी बैठक में रखी जायेंगी और तब कार्यवृत्त की अंतिम रूप में पुष्टि की जायगी ।

५८—किसी मामले में, जिसकी इन उप विधियों में व्यवस्था न हो, सभापति को कार्यविधि के संबंध में अपनी व्यवस्था देने का अधिकार होगा ।

परिशिष्ट 'क'

(कृपया उपविधि ४ का अवलोकन करें)

अनुसूची

एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि के संबंध में उपबन्ध

१—निम्नलिखित अनुच्छेदों में—

(अ) "उम्मेदवार" का अर्थ बैठक में यथाविधि योग्यताप्राप्त तथा नामित व्यक्ति है ।

(आ) "सभापति" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का सभापति है ।

(इ) "अविरामी उम्मेदवार" का अर्थ निर्वाचित न हुए अथवा किसी नियत समय पर मतदान के लिये न छोड़े गये सदस्य से है ।

(ई) "निश्शेषित पत्र" का अर्थ वह मत-पत्र है, जिस पर अविरामी उम्मेदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख न हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पत्र उस दशा में भी निश्शेषित समझा जायगा ; यदि

(१) दो अथवा अधिक उम्मेदवारों, चाहे वे अविरामी हों या नहीं, के नामों के आगे वही संख्या अंकित है और वरीयता के क्रम में वे अगले ही स्थान पर हैं।

(२) वरीयता के क्रम में अगले उम्मेदवार का नाम, चाहे वह अविरामी हो अथवा नहीं, अंकित है—

(क) एक ऐसी संख्या द्वारा जो मत-पत्र की किन्हीं संख्याओं के बाद क्रम से न हों, अथवा

(ख) ो अथवा दो से अधिक संख्याओं द्वारा।

(उ) "प्रथम वरीयता" का अर्थ उस उम्मेदवार से है जिसके नाम के आगे मत-पत्र पर संख्या १ अंकित हो, "द्वितीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मेदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या २ तथा "तृतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या ३ हो और इसी प्रकार।

(ऊ) "मूलमत" का अर्थ किसी भी उम्मेदवार के संबंध में कि ी मत-पत्र से प्राप्त मत से है जिस पर ऐसे उम्मेदवार के लिये प्रथम वरीयता का अभिलेख हो।

(ए) "सचिव" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सचिव से है और उसमें अतिरिक्त सचिव भी सम्मिलित हैं।

(ऐ) "कोटा" का अर्थ मतों के निम्नतम मूल्य से है जो उम्मेदवार के निर्वाचन के लिये पर्याप्त हो।

(ओ) "अतिरिक्त" का अर्थ उस संख्या से है जो किसी उम्मेदवार के मूल तथा स्थानान्तरित मतों के कोटे से अधिक होना है।

(औ) "स्थानान्तरित मत" का किसी उम्मेदवार के संबंध में अर्थ ऐसे मत से है जो मत-पत्र पर दिया गया है, जिस पर द्वितीय अथवा बाद के वरीयता के मत का अभिलेख ऐसे उम्मेदवार के लिये है और ऐसे उम्मेदवार के लिये जिसका मूल्य अथवा मूल्य का अंश प्राप्त होना है।

(अं) "अनिश्शेषित पत्र" का अर्थ है वह मत-पत्र जिस पर एक अविरामी उम्मेदवार के लिये और वरीयता का अभिलेख हो।

२—परिषद् अथवा संबंधित समितियों के सदस्य जो यथाविधि संयोजित बैठकों में उपस्थित होंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे। नि र्वाचन के लिये नाम लिखित रूप से प्रस्तावित किये जायेंगे और उम्मेदवा ी की वापसी बैठक में उसी रूप से होगी

३—यदि प्राप्त नामनों की संख्या अथवा वापस लिये गये नामों को, यदि कोई हो, घटा कर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान हो, तो अध्यक्ष इस प्रकार नामित उम्मेदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

४—यदि उपर्युक्त के अनुसार यथाविधि नामित सदस्यों की संख्या, वापस लिये गये नामों को घटा कर, यदि कोई हो, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक है तो निर्वाचन होगा और मत-पत्रों की संनिरीक्षा तथा गणना सचिव द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सहायता से की जायगी जो सभापति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

५—सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत निर्वाचन के संचालन के लिये समस्त आवश्यक कार्य करेगा।

६—निर्वाचन अधिकारी सभापति को एक परिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथाविधि निर्वाचित सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे।

७—सचिव नामन एवं मत-पत्रों को एक मुहरबन्द [पैकेट] में रखेगा जो ६ मास की अवधि तक संरक्षित [रखा जायगा।

८—मतदान मत-पत्र द्वारा होगा। प्रत्येक [मत-पत्र में निर्वाचन के लिये यथाविधि नामित] समस्त सदस्यों के नाम मुद्रित होंगे।

९—यदि कोई सदस्य असावधानता से कोई मत-पत्र खराब कर देता है तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को लौटा देगा, जो ऐसी असावधानता से संतुष्ट होने पर उसे दूसरा मत-पत्र देगा और खराब हुए पत्र को अपने पास रख लेगा और यह खराब हुआ पत्र तुरन्त ही रद्द कर दिया जायगा।

१०—प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अपना मत देने में प्रत्येक सदस्य :

(क) अपने मत-पत्र पर उस उम्मेदवार के नाम के सामने संख्या १ लिखेगा जिसे वह मत देता है।

(ख) इसके साथ अपनी पसन्द अथवा वरीयता का क्रम जितने उम्मेदवारों के लिये वह चाहे, उनके विभिन्न नामों के सामने २, ३, ४ आदि संख्या क्रमानुसार लिखकर प्रकट करेगा।

११—मत-पत्र अवैध हो जायगा—

(क) जिस पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करता है अथवा कोई शब्द लिखता है अथवा कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे वह पहचानने योग्य हो जाय, अथवा

(ख) जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र पर नहीं है, अथवा

(ग) जिस पर संख्या १ नहीं अंकित है, अथवा

(घ) जिस पर संख्या १, एक से अधिक उम्मेदवारों के नाम के सामने अंकित की गई है, अथवा

(ङ) जिस पर संख्या १ तथा कुछ अन्य संख्याएं एक ही उम्मेदवार के नाम के सामने अंकित की गयीं हैं, अथवा

(च) जो अचिन्हित है अथवा अनिश्चय के कारण रद्द है।

१२—निर्वाचन अधिकारी इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों को पूरा करने में—

(क) समस्त अपूर्णांकों की अवहेलना करेगा।

(ख) पहले से निर्वाचित अथवा मतदान से निकाले गए उम्मेदवारों के लिए अभिलिखित वरीयता की ओर ध्यान न देगा।

१३—मतदान के लिए नियत समय के यथाशीघ्र बाद में, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों की जांच करेगा और उनमें से अवैध पाए जाने वाले मत-पत्र अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होने के पश्चात् अलग रख दिए जायेंगे। शेष पत्रों को वह प्रत्येक उम्मेदवार के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता के अनुसार बंडलों में विभाजित करेगा। तब वह प्रत्येक बंडल के मत-पत्रों की संख्या की गणना करेगा।

१४—इन नियमों द्वारा नियत कार्यविधि की सुविधा के लिए प्रत्येक मत-पत्र सौ रुपए के मूल्य का समझा जायगा।

१५—तब निर्वाचन अधिकारी समस्त बंडलों के पत्रों का मूल्य जोड़ेगा और योग में, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में एक जोड़ कर भाग देगा और भाज्य-फल में एक जोड़ देगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मेदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या होगी जो इसके पश्चात् "कोटा" कहलाएगी।

१६—यदि इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किसी समय निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान कुछ उम्मेदवारों ने कोटा प्राप्त कर लिया, तो ऐसे उम्मेदवारों को निर्वाचित माना जायगा तथा और आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

१७—(१) प्रत्येक उम्मीदवार जिसके बंडल का मूल्य, प्रथम वरीयता की गणना करने पर कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा, निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(२) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा के समान है, तो पत्रों पर अन्तिम रूप से हुई कार्यवाही मान कर उन्हें अलग रख दिया जायगा।

(३) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है तो अतिरिक्त को अविरामी उम्मेदवारों के लिए, जो मतदाता के वरीयता-क्रम में मत-पत्रों में अगले स्थान पर हैं, नीचे लिखे अनुच्छेदों में निर्दिष्ट रूप में स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

१८—(१) यदि और जब भी इन अनुच्छेदों में नियत किसी कार्य के फलस्वरूप किसी उम्मेदवार के कुछ अतिरिक्त मत आते हैं तो ये अतिरिक्त मत अनुवर्ती उप अनुच्छेदों में नियत ढंग से स्थानान्तरित किए जायेंगे।

(२) यदि एक से अधिक उम्मेदवार के अतिरिक्त मत हैं तो पहले सर्वाधिक अतिरिक्त पर और अन्य पर अधिकता के क्रम में विचार होगा इस प्रतिबन्ध के साथ कि मतों की प्रथम गणना में आये प्रत्येक अतिरिक्त मत पर द्वितीय गणना में आए हुए से पहले विचार होगा और इसी प्रकार क्रम चलेगा।

(३) जहां दो अथवा ज्यादा अतिरिक्त मत बराबर हैं, निर्वाचन अधिकारी, अनुच्छेद २३ के अनुसार निर्णय देगा कि पहले किस पर विचार किया जाय।

(४) (क) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त मत केवल मूल मतों से ही हैं तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के बंडल के समस्त पत्रों की जांच करेगा, जिसके अतिरिक्त मत स्थानान्तरित होने हैं और अनिश्शेषित-पत्रों को उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार विभाजित करेगा। वह निश्शेषित-पत्रों के लिए एक अलग-उप-बंडल भी बनाएगा।

(ख) वह ऐसे उप-बंडल में पत्रों का तथा समस्त अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य निर्धारित करेगा।

(ग) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मतों के समान अथवा उनसे कम है, तो वह समस्त अनिश्शेषित पत्रों को उस मूल्य पर जिस पर वे उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त हुए थे, जिनके मतों का स्थानान्तरण हो रहा है, स्थानान्तरित कर देगा।

(घ) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मत से अधिक है तो वह अनिश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों को स्थानान्तरित कर देगा और वह मूल्य जिस पर प्रत्येक मत स्थानान्तरित किया जायगा, अतिरिक्त मतों को अनिश्शेषित पत्रों की पूर्ण संख्या से विभाजित करके निर्धारित करेगा।

(५) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त मत स्थानान्तरित किए जाने वाले तथा मूल मतों से उत्पन्न होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अन्तिम बार स्थानान्तरित उप बंडल के सभी पत्रों की पुनः जांच करेगा और अनिश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों में, उन पर अभिलिखित आगामी वरीयता के अनुसार विभाजित करेगा। तब वह उप-बंडलों पर उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा जैसी कि अन्तिम पूर्व अनुच्छेद के उप-बंडलों के सम्बन्ध में प्राविधानित है।

(६) प्रत्येक उम्मीदवार को, स्थानान्तरित पत्र ऐसे उम्मीदवार को पहले से प्राप्त पत्रों के साथ एक उप-बंडल के रूप में जोड़ दिए जायेंगे।

(७) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के बंडल अथवा उप-बंडलों के समस्त पत्र, जो इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं हुए हैं, अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

१९—(१) यदि, यथापूर्व निर्देशानुसार, समस्त अतिरिक्त मतों के स्थानान्तरित होने के बाद वांछित संख्या से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी मतदान में सबसे नीचे उम्मीदवारों को हटा देगा और उसके अनिश्शेषित पत्रों को अविरामी उम्मीदवारों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार बांट देगा। कोई भी निश्शेषित पत्र अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(२) किसी हटाए हुए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके मूल मत होंगे, पहले स्थानान्तरित होंगे, प्रत्येक पत्र का स्थानान्तरित मूल्य एक सौ रुपया होगा।

(३) तब एक हटाए गए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके स्थानान्तरित मत होंगे, स्थानान्तरण के उस क्रम में स्थानान्तरित होंगे जिसमें और जिस मूल्य पर उसने उन्हें प्राप्त किया था।

(४) ऐसा प्रत्येक स्थानान्तरण एक पृथक् स्थानान्तरण समझा जायगा।

(५) इस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित विधि सबसे कम मत पाने वाले एक के बाद एक उम्मीदवार के हटाए जाने में उस समय तक दुहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति या तो किसी उम्मीदवार के कोटा से निर्वाचन द्वारा अथवा जैसा बाद में प्राविधानित है, उसके अनुसार नहीं हो जाती है।

२०—यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होता है, तो उस समय चलने वाला स्थानान्तरण पूरा किया जायगा, परन्तु उसके आगे अन्य पत्र उसे स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे।

२१—(१) यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(२) यदि किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान होगा, तो वे समस्त पत्र जिन पर इन मतों का अभिलेख होगा, अन्तिम रूप से विचार किए गए के रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

(३) यदि किसी ऐसे उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा से अधिक होगा तो उसके अधिक मतों को किसी अन्य उम्मीदवार के हटाए जाने से पूर्व प्राविधानित रूप में बांट दिया जायगा।

२२—(१) जब अविरामी उम्मीदवारों की संख्या, बिना भरी हुई रिक्तियों की संख्या के बराबर रह जाय, तो अविरामी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(२) जब केवल एक रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और किसी अविरामी उम्मीदवार के मतों का मूल्य अन्य अविरामी उम्मीदवार के समस्त मतों के कुल मूल्य से, न स्थानान्तरित हुए अतिरिक्त मतों सहित, अधिक हो जाता है, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(३) जब केवल एक रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और केवल दो अविरामी सदस्य रहें और उन दोनों उम्मीदवारों में से प्रत्येक के मतों का मूल्य एक समान हो और कोई अतिरिक्त मत स्थानान्तरित करने योग्य न बचे तो एक उम्मीदवार आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अन्तर्गत हटाया हुआ घोषित किया जायगा और दूसरा निर्वाचित हुआ घोषित किया जायगा।

२३—यदि जब एक से अधिक अतिरिक्त मत बांटने को रहे, दो या अधिक अतिरिक्त मत समान हों अथवा जब किसी समय किसी उम्मीदवार को हटाना आवश्यक हो जाय और दो या दो से अधिक उम्मीदवार के मतों का मूल्य एक ही हो और उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हों, तो प्रत्येक उम्मीदवारों के मूल

मतों का ध्यान रखा जायगा और उस उम्मीदवार के जिसे सबसे कम मूल मत प्राप्त हुए हैं, अधिक अतिरिक्त मत सबसे पहले बांटे जायेंगे, अथवा वह सबसे पहले हटाया जायगा, जैसी भी स्थिति हो। यदि उनके मूल मतों का मूल्य समान है तो निर्वाचन अधिकारी चिट्ठी डाल कर निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार के अतिरिक्त मत बांटे जायेंगे अथवा किसे हटाया जायगा।

२४--(१) निर्वाचन की समितियों में ले जाने से पूर्व, परिषद् इन समितियों के लिए निर्वाचन का क्रम नियत करेगी, जिसका जहां तक कार्यान्वित करने योग्य होगा, पालन किया जायगा।

(२) जब कोई व्यक्ति, अध्याय ३, विनियम ६ में निर्दिष्ट किन्हीं दो वर्गों की अधिकतम संख्या की समितियों में जिसकी अनुमति है, निर्वाचित हो जाता है, तो वह उस वर्ग की शेष समितियों में निर्वाचन का उम्मीदवार होने का पात्र न रहेगा।

(३) परिषद् यह निर्दिष्ट करेगी कि किसी पाठ्यक्रम समिति में नामित उसके कौन से सदस्य उस विषय के विशेषज्ञ हैं। परिषद् यह भी निर्णय करेगी यदि ऐसी समिति का कोई सदस्य, परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त, उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है और ऐसे उम्मीदवार का नामन अवैध हो जायगा।

२५--यदि किसी पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए परिषद् का केवल एक सदस्य ही नामित होता है, तो वह तुरन्त निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा और शेष रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन चलता रहेगा।

२६--यदि पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिषद् के दो अथवा अधिक ऐसे सदस्य उम्मीदवार हैं जो विशेषज्ञ नहीं हैं, तो प्रारम्भिक निर्वाचन, ऐसे सदस्यों में से जो विशेषज्ञ नहीं हैं, एक को छोड़कर अन्य सब को हटाने के लिए किया जायगा। तब निर्वाचन सामान्य रूप से चलेगा।

२७--जब एक पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन में केवल एक रिक्त स्थान की पूर्ति होनी रह जाय और कोई भी परिषद् का सदस्य निर्वाचित न हो तो परिषद् का अधिकतम मत प्राप्त करने वाला सदस्य अन्तिम निर्वाचित सदस्य के अधिक मतों का स्थानान्तरण करके निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि इस समय तक परिषद् के समस्त सदस्य हटाए जा चुके हैं, अन्तिम हटाया जाने वाला सदस्य निर्वाचित घोषित किया जायगा।

२८--रचनात्मक विषयों की पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अन्य पाठ्यक्रम समितियों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यविधि नीचे लिखी सीमा तक आशोधित की जायगी :

(१) दस रिक्तियां रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक दस विषयों के लिए पृथक् निर्वाचन द्वारा भरी जायंगी।

(२) तब ग्यारहवीं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, मूल नामितों में से, जो पहले चुने जा चुके हैं उन्हें छोड़कर होगा, इस प्रतिबन्ध के साथ

कि यदि ऊपर के (१) के अन्तर्गत परिषद् का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है, तो यह निर्वाचन केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा जो परिषद् के सदस्य हैं।

२९—पाठ्यचर्या—समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में, इन नियमों म निर्दिष्ट कार्यविधि इस प्रकार और विनियमित की जायगी—

(१) सामान्य रूप से प्रारम्भ में नामन आमन्त्रित किए जायेंगे। परिषद् का सदस्य किसी उम्मीदवार को नामित करते समय, जो एक से अधिक पाठ्य-क्रम-समितियों का सदस्य है, उस पाठ्यक्रम-समिति का नाम निर्दिष्ट करेगा जिसका कि चुनाव के लिए उसका नामित व्यक्ति सदस्य समझा जायगा। उसी उम्मीदवार के अनेक नामन, उसकी इच्छा के अनुरूप, यदि वह परिषद् का उपस्थित रहने वाला सदस्य है और अन्यथा अध्यक्ष द्वारा, एक नामन में परिवर्तित कर दिए जायेंगे।

(२) यदि उसी पाठ्यक्रम-समिति के दो अथवा दो से अधिक सदस्य उम्मीदवार हैं, तो प्रारम्भिक निर्वाचन उनमें से केवल एक ही उम्मीदवार को निर्वाचित करने के लिए होगा।

(३) पाठ्यक्रम-समितियों के उम्मीदवारों की संख्या, नामनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त पाठ्यक्रम-समितियों की संख्या के समान हो जाने के पश्चात् पहले इन उम्मीदवारों में से १२ सदस्य निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन होगा।

(४) शेष तीन रिक्तियों की पूर्ति के लिए तब चुनाव मूल नामनों में से पहले ही निर्वाचित घोषित १२ सदस्यों को छोड़कर किया जायगा।

३०—नियम २६, २८ और २९ में उल्लिखित समस्त चुनाव अथवा निरसन एक संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

३१—निर्वाचन अधिकारी अपने उपक्रम में अथवा अन्यथा एक अथवा अनेक बार मतों की पुनर्गणना करेगा यदि वह पूर्ण गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां समाविष्ट कुछ भी निर्वाचन अधिकारी के लिये उन्हीं मतों की एक से अधिक बार गणना करने के लिये बाध्य कर रही हैं।

३२—इन नियमों की व्याख्या से उठने वाला कोई भी प्रश्न अध्यक्ष द्वारा निर्णीत होगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

३३—इन नियमों में न आने वाले मामले सभापति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

———

भाग चार

(क) परिषद् के अधिकारी

सभापति

डा० देवी दत्त पन्त, डी० एस-सी०, एफ० ए० एस-सी०
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश .. .. (पदेन)।

सचिव

श्री आत्म प्रकाश, एम० एस-सी०।

अतिरिक्त सचिव

श्री गोविन्द नारायण मिश्र, एम० एस-सी०, एल० टी०।

श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, एम० ए०, एल० टी०।

(ख) परिषद् के *सदस्य

परिषद् के सदस्यों का तथा उसकी विभिन्न समितियों का कार्यकाल अन्यथा कथित के अतिरिक्त दिनांक १० अगस्त, १९७४ को समाप्त होगा।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(१) श्री श्योराज नारायण चौधरी, आचार्य, राजकीय जुबली इण्टर कालेज, लखनऊ।

(२) श्री चतुर बिहारी लाल माथुर, आचार्य, राजकीय घनानन्द इण्टर कालेज, मसूरी, देहरादून।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी इंटरमीडिएट कालेजों के आचार्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित :

(३) श्री सूर्य प्रकाश गुप्त, आचार्य, विष्णु इण्टर कालेज, बरेली।

(४) श्री माधव सिंह चौधरी, आचार्य, जनता वैदिक इण्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ।

---

*उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० क-१-४३१६/पन्द्रह—१६४४-६८, दिनांक ११ अगस्त, १९७१, जो ११ अगस्त, १९७१ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई, के अनुसार।

(५) श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र, आचार्य, बी० ए० वी० इण्टर कालेज, सुभाष बाजार, मेरठ ।

(६) श्री बद्री नारायण लाल, आचार्य, माडर्न वोकेशनल इण्टर कालेज, नाका हिन्डोला, तिलपुरवा, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (घ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(७) श्री धर्मवीर प्रसाद गौड़, प्रधानाध्यापक, राजकीय मुर्तजा हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ङ) के अन्तर्गत गैर सरकारी हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा उनमें से निर्वाचित :

(८) श्री कृष्ण कुमार मिश्र, प्रधानाध्यापक, कस्तूरबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, १०८/१६२, सीसामऊ बाजार, कानपुर–१२ ।

(९) श्री राम बदन सिंह, प्रधानाध्यापक, गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिलकहर, बलिया ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (च) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(१०) डा० गोपाल त्रिपाठी, उप–कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (छ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(११) डा० धर्मपाल सिंह, निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ज) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा नियुक्त :

(१२) डा० आर० बी० सिंह, आचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (झ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(१३) श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, आचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ञ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(१४) श्री जगदीश शरण अग्रवाल, आलमगीरीगंज, बरेली तथा १३–ए, माल एवेन्यू, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ट) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त :

(१५) श्रीमती कमला बहुगुणा, १२, हेस्टिंग्ज रोड, इलाहाबाद ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(१६) डा० लक्ष्मीसागर बार्ष्णेय, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ४३, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(१७) डा० रत्न प्रकाश अग्रवाल, प्रोफेसर गणित, लखनऊ विश्वविद्यालय, ए-२/१, निरालानगर, लखनऊ-७ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पो० आ० फूलपुर, जिला नैनीताल द्वारा निर्वाचित :

(१८) श्री ओम प्रकाश मोहन, कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत आगरा विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(१९) श्री वीरेन्द्र स्वरूप, एम० एल० सी०, एडवोकेट, १५/९६, सिविल लाइन्स, कानपुर तथा ५, कालीदास मार्ग, लखनऊ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२०) प्रोफेसर, राम लोचन सिंह, अध्यक्ष, विज्ञान संकाय, न्यू ए/३, प्रिन्सिपल्स कालोनी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२१) प्रो० मोहम्मद शफी, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२२) डा० वहीदुद्दीन मलिक, अध्यक्ष, रसायन विज्ञान, रुड़की विश्वविद्यालय, १२१, थामसन मार्ग, रुड़की ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२३) प्रो० रघुबीर सिंह, अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, मुन्शी कालोनी, गोरखपुर विश्वविद्यालय कैम्पस, गोरखपुर।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२४) श्री भूपेन्द्र पति त्रिपाठी, प्रवाचक, वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी।

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२५) श्री शेख मोहम्मद रफीक, निवासी कांधला, जिला मुजफ्फरनगर।

इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अन्तर्गत कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित :

(२६) रिक्त।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ड) के अन्तर्गत निर्वाचित :

विधान सभा

*(२७) श्री डूंगर सिंह विष्ट, सदस्य, विधान सभा, पिलिग्रिम लाज, मल्लीताल, नैनीताल।

*(२८) श्री मोहन लाल कपूर, सदस्य, विधान सभा, प्रधानाचार्य, सनातन धर्म इन्टर कालेज, कंकर खेड़ा, २२५, जत्तीवाड़ा, मेरठ शहर।

विधान परिषद्

*(२६) श्री हरीकृष्ण अवस्थी, सदस्य विधान परिषद्, बादशाहबाग, लखनऊ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १६२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ढ) के अन्तर्गत अपर इंडिया चैम्बर आफ कामर्स द्वारा नियुक्त :

(३०) श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव, सर जे० पी० श्रीवास्तव ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज, १४/१, सिविल लाइन्स, कानपुर तथा "दी कैलाश," नवाबगंज, कानपुर

*क्रमांक २७, २८ तथा २६ पर उल्लिखित सदस्यों के नाम उ० प्र० सरकार, शिक्षा (क) विभाग द्वारा दिनांक ६ अक्तूबर, १९७१ के गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या क-१-५५३१/पन्द्रह--१६४४-६८, दिनांक ६ अक्तूबर, १६७१ के अनुसार हैं।

इंटरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ढ) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स द्वारा नियुक्त :

(३१) श्री देवेन्द्र स्वरूप, एडवोकेट, १५/९६, सिविल लाइन्स, कानपुर।

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नामित :

(३२) श्री ए० सी० ग्राइस, एम० एच० ए०, ८५-ए, कैन्टोनमेन्ट्स, कानपुर-४।

(३३) श्रीमती शकुन्तला देवी, एम० एल० ए०, मोहल्ला गढ़ीमलूक, सहारनपुर तथा ३८, पुराना विधायक निवास, लखनऊ।

(३४) श्रीमती सिया दुलारी, एम० एल० ए०, स्टेशन रोड, बांदा तथा २-सी, दारुलशफा, लखनऊ।

(ग) अन्य समितियों के सदस्य

(१) परीक्षा समिति

१—श्री हरि कृष्ण अवस्थी (परिषद् सदस्य) .. संयोजक

२—श्री सूर्य प्रकाश गुप्त (परिषद् सदस्य)

३—श्री बद्री नारायण लाल (परिषद् सदस्य)

४—श्री रघुवीर सिंह (परिषद् सदस्य)

५—श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र (परिषद् सदस्य)

६—श्री कृष्ण मुरारी सक्सेना, आचार्य, डी० एम० यू० इन्टर कालेज, गोविन्दनगर तथा १४/३८, सिविल लाइन्स, कानपुर

७—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सदस्य सचिव)

(२) मान्यता समिति

१—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (परिषद् सदस्य) .. संयोजक

२—श्रीमती कमला बहुगुणा (परिषद् सदस्य)

३—श्री देवेन्द्र स्वरूप (परिषद् सदस्य)

४—श्रीमती सिया दुलारी (परिषद् सदस्य)

५—श्री शेख मुहम्मद रफीक अहमद (परिषद् सदस्य)

६—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (परिषद् सदस्य)

(३) पाठ्यचर्या समिति

१—श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय (परिषद् सदस्य) .. संयोजक
२—श्री ब्रह्म दत्त दीक्षित (परिषद् सदस्य)
३—श्री रत्न प्रकाश अग्रवाल (परिषद् सदस्य)
४—प्रो० मुहम्मद सफी (परिषद् सदस्य)
५—प्रो० वहीद उद्दीन मलिक (परिषद् सदस्य)
६—प्रो० रामलोचन सिंह (परिषद् सदस्य)
७—श्री सूर्य प्रकाश गुप्त (परिषद् सदस्य)
८—श्री माधो सिंह चौधरी (परिषद् सदस्य)
९—श्री धर्मवीर प्रसाद गौड़ (परिषद् सदस्य)
१०—श्री राम बदन सिंह (परिषद् सदस्य)
११—श्री कृष्ण कुमार मिश्र (परिषद् सदस्य)
१२—श्री लक्ष्मीकान्त गौड़, श्री सनातन धर्म इण्टर कालेज, लालकुर्ती, तथा २, मानसरोवर, सिविल लाइन्स, मेरठ।
१३—श्री सीताराम शर्मा, वरिष्ठ प्राध्यापक, एन० ए० एस० इण्टर कालेज, २०२, वेस्टएण्ड रोड, मेरठ।
१४—श्री अवधेश कुमार, आचार्य, जी० जी० हिन्दू इण्टर कालेज, बी–५, मुरादाबाद।
१५—श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्य)

(४) परीक्षाफल समिति

१—सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (पदेन सभापति)
२—श्री देवेन्द्र स्वरूप (परिषद् सदस्य)
३—श्री मोहनलाल कपूर (परिषद् सदस्य)
४—श्री रामबदन सिंह (परिषद् सदस्य)
५—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (पदेन सचिव)

(५) वित्त समिति

१—उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), उत्तर प्रदेश (पदेन संयोजक)
२—श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्य)

३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सहायक अध्यापक, देवनागरी इण्टर कालेज, ४८६, ब्रह्मपुरी, मेरठ।

४—श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, एम० एल० सी०, आचार्य, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, मु० बाजोगरान, मुरादाबाद।

५—श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, मोदी साइन्स एण्ड कामर्स इन्टर कालेज, मोदीनगर, मेरठ।

६—श्री हरिनाथ झिंगरन, आचार्य, जनता विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, आफरीदी स्ट्रीट, शाहजहांपुर।

७—श्री श्रीपाल सिंह, आचार्य, कौशाम्बी इन्टर कालेज, मऊ, छीबों, बांदा।

(६) महिला शिक्षा समिति

१—श्रीमती कमला बहुगुणा (परिषद् सदस्या) .. संयोजिका

२—श्रीमती मित्रा दुलारी (परिषद् सदस्या)

३—श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्या)

४—श्रीमती शीला सिंघल, आचार्या, श्री सनातन धर्म बालिका इन्टर कालेज, लालकुर्ती, मेरठ।

५—श्रीमती राधा कक्कड़, उप शिक्षा निदेशक (महिला), निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

(च) पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य

(१) हिन्दी समिति

१—श्री ब्रह्म दत्त दीक्षित (परिषद् सदस्य) .. संयोजक

२—डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय (परिषद् सदस्य)

३—श्री बद्री नारायण लाल (परिषद् सदस्य)

४—श्री कृष्ण कुमार मिश्र (परिषद् सदस्य)

५—श्री मोहन लाल कपूर (परिषद् सदस्य)

(२) गणित समिति

१—श्री रत्न प्रकाश अग्रवाल (परिषद् सदस्य) .. संयोजक

२—श्री धर्मवीर प्रसाद गौड़ (परिषद् सदस्य)

३—प्रो० एस० पी० निगम, अध्यक्ष, गणित, डी० ए० वी० कालेज, ६/२, एलनगंज, कानपुर।

४—श्री एस० पी० अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, वेदो जीवनी हायर सेकेन्डरी स्कूल, आलमगीरीगंज, बरेली।

५—श्री महेश्वर पांडे, एम० एल० सी०, प्रवक्ता, डी० ए० वी० इन्टर कालेज, १२, लश्करीरकाबगंज, लखनऊ।

(३) गृह विज्ञान समिति

१—श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्या) •• संयोजिका

२—श्रीमती कृष्णा दीक्षित, प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल, शाहमीना रोड, लखनऊ।

(४) अरबी तथा फारसी समिति

१—डा० वहीदउद्दीन मलिक (परिषद् सदस्य) •• संयोजक

२—श्री मुख्तारुद्दीन अहमद, अरबी विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ५, शिबली रोड, अलीगढ़।

३—श्री एम० एम० जलाली, अध्यक्ष, फारसी विभाग, बरेली कालेज, १२८, कंघीटोला, किला बरेली।

४—डा० एजाज अहमद, अरबी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, ५१०, मॉडल हाउसेस, लखनऊ।

(५) अर्थशास्त्र समिति

१—श्री सूर्य प्रकाश गुप्त (परिषद् सदस्य) •• संयोजक

२—श्री राम बदन सिंह (परिषद् सदस्य)

३—श्री श्री राजनारायण चौधरी (परिषद् सदस्य)

४—डा० सुरेश चन्द्र गुप्ता, प्राचार्य, कासगंज कालेज, शंकरगढ़ (किला) कासगंज।

५—डा० एम० बी० श्रीवास्तव, आचार्य, डी० बी० एस० कालेज, देहरादून।

(६) इतिहास समिति

१—श्री चतुर बिहारी लाल माथुर (परिषद् सदस्य) •• संयोजक

२—श्रीमती सिया दुलारी (परिषद् सदस्य)

३—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (परिषद् सदस्य)

४—श्री राम प्रसाद अग्रवाल, अवकाश प्राप्त आचार्य, ३५६, आलमगीरीगंज, बरेली।

५—डा० रूप चन्द जैन, आचार्य, जे० वी० जैन पोस्टग्रेजुएट कालेज, रूप निवास, छत्ता जम्बूदास, सहारनपुर।

(७) उर्दू समिति

१—श्री शेखमोहम्मद रफीक (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री जाहिद हसन वसीम, प्रवक्ता उर्दू, बरेली कालेज, फूटा दरवाजा किला, बरेली ।

३—श्री शबील हसन, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, कटरा, अबूतुराब, चौक, लखनऊ–३ ।

४—श्री अकबर अली सिद्दीकी, आचार्य, सिद्दीक फंजे–आम इन्टर कालेज, ९४/३१ फर्राश खाना, लारी टेड़ी, कानपुर ।

(८) अंग्रेजी समिति

१—श्री माधो सिंह चौधरी (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—डा० जनार्दन स्वरूप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–५ तथा बी–५/२९२, अवधगर्वो, वाराणसी–१ ।

३—श्री शारदा प्रसाद सक्सेना, भूतपूर्व आचार्य, ७/१०५–सी, स्वरूपनगर, कानपुर ।

४—डा० महेन्द्र प्रताप संघल, अंग्रेजी विभाग- मेरठ कालेज, ३७३, स्वर्ग, विलास, खैरनगर, मेरठ शहर ।

५—श्री एन० सी० चटर्जी, बम्बेवाली गली, ११३, लाल कुआं, लखनऊ–१ ।

(९) कन्नड़ तथा तेलगू समिति

१—श्री मोहन लाल कपूर (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री शान्ति स्वरूप, समिति अधिकारी, विधान परिषद्, उ० प्र०, ९७, नजरबाग, लखनऊ ।

३—श्री बी० बी० सूर्यनारायण, अध्यक्ष, भारतीय भाषा विभाग, कला संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, नया एफ–१२, हैदराबाद कालोनी, वाराणसी–५ ।

(१०) कश्मीरी, पंजाबी तथा सिन्धी समिति

१—श्री माधव सिंह चौधरी (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—कु० हरदेवी, मलकानी, प्रबन्धिका, रुक्मणी विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बैजनत्था, वाराणसी ।

३—सरदार प्रेम सिंह, अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य, गुरु नानक इन्टर कालेज, १२०/१४६, लाजपतनगर, कानपुर–५ ।

(११) चित्रकला, रंजन तथा मूर्तिनिर्माण कला

१—श्री कृष्ण कुमार मिश्र (परिषद् सदस्य), संयोजक (सदस्यता स्थगित)।

२—श्रीमती सिया दुलारी (परिषद् सदस्य), (सदस्यता स्थगित)।

३—श्री पी० सी० मेहरोत्रा, सहायक अध्यापक, कला, श्री मारवाड़ी इन्टर कालेज, कानपुर तथा १/११५—ए, मेहरोत्रा काटेज, नवाबगंज, कानपुर—२।

४—श्री सत्य नारायण सिंह, आचार्य, महात्मागांधी स्मारक इन्टर कालेज, सुल्तानपुर।

५—श्री एम० सी० चतुर्वेदी, सरस्वती इन्टर कालेज, हापुड़, मेरठ (सदस्यता स्थगित)।

(१२) चीनी तथा तिब्बती समिति

१—श्री राम वदन सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री राजेन्द्र मिश्र, आचार्य, लखनजी इन्टर कालेज, अहिरौली बघेल वाया भाटपाररानी, देवरिया।

३—श्री टुल्कु थोण्डुप, प्रवक्ता संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, ३, न्यू हॉस्टल कैम्पस, लखनऊ।

४—श्री लामा मंगल हृदय, प्राध्यापक, कला संकाय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

(१३) जर्मन तथा रूसी समिति

१—श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—डा० सुरेन्द्र बहादुर, प्रवक्ता रसायन, रसायन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, २८, सरायमाली खान, लखनऊ—३।

३—डा० एम० एस० करमरकर, रीडर जर्मन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, क्वार्टर एफ० एफ/११, वाराणसी—५।

४—डा० केसरी नारायण शुक्ल, प्रोफेसर और अध्यक्ष हिन्दी, लखनऊ विश्वविद्यालय, ६ वे रोड, लखनऊ।

(१४) नागरिक शास्त्र समिति

१—प्रो० रघुवीर सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री चतुर बिहारी लाल माथुर (परिषद् सदस्य)।

३—श्री बंशराज सिंह, आचार्य, हनुमन्त इन्टर कालेज, धम्मौर, सुल्तानपुर।

४—डा० गंगादत्त तिवारी, ठा० देवीसिंह बिष्ट, राजकीय महाविद्यालय, ब्लाइथ काटेज, नैनीताल।

५—श्री मेघराज शर्मा, आचार्य, हरिहरनाथ शास्त्री, स्मारक इन्टर कालेज, उपेड़ा, मेरठ तथा राजेन्द्रनगर, रेलवे रोड, हापुड़, मेरठ।

(१५) नेपाली तथा पालि समिति

१—श्री भूपेन्द्र पति त्रिपाठी (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री रालकृष्ण पाण्डेय, शास्त्री आचार्य, सनातनधर्म इन्टर कालेज, २२, मानसरोवर, सिविल लाइन, सदर मेरठ।

३—श्रीमती शैलबाला सक्सेना, प्रवक्ता हिन्दी, दयानन्द गर्ल्स कालेज, १४/३८, सिविल लाइन्स, कानपुर।

४—डा० भिक्षु धर्मरक्षित, आचार्य, महाबोधि इन्टर कालेज, सारनाथ, वाराणसी।

५—डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, ७३६, बनारसीबाग, लखनऊ।

(१६) बंगाली, उड़िया तथा असामी समिति

१—श्री रामलोचन सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—डा० ए० सी० बनर्जी, प्रो० बंगाली टोला इन्टर कालेज, वाराणसी।

३—डा० जी० के० पाणिग्रही, सेन्ट्रल बोटानिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद।

४—श्री कोमलेन्दु गुप्त, आचार्य, ए० बी० विद्यालय, इण्टर कालेज, १६/१७०, पटकापुर, कानपुर।

(१७) भूगोल समिति

१—प्रो० रामलोचन सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—डा० मोहम्मद शफी (परिषद सदस्य)

३—श्री बाबूलाल राकेश, आचार्य, डी० ए० वी० इन्टर कालेज, २६७, कटरा, अलीगढ़।

४—श्री ललित कुमार सिंह चौधरी, अध्यक्ष, भूगोल, बी० एस० एस० डी० कालेज, ११२/१६६-एच०, आर्यनगर, कानपुर-२।

५—श्रीमती शरद बाघला, अध्यक्षा भूगोल, दयानन्द गर्ल्स कालेज, ७/३१ तिलकनगर, कानपुर-२।

(१८) मराठी तथा गुजराती समिति

१—श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री शिवराम चिन्तामणि लेले, मराठी अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय, ३७, लाटूश रोड, लखनऊ।

३—श्री अमृतलाल नागर, साहित्यकार, चौक, लखनऊ–३ ।

४—श्रीमती कुसुम महाजन, सहायक अध्यापिका, बाल मंदिर विद्यालय, महाराष्ट्र मंडल, कानपुर ।

(१९) मलयालम तथा तमिल समिति

१—श्री बद्री नारायण लाल (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्रीमती सरस्वती सिंघल, प्रवक्ता, इस्लामिया गर्ल्स कालेज, घी की मंडी, बरेली ।

३—श्रीमती टी० वी० पद्मावति, प्रवक्ता तमिल, लखनऊ विश्वविद्यालय, बी–३, यूनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर्स, लखनऊ–७ ।

४—डा० श्याम लाल चतुर्वेदी, राजकीय प्रताप इन्टर कालेज, मोहल्ला भादों की मगरी, टिहरी (गढ़वाल) ।

(२०) लैटिन तथा फ्रान्सीसी समिति

१—श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—डा० सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, आचार्य, फिरोज गांधी कालेज, लोहिया की कोठी, सत्यनगर, रायबरेली।

३—डा० प्रभाकर झा, फ्रेंच अध्यापक, काशी विश्वविद्यालय, डी० २०/१५, मुन्शी घाट, वाराणसी–१ ।

४—डा० ए० के० मिश्रा, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

(२१) शिक्षा, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान समिति

१—श्री ब्रह्म दत्त दीक्षित (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री श्रीचन्द्र, रीडर मनोविज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, बादशाह-बाग, लखनऊ।

३—श्री रमेश चन्द्र, प्रधानाचार्य, गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला (बदायूं) ।

(२२) समाजशास्त्र समिति

१—श्री देवेन्द्र स्वरूप (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री सुरेन्द्र सिंह पुंडीर, प्रवक्ता, समाज शास्त्र, राजकीय जुबली इण्टरकालेज, ३५, उमराव बहादुर रोड, डालीगंज, लखनऊ ।

३—प्रो० आर० एन० सक्सेना, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, अलीगढ़ विश्व-विद्यालय, ११, प्रोफेसर बंगलोज मेडिकल कालेज कैम्पस अलीगढ़ ।

४—श्री होशियार सिंह चौहान, आचार्य गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, खेकड़ा, मेरठ ।

५—श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अध्यक्ष, समाजशास्त्र, बी० एस० ए० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, सत्य सदन, नानक नगर, मथुरा ।

(२३) सैन्य विज्ञान समिति

१—श्री डूंगर सिंह विष्ट (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—कैप्टन कृष्ण कुमार प्रधान, डी० ए० वी० कालेज, ७/१०५-डी०, स्वरूप नगर, कानपुर ।

३—कैप्टन शिवराज सिंह, सैन्य विज्ञान विभाग, मेरठ कालेज, २, स्टाफ क्वार्टर्स, विक्टोरिया पार्क, मेरठ ।

४—लेफ्टिनेन्ट हरिओम गोविल, आचार्य, श्रीकृष्ण इन्टर कालेज, १५९, सिविल लाइन्स, बदायूं ।

(२४) संगीत तथा नृत्य समिति

१—श्री मोहन लाल कपूर (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री सीता शरण सिंह, संगीत प्रवक्ता, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ-३ ।

३—श्री गिरजा प्रसाद मिश्र, आचार्य, डी० कैलाश नाथ काटजू इन्टर कालेज, इलाहाबाद-३ ।

४—श्री श्रीनन्दन गोस्वामी, संगीत अध्यापक, तिलक इन्टर कालेज, मंदिर दाऊजी, बरेली ।

(२५) संस्कृत समिति

१—श्री भूपेन्द्र पति त्रिपाठी (परिषद् सदस्य), संयोजक ।

२—श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी, रणजीत पंडित इन्टर कालेज, नैनी, इलाहाबाद तथा ३५/१५२, बारहखम्भा, कृष्णनगर, इलाहाबाद ।

३—पं० आनन्द झा, अध्यक्ष, प्राच्य शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, विवेकानन्द पुरी, चांदगंज, लखनऊ।

४—श्री कालिकाप्रसाद शुक्ल, व्याख्याता, ३, अध्यापक निवास, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

(२६) जीव विज्ञान समिति

१—डा० आर० बी० सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—प्रो० के० के० वर्मा, अध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग, डी० ए० वी० कालेज, ३-ए/१४४, आजाद-नगर, कानपुर-२।

३—डा० एस० के० गोस्वामी, कुल सचिव, मेरठ विश्वविद्यालय, ४, नेहरू रोड, मेरठ।

४—श्री रामवल्लभ शर्मा, किशोर सदन, १९, हाशिमपुर रोड, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

५—श्री शंकर शरण वैश्य, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, शिया डिग्री कालेज, 'एडिस बिला' छितवापुर, लखनऊ।

(२७) भू-विज्ञान समिति

१—प्रोफेसर मोहम्मद शफी (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री शिवकुमार कुलश्रेष्ठ, सहायक अध्यापक, भू-विज्ञान, राजकीय जुबली इन्टर कालेज, लखनऊ।

३—श्री बिन्देश नारायण श्रीवास्तव, वरिष्ठ विज्ञान अधिकारी, इन्सटीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।

४—डा० सुरेशनारायण सिंह, रीडर, भू-विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ।

५—प्रोफेसर फखरुद्दीन अहमद, अध्यक्ष, भू-विज्ञान विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, शाफी हाउस, किला रोड, अलीगढ़।

(२८) भौतिक विज्ञान समिति

१—डा० धर्मवीर प्रसाद गौड़ (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—डा० मुरली मनोहर जोशी, प्रवक्ता भौतिकी, प्रयाग विश्वविद्यालय, १०, टैगोर नगर, इलाहाबाद-२।

३—श्री राज स्वरूप माथुर, आचार्य, डी० ए० वी० कालेज, ७/६३, तिलकनगर, कानपुर।

४—श्री दया प्रसाद खंडेलवाल, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, २-ए/२२९, आजादनगर, कानपुर।

५—डा० एस० पी० खरे, प्रोफेसर भौतिकी, आर-६, मेरठ विश्व-विद्यालय क्वार्टर्स, मेरठ।

(२९) रसायन विज्ञान समिति

१—डा० वहीद उद्दीन मलिक (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—डा० धर्मवीर प्रसाद गौड़ (परिषद् सदस्य)।

३—श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, आचार्य, पी० पी० एन० कालेज, ११३/१८५-ए स्वरूपनगर, कानपुर।

४—श्री बी० आर० अग्रवाल, आचार्य, बी० एस० ए० कालेज, मथुरा।

५—श्री रघुवीर शरण राना इण्टर कालेज, ३, आसफजान, साहूकारा रोड, पीलीभीत।

(३०) वाणिज्य समिति

१—श्री हरी कृष्ण श्रीवास्तव (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—मेजर गुरु दत्त, डीन फैकल्टी आफ कामर्स, लखनऊ विश्वविद्यालय, १२, विजयनगर, लखनऊ-१।

३—श्री राम लदन सिंह (परिषद् सदस्य)।

४—प्रोफेसर ईश्वर चन्द्र गुप्त, डी० ए० वी० कालेज, ११३/१८५, स्वरूप-नगर, कानपुर-२।

५—प्रोफेसर लियाकत अली खां, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ।

(३१) रचनात्मक विषय समिति

१—श्री श्रीराजनारायण चौधरी (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय कालेज, लखनऊ-४।

३—श्री एच० डब्ल्यू० साइमन, अवकाश प्राप्त, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, लाजपतनगर, रिकाबगंज, फैजाबाद।

४—श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, आडयो विशुअल इनवेस्टिगेशन अधिकारी शिक्षा प्रसार कार्यालय, ५८, साउथ मलाका, इलाहाबाद।

५—श्री प्रेम नारायण, कुलवास्कर आश्रम कृषि कालेज, २-लाउदर रोड, इलाहाबाद।

६—श्री तेज नारायण मिश्र, प्राध्यापक सिलाई, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।

७—श्री ई० डी० दारूवाला, प्रधानाचार्य, टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर

(३२) कृषि समिति

१—डा० धर्मपाल सिंह (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री श्रीराजनारायण चौधरी (परिषद् सदस्य)।

३—डा० बाबू सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, उ० प्र०, कानपुर।

४—डा० सबल सिंह, २/९६, कंधारी रोड, सिविल लाइन, आगरा—२।

५—श्री जगवीर सिंह, एम० एल० सी०, प्रवक्ता, हिन्दू इन्टर कालेज अतर्रा, बांदा।

६—श्री लक्ष्मी चन्द, आचार्य, अग्रसेन इन्टर कालेज, केशरी बाड़ा सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर।

७—श्री प्रेम बहादुर सिंह, आचार्य, तिलकधारी सिंह इन्टर कालेज, जौनपुर।

(३३) बेसिक विषय समिति

१—श्री ए० सी० ग्राइस (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (परिषद् सदस्य)।

३—श्री जगदीश चन्द्र वर्मा, आचार्य, पी० पी० एन० इन्टर कालेज, कानपुर।

४—श्री चन्द्र भूषण, सेवा भारती उत्तर बुनियादी विद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी।

५—श्री बंशीधर श्रीवास्तव, सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी—१।

(३४) प्राविधिक विषय समिति

१—श्री ए० सी० ग्राइस (परिषद् सदस्य), संयोजक।

२—श्री श्याम मोहनलाल सक्सेना, प्रवक्ता, भौतिक, भारतीय विद्यालय इन्टर कालेज, १११/२८४, हर्षनगर, कानपुर—१२।

३—श्री अनिरुद्ध उपाध्याय, आचार्य, काष्ठ शिल्प विद्यालय, ५, कटरा, इलाहाबाद।

४—प्रो० शान्ति स्वरूप रोहतगी, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, डी० ए० वी० कालेज, १६/४८, सिविल लाइन्स, कानपुर।

५—श्री प्रेमनाथ अरोड़ा, एस० एच० वी० इन्टर कालेज, ३, कृष्णा निवास बद्धबाजार, मुरादाबाद।

६—श्री एन० बी० पाराशरी, विष्णु इन्टर कालेज, नई बस्ती, बरेली।

७—श्री कैप्टन रामकुमार शुक्ल, कला तथा शिल्प प्रशिक्षक, श्री जय नारायण कालेज, २२, स्टाफ कालोनी, लखनऊ।

८—डा० आर० के० सक्सेना, लेक्चरर इन केमिकल इन्जीनियरिंग, हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, ७/१११, स्वरूप नगर, कानपुर।

९—श्री प्रेम प्रकाश, कला प्रवक्ता, मनोहर लाल कृष्ण सहाय इन्टर कालेज, २३४, दालमण्डी, मेरठ सदर।

अन्य निकायों में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि :

(क) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन श्री राम बदन सिंह (परिषद् सदस्य)	परिषद् के विनियमों के अध्याय चौदह के विनियम २ (३०) के अन्तर्गत परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यताप्राप्त अधिकारी परीक्षा के पाठ्यक्रम विवरण को स्वीकृत करने वाली पाठ्यक्रम समिति में।
श्रीमती शकुन्तला देवी (परिषद् सदस्य)	अधिकारी परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों की जांच के लिये।
(ख) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार श्री बद्रीनारायण लाल (परिषद् सदस्य)	परिषद् के विनियम के अध्याय चौदह के विनियम २ (३३) के अन्तर्गत परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता-प्राप्त विद्याधिकारी परीक्षा के पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण को स्वीकृत करने वाली पाठ्यक्रम समिति में।
श्री मोहन लाल कपूर (परिषद् सदस्य)	विद्याधिकारी परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों की जांच के लिये।

भाग पांच

परिषद् के नियम

एक—*बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षकों, सारणीयकों, परितुलनकर्त्ताओं और परिनिरीक्षक आदि की पात्रता तथा उनकी नियुक्ति और हटाये जाने के नियम ।

(क) परीक्षक

१—योग्यता

केवल हाई स्कूल परीक्षा के लिये

१—योग्यता प्राप्त वे अध्यापक—(क) जिनका मान्यताप्राप्त विद्यालयों में संबंधित विषय को हाई स्कूल या इंटर अथवा दोनों मिलाकर पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, (ख) जिनका विभाग द्वारा मान्य दीक्षा विद्यालयों या/तथा मान्यताप्राप्त विद्यालयों में हाई स्कूल या इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो। (ग) अभीष्ट अनुभव प्राप्त विज्ञान व कृषि के अप्रशिक्षित प्रदर्शक प्रयोगात्मक परीक्षकत्व के लिये अर्ह होंगे ।

२—पांच वर्ष की सेवा अवधि वाले प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वे अध्यापक, जो संबंधित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं ।

३—विद्यालयों के निरीक्षक, उप-निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी जो संबंधित विषय में योग्यता प्राप्त हों और जिनकी सेवा अवधि ५ वर्ष हो गई हो ।

हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं के लिये

१—पांच वर्ष की सेवा अवधि वाले (१) प्रशिक्षण महाविद्यालय, (२) तकनीकी विषयों की शिक्षण संस्था, (३) महाविद्यालय अथवा (४) विश्वविद्यालय के योग्यता प्राप्त अध्यापक ।

टिप्पणी—हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति मुख्यतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में से होनी चाहिये ।

२—इंटरमीडिएट कालेजों के योग्यता प्राप्त वे अध्यापक जिन्हें संबंधित विषय की ११वीं तथा १२वीं कक्षाओं को पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव हो।

३—मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष हो और जो संबंधित विषय में योग्यता प्राप्त हों ।

४—विद्यालयों के निरीक्षक, उप-निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष हो चुकी हो और जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हों ।

*परिषद् प्रस्ताव संख्या ७, दिनांक १ जुलाई, १९६८ द्वारा बनाया गया ।

परीक्षकों, सारणीयकों, परितुलनकर्ताओं और परिनिरीक्षकों आदि की नियुक्ति के विचारार्थ विद्यालयों के प्रधान तथा शिक्षा विभाग के अन्यान्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सब प्रकार से पूर्ण सूचियों को प्रेषित करेंगे।

विद्यालयों के प्रधानों द्वारा अध्यापकों की विषयानुसार सूची अलग से भेजी जायगी, जिसमें नियुक्ति की तिथि, शिक्षण का वास्तविक अनुभव (पिछली संस्थाओं का भी अनुभव सम्मिलित करके, यदि हो), पढ़ाये गये विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत तथा परीक्षा अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होगा। विद्यालय के प्रधान द्वारा असाधारण योग्यता के अध्यापकों के लिये विशेष विवरण के कोष्ठक में उत्तम अथवा अच्छा शब्द लिखा जायगा। परीक्षक की नियुक्ति के लिये सामान्यतः मुख्य कसौटी सेवाकाल होगा अर्थात् दूसरी बातें समान होने पर अधिक सेवाकाल वाले व्यक्ति को कम सेवाकाल वाले व्यक्ति पर वरीयता दी जायगी। परीक्षकों और सारणीयकों आदि का चयन करते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा दी गई श्रेणियों तथा संस्थाओं की विशिष्टता का ध्यान समितियों द्वारा रक्खा जायगा। किन्तु यह तरीका नीचे दी गई श्रेणियों के संबंध में लागू नहीं होगा—

(अ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य।
(आ) प्रशासनिक और विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारी।
(इ) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कार्यकर्ता।
(ई) अवकाश प्राप्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी।
(उ) प्रख्यात शिक्षाविद्।

विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों के अधिकारियों के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये परिषद के सचिव द्वारा विद्यालयों के प्रधानों तथा कार्यालयों के अध्यक्षों को कोरे प्रपत्र भेजे जायेंगे।

तकनीकी तथा किसी विषय विशेष के प्रसंग में जिनमें योग्यताप्राप्त व्यक्ति पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते, उक्त नियम शिथिल किये जा सकते हैं।

२—परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें

प्रत्येक परीक्षक को परीक्षा कार्य स्वीकार करने के साथ यह निश्चित रूप से लिखना होगा कि वह उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित समय के भीतर सभी स्रोतों से मिला कर १,००० उत्तर-पुस्तकों से अधिक नहीं जांचेगा, बाद में परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक परीक्षक यह प्रमाण-पत्र भी देगा कि उसने उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित समय के भीतर सब स्रोतों से मिलाकर कुल १,००० से अधिक उत्तर-पुस्तकें नहीं जांची।

३—परीक्षक का हटाया जाना

तीन या उससे अधिक गलतियां करने पर परीक्षक का नाम परीक्षकसूची से काट दिया जायगा और हटाये जाने की तिथि से ३ वर्ष तक वह पुनर्नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। यदि किसी परीक्षक को कोई गलती उन उत्तर-पुस्तकों की

जांच में पाई जाती हैं जिन्हें वह आदर्श उत्तर-पुस्तकों के रूप में अथवा जिन अंक-चिटों को वह प्रधान, संयुक्त प्रधान अथवा उप-प्रधान परीक्षकों को भेजता है तो वह गलती प्रधान, संयुक्त प्रधान अथवा उप-प्रधान परीक्षक की भी गलती मानी जायगी और यह गलतियां संबंधित परीक्षकों के खाते में चढ़ा दी जायंगी ।

यदि कोई प्रयोगात्मक परीक्षक तीन या उससे अधिक गलतियां करता है तो परीक्षक-सूची से उसका नाम काट दिया जायगा और हटाये जाने की तिथि से तीन वर्ष तक वह पुनर्नियुक्ति का अधिकारी न होगा । प्रधान या संयुक्त प्रधान परीक्षक अपने काम में तीन या उससे अधिक त्रुटियां होने पर तथा अपने सहायक परीक्षकों के जांच कार्य को मिलाकर १० से अधिक त्रुटियां होने पर तीन वर्ष तक पुनर्नियुक्ति के अधिकारी न होंगे ।

४—समितियों द्वारा संस्तुति

विषय समितियां योग्यताप्राप्त अध्यापकों और अधिकारियों के नाम कर्मचारियों की सूची से छांटकर परीक्षक होने के लिये संस्तुति करेंगी या उस सूची में से संस्तुति करेंगी जो सचिव द्वारा प्रधानाचार्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा और दूसरे शिक्षाविदों की रखी जाती है । सामान्यतः परीक्षक होने का मुख्य आधार सेवाकाल होगा अर्थात् अन्य सब बातें समान होने पर अधिक सेवाकाल वाले व्यक्ति को कम सेवाकाल वाले व्यक्ति पर वरीयता दी जायगी । कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर चला गया है, परीक्षक नहीं हो सकता और यदि नियुक्त हो गया है तो उसकी नियुक्ति चलती नहीं रह सकती ।

टिप्पणी—(१) विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के नियमित विद्यार्थी परीक्षक नियुक्त नहीं हो सकते ।

(२) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों का परीक्षकत्व चालू रह सकता है ।

(३) उन अध्यापकों को परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य उस वर्ष नहीं दिया जायगा जिस वर्ष वे स्वयं परिषद् की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों ।

(४) अध्यापन का अनुभव परीक्षा के विषय में वांछित होगा ।

(५) परीक्षकों की नियुक्ति हेतु उनके अनुभव की गणना में जुलाई मास की किसी तिथि से मई की किसी तिथि तक काम करने को एक वर्ष का अनुभव माना जायगा । इस अनुभव की गणना परीक्षा से पहले पड़ने वाले वर्ष के ३० जून तक की जायगी ।

*(६) किसी व्यक्ति को एक साथ परिषद् के दो पारिश्रमिक कार्य नहीं दिये जायेंगे परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी लघु विषय में परीक्षक है अथवा उसे लघु

---

*दिनांक २७ तथा २८ मार्च, १९७१ को हुई परीक्षा समिति के प्रस्ताव ६५७ (४) के अनुसार संशोधित ।

पारिश्रमिक कार्य दिया गया है तो वह किसी दूसरे विषय में परीक्षक हो सकता है अथवा उसे कोई दूसरा पारिश्रमिक कार्य दिया जा सकता है ।

द्रष्टव्य—(क) जिस विषय/कार्य का कुल पारिश्रमिक डाक व्यय को छोड़कर १५० रु० से अधिक न हो, उसे लघु विषय/कार्य माना जायगा ।

(ख) मार्जक उपर्युक्त नियम के बन्धन से मुक्त होंगे ।

(७) एन० सी० सी० की इकाइयों में नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारियों को परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा ।

५—संयुक्त अथवा उप-प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति

संयुक्त अथवा उप-प्रधान परीक्षक बोर्ड की किसी परीक्षा में नियमतः उन लोगों में से नियुक्त करने चाहिये जिनकी सेवा अवधि बारह वर्ष हो चुकी हो, जिनको उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या और ऊंचे स्तर का या दीक्षा विद्यालयों या इन दोनों को मिलाकर आठ वर्ष का निरीक्षण या शिक्षण अनुभव हो और जिनको संबंधित विषय में उस परीक्षा में या परिषद् की किसी और ऊंची परीक्षा के परीक्षक कार्य का चार वर्ष का अनुभव हो ।

६—प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति प्रधान परीक्षक नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसकी सेवा अवधि १५ वर्ष न हो गई हो और उसे उस विषय में उप-प्रधान परीक्षक का अनुभव उस परीक्षा या परिषद् की किसी अन्य ऊंची परीक्षा का न हो किन्तु यह नियम विश्वविद्यालयों के प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविदों के संबंध में शिथिल किया जा सकता है ।

(ख) सारणीयक

१—योग्यता

(क) बारह वर्ष की सेवा अवधि वाले मान्यताप्राप्त विद्यालयों के योग्यता-प्राप्त वास्तव में ६ से १२ तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, दीक्षा विद्यालयों के योग्यताप्राप्त अध्यापक तथा विभाग के नीचे की श्रेणी में दिये अधिकारियों से भिन्न अधिकारी ।

(ख) शिक्षा क्षेत्र में आठ वर्ष की सेवा अवधि के विद्यालयों के प्रधान ।

(ग) [१] प्रशिक्षण महाविद्यालय, [२] महाविद्यालय, [३] विश्व-विद्यालय तथा [४] तकनीकी संस्थाओं के योग्यता प्राप्त १० वर्ष की सेवा अवधि वाले अध्यापक ।

(घ) दस वर्ष की सेवा अवधि के विद्यालयों के निरीक्षक और उप-निरीक्षक तथा विभाग के इनके समकक्ष अथवा इनसे ऊंचे अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों के प्रस्तोता तथा उप और सहायक प्रस्तोता ।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् के १५ वर्ष की सेवा अवधि वाले कर्मचारी।

२—सारणीयक का कार्यकाल

साधारणतः सारणीयक का कार्यकाल ४ वर्ष का है किन्तु यदि कोई सारणीयक अपने कार्य के चौथे वर्ष १० त्रुटियों से अधिक नहीं करता तो वह तब तक सारणीयक बना रहेगा जब तक उसकी त्रुटियां १० से अधिक न हों ।

ऐसे सारणीयकों को जो अपने प्रत्येक कार्यकाल के अन्तिम चार वर्षों में से प्रत्येक में पांच से अधिक त्रुटियां नहीं करते, जब तक उनकी त्रुटियां पांच से अधिक नहीं होतीं तब तक के लिये सारणीयन कार्य के अतिरिक्त कोई और पारिश्रमिक कार्य भी दिया जा सकता है ।

३—सारणीयक का हटाया जाना

यदि कोई सारणीयक ५० अथवा उससे अधिक त्रुटियां करता है तो वह इस कार्य से पृथक् कर दिया जायगा तथा फिर तीन वर्ष तक उनकी पुर्नानियुक्ति नहीं होगी । अदक्षता अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के कारण परीक्षा कार्य से हटाये गये परीक्षक को परीक्षकत्व से हटाये गये कार्यकाल के बीच सारणीयक नहीं बनाया जा सकेगा, दो सौ या उससे अधिक त्रुटियां करने वाले सारणीयकों को भविष्य में सारणीयक अथवा परितुलन कार्य नहीं दिया जायगा ।

(ग) परितुलनकर्त्ता

१—योग्यता

वे सभी व्यक्ति जिन्हें सारणीयन कार्य की अर्हता है, परितुलनकर्ता भी नियुक्त किये जा सकते हैं । अपनी पूरी अवधि तक जो लोग सारणीयक रहे हैं उन्हें परितुलनकर्ता नियुक्त करने में वरीयता दी जायगी ।

२—परितुलन कार्य की अवधि

साधारणतः परितुलनकर्ता की अवधि केवल चार वर्ष होगी। चार वर्ष कार्य करने वाले किसी परितुलनकर्ता से अन्तिम वर्ष में यदि कोई त्रुटि नहीं होती तो वह तब तक इस रूप में कार्य करता रहेगा जब तक उससे कोई त्रुटि नहीं होती ।

जिन परितुलनकर्ताओं ने अपनी चार वर्ष की अवधि में कोई त्रुटि नहीं की हो उन्हें परितुलन कार्य के अतिरिक्त परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य तब तक के लिये दिया जाता रहेगा जब तक वे कोई त्रुटि नहीं करते हैं ।

३—परितुलनकर्ता का हटाया जाना

(अ) पांच या उससे अधिक त्रुटियां करने वाले परितुलनकर्ता को इस कार्य से हटा दिया जायगा और तीन वर्ष तक वह पुर्नानियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(आ) अदक्षता अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के कारण परीक्षा कार्य से हटाये गये परीक्षक को हटाये जाने की पूरी अवधि तक कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा ।

(इ) ५० या उससे अधिक त्रुटियों पर सारणीयन से हटाये गये व्यक्ति को सारणीयन से हटाये जाने की अवधि में परितुलनकर्ता नहीं नियुक्त किया जा सकता ।

(घ) परिनिरीक्षक

१—योग्यतायें

(अ) तुलनात्मक परिनिरीक्षण के लिये :

[१] सारणीयक के रूप में नियुक्त हो सकने वाले प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति परिनिरीक्षक भी बनाया जा सकता है ।

[२] परिषद् के अथवा उसकी विभिन्न समिति के सदस्य तथा शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य व्यक्ति विशेष रूप से योग्य समझे जाने पर परिनिरीक्षक बनाये जा सकते हैं ।

(आ) उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसंधान और तत्सम्बन्धी परिनिरीक्षण के लिये सारणीयक की पात्रता के प्रसंग में (ङ) के अन्तर्गत उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर वे सभी व्यक्ति जो उपर्युक्त कार्य के लिये योग्य हैं, इस कार्य के लिये भी नियुक्त किये जा सकते हैं यदि वे परिनिरीक्षण की जा रही उत्तर-पुस्तकों के विषय के जानकार हों। जो परीक्षक अदक्षता अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के कारण परीक्षा कार्य से हटाया जाता है, हटाये जाने की अवधि में परिनिरीक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता ।

२—परिनिरीक्षक का हटाया जाना

जो परिनिरीक्षक एक या उससे अधिक त्रुटियां करेगा उसे इस कार्य से हटा दिया जायगा और पांच वर्ष तक उसे इस हेतु पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

(ङ) परिसीमनकर्त्ता

१—साधारणतः वही लोग परिसीमनकर्त्ता नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनकी सेवा अवधि संबंधित विषय के पढ़ाने के अनुभव सहित १५ वर्ष हो तथा जो परिषद् की उस विषय की उस या उस से ऊंची परीक्षा के उप-प्रधान परीक्षक भी रह चुके हों ।

यह नियम उन विषयों में शिथिल किया जा सकता है, जिनके लिये अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति सुलभ नहीं होते ।

२—विषय समितियां परिसीमनकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिये आवश्यक से तिगुने व्यक्तियों की एक अनुपूरक सूची तैयार करेंगी ।

अवधि—(अ) परिषद् के प्रत्येक पारिश्रमिक कार्य की अवधि चार वर्ष होगी जब तक कि कोई व्यक्ति असन्तोषजनक कार्य, कर्तव्य के परित्याग अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के आधार पर न हटाया जाय ।

(आ) चार वर्ष की यह अवधि विभिन्न विषयों तथा परीक्षाओं में परीक्षक, सारणीयक अथवा परिनिरीक्षक आदि के रूप में किये जाने वाले सभी कार्यों को मिलाकर मानी जायगी । इस अवधि की समाप्ति के बाद दो वर्ष का व्यवधान अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही परीक्षक, सारणीयक अथवा परिनिरीक्षक आदि के रूप में नियुक्ति हो सकेगी ।

(इ) इस नियम में किसी लघु प्रश्न–पत्र के परीक्षकत्व का लेखा नहीं किया जायगा । किसी लघु प्रश्न–पत्र का कार्य बड़े प्रश्नपत्रों के साथ भी दिया जा सकता है । लघु प्रश्न–पत्र वह माना जायगा, जिसका कुल पारिश्रमिक डाक व्यय को निकाल कर १५० रु० से अधिक न हो ।

*(मार्जक इस नियम के बन्धन से मुक्त होंगे)

(ई) ऐसे विषयों में, जिनमें अपेक्षित योग्यता के परीक्षक वांछित संख्या में सुलभ नहीं होते, लगे हुए परीक्षक ४ वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी चलते रह सकते हैं । किन्तु प्रधान, संयुक्त प्रधान और उप–प्रधान परीक्षक चार वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी दशा में परीक्षक नहीं रह सकते ।

(उ) निलम्बित या सत्र के पूरे अथवा अधिकांश भाग में छुट्टी पर रहे अध्यापक को सामान्यतः परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा ।

व्यवधान—पारिश्रमिक की दो अवधियों के बीच दो वर्ष का व्यवधान रहेगा और उस बीच में कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा ।

३—विशेष परिस्थिति में की गई तदर्थ नियुक्तियों में ध्यान रखा जायगा :

(१) कि किसी वर्ष में पहली बार हुई ऐसी नियुक्ति उसी वर्ष के बाद समाप्त कर दी जाय । किन्तु यदि संबंधित परीक्षक पहले से किसी अन्य पारिश्रमिक कार्य को करता आ रहा था या विभिन्न समितियों की संस्तुति पर बाद में नियुक्त किया जाता है तो उस वर्ष की गणना चार वर्ष की निर्धारित अवधि में की जाय ।

(२) अवधि के चार वर्ष पूरा होने पर भी यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के पांचवें वर्ष करनी पड़ी तो वह वर्ष व्यवधान का वर्ष नहीं माना जाय ।

टिप्पणी—जिस अध्यापक में अपने पद पर नियुक्त होते समय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता हो अथवा स्थायीकरण के समय जिसे निर्धारित न्यूनतम योग्यता से छूट मिल गयी हो, उसे योग्यता प्राप्त अध्यापक कहा जायगा ।

---

*दिनांक २७ तथा २८ मार्च, १९७१ को हुई परीक्षा समिति के प्रस्ताव ६५७ (४) के अनुसार सम्मिलित हुआ ।

दो—अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम

परिषद् की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के विनियम निम्नलिखित अध्यायों में दिये हुए हैं :—

(१) हाई स्कूल परीक्षा—अध्याय १३, विनियम ७ ।

(२) इंटरमीडिएट परीक्षा—अध्याय १४, विनियम ८ ।

(३) हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा—अध्याय १५ (क), विनियम ७ ।

(४) इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा—अध्याय १५ (ख), विनियम ७ ।

उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद् ने अनिवार्य हिन्दी से छूट संबंधी निम्नांकित नियम बनाए हैं :—

(क) अनिवार्य हिन्दी से छूट सामान्यतः निम्नलिखित वर्ग के भारतीय राष्ट्रकों को दी जायगी—

१—परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल-भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम ३ वर्ष अध्ययन किया है तथा स्तर आठ अर्थात् कैम्ब्रिज सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिस वर्ष में होती है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीर्ण कर लिया है ।

२—परीक्षार्थी, जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी हैं, जहां हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाई स्कूल परीक्षा के संबंध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के १ सितम्बर को कम से कम ५ वर्ष पूर्व और इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंध में कम से कम ७ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रव्रजन कर चुके हैं ।

३—परीक्षार्थी, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रव्रजन किया है और वहां निवास किया है, यदि वे किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कम से कम ३ वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

प्रतिबन्ध यह है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिये किसी परीक्षार्थी को, जिसने हाई स्कूल अथवा कोई समकक्ष परीक्षा हिन्दी (उच्च, प्रारम्भिक नहीं) के साथ किसी राज्य में स्थित परीक्षा निकाय से उत्तीर्ण की है, जहां हिन्दी प्रादेशिक भाषा है, किसी भी दशा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायगी ।

(ख) अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारी—

१—सन्दर्भित विनियमों के पुनश्च (१) के अनुसरण में परिषद् के अध्यक्ष ने निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है :—

(क)	जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश	.. भारतीय राष्ट्रिक (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी) ।
(ख)	मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान	.. विदेशी राष्ट्रिक जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं ।
(ग)	उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र हैं	.. विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं ।

२—संस्थागत परीक्षार्थियों को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के अधिकारी हैं, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिये ।

३—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के संबंध में छूट के लिये प्रार्थना तथा आदेशों की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्टि होने का आवेदन-पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिये ।

(ग) विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेने के संबंध में निर्देश—

१—विशेष प्रारम्भिक हिन्दी (कक्षा ६ के स्तर की) के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रारम्भिक हिन्दी (कक्ष ८ के स्तर की) लेनी होगी ।

(विशेष प्रारम्भिक हिन्दी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बोर्ड की १६५० से १६६६ ई० तक की प्रारम्भिक हिन्दी से उत्तीर्ण हाई स्कूल परीक्षा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा की हिन्दी, इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा की हिन्दी—बी-कोर्स आदि आती हैं) ।

२—प्रारम्भिक हिन्दी (कक्षा ८ के स्तर की) लेकर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में हाई स्कूल की अनिवार्य हिन्दी (उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम) लेनी होगी ।

३—उत्तर प्रदेश से हिन्दी के साथ कक्षा ८ उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश से बिना हिन्दी के अथवा कम अंकों वाली निम्नस्तर की हिन्दी के साथ हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में हाई स्कूल की अनिवार्य हिन्दी (उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम) लेनी होगी । ऐसे परीक्षार्थियों को प्रारम्भिक हिन्दी नहीं दी जायगी; क्योंकि प्रारम्भिक हिन्दी का स्तर कक्षा ८ के बराबर है, जिसे वे एक बार उत्तीर्ण कर चुके हैं ।

[इसका अर्थ यह हुआ कि पंजाब की मैट्रीकुलेशन परीक्षा को १५० अंकों की हिन्दी सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली की आल इंडिया हायर सेकेन्डरी परीक्षा की १५० अंकों की हिन्दी (एच० एल०) अथवा उस बोर्ड की हायर सेकेन्डरी परीक्षा की अधिक अंकों वाली हिन्दी आदि लेकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इन्टरमीडिएट की सामान्य हिन्दी का पाठ्यक्रम लेना होगा।]

४—इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा हिन्दी 'ए' कोर्स के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों/छात्राओं को इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायगी।

(घ) अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय लेने के संबंध में निर्देश—

(१) हाई स्कूल परीक्षा में—

अन्य वैकल्पिक विषय का चुनाव उस वर्ग की वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों तक ही सीमित रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ललित कला वर्ग में व्यावसायिक कला अथवा मूर्ति कला तथा विज्ञान वर्ग में कुलाल विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन लेने वाले परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक विदेशी भाषा लेने की आज्ञा न होगी।

(२) इन्टरमीडिएट परीक्षा में—

१—अन्य वैकल्पिक विषय का चयन इस प्रकार होगा :

वर्ग (क) (साहित्यिक) —इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय।

वर्ग (ख) (वैज्ञानिक)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय:

अथवा
इतिहास
अथवा
भूगोल

वर्ग (ग) (वाणिज्य) —निम्नलिखित में से एक विषय ऐसे विषयों में पाठ्यक्रम तथा अंक साहित्यिक वर्ग में से रहेंगे।

१—अर्थशास्त्र
२—भूगोल
३—गणित
४—इतिहास

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार लिया हुआ विषय सामान्य रूप से वाणिज्य वर्ग में वैकल्पिक विषय के रूप में लिए गए विषय से भिन्न होगा।

वर्ग (घ) (रचनात्मक) —इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय।

वर्ग (ङ) (ललित कला)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक कल्पिक विषय

(३) हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा—

अन्य विषयों का चुनाव हाई स्कूल परीक्षा में साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों तक ही सीमित रहेगा।

(४) इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा—

अन्य विषयों का चुनाव इन्टरमीडिएट परीक्षा में साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों तक ही सीमित रहेगा।

तीन—विभिन्न विषयों के पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक

हाई स्कूल परीक्षा

पूर्णांक—२०० उन विषयों में जो दो विषयों के समकक्ष हैं तथा १०० प्रत्येक अन्य विषय में।

न्यूनतम उत्तीर्णांक—३३ प्रतिशत प्रत्येक विषय में उसके अतिरिक्त जहां इसके प्रतिकूल उल्लेख हो।

इन्टरमीडिएट परीक्षा

पूर्णांक—२०० उन विषयों में जो दो विषयों के समकक्ष हैं तथा १०० प्रत्येक अन्य विषय में।

न्यूनतम उत्तीर्णांक—३३ प्रतिशत प्रत्येक विषय में उसके अतिरिक्त जिसमें इसके प्रतिकूल उल्लेख हो।

पुनश्च—कृषि वर्ग की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिये तथा उत्तर बेसिक वर्ग की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा एवं हाई स्कल तथा इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के संबंध में परीक्षा की विस्तृत योजना। पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः दिये गये हैं:

विशेष योग्यता के लिये वांछित न्यूनतम अंक ..	एक विषय के योगांक के ७५ प्रतिशत।
प्रथम श्रेणी के लिये वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक ..	योगांक के ६० प्रतिशत।
द्वितीय श्रेणी के लिये वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक..	योगांक के ४५ प्रतिशत।
तृतीय श्रेणी के लिये वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक ..	योगांक का ३३ प्रतिशत जहां इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

भाग ६

पारिश्रमिक, मानदेय तथा आने-जाने के किराये की दरें

पुनश्च--(१) जहां इसके प्रतिकूल प्राविधान न हो, समस्त दशाओं में दरों में पैकिंग और डाक व्यय आदि के आकस्मिक व्यय सम्मिलित रहेंगे।

(२) जो अधिकारी अपने सरकारी पद के रूप में डाक के सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत हैं। उनसे अनुरोध है कि वे परिषद् के अपने पारिश्रमिक कार्यों संबंधी भेजे जाने वाले पत्रों या पैकेटों में उनका उपयोग न करें।

(३) (क) }
(ख) } हटाया गया*।

(४) यदि प्रश्न-पत्र बनाने वाले का प्रश्न-पत्र परिमार्जकों की परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रश्न-पत्र बनाने वाला कोई पारिश्रमिक पाने का अधिकारी न होगा :

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर	स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३	४
		१--इन्टरमीडिएट परीक्षा	
		रु०	
१	प्रश्न-पत्र बनाना	४०.०० प्रति प्रश्न-पत्र	राजाज्ञा संख्या ए-१५७८/पन्द्रह--४३३-४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७।
**२	उत्तर-पुस्तकों को जांचना	०.७५ प्रति उत्तर-पुस्तक, न्यूनतम १५ रु०	राजाज्ञा संख्या ए-एक-५०३९/पन्द्रह--१५९८-६३, दिनांक १७ जून, १९६४।

३	क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षा (केवल वाह्य परीक्षक)	१.५० प्रति परीक्षार्थी, न्यूनतम प्रति संस्था ३० रु०	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह– ४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७।
४	प्रधान परीक्षकत्व (उत्तर–पुस्तकें जांचने के पारिश्रमिक के अतिरिक्त)	५०.०० प्रत्येक सह–परीक्षक के संबंध में यदि उसके अधीन कोई हो, सह परीक्षकों से प्राप्त जंची हुई उत्तर–पुस्तकों को जांचने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं	राजाज्ञा संख्या २५४८/पन्द्रह––३४५–१९४४, दिनांक २१ नवम्बर, १९४४।
५	किसी प्रश्न–पत्र से अंग्रेजी के अवतरणों को किसी आधुनिक भारतीय भाषा में रूपान्तरित करना	३०.०० ..	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह––४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७, जैसा कि राजाज्ञा संख्या ए–३७५७/पन्द्रह––४३३–४५, दिनांक, २३ अगस्त, १९४८ द्वारा आशोधित।
६	प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्रधान परीक्षकत्व	१०.०० प्रति १०० परीक्षार्थी, न्यूनतम ५० रु०	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह––४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७

२––इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा

७	इन्टरमीडिएट प्राविधिक क्रियात्मक परीक्षा	३.०० प्रति परीक्षार्थी प्रति परीक्षा, न्यूनतम प्रति संस्था ३०रु०	राजाज्ञा संख्या ए–एक–८५४/पन्द्रह––१६५७–१९५६, दिनांक २० सितम्बर, १९५७।

*परीक्षा समिति दिनांक २३-२५ दिसम्बर, १९६१ के अनुच्छेद १३६ के अनुसार हटाया गया। अध्यक्ष द्वारा २७–सितम्बर, १९६३ को स्वीकृति।

**यह दर १९६५ और आगे की परीक्षाओं के लिये स्वीकृत है।

क्रम–संख्या	कार्य का विषय	दर		स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३		४

३—हाई स्कूल परीक्षा

क्रम–संख्या	कार्य का विषय	दर (रु०)		स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
८	प्रश्न–पत्र बनाना	३०.००	प्रति प्रश्न–पत्र	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह, दिनांक २ जुलाई, १९४७।
*९	उत्तर–पुस्तकों को जांचना	०.५०	प्रति उत्तर–पुस्तक, न्यूनतम १५ रु०	राजाज्ञा संख्या ए–एक–५०३९/पन्द्रह—१५९८–६३, दिनांक १७ जून, १९६४।
१०	क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षा (केवल वाह्य परीक्षक)	२.००	प्रति परीक्षार्थी, न्यूनतम प्रति संस्था २० रु०	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह—४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७।
११	प्रधान परीक्षकत्व (उत्तर–पुस्तकें जांचने के पारिश्रमिक के अतिरिक्त)	४०.००	जैसा ऊपर के क्रम–संख्या ४ में है	राजाज्ञा संख्या २५४८/पन्द्रह—३४५–१९४४, दिनांक २१ नवम्बर, १९४४।
१२	किसी प्रश्न–पत्र से अंग्रेजी के अवतरणों को किसी आधुनिक भारतीय भाषा में रूपान्तरित करना	२०.००	..	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह—४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७, जैसा कि राजाज्ञा संख्या ए–३७५७/पन्द्रह--४३३-४५, दिनांक २३ अगस्त, १९४८ द्वारा आशोधित।
१३	प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्रधान परीक्षकत्व	१०.००	प्रति १०० परीक्षार्थी, न्यूनतम २५ रु०	राजाज्ञा संख्या ए-१५७८/पन्द्रह--४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७।

४—हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा

१४	हाई स्कूल प्राविधिक क्रियात्मक परीक्षा	४.००	प्रति परीक्षार्थी प्रति संस्था न्यूनतम ३० रु०	राजाज्ञा संख्या ए–एक–८५४/पन्द्रह—१६५७–१९५६, दिनांक २० सितम्बर, १९५७ ।

५—प्रकीर्ण

१५	प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा एवं वितरण	३००.०० १००.०० १००.००	नियमित परीक्षा के लिये पूरक परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा के लिए	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह–४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७।
१५—अ	प्रश्न–पत्र भरने वालों को	४००.००	प्रति अधिकारी	राजाज्ञा संख्या ए–१–६४३१/पन्द्रह—१७४०-६१, दिनांक १३ जनवरी, १९६४ । राजाज्ञा संख्या क-१ -११०५८/पन्द्रह—१५०२–७१, दिनांक २ मार्च, १९७१ । व्यय का योग *४,८०० रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि पांच से अधिक प्रश्न–पत्र भरने वाले रखे जायं तो उसके अनुसार दर कम कर दी जाय ।
१६	परीक्षाफलों का सारणीयन	२०.००	प्रति १०० परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या ए–१५७८/पन्द्रह—४३३–४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७ ।
१७	सारणीयन पंजियों का मिलान	५.००	प्रति १०० परीक्षार्थी दो मिलान करने वालों को	”

*यह दर १९६४ और आगे की परीक्षाओं के लिये स्वीकृत है ।

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर		स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३		४
		रु०		
१८	परीक्षा समिति द्वारा अपेक्षित सांख्यिकी की तैयारी	२.००	प्रति १०० परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या ए-१५७८/पन्द्रह—४३३-४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७ ।
१९	तुलनात्मक संनिरीक्षा	१०.००	प्रति १,००० उत्तर-पुस्तकें	राजाज्ञा संख्या ए-६१६२/पन्द्रह—४३३-४५, दिनांक २ मार्च, १९४८ तथा ए-१-२२२२/XV—१५३१-१९६६, दिनांक १५ सितम्बर, १९६६ ।
२०	जांची हुई उत्तर-पुस्तकों की संनिरीक्षा	१५.००	प्रति १०० उत्तर-पुस्तकें	,,
२१	माध्यमिक परिषद् के कार्यालय के लोगों को संनिरीक्षा समिति को संनिरीक्षा कार्य में प्रत्येक प्रकार की सहायता करने का पारिश्रमिक	५.००	प्रति १,००० उत्तर-पुस्तकें	राजाज्ञा संख्या क-१-३३७/पन्द्रह—१५३१-६४, दिनांक २५ मई, १९७० (केवल वर्ष १९६९ तथा १९७० की परीक्षाओं तक के लिए) ।
२२	सारणीयन पंजियों की पुनर्निरीक्षा	१०.००	प्रति पंजी	राजाज्ञा संख्या ए-१-१६३००/पन्द्रह—१७८६-५९, दिनांक १७ जून, १९५९ ।
२३	सफल परीक्षकों के प्रमाण-पत्र लिखना	५.००	प्रति १०० परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या ए-१५७८/पन्द्रह—४३३-४५, दिनांक २ जुलाई, १९४७ ।
२४	प्रमाण-पत्रों को मिलाना	२.५०	,,	,,

२५	क्रियात्मक परीक्षकों की आख्या का टंकन	०.२५	प्रति पृष्ठ	,,	,,
२६	क्रियात्मक परीक्षकों की टंकित आख्याओं की जांच	०.१२	प्रति पृष्ठ	,,	,,
२७	इंटरमीडिएट कालेजों के गैर-सरकारी निरीक्षकों को पारिश्रमिक	१०.००	प्रति दिन, प्रति संस्था अधिकतम ३० रु०	राजाज्ञा संख्या ए-१०८३/पन्द्रह-७०३, दिनांक १६ अप्रैल, १६४४ ।	
२८	हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का अनुवाद अथवा दोहराना	१०.००	प्रति प्रश्न-पत्र	राजाज्ञा संख्या ए-३७०३/पन्द्रह-३१६४-४७, दिनांक २७ अप्रैल, १६४६ ।	
२६	पुस्तकों की समीक्षा—				
	*हाई स्कूल के लिए	३०.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तकों में १०० पृष्ठ हों	राजाज्ञा संख्या ए-एक-३४६५/पन्द्रह-१५८८-६१, दिनांक १७ जनवरी, १६६४ ।	
		४५.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में १०१ से २०० पृष्ठ तक हों		
		६०.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में २०० से ऊपर पृष्ठ हों		
	*इंटरमीडिएट के लिए	४०.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में १०० पृष्ठ तक हों		
		५५.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में १०१ से २०० पृष्ठ हों		
		७५.००	प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में २०० से ऊपर पृष्ठ हों		

*यह दरें प्रति समीक्षक हैं। एक वर्ष में अधिकतम पारिश्रमिक दिनांक २० फरवरी, १६६१ की राजाज्ञा संख्या ए-१-४८२४/पन्द्रह--१५६४-५६ के अनुसार ५०० रु० हैं ।

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर		स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३		४
		रु०	६--परीक्षा केन्द्र अ--मुख्य परीक्षा	
*३०	(अ) परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक--			
	(क) जिसमें ५०० परीक्षार्थी हों	७५.००	प्रत्येक को	राजाज्ञा सं० ए-६११०/पन्द्रह--२११-४५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ ।
	(ख) जिसमें ५०१ से ७५० परीक्षार्थी हों	१२५.००	,,	,,
	(ग) जिसमें ७५० से ऊपर परीक्षार्थी हों	१५०.००	,,	,,
	(घ) अतिरिक्त अधीक्षक	७५.००	पूरी अवधि के लिए और जहां अतिरिक्त अधीक्षक नियुक्त होता है। प्रथम अधीक्षक का पारिश्रमिक २५ रु० कम कर दिया जायगा यदि परीक्षार्थियों की संख्या ५०१ से ६०० तक होगी इस प्रतिबन्ध के साथ किसी भी दशा में प्रथम अधीक्षक को ७५ रु० से कम नहीं प्राप्त होते	राजाज्ञा संख्या ए-६६८०/पन्द्रह--२११-४५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ । तथा राजाज्ञा सं० ए-५३६०/पन्द्रह--२१६१-४५, दिनांक ८ अप्रैल, १९५८ । तथा राजाज्ञा संख्या क-१-६९८/पन्द्रह--१५३२-६८, दिनांक २८ मार्च, १९७० ।
**३०	(ब) बाह्य अधीक्षक---			
	(क) केन्द्रों पर समस्त सरकारी कर्मचारी---			यदि अपने मुख्यावास से ५ मील से अधिक दूरी पर प्रतिनियुक्त होते हैं तो १० दिनों तक

(१) जिसमें ५०० तक परीक्षार्थी हों	७५.००	प्रत्येक को	दैनिक भत्ता पूरी दर पर मिलेगा और १० दिन के बाद २/३ दर पर मिलेगा इस प्रतिबन्ध के साथ ६० दिन के बाद रुकने पर कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा।
(२) जिसमें ५०१ से ७५० तक परीक्षार्थी हों	१२५.००	प्रत्येक को	
(३) जिसमें ७५० से ऊपर परीक्षार्थी हों	१५०.००	प्रत्येक को	
(ख) उन समस्त व्यक्तियों को जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सम्बद्ध हैं—			
(१) जिसमें ५०० तक परीक्षार्थी हों	७५.००	प्रत्येक को	यदि अपने सामान्य निवास-स्थान से ५ मील से अधिक दूरी पर प्रतिनियुक्ति हों तो १० दिनों तक दैनिक भत्ता पूरी दर पर मिलेगा और १० दिन के बाद २/३ दर पर मिलेगा इस प्रतिबन्ध के साथ कि ६० दिन के बाद रुकने पर कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा।
(२) जिसमें ५०१ से ७५० तक परीक्षार्थी हों	१२५.००	,,	
(३) जिसमें ७५० से ऊपर परीक्षार्थी हों	१५०.००	,,	
(ग) उन समस्त व्यक्तियों को जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अथवा जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं	५.००	प्रति बैठक तथा ७.५० रु० एक ही दिन की दो बैठकों के	
†३१ (अ) अन्तरीक्षक	२.००	प्रति बैठक वाह्य एवं संस्था दोनों ही के अन्तरीक्षकों के लिए प्रति बैठक	राजाज्ञा संख्या ए-६६८०/पन्द्रह—२११-४५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६।
†३१ (ब) वाह्य अन्तरीक्षक— (अ) समस्त सरकारी कर्मचारियों को	२.००		यदि अपने मुख्यावास से ५ मील से अधिक दूरी पर प्रतिनियुक्त होते हैं तो १० दिनों तक।

**दिनांक १३ मई, १९६३ की राजाज्ञा संख्या ए-१-९९०/१५—१५०० (९२)-६१ में स्वीकृत।

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर	स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३	४
	(ब) उन समस्त व्यक्तियों को जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थाओं से संबद्ध हैं	२.०० प्रति बैठक	यदि अपने सामान्य निवास-स्थान से ५ मील से अधिक दूरी पर प्रतिनियुक्त हों तो १० दिनों तक दैनिक भत्ता पूरी दर पर मिलेगा और १० दिन के बाद २/३ दर पर मिलेगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि ६० दिन के बाद रुकने पर कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा ।
	(स) उन समस्त व्यक्तियों को जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अथवा जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं	३.०० ,,	,,
	दैनिक भत्ता पूरी दर पर मिलेगा। १० दिन के बाद २/३ दर पर और इस प्रतिबन्ध के साथ कि ६० दिन के बाद रुकने पर कोई दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा ।		
*३२	परीक्षा केन्द्र पर लिपिक वर्ग		
	(अ) जिसमें २५० परीक्षार्थी तक हों	३०.००	राजाज्ञा सं० ए-६६८०/पन्द्रह-२११-४५, दिनांक ८ दिसम्बर, १९५६ ई०।
	(ब) जिसमें २५१ से ५०० परीक्षार्थी तक हों	४०.००	,,
	(स) जिसमें ५०० से ऊपर परीक्षार्थी हों	५०.००	,,

*३३	परीक्षा केन्द्र पर अवर वर्ग			
	(अ) जिसमें २५० परीक्षार्थी तक हों	२०.००		,,
	(ब) जिसमें २५१ से ५०० परीक्षार्थी हों	३०.००		,,
	(स) जिसमें ५०० से ऊपर परीक्षार्थी हों	४०.००		,,
	ब—परक परीक्षा			,,
३४	परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक—			
	(अ) जिसमें केवल एक परीक्षा हो	५.००	प्रति बैठक	राजाज्ञा सं० ए-३६१६/पन्द्रह—२११-४५; दिनांक ५ सितम्बर, १६४६ ई० ।
	(ब) जिसमें एक से अधिक परीक्षा हों	७.५०	,,	,,
३५	अन्तरीक्षक	मुख्य परीक्षा के लिये स्वीकृत दर से		,,
३६	लिपिक वर्ग	मुख्य परीक्षा के लिए स्वीकृत दर से आधी दर से		,,
३७	अवर वर्ग	,,		,,

*क्रमांक ३०, ३२ और ३३ का पारिश्रमिक परीक्षार्थियों की कुल संख्या के आधार पर है, केन्द्र पर होने वाली परीक्षाओं की संख्या को ध्यान न देते हुए।

४९६ एच० एस० आई०-१६७१—१४

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर	स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
१	२	३	४
		७—आने-जाने के किराए का भत्ता	
३८	किसी वाह्य संस्था से प्रतिनियुक्त महिला अन्तरीक्षक तथा अशासकीय (अध्यापक के अलावा) महिला अन्तरीक्षक	२·०० प्रति अन्तरीक्षक प्रति बैठक	राजाज्ञा सं० ए-३५७६/पन्द्रह--५१२-४६, दिनांक १६ मई, १६४७ ई० । राजाज्ञा सं० डी-ई/एफ-२—२०५८—१-७ (३४)-५८-५६, दिनांक २ नवम्बर, १६५८
३६	स्थानीय व्यक्ति जिन्हें परिषद् के कार्य से परिषद् कार्य में बुलाया जाता है	२·०० प्रति यात्रा एक ओर के	राजाज्ञा सं० ए-३६२२/पन्द्रह—३१८३-४८, दिनांक २५ सितम्बर, १६४८ ई० ।
		८—डाक व्यय, डैमरेज तथा रेल किराए की प्रतिपूर्ति	
४०	सारणीयक	प्रधान, संयुक्त प्रधान तथा उप-प्रधान परीक्षकों की रजिस्टर्ड पत्रों अथवा तार द्वारा समय से अंक प्राप्त करने हेतु स्मरण-पत्र भेजने में हुआ व्यय डाक की रसीद प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा संख्या ए-१०४२/पन्द्रह—१६०७-५६, दिनांक १३ अप्रैल, १६६० ।
४१	(अ) प्रधान, संयुक्त प्रधान तथा उप-प्रधान परीक्षक	प्रत्येक परीक्षक आदि को परीक्षा संबंधी कार्यों के सम्बन्ध में परिषद् कार्यालय एवं टैगुलेटरों आदि से किए गये पत्र	राजाज्ञा सं० क-एक-६६२१/पन्द्रह—१५६४-६६, दिनांक ३० दिसम्बर, १६६६ ।

		व्यवहार पर होने वाले सम्पूर्ण वास्तविक डाक व्यय (टिकट तथा रजिस्ट्रेशन फीस) की प्रतिपूर्ति डाक-खाने की रसीद के आधार पर	
	(ब) एकाकी मुख्य परीक्षक तथा मुख्य क्रियात्मक परीक्षक जिसे पर्यवेक्षण का व्यय नहीं मिलता है	उपर्युक्त	उपर्युक्त
४२	समस्त परीक्षक	परिषद् के कार्यालय को जंची हुई उत्तर-पुस्तकों के बंडल भेजने में तथा डैमरेज चुकाने में हुआ वास्तविक व्यय, वाउचर तथा रसीदें प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा संख्या ए-एक-१०४६/पन्द्रह—२०४६-५६, दिनांक १३ अप्रैल, १६६० ।
४३	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रेलें नहीं हैं रहने वाले परीक्षक	डाक द्वारा परिषद् के कार्यालय को जंची हुई उत्तर-पुस्तकें भेजने में हुआ वास्तविक व्यय, डाक की रसीदें प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा सं० ए-एक-६५०/पन्द्रह—२०४६-५६, दिनांक २६ जून, १६६१ ।
४४	हाई स्कूल परीक्षा के विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षा कों को पारिश्रमिक	१ रु० (एक रुपया) प्रति परीक्षार्थी अथवा कम से कम २० रु० प्रतिसंस्था	राजाज्ञा सं० क-१-२७४८/पन्द्रह—१७६२-१९६७, दिनांक २३ मई, १६६८ ।
४५	उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रीनिंग	१५ पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका (हाई स्कूल परीक्षा) २० पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका	राजाज्ञा सं० क-१-७५६३/पन्द्रह—१५००-१९६४, दिनांक मार्च २८, १६७० ।

यात्रा-भत्ता बिल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश

१—यात्रा–भत्ता बिल दो प्रतियों में निर्धारित ट्रेजरी र्म पर बनाकर प्रेषित करना चाहिए ।

२—अराजपत्रित (नान–गजटेड) राज्य कर्मचारी अपना यात्रा–भत्ता बिल ट्रेजरी फार्म नम्बर २६६ पर ही बनावें तथा उसे अपने कार्यालय अध्यक्ष (हेड आफ आफिस) के माध्यम से ह भेजें । काय लय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर बिल के दोनों स्थानों पर होना आवश्यक है ।

३—राजपत्रित अधिकारी, सेवा निवृत्त एवं गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारी ट्रेजरी फार्म नम्बर २६५ पर ही अपना यात्रा–भत्ता बिल बनावें ।

४—शासनादेशों के अनुसार ऐसे सभी भुगतान पत्र, जो यात्रा समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष बाद प्राप्त होंगे, रद्द कर दिये जायेंगे ।

५—गैर सरकारी व्यक्तियों को यात्रा–भत्ता सुविधा उसी प्रकार उपलब्ध होगी, जो उनके समान वेतन भोगी राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित होंगी । सेवा से निवृत्त व्यक्तियों को उनकी वर्तमान मासिक आय पर ही यात्रा–भत्ता दिया जावेगा ।

६—समस्त राजकीय कर्मचारियों का रेल व बस–यात्रा उपलब्ध होने से सम्बन्धित विभाजन वेतन–क्रम के आधार पर भिन्न-भिन्न श्रेणियों में किया गया है । इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किस श्रेणी में रेल तथा बस–यात्रा करने का अधिकारी है तथा उसे किस दर से आनुषंगिक व्यय मिलेगा उसकी तालिका निम्नवत् है :—

राजकीय कर्मचारी की श्रेणी	वेतनक्रम प्रतिमाह (महंगाई भत्ता छोड़कर)	किस श्रेणी में यात्रा करने के अधिकारी हैं		आनुषंगिक व्यय की दर प्रति किलो–मीटर पैसों
		रेल	बस	
१	२	३	४	५
प्रथम	जिसका वेतन ८९९ रु० से अधिक हो	प्रथम	अपर	३.५०
द्वितीय	जिसका वेतन २९९ रु० से अधिक तथा ८९९ रु० तक हो	प्रथम	अपर	३.००
तृतीय	जिनका वेतन ९९ रु० से अधिक तथा २९९ रु० तक हो	द्वितीय	लोअर	२.००
चतुर्थ	जिनका वेतन ९९ रु० तथा उससे कम हो	तृतीय	लोअर	१.००

७—(अ) उत्तर प्रदेश के प्रायः समस्त जिलों में जो स्थान रेल मार्ग से जुड़े नहीं हैं, उनमें से अधिकांश स्थानों पर राजकीय अथवा प्राइवेट बस सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे स्थानों पर बस का उपयोग अवश्य करना चाहिये। इन स्थानों का मोटर कार का सड़क भत्ता कदापि स्वीकार नहीं होगा।

(ब) रेलवे स्टेशन से कचहरी तक की दूरी प्रदेश के कतिपय नगरों की शासन द्वारा निर्धारित है, जिसका विवरण इसके साथ संलग्न है। इन स्थानों की सड़क यात्रा की निर्धारित दूरी ही स्वीकार होगी।

८—सड़क यात्रा का भत्ता

कर्मचारी की श्रेणी	वाहन का साधन	दर, जो देय होगी प्रति कि० मी० पैसों में
		एक माह के अन्दर
प्रथम तथा द्वितीय	मोटर कार, ट्रक, जीप कार व मोटर कैरियर	प्रथम २०० कि० मी० ३२ पैसा, तदुपरान्त १५० कि० मी० तक २८ पैसा, शेष १,५०० कि० मी० तक २५ पैसा।
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय	अन्य सवारी	२० पैसा प्रति कि० मी० की दर से।
चतुर्थ	अन्य सवारी	१५ पैसा प्रति कि० मी० की दर से।

९— दैनिक भत्ते की तालिका नगरों की श्रेणी के आधार पर

कर्मचारी की श्रेणी	वेतन	(ए) श्रेणी के नगर	(बी) श्रेणी के नगर	(सी) श्रेणी के नगर
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
प्रथम श्रेणी—	८९९ रु० से अधिक	१२·००	९·००	७·५०
द्वितीय श्रेणी—				
(क)	जिनका वेतन ६०१ रु० से ८९९ रु० तक हो	८·५०	७·००	६·००
(ख)	जिनका वेतन ३०० रु० से ६०० रु० तक हो	७·५०	६·००	५·००
तृतीय श्रेणी—				
(क)	जिनका वेतन २०१ रु० से २९९ रु० तक हो	६·५०	५·००	४·००
(ख)	जिनका वेतन १०० रु० से २०० रु० तक हो	४·५०	३·५०	२·५०
चतुर्थ श्रेणी—	जिनका वेतन ९९ रु० तथा कम हो	२·००	१·७५	१·५०

(ए) श्रेणी वाले नगर—कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, नैनीताल, मसूरी तथा देहरादून। राजाज्ञा संख्या सामान्य २-८३३-१/वस—६१८-६३, दिनांक ६ जुलाई, १९६८ के अनुसार उत्तराखण्ड मण्डल के अन्तर्गत चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिले ३१ मार्च, १९६९ तक के लिए (ए) श्रेणी के नगर माने गए हैं।

(बी) श्रेणी के नगर—मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, शाहजहांपुर, रामपुर, सहारनपुर, हरिद्वार, मिर्जापुर व मथुरा।

(सी) श्रेणी के नगर—उत्तर प्रदेश के शेष सभी स्थान।

१०—जिन परिषदीय कार्यों के लिए पारिश्रमिक देय है, उन कार्यों के सम्पादनार्थ रेल अथवा बस द्वारा की गई यात्रा का भत्ता निम्नवत् होगा:—

(अ) राजकीय, गैर सरकारी एवं सेवा से निवृत्त सभी व्यक्तियों को दैनिक भत्ता प्रदान करने का प्राविधान नहीं है।

(ब) केवल राजकीय कर्मचारियों को रेल/बस किराए के साथ-साथ आनुसंगिक व्यय व सड़क भत्ता साधारण यात्रा की भांति देय है।

(स) गैर सरकारी एवं सेवा से निवृत्त व्यक्तियों को आनुसंगिक व्यय देय न हो सकेगा तथा सड़क भत्ता साधारण दर का ३/४ अर्थात् १५ पैसा प्रति कि० मी० की दर से प्राप्त होगा।

११—यात्रा-भत्ता बिल भुगतान हेतु सचिव के पास प्रेषित करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने बिल की प्रविष्टियों को विशेषकर निम्नलिखित को भली-भांति जांच कर लें:—

(क) बिल के निर्धारित स्थानों पर नाम, पद, मासिक वेतन (महंगाई भत्ता छोड़कर) व पता अंकित है अथवा नहीं।

(ख) बिल में यात्रा की तिथि व समय ठीक से लिखा गया है अथवा नहीं।

(ग) बिल के दोनों प्रतियों में निम्नलिखित प्रमाणकों में से जो उन्हें लागू होते हैं अंकित कर उनके नीचे हस्ताक्षर किए हैं अथवा नहीं। मैं प्रमाणित करता हूं कि—

(१) मैंने रेल बस यात्रा उसी श्रेणी में की है, जिसका किराया बिल में सम्मिलित है।

(२) सड़क यात्रा किराए के वाहन पर की गई है।

(३) दैनिक भत्ता केवल उन्हीं दिनों का मांगा है, जिन दिनों राजकीय कार्य किया गया है।

(४) इन यात्राओं का भुगतान इसके पूर्व प्राप्त नहीं किया है और न भविष्य में मांगा जावेगा।

(५) किसी स्थान के लिए (जिसकी यात्रा जिसमें की गई है) रियायती वापसी टिकट उपलब्ध न था।

(६) सड़क भत्ता केवल उन्हीं स्थानों का मांगा है, जो स्थान रेल अथवा बस से जुड़े नहीं हैं।

(७) मैंने सड़क यात्रा अपनी निजी मोटर/किराये की मोटर द्वारा सम्पादित किया है तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-३ के नियम २७ (बी) (i) के अनुसार ट्रेल आदि का व्यय वहन/भुगतान किया है।

रेलवे स्टेशन से स्वीकृत दूरी

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	स्वीकृत दूरी
			कि० मी०
१	आगरा	आगरा किला	२—०
		आगरा सिटी	३—०
		आगरा कैन्ट	४—०
		आगरा ईदगाह	२—०
		राजा की मंडी	३—०
२	अलीगढ़	अलीगढ़	१—५
३	इलाहाबाद	इलाहाबाद जंक्शन	४—६
		इलाहाबाद सिटी	४—७
		प्रयाग	२—०
४	आजमगढ़	आजमगढ़	३—४
५	बहराइच	बहराइच	३—०
६	बलिया	बलिया	१—५
७	बांदा	बांदा	०—८
८	बाराबंकी	बाराबंकी	०—९
९	बरेली	(क) बरेली जंक्शन	१—१
		(ख) ,, सिटी	२—४
१०	बस्ती	बस्ती	६—०
११	वाराणसी	बनारस कैंट (एन० आर०)	२—५
		बनारस सिटी	४—८

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	स्वीकृत दूरी
			कि० मी०
		काशी (एन० आर०)	६—९
१२	बिजनौर	बिजनौर	२—०
१३	बदायूं	बदायूं	१—२
१४	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	१—७
१५	कानपुर	कानपुर जंक्शन (एन० आर०)	३—२
		अनवरगंज (सेन्ट्रल रेलवे)	४—२
		रावतपुर	६—८
१६	देहरादून	देहरादून	०—८
१७	इटावा	इटावा	१—३
१८	फतेहपुर	फतेहपुर	०—७
१९	फर्रुखाबाद	फतेहगढ़	२—०
		फर्रुखाबाद	८—०
२०	फैजाबाद	फैजाबाद	१—२
२१	गाजीपुर	गाजीपुर शहर	१—३
		तारी घाट	३—०
२२	गोंडा	गोंडा	५—३
		गोंडा कचहरी	२—२
२३	गोरखपुर	गोरखपुर	१—१
२४	हमीरपुर	हमीरपुर रोड (सेन्ट्रल रेलवे)	१०—४
२५	हरदोई	हरदोई	१—४
२६	जालौन (उरई)	उरई	२—४
२७	जौनपुर	जौनपुर	३—५
२८	झांसी	झांसी	३—२
२९	लखीमपुर (खीरी)	लखीमपुर	१—५
३०	लखनऊ	चारबाग (एन० रेलवे)	३—०
		ऐशबाग (एन० ई० रेलवे)	३—०

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	स्वीकृत दूरी
			कि० मी०
		बादशाह नगर (एन० ई० रेलवे)	३—०
		डालीगंज (एन० ई० रेलवे)	२—०
		लखनऊ शहर या आगा मीर को दोरहो (एन० ई० रेलवे)	२—०
३१	मैनपुरी	मैनपुरी	३—२
		मैनपुरी कचेहरी	३—०
३२	मेरठ	मेरठ शहर	५—३
		मेरठ कैंट	४—७
३३	मिर्जापुर	मिर्जापुर	३—०
३४	मुरादाबाद	मुरादाबाद	२—०
३५	मथुरा	मथुरा कैंट	१—९
		मथुरा जंक्शन	३—४
३६	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	१—१
३७	उरई (जालौन)	उरई	
३८	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	३—०
३९	पीलीभीत	पीलीभीत	५—०
४०	रायबरेली	रायबरेली	२—६
४१	रामपुर	रामपुर	१—६
४२	सहारनपुर	सहारनपुर	१—८
४३	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	१—८
४४	सीतापुर	सीतापुर कचहरी	१—०
		सीतापुर शहर	२—२
		सीतापुर कैंट	२—४
४५	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	१—०
४६	उन्नाव	उन्नाव	०—६
४७	देवरिया	देवरिया	२—२
४८	एटा	एटा	२—७

भाग सात

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता

परीक्षाओं के नाम	परीक्षाओं को मान्यता देने वाले विश्व-विद्यालय का नाम	प्राधिकार
१	२	३
इंटरमीडिएट तथा इंटरमीडिएट वाणिज्य और कृषि परीक्षायें	आगरा विश्वविद्यालय	आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ की धारा ३० ।
इंटरमीडिएट तथा इंटरमीडिएट वाणिज्य परीक्षायें	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ की धारा ३७ (१) ।
,,	लखनऊ विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र संख्या ४१०५/१८/१५, दिनांक २५ सितम्बर, १९२४ ।
हाई स्कूल परीक्षा, इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	कलकत्ता विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र संख्या प्रकीर्ण-३०९९/बीस-ब, दिनांक २९ सितम्बर, १९२४ ।
हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ५९७७, दिनांक १० दिसम्बर, १९२४ ।
,,	नागपुर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० १८५७, दिनांक ९ सितम्बर, १९२४ तथा अध्यादेश ४ (अ) नोट ५ (अ) नागपुर विश्वविद्यालय के

		१९२४–२५ के लिए कैलेन्डर का अध्याय ७ तथा पत्र सं० ६७७९, दिनांक १८ सितम्बर, १९४१ ।
हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	रंगून विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० १९४५/४३–जी, दिनांक १५ सितम्बर, १९४२ ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षायें	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० २५१६/पांच–डी—११, दिनांक २२ सितम्बर, १९२४ ।
,,	आन्ध्र विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० १३९–सी—३४, दिनांक १४ अप्रैल, १९३४ ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाएं तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	बम्बई विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ३९३६, दिनांक ६ जुलाई, १९२५, संख्या ८६८५, दिनांक १५ दिसम्बर, १९२५ तथा सं० ६, दिनांक ३ जनवरी, १९३३ ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षायें	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र संख्या १९५७१०, दिनांक ३१ मार्च, १९२६ ।
इंटरमीडिएट परीक्षा	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ४६३१, दिनांक ३० जनवरी, १९२५ ।
इण्टरमीडिएट परीक्षा	ढाका विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० १९५७२, दिनांक २३ अप्रैल, १९२५ ।
,,	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० एच—१७९२८, दिनांक १३ जुलाई, १९२६ ।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता (क्रमशः)

परीक्षाओं का नाम	परीक्षाओं को मान्यता देने वाले विश्व-विद्यालय का नाम	प्राधिकार
१	२	३
इंटरमीडिएट परीक्षा	स्काटिश यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बोर्ड	सचिव का पत्र, दिनांक २३ जनवरी, १९२८।
,,	नेशनल आफिस आफ फ्रेंच स्कूल्स एन्ड यूनिवर्सिटीज, पेरिस	भारत के हाई कमिश्नर, शिक्षा विभाग का भारत सरकार केके सचिव, शिक्षा स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग कोको पत्र संख्या ई/एस-७२/१, दिनांक ५ जुलाई,, १९३२।
हाई स्कूल परीक्षा	बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटीज	सचिव शिक्षा विभाग, भारत के हाई कमिश्नर कार्यालय, लन्दन का पत्र संख्या ई–एस–७४/१२, दिनांक ३३१ जनवरी, १९३५।
कृषि में इंटरमीडिएट परीक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ६५७, दिनांक २१ जनवरी, १९३८।
इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं० २३२० /जी० एम०, दिनांक २३ मार्च, १९४९।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा	कश्मीर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० के० यू०/११७०५/५०, दिनांक १५ नवम्बर, १९५०।

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा	उत्कल विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए/ए–सी–८१३६/५१, दिनांक २८ नवम्बर, १९५१ ।
" "	गोहाटी विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० जी०/ई०/ई० सी०/२५२/६०९६, दिनांक ४ अगस्त, १९५२ ।
इंटरमीडिएट कला, विज्ञान तथा वाणिज्य परीक्षायें	गुजरात विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० जैन–७७४०/१९५२ का, दिनांक २३/२४ मार्च, १९५३ ।
इंटरमीडिएट कला तथा विज्ञान	पूना विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० यू० नो०/२०/१०२०२, दिनांक ७–९ जुलाई, १९५३ ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट	पंजाब विश्वविद्यालय	सचिव की विज्ञप्ति सं० आई/जी, दिनांक २६ अप्रैल, १९५५ ।
हाई स्कूल प्राविधिक तथा इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षायें	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० सी/९/यू० पी०—२५/७३६, दिनांक २१/२२ दिसम्बर, १९६५ ।
हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए० सी०/४१६, दिनांक २३ जुलाई, १९५४ ।
हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा	बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता	उप सचिव का पत्र सं० यू० एन०/८/४, दिनांक २० मई, १९५५ ।
इंटरमीडिएट विज्ञान, जीव विज्ञान सहित (चिकित्सा वर्ग)	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) पत्र सं० प्रकीर्ण १२३७८, दिनांक २३ अगस्त, १९५८ ।
हाई स्कूल परीक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय	उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) पत्र सं० प्रकीर्ण/२५१८०—५२९, दिनांक १ सितम्बर, १९५९ ।
इंटरमीडिएट विज्ञान (कृषि)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं० एम० आर०–४५४५/ई–क्यू, दिनांक १३ मई, १९५८ ।
इंटरमीडिएट कला, विज्ञान तथा वाणिज्य	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए० सी०/५५२, दिनांक २३ जून, १९५८ ।

विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता (क्रमशः)

परीक्षाओं का नाम	परीक्षाओं को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय का नाम	प्राधिकार
१	२	३
हाई स्कूल परीक्षा	पूर्व पाकिस्तान सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका	अनुसचिव भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली--१ द्वारा इस कार्यालय को अपने पत्र सं० डी-६६५०/य-५, दिनांक १३ जनवरी, १६५६ के साथ प्रेषित सचिव का पत्र संख्या ६-जे०/पब०--१४०३ (१००), दिनांक ४ मार्च, १६५८ ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा	एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए० सी०/६२३२, दिनांक १७ सितम्बर, १६६० ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	रजिस्ट्रार का पत्र सं० एम० आर०/२६७१/ई-क्यू, दिनांक १८ नवम्बर, १६६० ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) और इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ३२००२, दिनांक १४ मार्च, १६६१ ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए० सी० डी०/६८७/आर--११५, दिनांक ११ अप्रैल, १६६१ ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	जबलपुर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ५७६४, दिनांक १२ जुलाई, १६६१ ।

हाई स्कूल (प्राविधिक) तथा इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० सी/६/यू० पी०/६२/२०६३५, दिनांक २ फरवरी, १९६२ ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) (नया रूप)	पूना विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० जे०-यू० पी०/बोर्ड/११३१, दिनांक १४ मार्च, १९६२ ।
इंटरमीडिएट परीक्षा	मैसूर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० आर-५/७९२/५७-५८, दिनांक १७ सितम्बर, १९६२ ।
इंटरमीडिएट परीक्षा (भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान सहित)	,,	रजिस्ट्रार का पत्र सं० आर-५-५९८/६८६६, दिनांक ११ अगस्त, १९६० ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	रुड़की विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० ए० सी० डी०/४८८-आर/११५, दिनांक २४ अप्रैल, १९६३ ।
बोर्ड इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा	एस० एस० सी० इक्जामिनेशन बोर्ड, पूना	सहायक सचिव का पत्र संख्या बी-आर-एल-ई-क्यू, दिनांक १७ जुलाई, १९६३ ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन, यू० पी०, लखनऊ	सचिव का पत्र संख्या बी-तीन (२७)-६४-६५/१३३१, दिनांक २३ जून, १९६४ (दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिये) ।
इन्टरमीडिएट (प्राविधिक परीक्षा	विक्रम विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र संख्या एड० एम० एन०/रिकग० ६५/१३८२, दिनांक ५ फरवरी, १९६५ ।
इन्टरमीडिएट विज्ञान इन्टरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर	उप निदेशक एवं अध्यक्ष, एडमिशन कमेटी का पत्र संख्या ए/जे-टी-६/६४/११-टी-के-१२०८, दिनांक ३० जुलाई, १९६४ ।

NIEPA - DC
G0247

पी० एस० यू० पी०—४९
आई०—४—२—१९७१—१५,००० (प्रो०)